राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का तैंतालीसवां दिवस [संख्या: 21

शुक्रवार,

06 मार्च 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल। श्री वासुदेव देवनानी।

किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत देय लाभ

334. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने किसान परिवार हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में कितने किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा करवाया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल सका है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? उक्त योजना से वंचित किसानों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रदेश में किसान परिवारों की पृथक से कोई गणना उपलब्ध नहीं है।

(2) राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की प्रचालन मार्गदर्शिका के अनुरूप खरीफ 2016 से लागू है। उक्त योजनान्तर्गत खरीफ 2017 से रबी 2019-20 तक कृषकों की फसलों का बीमा किया गया, जिसमें खरीफ 2017 में 58 लाख 45 हजार, रबी 2017-18 में 35 लाख 48 हजार, खरीफ 2018 में 42 लाख 5 हजार, रबी 2018-19 में 29 लाख 75

(कृषि मंत्री)

हजार, खरीफ 2019 में 44 लाख 49 हजार एवं रबी 2019-20 में 38 लाख 24 हजार कृषक फसल पालिसी सृजित की गई। जिलेवार सृजित की गई फसल बीमा पालिसियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण लेने वाले कृषकों का फसल बीमा अनिवार्य आधार पर किया जा रहा है। गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान के अनुसार पात्र बीमित कृषकों को योजना का लाभ मिल रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी व खरीफ के किसानों को बीमा राशि मिलने हेतु केंद्र, राज्य व किसान को अपना-अपना प्रीमियम जमा कराना होता है? यदि हां, तो कितना-कितना?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ के अंदर 2 प्रतिशत किसान जमा कराते हैं, रबी में डेढ़ प्रतिशत और कामर्शियल क्रोप में 5 प्रतिशत किसानों द्वारा जमा कराया जाता है। बाकी हिस्सा राशि में आधा भारत सरकार देती और आधा राज्य सरकार देती है।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने परसेंटेज पूछा है।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): 50-50 परसेंट।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरा दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2017, 2018 व 2019 में केंद्र, राज्य व बीमा कंपनियों ने रबी व खरीफ फसलों के लिए कितना-कितना पैसा जमा कराया और कितने किसानों को बीमा राशि मिली? 2017, 2018 व 2019 तीनों सालों में कितनी-कितनी राशि तो जमा हुई और कितने किसानों को इसकी राशि मिली?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2017 में खरीफ व रबी मिलाकर 93 लाख 93 हजार रुपये, 2018 में 71 लाख 80 हजार रुपये, 2019 में 82 लाख 73 लाख रुपये, इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने खंड2 के अंदर जो फसल पालिसी की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बात की है। क्या यह सही है कि खरीफ 2019 के अंदर इसमें राज्यांश के रूप में 1430 करोड़ रुपये, रबी 2019 में राज्यांश के रूप में 685 करोड़ रुपये जमा कराने थे। यह 2115 करोड़ रुपये सरकार द्वारा जमा नहीं कराने के कारण किसानों की जो पालिसी है, उस पालिसी के अनुसार उनको इस फसल का मुआवजा नहीं मिलेगा।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जानकारी दे देता हूं। पिछली सरकार का 1135 करोड़ रुपये बकाया थे, वह हमारी वर्तमान सरकार ने दिये हैं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि अभी 399 करोड़ और 2019-20 में जो बजट मिला है, जो कृषक लोन लिया गया है, उसके बाद में हमारी देनदारियां 399 करोड़ रुपये की अभी भी हैं पिछली सरकार के बकाया 1135 करोड़ 83 लाख चुकाने के बाद, मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी देनदारियां अभी भी हैं। जिस प्रकार की अतिवृष्टि अभी चार-पांच दिन में और हुई है, उससे भी आने वाले समय में पालिसियों की संख्या बढ़ेगी। मैं माननीय सदस्यों को यह कह सकता हूं कि राज्य का राज्यांश हम लगातार जमा करा रहे हैं। अभी हमने 400 करोड़ रुपये जमा कराये हैं, 100 करोड़ रुपये बाकी हैं, ट्रेजरी में पड़े हैं, 500 करोड़ रुपये का लोन लिया है। जितनी भी पालिसियां हैं, उनको हम लगातार पूरी करते आ रहे हैं।

मैं अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य को भी अवगत कराना चाहूंगा कि आपके यहां 2017 के बाद लगातार 2018, 2019 में, मैं आपको बता दूं अभी हमने खरीफ 2018 में 8 करोड़ 57 लाख रुपये का कुल क्लेम दिया है और उसमें 11 हजार 9 किसानों को भुगतान किया गया है। रबी 2018-19 में कुल क्लेम राशि 9 करोड़ 18 लाख रुपये, जिसमें से 7 करोड़ 92 लाख का भुगतान कर दिया गया है एवं 10 हजार 953 किसानों को भुगतान किया गया है। उसमें 1 करोड़ 26 लाख रुपये का भुगतान बाकी है। खरीफ 2019 में 38 करोड़ रुपये का प्रीमियम बीमा कंपनियों को राज्यांश के रूप में दे दिया गया है। इसमें 9 करोड़ 96 लाख रुपये का भुगतान इसी हफ्ते में कर दिया है, शेष राशि का भुगतान अगले महीने में कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बीमा कंपनी बीमा देने के लिए कब अधिकृत होगी? जिस कट-आफ-डेट पर किसान का, राज्य सरकार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और केंद्र सरकार का पैसा उसके खाते में जमा हो जाएगा। यदि 2019 की खरीफ और 2019 की रबी में राज्यांश उस कंपनी को नहीं मिला तो क्या वह कंपनी किसानों को फसल बीमा देने के लिए अधिकृत हो जाएगी?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नेता, प्रतिपक्ष ने ठीक बात कही है। मूल्यांकन होने के बाद राज्य का पैसा जमा होता है, उसके बाद भारत सरकार पैसे जारी करती है। जब तक हम पूरा पैसा जमा नहीं कराते तब तक भारत सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता है। इसी गाइड लाइन को लेकर भारत सरकार ने आज दिल्ली में एक उच्च स्तरीय मीटिंग रखी है, जिसमें हमारे सचिव और एग्रीकल्चर कमिश्नर दोनों वहां पर उस बैठक में मौजूद हैं, अभी वह बैठक चल रही है। उस गाइड लाइन में भी कुछ चेंज किया जा रहा है। यह बात सही है कि पहले राज्यांश पूरा जमा कराने के बाद ही भारत सरकार अपना पैसा रिलीज करती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा यह कहना है कि राज्यांश जमा नहीं हुआ, केंद्रांश जमा नहीं हुआ तो क्या बीमा कंपनी बीमा देने के लिए बाध्य होगी? मैं जो कह रहा हूं, वह यह है कि एक कट-आफ-डेट तक आपका पैसा उसके पास नहीं गया, तो उस पर आपको बीमा देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कानूनी रूप से वह आपसे कहीं पर भी दबा हुआ नहीं है। एक सर्टेन तारीख, क्योंकि वह बीमा पालिसी कवर नहीं हुई। वह देने के लिए, इसका सीधा घाटा, क्या राजस्थान के 2019 की रबी और खरीफ फसल का बीमा उन लोगों को नहीं मिल पाएगा, जिनकी संख्या आप लाखों में बता रहे हैं, जिन्होंने अपने बीमा का प्रीमियम ऋण लेते समय कटा दिया, वे इसमें सफर होंगे या नहीं?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा बताया कि हमने 500 करोड़ रुपये का लोन लिया है और 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान नये बजट में रखा है। यह बात सही है कि इसमें थोड़ी देरी हुई, क्योंकि हमने पिछला बकाया पूरा किया था। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार कहीं से भी व्यवस्था करे..

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, एक सीधा-सा प्रश्न है कि उस डेट तक यदि राज्यांश जमा नहीं होता है तो वह किसान एलीजिबल नहीं है। वे किसान जिनका राज्यांश जमा नहीं होने के कारण, क्या उनको बीमा का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): आगे से उसका ध्यान रखेंगे ...(व्यवधान) मैं कह रहा हूं न ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुनना नहीं चाहते। मंत्री जी बैठें। अगला प्रश्न, श्री रूपा राम।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

प्रश्न संख्या 335

अगला प्रश्न, श्री रूपा राम।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न, श्री सुरेश टाक। अगला प्रश्न।

किशनगढ़ में कार्यरत सहकारी संस्थाएं

336. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में वर्तमान में किस-किस स्थान पर क्रय-विक्रय सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं? उनके अधीन ग्राम सेवा सहकारी समितियां व अन्य कौनसी सहकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

(2) क्या यह सही है कि दिसम्बर 2015 से 31 जनवरी, 2020 तक नई क्रय-विक्रय सहकारी समितियां व ग्राम सहकारी समितियों की स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो कब व कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में संचालित क्रय-विक्रय सहकारी समितियां व ग्राम सेवा सहकारी समितियां कब से कार्य कर रही हैं? उक्त में कितने निदेशक व सदस्य हैं तथा उनका कार्यकाल कब से कब तक का है? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। प्रश्नकाल में अलाउ नहीं। माननीय, प्रश्नकाल में नहीं। जवाब दीजिए। यह परम्परा नहीं चलेगी। (व्यवधान) मंत्री जी जवाब दें। यह गलत परम्परा है। अंकित नहीं होगा।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में वर्तमान में कार्यरत क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं उनकी सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों/अन्य सहकारी समितियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। दिसम्बर 2015 से 31 जनवरी, 2020 के मध्य किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नई क्रय-विक्रय सहकारी समिति व ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्वीकृति जारी की गई है। (व्यवधान) उक्त अवधि में गठित एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति तथा 7 ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 2 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां व 42 ग्राम सेवा सहकारी समितियां पंजीयन दिनांक से कार्यरत हैं। सभी समितियों के संचालक मण्डल में एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष सहित बारह सदस्यों के पद होते हैं। संचालक मण्डल का कार्यकाल निर्वाचन दिनांक से 5 वर्ष का होता है। नवीन पंजीकृत सहकारी समिति में संचालक मण्डल का निर्वाचन समिति की पंजीयन दिनांक से तीन माह में करवाये जाने का प्रावधान है। समितियों के पंजीयन क्रमांक/दिनांक का विवरण परिशिष्ट-"1" एवं संचालक मण्डल के कार्यकाल का विवरण परिशिष्ट-"3" पर संलग्न है। (व्यवधान)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 41 पंचायत मुख्यालय हैं और इनमें से केवल 29 पंचायत मुख्यालयों पर...(व्यवधान) जीएसएस स्वीकृत हैं। बाकी 12 पंचायत मुख्यालयों पर जीएसएस स्वीकृत नहीं हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय, उपरोक्त 12 पंचायत मुख्यालय जहां वर्तमान में जीएसएस नहीं हैं, ...(व्यवधान) उन पर नियमों के अन्तर्गत आने वाली पंचायतों में जीएसएस कब तक खोले जाएंगे व कब तक इस संबंध में विभाग द्वारा सर्वे कार्यवाही कर दी जाएगी? नम्बर एक।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जब ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर आपके प्रस्ताव आएंगे तब ...(व्यवधान) हमको उपलब्ध होगी, गोदाम की स्वीकृति जारी कर दी जाएगी।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि आप द्वारा दी गई सूची में दिसम्बर, 2015 से 31 जनवरी, 2020 के मध्य खोली गई क्रय-विक्रय सहकारी समिति और ग्राम सेवा सहकारी समिति 7 में

(श्री सुरेश टाक)
संचालक मंडल का चुनाव ...(व्यवधान) हो गया परंतु एक अरांई क्रय-विक्रय सहकारी समिति शेष बची हुई है और ...(व्यवधान) शेष बची हुई जीएसएस, 2016 में निर्वाचन ड्यू है। आप संचालक मंडलों का चुनाव कब तक कराएंगे? अरांई क्रय-विक्रय सहकारी समिति के भी चुनाव कब तक कराएंगे?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): सहकारी समिति के चुनाव ड्यू हैं, जानकारी पूरी है ...(व्यवधान) और पंचायती राज चुनावों के बाद ग्राम सेवा सहकारी समितियों के और समस्त सहकारिता विभाग के चुनाव करा दिये जाएंगे।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): धन्यवाद सर, एक जानकारी और लेना चाहता हूं। क्या जिन जीएसएस ...(व्यवधान) पर खाद-बीज ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): खाद-बीज वितरण के लाइसेंस नहीं है। क्या उन पर लाइसेंस जारी रखने का मन रखते हैं आप? (व्यवधान) एक छोटा -सा निवेदन है, अरांई पंचायत समिति पर 25 लाख रुपए आपने स्वीकृत कर रखे हैं भवन के लिए परंतु जमीन के लिए कलेक्टर लेवल पर फाइल पैंडिंग है ...(व्यवधान) क्या आप उस पर कार्यवाही करना चाहेंगे?

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, आप दो मिनट सुनेंगे? एक मिनट माननीय सदस्य।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर से ...(व्यवधान) करा दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: आपके प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए इसको किस ढंग से लाकर चर्चा करें, मैं आपसे निवेदन करूंगा ...(व्यवधान)

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माइक चालू नहीं है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट आप रुकिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): मंत्री महोदय, तीसरे सवाल का जवाब दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट रुकिए। एक मिनट टाक साहब।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप से अपनी सीटों पर आगमन)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। अंकित नहीं होगा। सब बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सतीश पूनियां (आमेर): 000

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी सीटों से नारे)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, बैठें आप। आप समझ नहीं रहे हैं। आप तो रोको। माननीय सदस्य, आपके लीडर बोल रहे हैं, आप तो चुप रह सकते हैं। माननीय सदस्य, आपके लीडर बोल रहे हैं। राठौड़ साहब, आपके लीडर बोल रहे हैं। आप हाउस को आर्डर में लाएंगे तभी तो सुनेंगे। आप सुनाना भी चाहते हैं और आर्डर में भी नहीं लाएंगे, दो बात तो नहीं होगी।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र जब से शुरू हुआ तब से हमने यह चौथी बार प्रश्न लगाया है। अलग-अलग प्रश्न में हमने इसी बात पर कोशिश की कि जब तक उसका इंश्योरेंस का पैसा जो केन्द्र का और राज्य सरकार का जमा नहीं होगा तब तक वह बीमा लेने के लिए अधिकृत नहीं होगा। पिछले प्रश्न में आपने ही जवाब दिया था कि ख़रीफ़ में 1400 समथिंग करोड़ रुपया केन्द्र ने जमा करा दिया, आपका पैसा जमा नहीं हुआ। रबी में भी केन्द्र ने पैसा जमा करा दिया, आपका पैसा जमा नहीं हुआ। किसान ने अपना पैसा जमा करा दिया 38 लाख लोगों ने इस बीमा के आधार पर। लेकिन चूंकि आपका पैसा जमा नहीं हुआ, इसलिए उस किसान को उसकी फसल खराबे का एक पैसा भी मिलने वाला नहीं है। (व्यवधान) इस कारण से...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं करें। गंभीरता हीं नहीं है आपके पास। लीडर बोल रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, हमारा आपसे निवेदन यह है कि आप और हम सब लोग इस बारे में चिंतित हैं। (व्यवधान)

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गलत परम्परा है। लीडर बोल रहा है और आप खड़े हो रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप और हम सब इस बात के लिए चिंतित हैं कि जिस किसान ने अपनी फसल का पैसा जमा करा दिया, आपको जो भी दो परसेंट और डेढ़ परसेंट है, उस किसान का क्या दोष है कि सरकार ने अगर समय पर किश्त जमा नहीं कराई तो उसका दंड उस किसान को मिलेगा? इससे बड़ा अन्याय उस किसान के साथ क्या हो सकेगा? यह चौथा प्रश्न है। एक-दो नहीं है। हर प्रश्न में यही सरकार इसी तरह से कहकर ...(व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सतीश पूनियां (आमेर): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब। माननीय राठौड़ साहब। यह गलत तरीका है। आप यह खुद करेंगे। आप कौन होते हैं? मैं क्या करूंगा? सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.17 बजे 12.17 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(12.17 बजे)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

शासकीय वक्तव्य

किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत देय लाभ

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्रश्न इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दे कि क्या स्थिति है। जिस

(श्री अध्यक्ष)

किसान का सरकार ने राज्यांश जमा नहीं कराया, उसको नुकसान होगा या नहीं होगा? मैंने चर्चा की है और मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि इसमें वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं एक बात सदन को क्लीयर कर दूं, गाइड लाइन के अनुसार कोई कट आफ डेट नहीं होती। केवल बीमा कराने की कट आफ डेट होती है। राजस्थान में ख़रीफ़ 2018 तथा रबी 2018-19 तक के प्रीमियम के राज्यांश का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। यहां तक कि ख़रीफ़ 2019 तथा रबी 2019-20 का भी पार्ट पेमेंट 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है, यह स्थिति उसमें है। आप जिस कट आफ डेट की बात कर रहे थे, वह केवल किसान के लिए है। फसल बीमा योजना में किसान द्वारा बीमा कराने की कट आफ डेट ख़रीफ़ की 31 जुलाई है। उसके बाद कोई बीमा नहीं होता।

इसी प्रकार रबी की कट आफ डेट है, वह 31 दिसम्बर है। ऐसा कोई क्लेम, कट आफ डेट उसमें नहीं है। भारत सरकार की गाइड लाइन में कोई प्रावधान नहीं है कि किसान को पेमेंट नहीं होगा। जब दोनों का पेमेंट कम्पनी में जमा हो जाता है तो किसान को उसका भुगतान डीबीटी के माध्यम से स्वत: ही हो जाता है। यह मैं आपको कहना चाह रहा था, पर आपने जिस तरह का वातावरण बनाया किसानों के लिए, ओलावृष्टि हुई, उसमें जो कुछ करना था, आपने किया। ऐसा कोई कट आफ डेट का प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह गाइड लाइन है इसमें आपका 13.28 "State Government has to release the State share of premium subsidy within 3 months from premium requisition by concerned Insurance Company failing which 1 percent interest per month shall be levied as penalty on the State Government" इसका मतलब इस 31 मार्च तक, अगर आपने एक परसेंट पैनल्टी सहित दो हजार करोड़ रुपये जमा नहीं कराया तो यह कम्पनी एक पैसा भी आपके किसान को नहीं देगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय, चर्चा समाप्त हुई। सरकार ने कह दिया, आपने रेज़ कर दिया। सरकार की जिम्मेदारी है उनको मिलेगा या उसमें। चर्चा

(श्री अध्यक्ष)

समाप्त की जाती है। ओलावृष्टि के संबंध में सरकार का स्टेटमेंट आज आएगा। बैठकर चर्चा करके समय बता देंगे।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं:-

(1) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर नगर परिषद् क्षेत्र के ग्राम खुदनपुरी तथा दाउदपुर में नगर विकास न्यास के नाम दर्ज जोहड़ भूमि पर कथित रूप से विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में अवैध वाहनों के संचालन से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को हो रहे राजस्व के नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना में स्थानीय प्रशासन द्वारा पी.एच.सी. के नवीन भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में बरती गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में तत्कालीन तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर कृषि भूमि का नियम विरुद्ध संपरिवर्तन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में सेवारत चिकित्सक जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल व इंडियन मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें अविलम्ब हटाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से कारगिल शहीद श्री रतनलाल मीणा के गांव तक सड़क का निर्माण तथा छोटी उन्दरी चौराहे पर स्टेच्यू लगाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से माउण्ट आबू नगरपालिका क्षेत्र में एस.डी.एम. कार्यालय आबू पर्वत पर होने से कर्मचारियों तथा आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में रीट भर्ती, 2016 नोन टी.एस.पी. लेवल अंग्रेजी में रिक्त 826 पदों के लिये हाई कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ तथा 36 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल दिनांक 05 मार्च, 2020 को हुई भीषण ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें बर्बाद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से बूंदी जिले के रामगढ़ अभयारण्य में निर्माण कार्यों के दौरान की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश में गत दो दिनों से हो रही बारिश व ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई तथा बीमारियों की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के नगरपालिका क्षेत्र से सटी ग्राम पंचायत बृजलाल नगर के घनी आबादी क्षेत्रों से गुजर रही विद्युत लाइनों को शिफ्ट करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में नगरपालिका द्वारा करवाये जा रहे सीवरेज कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(14) श्री अविनाश एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति आदेश पर रोक के बावजूद पाली जिले में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में डबोक हवाई अड्डे से मावली रोड पर मात्र 7 कि.मी. की दूरी पर तीन जगह टोल नाकों के होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अविनाश एवं श्री धर्मनारायण जोशी को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में विद्युत शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर के छीपरवाड़ा, साण्डन, गुडाराम, बागुन्दा व मालगढ़ विद्यालयों को क्रमोन्नत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के कतिपय ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं सहित श्मशान भूमि का आबंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रूपाराम (मकराना), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बड़ी संख्या में स्टाफ के रिक्त पड़े पदों से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से प्रदेश में महिला समूहों द्वारा संचालित छोटे-छोटे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर में सड़कों से वंचित कतिपय स्थानों पर सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रताप लाल भील (गमेती), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की सायरा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रावछ के सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में अप्रधान खनिज फैल्सपार के बाहर जाने पर रोक होने के बावजूद भी राज्य से बाहर ले जाने से करोड़ों रुपये की राजस्व हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री हीराराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में 10 वर्ष पहले शुरू हुई दांतीवाड़ा माणकलाव परियोजना से बिलाड़ा कस्बे में पेयजल सप्लाई शुरू नहीं होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के दौरान महिला एवं पुरुष नसबंदी से शारीरिक रूप से प्रभावित पीड़ितों को उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री राकेश पारीक, सदस्य की ओर से जयपुर डेयरी में दुग्ध टैंकरों के परिवहन कार्य में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(12) श्री अमर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना की गम्भीरी नदी में पांचना बांध से पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर शिक्षक भर्ती घोटाले में लिप्त लोगों को अवैध रूप से पदोन्नति दिये जाने का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में H.Z.L. कम्पनी द्वारा टेलिंग डैम की चारदीवारी बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 06.03.2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 34 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

(श्री अध्यक्ष)

क्र. सं.	पर्ची संख्या	मा. सदस्य का नाम	विषय
1.	17	श्री बिहारीलाल	बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ में गौरक्षनाथ बस्ती व वीर तेजा कालोनी वासियों को अतिक्रमण के नाम पर बेघर करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2.	12	श्री जोराराम कुमावत	विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुमेरपुर, तख्तगढ़ व ग्रामीण क्षेत्रों के हास्पिटलों में डाक्टरों, नर्सिंग स्टाफ की कमी तथा 108 वाहनों के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3.	4	श्री मदन दिलावर	गांव 22 PTD (रायसिंहनगर) जिला गंगानगर में अध्यापकों द्वारा कथित रूप से सरकारी स्कूल में छात्राओं को पोर्न वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में।
4.	16	श्री नारायण बेनीवाल	प्रदेश में विभिन्न सरकारी सेवाओं की भर्ती में आर.पी.एस.सी. की भूमिका के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों में व्यापक आक्रोश के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य आज पुलिस की महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि सारी चीजों को करने में को-आपरेट करें। जो बोलने वाले सदस्य हैं, मैं दोनों पार्टियों के व्हिप से निवेदन करूंगा कि आखिरी के एक घंटे में 5-5 मिनट ही समय मिल पायेगा। बाकी, समय जो आपने दिया है, उस समय के अनुसार बोलने का मौका होगा।

कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): देखिये, आपने व्यवस्था दी है, उसको तो शिरोधार्य। मैं चाहता था कि यह जो फसल खराबा हुआ है इसका जीरो-आवर के बाद अगर स्टेटमेंट दिला देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी को बुला लें? जीरो आवर के बाद में ओलावृष्टि पर स्टेटमेंट दिलाने के लिये? जीरो आवर के बाद। (व्यवधान) जीरो आवर के बाद में। माननीय अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। कटारिया साहब, उसमें मंत्रीजी बता रहे हैं, मेरे से भी मिले थे, जो इंफोर्मेशन रात से उन्होंने कलेक्ट करवाई है, वह इंफोर्मेशन, क्योंकि पटवारियों ने, उन्होंने आज दिन को जाना शुरू किया है, तो जो सूचना उपलब्ध होगी, वह पूरी नहीं होगी। जितनी उपलब्ध होगी उस पर अपन सेटिस्फाइड हैं क्या? (व्यवधान) एक मिनट, रुकें। आप चाहें तो कल कर सकते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): समय तय कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष: अभी जितनी सूचना है, उतनी सूचना उपलब्ध हो जायेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आज चार बजे तक।

श्री अध्यक्ष: आज पांच बजे तक जवाब दे देना। माननीय अविनाश।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जैतारण में शिक्षा अधिकारियों की मिलीभगत से गलत प्रतिनियुक्तियां

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया, जिसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यहां हमारे शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय कि राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों के अन्दर शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है। पर पिछले कुछ महीनों से अगर देखा जाये तो पाली जिले के अन्दर, जैतारण के अन्दर जिला शिक्षा अधिकारी और सी.बी.ई.ई.ओ. ने मिल करके कुछ ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया, जो जरूरत भी नहीं थी और शिक्षण व्यवस्था के नाम पर उन्होंने कानून को ताक पर रख कर जो आपका नियम है कि 8 किलोमीटर के अन्दर-अन्दर प्रतिनियुक्ति हो,

(श्री अविनाश)

उसको भी दरकिनार करते हुए शिक्षण व्यवस्था के नाम पर उन्होंने प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया है।

मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जैतारण ब्लाक के अन्दर और जितने भी पाली जिले के अन्दर जिन शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्था के नाम पर अनावश्यक रूप से जिस तरीके से डैपुटेशन पर लगाया गया, उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त करें और जो-जो इसके अन्दर दोषी हैं, उनके ऊपर कार्यवाही करें, क्योंकि मेरे जैतारण सी.बी.ई.ई.ओ. कार्यालय के अन्दर कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, जो बहुत वर्षों से काबिज हैं और जो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों को मिसगाइड करके शिक्षण व्यवस्था के नाम पर लोगों से पैसे भी लेते हैं और उन पर अनावश्यक दबाव भी डालते हैं और पैसे लेकर वे कार्यवाही करते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): इसका उदाहरण मैं आपको दूं कि अभी कुछ दिनों पहले 6.2.2020 को माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि 6.2.2020 के अनुसार ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन किया जाना था पी.डी. खाते के मद से, पंचायती राज के अधिशेष मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का समायोजन भी किया गया मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे पाली जिले के अन्दर सबको इसी ब्लाक के अन्दर समायोजित किया गया लेकिन विशेष रूप से मेरे जैतारण के अन्दर पद रिक्त होने के बावजूद उनसे पैसे मांगे गये। जब उन्होंने पैसे नहीं दिये तो उनका अन्य ब्लाक के अन्दर समायोजन कर दिया गया तो जो जैतारण ब्लाक के अन्दर अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं, उनके ऊपर यह कार्यवाही करें, और जिनका समायोजन दूसरे ब्लाक में किया, उनको वापस मेरे जैतारण ब्लाक के अन्दर ही करें, यह मेरा आपसे विशेष आग्रह है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मनारायण जोशी।

डबोक हवाई अड्डे से मावली रोड तक तीन टोल नाकों से आमजन को परेशानी

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री धर्मनारायण जोशी)

निवेदन करना चाहता हूं कि डबोक एयरपोर्ट से मावली की दूरी 18 किलोमीटर है। वहां पहले से 4-5 वर्ष से एक टोल नाका लगा हुआ था नांद बेल के पास में। 3 महीने पहले उससे 7 किलोमीटर आगे बोयगा के पास एक टोल नाका लगा दिया। चलो वहां तक तो ठीक है, कोशिश की तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यह तो वहां जो गाड़ियां नहीं ले रहे हैं उनको रोक रहे हैं। तीसरा टोल नाका जो नांदेल का टोल नाका लग रहा है उससे आधा-एक किलोमीटर पहले एक टोल नाका और लगा दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इसके लिए सदन में दो बार कह चुका हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मिल चुका हूं उनको एप्लीकेशन दे दी। माननीय उप मुख्य मंत्री, सड़क मंत्री हैं, उनसे मिल चुका हूं। अधिकारियों से बात की तो टोल कंपनी के ठेकेदार का मेरे पास फोन आया कि अपन बैठकर बात कर लेते हैं तो मैंने कहा कि पहले टोल नाका हटाओ तो ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है, इतना सब कहने के बाद भी 7 किलोमीटर पर तीन टोल नाके हैं और सरकार की क्या लाचारी है कि उसको हटा नहीं रही है? कलेक्टर से जब बात की तो कलेक्टर ने कहा कि मैं 3 दिन में हटा दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मजबूर होकर मुझे वहां पर हाईवे जाम करना पड़ेगा। इस सदन की समाप्ति के बाद मैं वहां सड़क जाम कर दूंगा और मेरा विनम्र निवेदन है उसके आगे की यह सड़क टूटी हुई है और यह टोल नाका मावली से कपासन के बीच में है। एक टोल नाका अभी और लगा दिया है तो टोटल तीन लगा दिए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है नियमानुसार मैंने राज्य सरकार से प्रश्न पूछा। प्रश्न में मुझे जवाब दिया कि नीतिगत बात है इसलिए टोल कैसे लगता है आपको बता नहीं सकते। मेरी आपसे प्रार्थना है कि टोल नाका तुरंत हटाया जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री बिहारीलाल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्रीडूंगरगढ़ की गौरक्षनाथ बस्ती व वीर तेजा कालोनीवासियों को अतिक्रमण के नाम पर बेघर किये जाने से परेशानी

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। श्रीडूंगरगढ़ में

(श्री बिहारीलाल)

गोरक्षनाथ बस्ती एवं वीर तेजा कालोनी के सौ से भी ज्यादा घरों को 75 दिन पहले तोड़ दिया गया। बिना किसी नोटिस के नगरपालिका और एसडीएम ने तोड़ दिया और 30 वर्षों से सैकड़ों परिवार वहां बसे हुए थे और नगरपालिका ने न नोटिस, न कोई बात, न कलेक्टर का नोटिस और दिन में जब मजदूरी पर लोग गए हुए थे, घर तोड़ दिए और उसके बाद 73 दिनों से आज धरना चल रहा है, कोई भी सरकार का नुमाइंदा वहां सुध लेने नहीं गया है। वे लोग सर्दी में महिलाएं और बच्चे तड़प रहे हैं। एक की मौत हो गई है और उस पर भी उन पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसडीएम और थानेदार धमका रहे हैं और वाया मीडिया भूमाफिया से धमका रहे हैं और नगरपालिका कह रही है कि जिस खसरे में हमने अतिक्रमण हटाया है उसमें तो 0.84 हैक्टेयर ही जमीन है और दावा कर रहे हैं कि हमने 47 बीघा का कब्जा हटा दिया है। इसमें बड़ा षड्यंत्र है। जिन लोगों ने राजनीतिक संरक्षण से अवैध कालोनी पास के खसरे में वन भूमि में काट रखी, उस खसरे को इसमें शिफ्ट करने की योजना है, षड्यंत्र है। इस पर सरकार ध्यान दे, उनको न्याय दिलाए और माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ ही मेरा इसमें एक साठिका का प्रकरण है ऐसा ही 20 मार्च, 2018 का। इसमें निवेदन है...।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आई विल नोट अलाउ।

श्री बिहारीलाल (नोखा): एक सैकंड। मैं आधे मिनट में पूरा कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर व तखतगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्साकर्मियों के रिक्त पद

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सुमेरपुर शहर में राजकीय चिकित्सालय में 9 पद डाक्टरों के हैं, जिनमें से 7 पद रिक्त हैं। एक दंत रोग विशेषज्ञ है और एक गायनिक का डाक्टर लगा हुआ है। वैसा का वैसा तखतगढ़ में है, वहां 7 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 5 पद रिक्त हैं और सिर्फ 2 डाक्टर लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी सभी जगह ऐसी की ऐसी स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे सुमेरपुर में 35 डाक्टरों के पद रिक्त हैं, साठ से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ के पद रिक्त हैं और कई जगह तो

(श्री जोराराम कुमावत)

ऐसी स्थिति है कि ताले लगे हुए हैं और मरीजों को पर्ची लिखने वाले भी कोई नहीं है। पूरी व्यवस्था खराब हो रखी है। मैं आपके मार्फत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र डाक्टर लगाएं नहीं तो स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

रायसिंहनगर के सरकारी स्कूल, 22 PTD में अध्यापकों द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले के रायसिंहनगर में एक सरकारी स्कूल है 22 PTD इसमें जो टीचर हैं मिस्टर +++ जो अंग्रेजी के हैं, +++ विज्ञान विषय के हैं और +++ शारीरिक शिक्षक हैं और एक शिक्षक है +++। ये इस स्कूल में पहले बच्चियों को पोर्न वीडियो दिखाते हैं और पोर्न वीडियो दिखाने के बाद उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं और छेड़खानी करते हैं। यह जानकारी बच्चियों ने और बच्चियों के अभिभावकों ने प्रिंसिपल +++ जो उसी विद्यालय के हैं, उनको 26 जनवरी को दे दी थी। वह जानकारी देने के बाद उन्होंने यह कहा कि मैं अध्यापकों से बात करूंगा, उनको समझा दूंगा, वह कुछ नहीं करेंगे। कोई उन पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर अभिभावकों ने बच्चियों के माध्यम से एक वीडियो बनाया और उसको वायरल किया कि इस प्रकार का हो रहा है तो फिर सरकार चेती और शिक्षा विभाग के निदेशक ने एक टीम बनाई। उस टीम में संयुक्त निदेशक भी शामिल थीं और यह संयुक्त निदेशक जो है इनके नेतृत्व में एक टीम बनी और इस टीम ने जांच की तो जांच में यह सारे तथ्य सही पाए गए। यह सारे तथ्य सही पाने के बाद अभी तक उस बात को लगभग डेढ़ महीना हो गया है। केवल सस्पैंड करना कोई सजा नहीं होती है। अभी तक उन लोगों को बर्खास्त क्यों नहीं किया इस सरकार ने? यह सरकार ऐसे बच्चियों को छेड़ने वाले जो शिक्षक हैं, जो गुरुजन कहलाते हैं और जिन का दर्जा भगवान से भी बड़ा हम मानते हैं, ऐसे लोग बच्चों के साथ जो हरकतें कर रहे हैं, उन लोगों को यह सरकार क्यों बचा रही है, आखिर में किसके रिश्तेदार हैं, जो यह बचा रही है?

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

विभिन्न सरकारी सेवाओं की भर्ती में आर.पी.एस.सी. की भूमिका के प्रति अभ्यर्थियों में आक्रोश

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आभार। आज मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आरपीएससी जैसी बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था, जिसको लेकर तमाम छात्र और जो अभ्यर्थी हैं, उनके अंदर एक रोष भी उत्पन्न हो रहा है, उसको लेकर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। एक तो भर्ती का कोई कैलेंडर नहीं, दूसरा सभी भर्तियां न्यायालय के अंदर अटकी पड़ी हैं। अभी एएओ, एओ और जो भी भर्तियां थीं, उसके अंदर न तो यह ढंग से आरक्षण का जो इनको दिया जाता है, उसमें यह चल पाते हैं और इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था जहां सिर झुकता है सबका, उसको लेकर भी स्थिति बहुत खराब है। पूर्व में भी आरपीएससी हमेशा विवादित रही है। उनके ऊपर भी कोई ठोस कार्रवाई करके हम ऐसा मैसेज युवाओं को नहीं दे पाए। इससे जो देश के भविष्य निर्माता, जो युवा हैं, उन लोगों में इस संवैधानिक संस्था के प्रति नकारात्मकता पैदा हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस संस्था को पारदर्शी बनाया जाए एवं विवादित भर्तियों के लिए कौन जिम्मेदार है, ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करके और उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि संवैधानिक संस्था का लोगों के दिलों में मान और सम्मान बना रहे। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आधे घंटे की चर्चा। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

आधा घंटे की चर्चा

पोलीटैक्निक महाविद्यालयों में उद्योग संस्थान अन्योन्य अधिगमन प्रकोष्ठ की स्थापना

(तारांकित प्रश्न संख्या 165 दिनांक 24 फरवरी, 2020)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आधे घंटे की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। जो विषय था, जो सवाल मैंने पूछा था उसका रिप्लाई प्रोपर नहीं दे पाए थे माननीय मंत्री जी और इसलिए अब यह चर्चा कर रहे हैं हम लोग आज। जो हमारे इंजीनियरिंग कालेजेज हैं उन इंजीनियरिंग कालेज और विशेषकर मैंने

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कहा था पोलीटैक्निक कालेजेज, इन कॉलेजेज के अंदर तकनीकी शिक्षा में जो गिरता हुआ ग्राफ हो रहा है, 1990 में एक समय था जब इंजीनियरिंग कालेज में लोग एडमिशन लेते थे और इतनी नौकरियां मिलती थीं और उसका बहुत ही अच्छा एक फ्यूचर लोगों को दिखता था, इसलिए इतने एडमिशंस होते थे, लेकिन अब क्या ऐसा कारण हो गया कि इंजीनियरिंग कालेजेज के अंदर एडमिशन का ग्राफ इतना ज्यादा गिरता जा रहा है...

श्री अध्यक्ष: मैडम प्लीज, आपके क्वेश्चन में क्या चीज आपको पूछनी है उस पर आप आएं तो उसका जवाब देंगे। जनरल डिबेट नहीं है यह।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल। यस।

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन में जो आंसर आप इनिशिएट करना चाहते हैं उसमें मंत्री जी जवाब देंगे। वह पाइंट बोलें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मेरे क्वेश्चन में इनसे यही पूछा था कि जो आपके रोजगार की ट्रिपल आई सैल हमने बनाई थी जो इंडस्ट्री-इंस्टीट्यूट इंटरएक्शन सैल था, उस इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज इंटरेक्शन सैल को बार-बार जो इंटरएक्शन करना चाहिए इंडस्ट्रीज के साथ, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज के अंदर क्या चीज की आज डिमांड है, बच्चों को किस प्रकार की तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए, जिसकी वजह से वह कोर्सेज शुरू होने चाहिए वह इंटरएक्शन नहीं हो पा रहा है इंडस्ट्रीज के साथ में, और यही कारण है कि हम वही रूढ़िवादी कोर्सेज ही चलाए जा रहे हैं। आज मैकेनिकल के अंदर कोई आ नहीं रहा है। आईटी के अंदर या कंप्यूटर में यह सब इंजीनियरिंग के अलावा और जो नए कोर्सेज हैं, जिस प्रकार हम लोग नए एरियाज में जाएं, हम लोग बायो-इंजीनियरिंग में जाएं, पैट्रोलियम इंजीनियरिंग में हमारा कालेज चल रहा है बाड़मेर के अंदर, तो यह जो नए सब्जैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की बात मैंने कही थी और मैंने कहा था यह ट्रिपल आई सैल की मीटिंग्स, आपने कहा था 11 कालेजेज के अंदर तो हो रही है, लेकिन शेष जो 33 कालेजेज हैं, उन कालेजेज के अंदर मीटिंग नहीं हो रही और जिसके कारण से नये कोर्सेज और उन एरियाज के अंदर इंट्रोड्यूस करने हैं, वह नहीं हो पा रहे। रोजगार का जहां तक देखें तो रोजगार की स्थिति इतनी खराब हो रही है कि जो प्लेसमेंट देना है, कालेज के अंदर जो एक सेंट्रल प्लेसमेंट सैल हमारा जयपुर में चलता है, सेंट्रल प्लेसमेंट सैल के अंदर जो डायरेक्टर इन्होंने

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

लगा रखा है, माननीय अध्यक्षजी, उस डायरेक्टर की यह स्थिति है कि जो उनकी एलिजिबिलिटी है, जो निर्धारित योग्यता है, वह निर्धारित योग्यता के अनुसार नहीं हैं। आज जो डायरेक्टर लगे हुए हैं, उनका जो निर्धारित मापदण्ड है, 10 साल का उनको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और वह एक राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान में लगे हुए हैं +++ न तो उनको 10 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और न ही वह राजपत्रित अधिकारी हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप समझ सकते हो कि टैक्निकल एजुकेशन किस स्थिति में जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: Please confined to the question you have raised. Don't go outside the scope.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): No. I'm not going, I'm just telling that यह जो स्थिति है, वह इसलिए उत्पन्न हुई है कि टैक्निकल नालेज रखने वाले लोगों को अगर डायरेक्टर बनाते, जिनको पूरा एक्सपीरियंस होता तो कोर्सेज को रिवाइज करना है और हर साल हमें सप्लाई और डिमांड के ऊपर देखना है। मार्केट के अंदर किस चीज की डिमांड है, किस प्रकार की बच्चों को शिक्षा दी जाए, ताकि उन बच्चों को प्रोपर प्लेसमेंट मिल सके, लेकिन सरकार अगर उस ओर ध्यान नहीं देगी तो फिर यह प्लेसमेंट की स्थिति बहुत खराब होगी। माननीय अध्यक्षजी, सिर्फ उदयपुर संभाग ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मुझे माफ करें। आप बैठिये। मेरा इंटरेस्ट था कि हाफ एन आवर के बारे में सदस्यों को जानकारी मिले। इसका एक सीधा प्रश्न यह है कि जो प्रश्न आपने पूछा उस प्रश्न में जो जानकारी आपको लेनी थी, वह जानकारी नहीं मिली। उसको विस्तृत चर्चा करने के लिये जानकारी लें। आपने जो इश्यू लिया, वह मैंने देखा, आप बोल अलग रहे हैं। यह जनरल डिबेट नहीं है। माननीय मंत्रीजी, जो माननीय सदस्य ने लिखकर भेजा है, उसके संबंध में अपनी बात कहें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा, जो स्वयं एक तकनीकी शिक्षा मंत्री रही हैं। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, उसमें सारी जो

(डा. सुभाष गर्ग)

जानकारी चाही गयी थी, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। बिलकुल जो उन्होंने पूछा, उसके मुताबिक जानकारी दी गयी। लेकिन इन्होंने 49 के तहत जो छह मुद्दे उठाये हैं, जो उसमें नहीं थे, फिर भी क्योंकि आपकी व्यवस्था थी, इसके तहत मैं जानकारी पूरे सदन को देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मेरी व्यवस्था पर ही आप प्रश्न कर रहे हैं। मैंने व्यवस्था सोच-समझकर दी है। सभी सदस्यों को जानकारी रहे कि जब क्वेश्चन में हमें और जानकारी लेना है तो इसमें 49 का प्रोविजन है। उसकी नालेज भी हो जाए और जानकारी भी मिल जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो उन्होंने प्रश्न पूछा है, स्पेसिफिक सैल के संबंध में, जिसके संबंध में आपने विस्तृत जानकारी दी। उनकी रूचि यह है कि सैल इफेक्टिव ढंग से काम करे, जिससे लोगों को ट्रेनिंग मिल सके, नये कोर्सेज आ सकें और रोजगार की संभावना बढ़े। उस संबंध में आप चर्चा करें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि पहली इन्होंने जो क्वेरी की है कि उत्तर में 44 राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालयों के प्रकोष्ठों के पाठ्यक्रमों को उद्योगों की आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने के क्रम में मात्र 11 राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालयों ने ही सुझाव दिये हैं। इसके संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि जो शंका 33 पोलीटैक्निक कालेजों द्वारा सुझाव न देने के संबंध में है। मैंने स्पष्ट रूप से बताया 44 पोलीटैक्निक कालेज हैं, 44 की जो बैठकें होती हैं, उनसे 11 कालेजों ने उनके प्रकोष्ठों ने सुझाव दिये और माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई जरूरी नहीं है कि 33 कालेज, बैठकें होती हैं, लेकिन सुझाव नहीं आते हैं, लेकिन जो 11 कालेजों ने जो सुझाव दिये, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि 33 पोलीटैक्निक कालेजों को उद्योगों से इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए। इस कारण से जवाब में उनकी जानकारी नहीं दी गयी। इसका अर्थ यह नहीं है कि शेष 33 राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालयों में प्रकोष्ठ कार्य नहीं कर रहे हैं। इन 33 राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालयों के प्रकोष्ठों ने 1484 डिप्लोमा होल्डर्स को रोजगार उपलब्ध कराया तथा 9089 विद्यार्थियों को उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान कराया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के भाग संख्या-1 के उत्तर में स्पष्ट रूप से राजस्थान में तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित 44

(डा. सुभाष गर्ग)

राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालयों में उद्योग संस्थान अन्योन्य अधिगमन प्रकोष्ठ स्थापित किये जा चुके हैं।

दूसरा, इसी के क्रम में बताना चाहूंगा कि इन प्रकोष्ठों के कार्यालय पोलीटैक्निक महाविद्यालयों में हैं, जिसमें 8 पद ए.टी.पी.ओ. के स्वीकृत हैं, जिन पर कार्य कर रहे हैं, बाकी शेष महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक निदेशक को चार्ज दिया गया है, जिसकी सूची उपलब्ध है। यह सूची आपको उपलब्ध करा दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी जो इन्होंने क्वेरी की है कि इन प्रत्येक महाविद्यालयों के क्या प्रकोष्ठों के अपने कार्यालय हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इसकी भी सूची पेज, 44 कालेजों में प्रकोष्ठों के कार्यालय हैं। बाकायदा उनके अधिकारी का नाम..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी हैं, इतना ही काफी है 44, अब आगे बोलो आप।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): दूसरा, इन्होंने कोर्स के संबंध में जानकारी चाही गयी है कि इन महाविद्यालयों में विगत वर्षों में कितना कोर्स दिया गया? फण्ड कितने दिये गये? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, हालांकि यह प्रश्न में नहीं था लेकिन 2013-14 से अब तक संस्था विकास कोष से कालेजों को रुपये 14 लाख 18 हजार की राशि इस कोष के माध्यम से दी गयी। 44 ट्रिपल आई सैल में विशेषज्ञ व्याख्यानों, औद्योगिक भ्रमण, परिसर साक्षात्कार आदि कार्य हेतु आई डी एफ, मतलब इंस्टीट्यूशनल डवलपमेंट फण्ड, एन.जी.एफ. यानी नोन गवर्नमेंट फण्ड और पी.एस.एस. यानी प्रोफेशनल स्पेशल सर्विसेज के तहत जो कालेजों का फण्ड होता है, उसमें से मद क्रमश: 2013-14 में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप समझें, आज बिल पर डिस्कस है। Be precise. Come to this, इसके जो मेन इश्यू हैं कि सेंट्रल प्लेसमेंट सैल है, वह इफैक्टिव ढंग से काम कर रहा है या नहीं? यह मेन इश्यू है, इस पर बोलें आप।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): इसका टोटल बता देता हूं साहब। 82 लाख 43 हजार ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, वह एक साल की जानकारी ले रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैंने आपसे सिर्फ यह पूछा था

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कि वर्ष 2019, एक साल में सेंट्रल प्लेसमेंट सैल में कितने स्टूडेंट्स क्लियर हुए राजस्थान में पोलीटैक्निक कालेजेज के अंदर? उनमें से कितने लोगों को सेंट्रल प्लेसमेंट सैल ने वर्ष 2019 में दिया?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): 2017 में सी.ई.जी. को सेंट्रल प्लेसमेंट सैल का दर्जा दिया गया। इसमें अब तक मैं बताना चाह रहा हूं वर्ष 2019 में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह एक साल का पूछ रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 2019 का बताओ आप।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): 2019 का ही बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। आप बोलें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): 2019 में 25 औद्योगिक इकाइयों के साथ बैठक करते हुए 1025 विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 43 प्लेसमेंट हुए और टोटल बैठक और बताना चाहूंगा, पिछले सालों का भी मैं बता दूंगा, यह है टोटल प्लेसमेंट अभी भी 2019 के अलावा 2020 में भी 249 लोगों को प्लेसमेंट दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री भरत सिंहजी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कोटा जिले के ग्राम बड़ौद में कालीसिंध नदी पर स्टेट हाईवे-70 पर पुलिया के पास नियम विरुद्ध खनन लीज की स्वीकृति

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले के ग्राम बड़ौद के पास उक्त पुलिया की अप-स्ट्रीम में लगभग पुलिया से 100 मीटर की दूरी पर एक खनन पट्टा खनिज मेसेनरी स्टोन क्षेत्र 10 हजार वर्ग मीटर नंबर 7/2012 निकट ग्राम भम्बोलिया घाटा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में अवधि दिनांक 09.02.2018 से 08.02.2018 तक के लिये, यह गलत छप गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गिर्राज प्रसाद मीणा पुत्र श्री राम प्रसाद मीणा निवासी देवरी तहसील पीपल्दा जिला कोटा के पक्ष में स्वीकृत होकर प्रभावशील है। इस खनन पट्टे के संबंध में जल संसाधन विभाग कोटा के पत्र

(श्री परसादी लाल)
दिनांक 23.02.2019 से ही यह अवगत कराया गया कि उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य से कालीसिंध नदी का बहाव क्षेत्र अवरुद्ध किया जा रहा है व नदी के किनारों को काटे जाने से पानी का दबाव इस हिस्से में बढ़ने व इससे खनन क्षेत्र के नीचे कोटा से ऊपर स्टेट हाईवे की पुलिया की सुरक्षा का गंभीर खतरा उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त की गयी, जिस पर क्षेत्र का मौका मुआयना दिनांक 25.02.2019 को किया गया, जिसमें पट्टाधारी द्वारा किये जा रहे खनन कार्य से नदी के किनारे कटने की संभावना बतायी तथा खनन कार्य से पानी का बहाव अवरुद्ध होना नहीं पाया। परन्तु नदी के किनारे खनन पट्टा क्षेत्र के पास में ओवर बर्डन/मिट्टी डाली हुई है, जो समतल की हुई है, जिससे पानी का बहाव अवरुद्ध होने की संभावना बतायी गयी। खनन पट्टा क्षेत्र का पुन: निरीक्षण दिनांक 22.05.2019 को खनिज विभाग व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें खनन कार्य नदी में पानी के किनारे से 45 मीटर दूरी पर एवं खनन पट्टा क्षेत्र से निकाली गई मिट्टी पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टे के पास में नदी के किनारे की तरफ डाली गई है एवं इसको समतल कर कच्चा रास्ता बनाया गया। राजस्व विभाग के अनुसार डाली गई मिट्टी खसरा नंबर 2 व 3 में भूमि किस्म तीर है जो नदी का बहाव क्षेत्र है।

इस बिंदु पर पट्टेधारी को खनिज अभियंता, कोटा द्वारा दिनांक 29.05.2019 एक नोटिस अन्य बिंदुओं सहित जारी किया गया एवं पालना नहीं करने पर खनन पट्टा खंडित करने की हिदायत दी गई। उक्त क्षेत्र का निरीक्षण कर पुनः 17.02.2020 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, कोटा, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता, कोटा एवं खनिज अभियंता, कोटा किया गया जिसमें पाया गया कि खनन कार्य पानी के किनारे से लगभग 80 मीटर तथा नदी की पुलिया से लगभग 130 मीटर की दूरी पर किया जा रहा है। पट्टाधारी द्वारा खान से निकाली गई मिट्टी नदी के तीर क्षेत्र व नदी क्षेत्र में डाली हुई है। अतः नदी के तीर क्षेत्र में से रास्ता निकालकर खनिज निर्गमन किया जा रहा है। निरीक्षण में उक्त खनन कार्य से नदी का बहाव परिवर्तित होने तथा इससे बारिश में पुलिया का एप्रोच रोड टूटने व पुलिया को क्षति पहुंचने की संभावना बताई गई।

खनिज अभियंता, कोटा द्वारा जारी नोटिस 29.05.2019 के सम्बन्ध में पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं होने से तथा उनके द्वारा खान का मलबा खनन पट्टा सीमा से बाहर गैर मुमकिन नदी क्षेत्र व

(श्री परसादी लाल)

सिवायचक तीर क्षेत्र में डाले जाने एवं इससे पुलिया की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न तथा जन हानि होने की संभावना के मद्देनजर उक्त खनन पट्टा खंडित करने हेतु खनिज अभियंता, कोटा द्वारा दिनांक 02.03.2020 को प्रस्तावित किया गया जो प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष जी, अगर यह खनन होता है तो नदी की पुलिया टूट सकती है। मैं तो मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि इसको बंद किया जाये नहीं तो बहुत बड़ी क्षति होगी और स्टेट व हाईवे है और रास्ता और रुक जाएगा तो लोगों को तकलीफ होगी, धन्यवाद।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विभाग को मैंने चर्चा के दौरान निर्देश दे दिये हैं कि जल्दी ही खनन पट्टे को निरस्त करने की कार्रवाई कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। 131, श्रीमती जाहिदा खान। (अनुपस्थित)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। प्रतिवेदन, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2017-18)

1. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र); एवं

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-18)

2. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन। श्री राजेन्द्र पारीक।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'क' का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 1)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति 'क', 2019-20, समिति के ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक।

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 - पुलिस की प्रस्तुति

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 - पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 70,46,87,15,000/- (सत्तर अरब छियालीस करोड़ सत्तासी लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(मांग संख्या 16 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मांग संख्या 17 - कारागार की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17 - कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,99,35,11,000/- (एक अरब निन्यानवे करोड़ पैंतीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाये?

(मांग संख्या 17 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: चर्चा। श्री अभिनेश महर्षि।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस और जेल की मांग पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं मेरी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, राजेंद्र राठौड़ साहब और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, राज्य में हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे और जब व्यक्ति सुरक्षित महसूस करके अपने कामकाज को करेगा तो निश्चित रूप से राज्य में प्रगति होगी और इसके लिए यदि कोई सबसे अहम हमारे लिए है तो वो पुलिस विभाग हो जाता है। पुलिस विभाग को हम लोग गाहे-बगाहे कोसते भी रहते हैं, पुलिस की कमियां भी

(श्री अभिनेश महर्षि)

निकालते रहते हैं और पुलिस को क्या करना चाहिए, इस बारे में सुझाव भी देते रहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर जिस तरह की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था पिछले समय से चली आ रही है, मुझे खेद के साथ में यह कहना पड़ रहा है कि राज्य के मुख्य मंत्री जब बजट के अंदर घोषणा करते हैं या अपना नीति पत्र, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उस कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिन विचारों को लेकर के आगे बढ़ने की बात कही थी, पिछले बजट की बात करें या इस बजट की बात करें, दोनों बजट के अंदर वह बिल्कुल उलटा हुआ है। पुलिस को अपराध को रोकने के लिए जितना पैसा देना चाहिए, आज निश्चित रूप से उन सब कार्यों को करने के लिए जितने बजट की आवश्यकता होती है वह बजट सरकार पुलिस को दे नहीं पाई है। लिहाजा पुलिस को जो परफार्मेंस देनी चाहिए, वह नहीं दे पाती है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने संकल्प के साथ में बजट भाषण के अन्दर यहां पर 7 संकल्पों की और मुझे दुःख के साथ में यह कहना पड़ रहा है कि राज्य के अंदर बहुत सारी अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण पुलिस का ही नहीं, प्रशासन का ही नहीं बल्कि हमारी सरकार का भी सिर झुक गया है। मैं बहुत सारी घटनाओं का जिक्र तो नहीं करना चाहूंगा लेकिन 7 घटनाओं का जिक्र जो हमारे यहां पर बैठे हुए माननीय सदस्यों के जेहन के अंदर है, उनकी जुबान के ऊपर है, चाहे हम लोग थानागाजी की घटना का जिक्र करें, चाहे सरदारशहर की घटना का जिक्र करें, चाहे रतनगढ़ के अंदर कस्टोडियल डैथ की बात करें, चाहे नागौर की घटना का जिक्र करें, चाहे बाड़मेर की घटना हो, चाहे जैसलमेर की घटना हो, ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं के कारण गाहेबगाहे पुलिस का सिर शर्म से झुक जाता है। इसलिए जो सात संकल्प हैं सात संकल्पों के अन्दर अच्छा होता कि एक संकल्प माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बात का भी लेते कि आने वाले समय में हम पुलिस को बहुत चुस्त-दुरुस्त करने के लिए बजट के अंदर प्रोविजन करेंगे और वह बजट ऐसा ले करके आएंगे जिस बजट के कारण हम लोग आने वाले समय में अच्छा परफोर्म कर सकेंगे।

(श्री अभिनेश महर्षि)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को स्वयं माना है कि हमारे यहां पर भ्रष्टाचार है और मुख्य मंत्री जी ने पुलिस के कस्टोडियल डैथ के ऊपर भी अपनी बात को कहा है तो पुलिस के अंदर जिस तरह से यह बढ़ोतरी हुई है उस बढ़ोतरी के लिए भी कहा है। सरकार विधान सभा के अंदर कुछ कहती है और जब सरकार को हाई कोर्ट में जाना पड़ता है तो सरकार का बयान अलग तरह का हो जाता है।

महिलाओं और अनुसूचित जाति के अत्याचारों की यदि बात करें, मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन 66 फ़ीसदी महिला अत्याचार बढ़ गये हैं। महिला अत्याचार भी बढ़े हैं, एस.सी., एस.टी. के ऊपर भी अत्याचार बढ़े हैं। मोब लिंचिंग की बात करें तो हमने मोब लिंचिंग का कानून जरूर बना दिया है लेकिन मोब लिंचिंग के ऊपर किसी तरह की ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं वे मोब लिंचिंग जैसी ही घटनाएं हुई हैं।

(12.59 बजे)

(श्री राजेंद्र पारीक, सभापति, पदासीन)

पुलिस के सामने अपराधियों का इस्तकबाल देखिये, बहरोड़ थाने के अंदर घटना आप सबको मालूम है कि पुलिस के सामने अपराधी अपराधियों को छुड़ा करके ले जाते हैं। छोटी-छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं, डी.जी. साहब कहते हैं कि क्राइम अलर्ट है लेकिन प्रदेश के अंदर लगातार जो मुकदमे बढ़ रहे हैं, आज कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है, समय-समय पर इस सदन के अंदर इस तरह की चर्चा होती रही है।

(13.00 बजे)

राजस्थान सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लगातार यह बात कहते रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था खराब है। सरकार इसको गंभीरता से ले। यह डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को कहना पड़ता है।

अगर सड़क हादसों की बात करें तो उसमें मैं सरकार की जिम्मेदारी इसलिए मानता हूं कि सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। उसके कारण से सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं कर पा रही है।

सभापति महोदय, युवक को पेड़ से बांधकर के पीट दिया जाता है। गंभीर और वीभत्स घटनाएं होती हैं। जो राजस्थान सरकार को शर्मसार कर देती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह

(श्री अभिनेश महर्षि)

से पुलिस को अपराध रोकने के लिए सक्षम बनाना चाहिए, उस तरीके से सरकार सक्षम नहीं बना पाई है। सरकार जो दावे करती है कि हम पुलिस के माध्यम से अपराधों पर अंकुश लगाएंगे, वह लगाने में असफल हुई है।

सभापति महोदय, पुलिस जिस तरह से परफोर्म नहीं कर पा रही है, उसमें सुधार के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सभी कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी दी जाती है लेकिन पुलिस को कभी भी किसी छुट्टी का प्रावधान नहीं है। पुलिस लगातार काम करती रहती है जिससे वह ठीक से परफोर्म नहीं कर पाती है। मेरा इसमें यह कहना है कि पुलिसकर्मियों के लिए हफ्ते में एक दिन की छुट्टी का प्रावधान जरूर रखना चाहिए।

पुलिस के अधिकारियों को हम यह तो कहते हैं कि वह बेईमान हैं लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि बेईमान क्यों हैं? उसके लिए उनकी पर्याप्त तनख्वाह, मैस भत्ता, वर्दी भत्ता, वर्दी धुलाई, पैट्रोल तथा पुलिस थानों के अंदर बेहतर सुविधा की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग के अंदर कुछ व्यवस्थाएं जैसे मैस भत्ता है, सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात है, यह सब करने की कृपा करेंगे तो पुलिस में निश्चित रूप से सुधार होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पर चर्चा करते हुए मैं संक्षेप में मेरी बात रखूंगा। जब हमारा देश 7 दशक पूर्व आजाद हुआ था तो उस समय देश में जो भी पुलिस की व्यवस्था थी, उसमें आम नागरिक सम्मान से पुलिस को देखता था। उस समय जो जन प्रतिनिधि थे, उनको भी बहुत सम्मान के साथ जनता देखती थी। आज आजादी के 7 दशक बाद जनता पुलिस को भी शंका से देखती है और हम जन प्रतिनिधियों के प्रति विश्वास में भी कमी हुई है। यह एक चिंता की बात है।

सभापति महोदय, जब व्यवस्था है और शांति बनी हुई है, तब तक तो यह सब कुछ चल सकता है। मगर जब किसी क्षेत्र में अशांति फैलती है तो उस समय बड़े-बड़े नेता भी जनता के बीच में जाने से कतराते हैं। जब देश 1947 में आजाद हुआ, पार्टिशन हुआ। देश के बड़े हिस्सों में हिन्दू और मुस्लिमों में दंगा हो गया। 15 अगस्त, 1947 को जब देश में स्वतंत्रता दिवस

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

मनाया जा रहा था, उस समय महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता सम्मेलन में भाग लेने के बजाय, ईस्ट बंगाल में जहां हिन्दुओं को मुस्लिम मार रहे थे और कलकत्ता में जहां मुस्लिमों को हिन्दू मार रहे थे, उन लोगों के बीच में जाकर के शांति कायम की। जहां यह दंगे भड़क रहे थे, महात्मा गांधी की उपस्थिति में वहां शांति पैदा हुई। आज दिल्ली में जो हालात बने, मैं समझता हूं कि चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे कितनी ही उसकी पालिटिकल पावर हो, मगर लोगों के बीच में जाकर वह शांति व्यवस्था बनाने की स्थिति में नहीं रहा। यह चिंता की बात है। इस कारण से पुलिस का काम बहुत चैलेंजिंग है। यह चैलेंजिंग उन लोगों के लिए है, जो पुलिस में ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं उन ही बातों के ऊपर ध्यान दिलाऊंगा जो मैंने कटौती प्रस्तावों के ऊपर रखे हैं। मैंने मांग की है कि आज बहुत बड़े पैमाने पर हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं। इनकी औसत प्रतिदिन एक केस से ज्यादा है। जो एसीडी में पकड़े जाते हैं, वह अपने प्रभाव से अपने केस को डिले करते हैं। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि जो एसीडी में पकड़े जाते हैं, उनके लिए यह व्यवस्था हो कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। वह अगर अपने बचाव के लिए जाएं तो अदालत में जाएं। मैंने आंकड़ों के माध्यम से सदन में यह बात रखी थी कि जो केसेज पिछले 5 साल में पकड़े गए हैं, उनमें आधे से कम में चालान हुए हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहला बजट पेश किया तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि हम जीरो हरेसमेंट और जीरो करप्शन के आधार को लेकर काम करेंगे। जब हमारा यह आधार है कि जीरो करप्सन को लेकर काम करेंगे तो इस दिशा में पहल करनी पड़ेगी। इस दिशा में पहल होनी चाहिए। ऐसा मैं सोचता हूं।

दूसरा, जब जीरो हरेसमेंट की बात है तो मेरी मान्यता यह है कि चाहे पुलिस हो या प्रशासन का कोई भी दफ्तर, जहां आम आदमी काम के लिए जाता है तो उसको वहां पर झटका लगता है और उसका हरेसमेंट होता है। सबसे बड़ा उदाहरण जिस पर पुलिस को ध्यान देने की आवश्यकता है, वह ट्रैफिक है। राजधानी जयपुर में और जिस जिले से मैं आता हूं कोटा से, मैं कह सकता हूं कि पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। उसके खराब

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

होने का एक प्रमुख कारण यह है कि ट्रैफिक पुलिस का सारा ध्यान मोटर साइकिल और स्कूटरों पर जो बिना हेलमेट के जाते हैं, उनके चालान पर है।

सभापति महोदय, कोटा शहर में 120 ट्रैफिक कर्मचारी हैं। उनमें से 10 परसेंट हम मानकर के चलते हैं कि छुट्टी पर रहते हैं। कोटा शहर में 2018 में 21 हजार चालान बनाए गए। उस साल में एक्सीडेंट्स 489 हुए थे। उस साल मौतें 93 हुईं। 2019 में उसी ट्रैफिक पुलिस ने 80 हजार चालान बनाए लेकिन दुर्घटनाएं ज्यादा हुईं और मौतें भी ज्यादा हुईं। पूरी ट्रैफिक पुलिस का फोकस चालान बनाकर के राजस्व प्राप्त करना है। उसी शहर में रात्रि के समय जब नो एंट्री होती है तो बड़े-बड़े मल्टी एक्सल व्हीकल टोल बचाने के चक्कर में शहर में से गुजरते हैं। दिन में नो एंट्री होने के बाद भी निर्माण कार्य चलते हैं। ट्रैक्टर ट्रालियां चलती हैं। यह सब शहरों के हालात हैं। ट्रैफिक पुलिस को कार्यवाही करनी है तो इस दिशा में करें। यह मोटर साइकिल और स्कूटरों के ऊपर कार्यवाही, यह हरेसमेंट की बात है। सरकार ने कहा है कि जीरो हरेसमेंट। यह हरेसमेंट ट्रैफिक पुलिस में बना हुआ है। इसको रोकने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, तीसरी बात जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत। यह जितने भी माफियाओं का उल्लेख है, यह माफिया पनप ही नहीं सकते हैं। यह शब्द ही ऐसा है, माफिया, जिसको पुलिस ने माफ किया वह बन गया माफिया। इनको माफ मत करो तो कोई माफिया नहीं होगा। चल ही नहीं सकता। मिलीभगत के बिना न तो रेत, न शराब और न किसी प्रकार का अवैध धंधा चल सकता है। इनके ऊपर माफी मत करो। यह माफिया सब बंद हो जाएगा। यह मेरा आपको सुझाव है।

मादक पदार्थ, ये जो ओपियम है, इसकी खेती जिस क्षेत्र में होती है वहां के लोग-बाग़ इसकी पैरवी करते हैं क्योंकि यदि नहीं करें तो वोट कट जायें। मेरे क्षेत्र में भी अफीम की खेती होती थी। मैं पहले जब एक बार विधायक था, मैंने इसका मुद्दा विधान सभा में उठाया था कि इसकी खेती को बंद करें। अगर आप बंद करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अभी वर्तमान व्यवस्था में इस नशीली व्यवस्था से इस देश का और नवयुवकों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान इस रूप में कि बेरोजगारी के युग में जब

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं, मैं सदन में इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि अगर हमने नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा नौकरियां अगर कोई क्षेत्र प्रदान करेगा तो वह अपराध का ही क्षेत्र होगा।

माननीय सभापति महोदय, साइबर क्राइम जो हो रहा है, उसको रोकने के लिए पुलिस महकमा इस बात पर ध्यान दे कि अपने कांस्टेबल्स को साइबर अपराध रोकने के लिये ट्रेनिंग तो दें, मगर साइबर क्राइम को रोकने के लिये इस क्षेत्र में एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती करके आफिस में बैठकर सीधे डीवाईएसपी स्तर पर टैक्नोलोजी से सम्पन्न युवकों को भर्ती करें, ताकि उनके ज्ञान से इस साइबर क्राइम को रोकें वरना आपके कांस्टेबल्स को ट्रेंड करने के भरोसे आप इसको नहीं रोक पायेंगे। आने वाले समय में जो बहुत बड़ी चुनौती, अभी ही बन गयी है, उसको रोका जा सके।

माननीय सभापति महोदय, एक और हरेसमेंट का जो कारण बनता है और अपराध को भी जन्म देता है, कोई भी संभ्रांत नागरिक इस प्रदेश का कल्पना भी नहीं कर सकता कि अपने बचाव के लिये वह आर्म लाइसेंस प्राप्त कर सकता है क्योंकि अनुभव यह बताता है कि यह भ्रष्टाचार का सीधा तरीका बन गया, बड़े-बड़े लोग, कलेक्टर स्तर के अधिकारी इसमें शामिल हैं और पकड़े भी गये हैं, उसका नतीजा आम नागरिक को भुगतना पड़ रहा है। आज प्रदेश में और मेरे शहर में, जिस शहर से मैं आता हूं, कोटा शहर में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सहजता से जिन लोगों के पास हथियार नहीं होने चाहिये उनके पास तो कट्टा उपलब्ध हो जाता है और जिस नागरिक को लाइसेंस बनाना है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। किसी के पिता का स्वर्गवास हो जाए तो वह भी कलेक्टर के चक्कर खाता रहता है और उसका लाइसेंस नहीं बनता है। मैंने सदन में जानकारी ली थी पूरे प्रदेश में सिर्फ 490 लाइसेंस बने हैं, 6 हजार से ज्यादा पकड़े गये हैं। जो पकड़े गये हैं वो तो टिप आफ द आइसबर्ग हैं, उससे बहुत ज्यादा शस्त्र बनाकर धंधा उनका फल-फूल रहा है। इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब पुलिस में अधिकारी खुद झूठे केसेज बनाने लग जायें तो वह हरेसमेंट वाली बात मुख्य मंत्रीजी ने कही है उससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

दिलाना चाहूंगा कि सांगोद में मेरे सामने दो उदाहरण इस प्रकार के आये एक साल के अंदर जहां डीवाईएसपी नाम भी ले लूं तो रिकार्ड में आ जाएगा क्योंकि होनहार लोग हैं, आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं कितना नुकसान समाज में करें। एक दीपक गर्ग करके अंडर ट्रेनिंग अधिकारी हमारे सांगोद में लगा है, उन्होंने देखा कि अपनी कुशलता का परिचय कैसे दें, उन्होंने एक अभियान चलाया, अवैध शराब ठेकेदारों के यहां झूठे तरीके से केस बनाने का कि आपके यहां दारू पकड़ी और बहुत छोटे समय में 54 मुकदमे बना दिये। शिकायत मेरे पास आई, मैंने आईजी साहब को दी, जांच कर रहे हैं, क्या होगा कि नहीं होगा मगर यह प्रणाली ट्रेनिंग पीरियड में अगर पुलिस का अधिकारी इस प्रकार की हरकतों में लग जाएगा तो चोर को तो क्या पकड़ेगा, वह तो खुद ही गलत मुकदमे में लगा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक और प्रकरण की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जो अंता थाने का है, यह पुलिस के अधिकारी जो मेरी बात सुन रहे हैं, इसकी बात करें और बतायें कि मैं जो कह रहा हूं इस हाउस में, वह सही भी है या नहीं। गृह मंत्रीजी मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। आप जानते हैं, आप कोटा के हैं। चेरिया गांव एक मशहूर गांव है बदमाशी के लिये, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है इस सदन में कहने में, वहां पुलिस जाने से डरती है। वहां एक घटना घटी, बंदूकों का दुरुपयोग होगा, अंता की पुलिस साहस तो नहीं कर सकती कि चेरिया में जाएगी, उन्हें बंदूक बरामद करनी थी, उस बंदूक को हमारे सांगोद के एक गांव में जाकर झूठी बरामदगी कर ली ताकि रिकार्ड में केस पूरा हो सके। इस प्रकार की घटनायें जहां दोषी को नहीं पकड़कर निर्दोष को दोषी बना दिया जाता है, वह पुलिस पर संदेह पैदा करती है, इसको रोकने की आवश्यकता है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर आप ध्यान देंगे तो इसका लाभ जनता को मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी घटना है जो आम हो रही है कि हमारे जेल में अगर कोई व्यक्ति गलती से अपराध करके चला जाता है तो उसका तो जीना हराम हो जाता है। मुझे याद है पुलिस के एक सीनियर अधिकारी मेरे घर मिलने आये, वह जेल के डीजी पद पर थे। उन्होंने कहा कि भगवान कभी किसी को जेल में जाने का नहीं करे। मैंने कहा, जेल में कौन जाना चाहता है, उन्होंने कहा कि बहुत खराब हालत है। भला आदमी अगर जेल में फंस गया वह तो ऐसे ही दु:खी है, उसको तो सुधार किया जा सकता

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

है मगर जो क्रिमिनल है, वह जो जेल में जाता है, उसके लिये तो ट्रेनिंग सेंटर है जेल। आश्चर्य तक होता है जब जेल में जाने के बाद, मुकदमा होने पर ही तो जेल में जाता है, पर जेल में जाने के बाद वह मारपीट करे जेल के कर्मचारियों के साथ और फिर वह मुकदमा दर्ज हो तो कौनसे जेल के सुधार की बात हम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि एक विशेष जेल बनाओ जिसमें जो सारे पहुंचे हुए समाजकंटक हैं उनको डालो और उनको सुधारने के लिये नहीं, उनको तो प्राचीन तरीका अपनाओ ताकि वे सुधर जाएं। ये इस तरह की बातों से सुधरने वाले नहीं हैं। पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन भूतों को भले आदमी जो जेल में चले गये उनके साथ मत रखो, यह मेरा आपसे निवेदन है। इस व्यवस्था में आप सुधार करें, नहीं तो ये जेल अपराध के अड्डे बन गये हैं। इनके लिये मोबाइल क्या, जो इनकी सुरक्षा के लिये कर्मचारी लगा रखे हैं, उनसे सुरक्षा के कर्मचारी इन जेल में बंद शैतानों से डरे हुए हैं और इनसे पुलिस की जो मिलीभगत है उससे समाज को नुकसान हो रहा है। यही मुझे कहना है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पुलिस और कारागार की मांग पर बात कहने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, हम एक ऐसे वक्त पर खड़े हैं कि जब देश के जन मानस में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सबको लेकर प्रतिष्ठा में कमी आयी है। तीनों ही संस्थाओं के प्रति आम जनता और पब्लिक परसेप्शन इस तरह का बना हुआ है कि ये तीनों ही संस्थायें अपने कर्तव्य पालन में संवैधानिक अपेक्षाओं और जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही हैं। लेकिन हां, इस दौर में भारतीय सेना की प्रतिष्ठा जरूर भारतीय जन मानस में कायम है। हम आप पुलिस की मांग पर चर्चा कर रहे हैं, मैंने तीनों अंगों का उल्लेख, माननीय सभापति महोदय, इसलिये किया कि पुलिस भी हमारे ही समाज से आती है, वह कोई ऊपर से पैदा नहीं होती। समाज के जो मूल्य होंगे उनका प्रभाव पुलिस पर भी आना लाजिमी है।

माननीय सभापति महोदय, समाज में जब अवैध तरीकों से जो लोग धन कमाते हैं और धनवान बन जाते है उनको प्रतिष्ठा देने का दौर चल रहा

(श्री संयम लोढ़ा)

है। गरीब और अमीर के बीच में न्याय को नजर अंदाज करके अमीर को महत्व देने का दौर चल रहा है। जातिवाद अपने चरम पर है और लैंगिक आधार पर भेदभाव हम समाज के हर क्षेत्र में देख रहे हैं। भले ही हमारा उद्घोष वसुधैव कुटुम्बकम रहा हो, सबका कल्याण हमारा मंत्र रहा हो पर धार्मिक आधार पर नजरिया बहुत तंग होता चला गया है। इन सबका पुलिस पर आना भी लाजिमी है। माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर पुलिस की वकालत करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं इस चर्चा में खुद को सम्मिलित करना चाहता हूं कि जो समाज के हालात बने हुए हैं उन हालात में पुलिस से हम समाज के लिये बेहतर काम कैसे ले सकते हैं, वह हमें देखना है।

माननीय सभापति महोदय, जितने भी जन प्रतिनिधि इस सदन में बैठे हुए हैं, वे सब अपने सार्वजनिक जीवन में इस बात से गुजरे हैं, अनेक अवसर ऐसे आये हैं जब उनके पास ऐसे लोग आये हैं कि जो पीड़ित थे, थानों में गये, उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उनकी सुनवाई नहीं हुई। बहुत से तो ऐसे भी थे जो एसपी के स्तर का कार्यालय भी नहीं जानते थे और हम सभी लोगों ने ये प्रयास किये होंगे कि हम थानेदार जी से यह कहें कि यह घटना हुई है, इसका मुकदमा दर्ज करें। उन्होंने अगर सुनवाई नहीं की होगी तो हमने एसपी साहब से कहा होगा कि मुकदमा दर्ज करें। यह जानकारी हमें मिली होगी कि थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन थानेदार साहब जांच सही नहीं कर रहे हैं तो हमने पुलिस अधीक्षक से कहा होगा कि जांच बदलिए।

एक अमरीकन एजेंसी ने एक सर्वे किया। जिस संस्था के साथ हमने Changing Democracy of India का यहां सेमिनार किया था CSDS, उसमें भी देश के हर स्टेट के करीब हजार-हजार लोगों की जानकारी लेकर सर्वे किया गया तो यह बात सामने आयी कि भारत में जितने भी अपराध होते हैं, उनके मात्र 29 फीसदी मुकदमे दर्ज होते हैं। सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे वक्त में जब प्रदेश के चुने हुए मुख्य मंत्री ने यह निर्णय किया कि मुझे मेरे नागरिकों को न्याय देना है, उन्हें इंसाफ उपलब्ध कराना है और चाहे इसके लिए मुझे आलोचना सहन करनी पड़े कि मुकदमे बढ़ गये, चाहे यह आरोप सहन करना पड़े कि अपराधों की संख्या बढ़ गयी, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने इस बात की परवाह नहीं की, इस बात की फिक्र नहीं की। उल्टे उन्होंने यह व्यवस्था सुनिश्चित की कि हर हालत में पीड़ित का

(श्री संयम लोढ़ा)

मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यदि थानेदार जी मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो उन्होंने एसपी के यहां मुकदमा दर्ज करने की व्यवस्था की। गृह मंत्री जी अपने जवाब में बताएंगे कि एसपी साहब के यहां कितने मुकदमे दर्ज हुए। मैं तो आपसे यह निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि जब यह जानकारी मिली कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिये, उसके बाद भी थानाधिकारी उन निर्देशों की पालना नहीं कर रहे हैं तो सरकार के स्तर पर, पुलिस विभाग के स्तर पर यह निर्णय हुआ कि ऐसे एफआईआर नहीं दर्ज करने वाले 32 इंस्पेक्टरों को चार्जशीट दी जाएगी, क्योंकि इस प्रकरण में सीएम के आदेशों की अनदेखी की गयी। सम्बन्धित थानाधिकारियों द्वारा मुकदमे दर्ज नहीं किये गये और पुलिस अधीक्षक के द्वारा मुकदमे दर्ज किये गये।

माननीय सभापति महोदय, हम सब चिंतित हैं कि हमारी नयी पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है। स्कूल के बच्चे तक हेरोइन, ड्रग्स और दूसरी चीजें ले रहे हैं। ऐसे अनेक स्कूलों की घटनाएं सामने आयी हैं। पुलिस ने तो प्रकरण भी दर्ज किये। उनमें भी कई ऐसे प्रकरण सामने आये कि स्कूल के सामने इस तरह के ड्रग्स बेचने वाला था और 11वीं और 12वीं तक के बच्चे उस लत में फंसे हुए थे। पंजाब पूरे देश में इस मामले में एक ऐसे प्रदेश के रूप में सामने आया, जहां ड्रग माफिया ने पूरे प्रदेश को जकड़ लिया और 'उड़ता पंजाब' नाम की फिल्म भी सामने आयी। मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को, हमारे पुलिस विभाग को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे राजस्थान को इस नशे की गहरी खाई में धकेलने की दिशा में रोकथाम का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, 2019 में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर राजस्थान पुलिस ने 2592 मुकदमे दर्ज किये और 3881 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का काम किया। अगर मैं पिछली सरकार की तुलना इससे करूं तो 2018 की तुलना में 2019 में नशे के खिलाफ कार्यवाही में 39 फीसदी ज्यादा मुकदमे दर्ज किये गये। पुलिस का यह अभियान थमा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, 2020 में भी पुलिस ने पूरे राजस्थान में नशे के खिलाफ एक प्रभावी अभियान चला रखा है और अभी तक मात्र दो महीने की अवधि में 576 मुकदमे दर्ज करके 727 अभियुक्तों को

(श्री संयम लोढ़ा)

गिरफ्तार किया है। 2008 के दो महीनों से आप तुलना करेंगे तो 120.69 परसेंट ज्यादा कार्यवाही राजस्थान पुलिस ने नशे के मामले में की है। माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने जो हुक्का बार बंद किये थे, उसका भी एक प्रभावी नतीजा सामने आया। एक नियंत्रण हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा कोकीन, हेरोइन, ड्रग्स, इसमें हमारा समाज गिरा हुआ है और इसमें पुलिस की इफेक्टिव कार्यवाही से मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में रोकथाम हो सकेगी।

यह सही है कि 2019 में मुकदमों का पंजीयन बढ़ा है। 2 लाख 25 हजार 306 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो 31.08 परसेंट ज्यादा है 2018 की तुलना में। 2018 में 1 लाख 61 हजार 241 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन हमें यह नहीं देखना चाहिए। मैंने जैसा निवेदन किया कि मुकदमों के दर्ज होने का कारण क्या है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि निस्तारण का सरकार का क्या परसेंटेज है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा, 2018 की तुलना में 2019 में 28 परसेंट मुकदमों का निस्तारण ज्यादा हुआ है। 2018 में 1 लाख 61 हजार 241 मुकदमों का निस्तारण हुआ, जबकि 2019 में 2 लाख 7 हजार 319 मुकदमों को निस्तारण किया गया।

माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि लोगों में पहले जो झिझक रहती थी, पहले जिस तरह से लोग डरते थे कि हमारी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है, हम यदि इसे सार्वजनिक करेंगे तो हमारी बच्ची की शादी नहीं हो पाएगी, हमारी बच्ची का भविष्य क्या होगा, इस तरह के संकुचित दायरों में बंधा हुआ आदमी मुकदमे दर्ज कराने नहीं जाता था, लेकिन आज एक भाव पैदा हुआ है कि नारी का सम्मान भी कुछ है, हमारी बहन-बेटियों की इज्जत भी कुछ है। आज की पीढ़ी के लोग उस मानसिकता में नहीं जीते। वे बच्चियां, जिनके साथ वह घटना होती है, उनके भाई यह सहन नहीं कर पाते और वे थाने की चौखट पर जाकर न्याय मांगते हैं और यही कारण है कि पिछले साल की तुलना में महिला अत्याचार के मामलों में 49.14 परसेंट मुकदमे दर्ज हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि अपराध बढ़ गये हैं। इसका कारण यह है कि राजस्थान की सरकार उन हमारी बहू-बेटियों को न्याय देने के लिए संकल्पित है। माननीय सभापति महोदय, चाहें तो इस आधार पर सरकार की आलोचना की जा सकती है, लेकिन हमें राजस्थान पुलिस को धन्यवाद

(श्री संयम लोढ़ा)

देना होगा, जिसने महिला अत्याचार के मामलों में 99.48 परसेंट मुकदमों में चालान किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अनुसूचित जाति के अत्याचार को लेकर भी आप और हम रोज देखते हैं, किस तरीके से दलितों के हित में अपोजिशन घड़ियाली आंसू बहाता है और इस बात को बताने की कोशिश करता है जैसे कि ये गोलवलकर के वारिस नहीं होकर अम्बेडकर के वारिस हों, लेकिन यह सत्य नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार में 47.17 परसेंट एट्रोसिटीज के मुकदमे ज्यादा दर्ज हुए, लेकिन चालान का प्रतिशत 98.52 परसेंट है और इसी तरीके से महिला छेड़छाड़ के मुकदमों में भी जो इजाफा हुआ है, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया है, उसका एकमात्र कारण लोगों का न्याय प्राप्त करने के प्रति एक कान्फिडेंस बढ़ना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, 2019 में हत्या के 1659 मुकदमे दर्ज हुए लेकिन चालान प्रतिशत है 97.01 परसेंट। अपराध हम रोक नहीं सकते, लेकिन उस अपराध पर इफेक्टिव कार्यवाही हुई है कि नहीं, यह शासन का देखने का कर्तव्य है। हत्या का प्रयास, 1905 मुकदमे दर्ज हुए और 97.24 परसेंट चालान हुए। डकैती के 107 हुए और 94.37 परसेंट चालान हुए। अपहरण के 8058 हुए और 96.15 परसेंट चालान हुए बलात्कार के 5997 हुए और 99.83 परसेंट चालान हुए। बलवा के 392 हुए और 98.37 परसेंट चालान हुए। बरामदगी का प्रतिशत भी अगर 2017 की तुलना में 2019 की हम तुलना करें तो डकैती के मामले में 2017 में 70.16 परसेंट बरामदगी हुई थी जो 2019 में 73.17 परसेंट हुई। लूट में 2017 में 51.17 परसेंट बरामदगी हुई थी जो 2019 में 74.23 परसेंट हुई। माननीय सभापति महोदय, मुकदमों का आंकड़ा तो ऊंचा होता गया है, लेकिन इसके साथ ही जो मुकदमे झूठे पाये गये हैं, उनकी संख्या भी कम नहीं है, 29.69 परसेंट मुकदमे झूठे पाये गये।

माननीय सभापति महोदय, पिछले कुछ दिन से आप और हम सब देख रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो गये, आदिवासियों पर अत्याचार हो गये, लेकिन यह हजारों साल पुरानी एक मानसिकता है। लोगों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है और वह कचरा जब तक साफ नहीं होगा तब तक हमें यह संघर्ष करते रहना पड़ेगा, लेकिन एक लोक कल्याणकारी सरकार समाज के इन तबकों

(श्री संयम लोढ़ा)

के साथ हुए अत्याचार को किस रूप में लेती है वह देखने का सवाल है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2 अप्रैल की घटना, जब पूरे देश के अन्दर दलित आदिवासी समुदाय के लोगों के दिल बैठ गये थे। उनको लगा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इतने सालों तक बाबा साहब अम्बेडकर साहब की रहनुमाई में और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में दलित, आदिवासियों के कल्याण के लिए जो निर्णय हुए, वे सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो गया। अब हमारे साथ कोई भी कुछ करके चला जाएगा और उसको जमानत मिल जाएगी। एक भय बैठ गया कि अपराधियों के हौसले बढ़ जाएंगे, हम फिर से गुलाम हो जाएंगे, हम फिर से जाकर उस चौखट पर खड़े हो जाएंगे जहां से उठाकर कुर्सी पर कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने हमें बिठाया है। उसके खिलाफ स्वत: स्फूर्त एक आन्दोलन हुआ और पूरे देश के अन्दर 2 अप्रैल को दलित, आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर आ गये। वह प्रतिरोध था, वह प्रतिकार था एक गलत निर्णय का। लेकिन क्या किया, माननीय सभापति महोदय? मैंने जैसे कहा कि पुलिस भी जाति, धर्म, लिंग, गरीब, अमीर, धन, इन सबके प्रभाव से अछूती नहीं है। फिर सरकार की सोच भी इस पर काम करती है। क्या हुआ? 322 मुकदमे एक दिन में 2 अप्रैल, 2018 को दलित, आदिवासियों के खिलाफ दर्ज किये गये माननीय सभापति महोदय। 664 लोगों को संगीन से संगीन अपराधों के अन्दर जेल में ठूंस दिया गया और एक-एक महीने तक उन लोगों की जमानत नहीं हुई। उनके परिवार के लोगों को जमानत के लिए हाईकोर्ट तक धक्के खाने पड़े माननीय सभापति महोदय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री ने दलित, आदिवासी समुदाय को भरोसा दिया था कि जो घटनाएं हुई हैं वे हुई हैं, लेकिन हम आपके साथ इन्साफ करेंगे और 322 प्रकरणों में से 174 मामलों के अन्दर एफआर दे दी गई है। माननीय सभापति महोदय, 31 केसेज के अन्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 117 मामलों में कोर्ट में आरोप पत्र पेश हुए हैं, जिनमें से 17 कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो गये और आज मैं हृदय के अन्तरतल से इस सदन में बैठे हुए सारे दलित, आदिवासी माननीय विधायकों की ओर से माननीय मुख्य मंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि 2 अप्रैल के प्रकरण में 42 मुकदमे राजस्थान सरकार ने वापस ले लिये हैं। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि अभी भी माननीय मुख्य मंत्री 10 और मुकदमों के बारे में विचार कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आने वाले वक्त में उन मुकदमों को भी वापस लिया जाएगा।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के मित्र पिछले 15-20 दिन से इस तरीके का वातावरण सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे दलित, आदिवासी समुदाय के इनके कार्यकाल के अन्दर तो घर सोने के बन गये थे और सारे प्रशासनिक लोग उनके घर से बाहर निकलते ही उनका इंतजार करने खड़े मिलते हों। मैं बताऊंगा इस सदन के अन्दर कि आपके राज के अन्दर किस ढंग से दलित, आदिवासी समुदाय पर अत्याचार हुआ, उनकी अवहेलना की गई, उनके मानवाधिकारों का हनन किया गया और कई-कई दिनों तक आंदोलन करने के बाद भी उनको न्याय नहीं दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, पृथ्वीराज बैरवा की थाना करणपुर, करौली की वह घटना, जिसमें उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया कि हमारे परिवारों की औरतों के साथ बदमाशों ने मारपीट, रेप और हत्या का प्रयास किया। आप भूले नहीं होंगे, यह सदन भूला नहीं होगा और यह मुल्क भूला नहीं होगा वह डांगावास प्रकरण, जब दलित समुदाय का मकान, झोपड़ी, मोटर साइकिल, ट्रैक्टर-ट्राली में आग लगाकर जघन्य मारपीट की गई। कितने बड़े आन्दोलन हुए, कहां-कहां आन्दोलन नहीं हुए, पूरे हिन्दुस्तान के दलित, आदिवासी समुदाय को सड़क पर आना पड़ा, अजमेर तक में लोगों को आकर धरने पर बैठना पड़ा और दलित समुदाय ने कहा कि राजस्थान की इस बीजेपी सरकार पर हमको कोई भरोसा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, उसके बाद उसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई और 6 लोग उसमें गिरफ्तार हुए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, फलौदी के अन्दर भोजाराम भील पर हुआ हमला, उसकी झोपड़ी में लगाई गई आग, 200 लोगों का एक समूह जाकर एक आदिवासी परिवार के घर और गृहस्थी को बर्बाद करने का काम इनकी सरकार के वक्त में हुआ। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, किस तरीके से इनके दिमाग में दलित आदिवासी समुदाय का आदमी खटकता है, आदुराम मेघवाल ने रामगढ़ जिला जैसलमेर के अन्दर मुकदमा दर्ज करवाया कि उसके भाई बाबूराम के हाथ-पैर तोड़कर उसके बाल काटकर उसको पेशाब पिलाने का काम किया गया। ये अपराध आपके वक्त में हुए हैं और आप यहां पर कह रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे सिरोही जिले का किस्सा बताता हूं। वह ईसरा का बस स्टैण्ड जहां वह खींवाराम गरासिया खड़ा हुआ था, निर्दोष, किसी अपराध में शामिल नहीं और..... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांत रहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उसके मुठभेड़ में गोली लगी और उसको अपनी जिन्दगी गंवानी पड़ी। मैं ईसरा के बस स्टैण्ड पर तीन दिन खींवाराम गरासिया की लाश लेकर बैठा रहा। कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। सिरोही के बस स्टैण्ड पर उसकी पत्नी और उसके तीन बच्चों के साथ रात को मैंने सभा की और एलान किया, लोगों को पूछा कि क्या करें? कलेक्टर हमारी सुन नहीं रहा क्या करें? उसके घर चलें या नहीं चलें तो हमारे आदिवासी भाइयों ने कहा कि चलो और रात को दस बजे मैंने कलेक्टर के घर पर धावा बोला और रात को 10 लाख रुपये की कलेक्टर को घोषणा करनी पड़ी। तीन-तीन दिन हमने संघर्ष किया।

माननीय सभापति महोदय, वह डेल्टा मेघवाल के प्रकरण का तो आपको ध्यान होगा। पूरा राजस्थान जानता है, क्या हुआ था उस बच्ची के साथ में? पीटीआई ने वार्डन के सहयोग से बलात्कार किया और साक्ष्य मिटाने के लिए छात्रावास की पानी की कुण्डी में डालकर उस बच्ची की हत्या कर दी गई। उसके बाद में कौनसे जिले में आन्दोलन नहीं हुआ? पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर सम्भाग हो, बीकानेर सम्भाग हो, कौनसा व्यक्ति सड़क पर नहीं आया? माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकरण को सरकार ने दबाने का प्रयास किया था, दलित-आदिवासी समुदाय की चेतना ने सरकार को मजबूर किया कि डेल्टा मेघवाल के प्रकरण में अपराधियों के खिलाफ चालान करे।

माननीय सभापति महोदय, गवर्नमेंट सर्वेन्ट पढ़ा-लिखा होता है, नौकरी किया हुआ होता है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, उसके परिवार के मामले में सरदारशहर में शादी के मामले में घोड़े से उतार दिया और उसके साथ मारपीट की, एक गवर्नमेंट सर्वेन्ट के परिवार के साथ में तो बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा, उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। अलवर गेट, जिला अजमेर का मुकदमा जिसमें शूटरों ने रामकेश मीणा और अनिल महावर पर फायरिंग की जिससे रामकेश मीणा की मौत हो गई। कुसुमलता मीणा, पुलिस की सब इंस्पैक्टर, जिस पर बीजेपी के झुण्डभर 100 कार्यकर्ताओं ने कोटा शहर के महावीर नगर थाने में जाकर हमला किया। उसके साथ जो सिद्धार्थ शर्मा नाम का पुलिस अधिकारी था, उसके साथ भी मारपीट की जिसका मुकदमा दर्ज हुआ माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये। अंकित नहीं होगा। विराजिये। विराजिये। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, अलाउ नहीं करूंगा मैं ऐसे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: विराजिए। आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा। विराजिए। प्लीज सहयोग करें। विराजिए, विराजिए। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, अलाउ नहीं करूंगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: बिलकुल आप बैठिए। माननीय सदस्य, विराजिए। आपका समय आए, तब बात कहें। माननीय सदस्य, विराजिए। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए, विराजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए। विराजिए, आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: विराजिए आप। माननीय सदस्य, आप विराजिए। अलाउ नहीं कर रहा हूं, आपका कोई अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए, विराजिए। समय का निर्धारण मैं नहीं कर रहा हूं। समय का अलाटमेंट जिस तरह से हुआ है कांग्रेस, निर्दलीय, बीजेपी का, आरएलपी का और सीपीएम का, जो भी है समय का निर्धारण है। आपके माननीय सदस्यों को भी 20 मिनट का समय भी दिया गया है, 35 मिनट का समय भी दिया गया है। इनका समय 25 मिनट का है और उनको बोलने का अधिकार है। आप बीच में इंटरवीन नहीं करें। दूसरी बात और सुन लें आप, आप बैठिए। जो बोलने की लिस्ट..

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: आप बैठिए, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, विराजिए। यह गलत तरीका है आपका।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, आप। आज भी बहुत लम्बी लिस्ट है, कल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। जब लास्ट में माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बुला रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगा। आज भी हालात वैसे के वैसे बनाना चाह रहे हैं। सिस्टम को आप अपने हिसाब से मत ढालिए। परम्पराएं हैं, मर्यादाएं हैं, जो भी माननीय सदस्य नये आए हैं, उनको बोलने का हक है, उनको बोलने दें। आप तो 25-25 मिनट बोलेंगे, आधा-आधा घंटे बोलेंगे। क्योंकि, आप सीनियर हैं। लेकिन, ये आदमी जो कुछ सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, हाउस में। बड़ी मजबूरी से, मुझे मन में तकलीफ होती है। जब इन सदस्यों को मैं कहता हूं, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, इधर कहता हूं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेहरबानी करके जो भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, उनको मैं बताता हूं कि इतने समय आपको बोलना है, उतने समय में आप पाबंद करें। माननीय संयम लोढ़ा। आप बीच में इंटरवीन नहीं करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। आप बैठिए। वे आपका नाम लेकर, आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, घटनाओं का वर्णन आप रोक नहीं सकते। आपका कोई नाम नहीं लगा रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: वह हकीकत आप बताना। बैठिए, अलाउ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा। आप बताइये वह हकीकत। माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और मेरा पांच मिनट समय जो इन्होंने बर्बाद किया है, वह आप जोड़ लेना।

श्री सभापति: ऐसा आप मत करिए। क्यों उत्तेजना पैदा करना चाहते?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, इस सदन को याद होगा, वे दलित बहनें रेणू और पूजा जिनके साथ तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था और उन दोनों बहनों ने ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली

(श्री संयम लोढ़ा)

थी। यह घटना भी शर्मनाक धब्बा भी पिछली सरकार के वक्त का ही है। माननीय सभापति महोदय, एक वार्ड पंच नीमकाथाना, अभियोग संख्या 107 पुलिस थाना जिला सीकर और मैं निवेदन करना चाहता हूं एक वार्ड पंच अनुसूचित जाति की, जिसके साथ सरपंच और उसके सहयोगियों ने एक राय होकर के बलात्कार किया। उस दलित महिला के साथ, वह भी, माननीय सभापति, इन्हीं की सरकार की कालिख है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं सवाई माधोपुर के पुलिस थाना बौंली सरपंच रघुवीर मीणा, उसकी हत्या किन्होंने की थी, किस विचारधारा से प्रेरित लोग थे? जिला जयपुर के चंदवाजी थाना में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का काम किसलिए किया गया, कौन समाज के अंदर, वातावरण वहां के इलाके में खराब करना चाहता था? माननीय सभापति महोदय, जोधपुर के अंदर पुलिस थाना शास्त्री नगर में चार साल की बच्ची के साथ मारने की नीयत से रेप किसने किया? भीलवाड़ा के अंदर दलितों की बिंदौली में थाना करड़ा, भीलवाड़ा, किस तरीके से वहां हमला हुआ। किस तरीके से मारपीट हुई और अलवर के अंदर एसटी के चार छात्रों ने रेलवे ट्रेक के आगे आकर किसलिए आत्महत्या की। इतने टाइम आपकी सरकार रही, उसका पता...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें। अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, चारभुजा जिला राजसमन्द पुलिस थाना चारभुजा, गैंग ने औरतों के साथ सामूहिक रेप किया, जिसका मुकदमा 155/2018 दर्ज हुआ।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में रवि की चार लोगों ने गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। माननीय सभापति महोदय, मैं और नहीं सुनाऊंगा, आपके ऊपर तो पूरा एक इतिहास, पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जो दलित आदिवासियों पर अत्याचार हुआ, आप बोलने लायक नहीं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट विराजिए आप। पुलिस और सारी व्यवस्थाओं पर आज बात होनी है। हर आदमी किसी न किसी घटना का जिक्र करेगा, इसका मतलब यह हो गया कि सुबह से सायंकाल तक आप इसी

(श्री सभापति)

तरह से करेंगे, आपको अच्छा लगता है। आप क्या चाहते हैं, जो समस्या है उसका समाधान चाहते हैं, या सिर्फ हल्ला करके..

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, बैठिए। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, बैठिए आप। विराजिए, विराजिए प्लीज। आपने यह तय कर लिया, आप जिस तरह से आये हैं। आप उसी तरह से बिलकुल कच्ची मिट्टी की तरह से वापस जाएंगे। कोई सीखने की मंशा आपकी नहीं है। मुझे कितनी तकलीफ होती है। आपकी रोज एक घंटे क्लास लूं, मैं कोई अध्यापक हूं? आपको अपनी बात कहनी है, आपका नम्बर आएगा, आप अपनी बात कहें और बात जो कहें संयमित, शालीनता से और किसी पर आरोप नहीं लगायें। आपके लिए भी यही बात है, इनके लिए भी यही बात है। गंभीर विषय है। बार -बार आप यदि ये करना चाहते हैं, तो मैं आपको छूट देता हूं। एक घंटा आपको जितना हल्ला करना है करिए आप और मैं चुपचाप बैठकर सुनता हूं आपके हल्लों को। मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगे, बात अलग है, वह आकर यहां पर संभालें, मुझे अच्छा नहीं लगता। विनम्र प्रार्थना है मेरी हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना है, सायंकाल तक आप एक मिसाल कायम करें कि गंभीर विषय पर चर्चा हुई और गंभीर चर्चा हुई। मैं आपके सबके सहयोग की अपेक्षा करता हूं, आपसे भी अपेक्षा करता हूं और आपसे भी अपेक्षा करता हूं। सारे जो सीनियर माननीय सदस्य हैं उनसे अपेक्षा करता हूं, नये लोग आये हैं। उनमें उत्तेजना है, उत्साह है, लेकिन उत्साह कब पैदा हो रहा है उनमें, मैं सब देख रहा हूं, आप उनको इशारा भी करते हैं, उनको प्रोवोक भी करते हैं। आप मत करिए ऐसा। सबको बोलना है, अपने क्षेत्र की बात कहनी है। मुझे क्यों मजबूर करते हैं कि मैं रोज आपसे इस तरह से बात करूं। माननीय सदस्य, अलाउ नहीं कर रहा हूं, बैठिए आप। आपका नम्बर हो तो आप बोलिए। मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सदस्य बोलें, लेकिन अगर वे ऐसे केसेज को बताएंगे।

श्री सभापति: कोई ऐसी बात नहीं करेगा, मैंने सब से कह दिया। कोई ऐसी बात नहीं करेगा और मैं निर्देश देता हूं। विराजें आप। मैं निर्देश देता हूं कि कोई किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा, व्यक्तिगत किसी का नाम

(श्री सभापति)

नहीं लेगा और यदि लें, आप उसको विलोपित समझें। आप उसको अंकित नहीं करेंगे। विराजिए, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। विराजिए, अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, एक मुकदमे में आरोपियों के अलावा किसी का नाम नहीं लिया गया है और जो सरकार..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, समय की सीमा है। कल भी..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 10 मिनट तो आपने खराब कर दिये।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। अपनी बात। दो मिनट में समाप्त करें। ऐसे नहीं चलेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये कोई बात हुई क्या आपकी।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे 10 मिनट तो आपने खराब कर दिये।

श्री सभापति: मैंने सिर्फ दो मिनट का समय लिया है, बिलकुल नहीं। दो मिनट का समय मैंने आपका लिया, दो मिनट आप एक्स्ट्रा बोलें। आपकी मेहरबानी होगी, प्लीज सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि पिछली सरकार में हत्या का प्रयास मुकदमा एफआईआर नं. 47203, हत्या का प्रयास एफआईआर नं. 34312 पुलिस थाना एक अलवर, दूसरा भी अलवर, हत्या का प्रयास बालोतरा बाड़मेर मुकदमा, एफआईआर नंबर 26809, छेड़छाड़ का मुकदमा बनेड़ा, भीलवाड़ा एफआईआर/इस्तगासा 1/12, हत्या का प्रयास 172, एफआईआर नंबर 120/13 बदेसर, चित्तौड़गढ़, हत्या का प्रयास 45207 कपासन, चित्तौड़गढ़, हत्या का प्रयास 178 एफआईआर नंबर 9508, कोतवाली चूरू, हत्या का प्रयास एफआईआर नंबर 1914 सांडवा चूरू, एट्रोसिटी एक्ट एफआईआर नंबर 25/11 सरदारशहर चूरू, चोरी का मुकदमा 206/12 निहालगंज धौलपुर, डकैती का मुकदमा 7907 पुलिस थाना छीतरी, डूंगरपुर। चोरी का मुकदमा एफआईआर नंबर 24913 आदर्श नगर, जयपुर, चोरी का मुकदमा 219/03 हरमाड़ा जयपुर। ऐसे 40 मुकदमे हैं, पूरी लिस्ट है मेरे पास। यह मुकदमे औरतों से छेड़छाड़ के, चोरी के, लूट के, हत्या के प्रयास के, यह जिनके मजबूत फेफड़े हैं उन्होंने

(श्री संयम लोढ़ा)

वापस लिये हैं। माननीय मंत्री जी, आपने जमीनों के मामले में तो क्लीन चिट दे दी, पर जिन मामलों में आप रोज जवाब देते हैं, उनकी डिटेल निकलवा कर पूछिए कि यह कौनसे कायदे में इतने संगीन अपराधों के मुकदमे इस सरकार ने वापस लिये।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह अपराध इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं। सुनिए एक मिनट।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह क्या आरोप लगायेंगे, यह उनकी सरकार के स्टेटमेंट हैं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई चर्चा नहीं करना चाहता, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप रिप्लाई की तैयारी रखिए। आप बिलकुल तैयार रहिए, मैं कभी भी करा सकता हूं। आप हाउस नहीं चलाना चाहते, मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूं आपका सहयोग। हाथ जोड़कर, विनती करके आपसे सहयोग की अपेक्षा है। आप आराम करना चाहते हैं, बाहर जाकर आप आराम करना चाहते हैं, आप बिलकुल रेडी रहें, मैं अभी करा देता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं तो आपके आदेश का ही इंतजार कर रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप तय कर लीजिए, तय करके मैं वोटिंग करा देता हूं, तैयार रहिए आप लोग।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, दैनिक भास्कर में 28 तारीख, 2017 को गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट छपा है, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं कि घुमाऊं और सब कुछ ठीक हो जाए, महिलाओं और दलितों पर अपराध पर बोले गृह मंत्री। और यह चिकित्सा मंत्री का स्टेटमेंट ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): .. हर घर में तैनात नहीं कर सकते पुलिस। यह जिम्मेदारी थी आपकी, यह जवाबदेही थी आपकी।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त करें, समाप्त करें, सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, अच्छा ठीक है, बच्चियों के साथ हुए एक मामले को कहकर मैं अपनी बात खतम करता हूं। 123 घटनाएं पिछले तीन साल में स्कूली बालिकाओं से छेड़छाड़ की हुई हैं।

सभापति महोदय, आप मुझे अलाउ करना, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जून, 2016 में सोजत सिटी में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ने वाली पांच छात्राओं के साथ परीक्षा कक्ष में एक अध्यापक ने अश्लील हरकत की। बालिकाओं ने घटना की जानकारी अपनी प्रधानाध्यापिका को दी। प्रधानाध्यापिका विभागीय अनुमति में देरी के कारण समय पर पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवा पाई। आरोपी अध्यापक ने जाति व धन के बल पर चार बालिकाओं के बयान बदलवा दिये, एक के नहीं बदलवाये। चार बालिकाओं ने पढ़ाई छोड़ दी। सैशन तक ट्रायल में गया। जो एक बच्ची बची हुई थी, उसने कलेक्टर के सामने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप गंभीरता तो समझिए, एक मिनट ले रहा हूं आपका, कोई 24 घंटे नहीं ले रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: कमाल है, सारी सीमाएं पार कर दीं। विराजिए माननीय सदस्य, विराजिए। श्री अशोक लाहोटी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कलेक्टर के सामने लड़की पेश हुई। एक मिनट, एक मिनट।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए आप। अशोक लाहोटी। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कलेक्टर के सामने लड़की पेश हुई और कहा कि लोक अभियोग जैसे पैरवी मत करो ...(व्यवधान) एक मिनट दे दो, एक मिनट, मैं आपसे विनती करता हूं, उन बच्चियों के लिये विनती करता हूं, एक मिनट दे दीजिए आप मुझे। (व्यवधान) अशोक जी एक मिनट।

श्री सभापति: समाप्त करें आप, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कलेक्टर के सामने लड़की पेश हुई। लड़की ने कहा कि पब्लिक प्रोसीक्यूटर से पैरवी मत कराओ, अलग से वकील करो। कलेक्टर नहीं माने। उसने मिलीभगत करके जो लड़की कलेक्ट्री तक गई थी,

(श्री संयम लोढ़ा)

उसको होस्टाइल कर दिया और आरोपी बरी हो गया और लड़की ने कलेक्टर से फिर कहा है कि इसकी हाई कोर्ट में अपील करो।

श्री सभापति: समाप्त करें। विराजिए आप, विराजिए, प्लीज सहयोग करें। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने जिस गंभीर विषय पर चर्चा रखी है और उसकी गंभीरता आप सदन में बार-बार बता भी रहे हैं। सभापति महोदय, पुलिस महकमा और कारागार, महोदय 18 मार्च, 1948 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब राजस्थान की सारी रियासतों का एकीकरण शुरू किया और 31 मार्च, 1949 के बाद पुलिस बलों को मिलाकर रियासतों के विलय के साथ एकल पुलिस बल बनाया गया, जिसका नाम राजस्थान पुलिस रखा गया। 7 अप्रैल, 1949 को प्रथम पुलिस महानिरीक्षक आर. बनर्जी की घोषणा के बाद 1951 में राजस्थान पुलिस सेवा का गठन किया गया। सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि सरकार का इकबाल नापना हो या बाकी सारे विभागों की कार्य योजनाओं को सफल बनाना हो तो किसी विभाग का सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण योगदान होगा तो वह पुलिस विभाग और गृह विभाग का होगा। शायद इसीलिए राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने यह विभाग अपने पास रखा होगा। सभापति महोदय, लेकिन इस विभाग की सेहत ज्यादा अच्छी नहीं है। अभी हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बात तो कही पर अंत में जाकर घुमा गये। इन्होंने आंकड़े तो बताये पर यह कहा कि 2018 से पहले जो यह आंकड़े हुए वह अत्याचार था और 2018 के बाद जो महिला अत्याचार, दलित अत्याचार हुआ, वह तो अत्याचार था और अब इनको न्याय मिल रहा है, यह वह कह रहे हैं। वह मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं इस चीज के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा कि वह मुख्य मंत्री जी को नाप रहे हैं कि धन्यवाद दे रहे हैं।

सभापति महोदय, प्रदेश में 2,25,306 मुकदमे दर्ज हुए और केवल यह मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं पिछली बार से 54,317 मुकदमे ज्यादा हैं। मुकदमों में 31.08 प्रतिशत वृद्धि हुई है, यानी राजस्थान में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। राजस्थान में अपराधी बढ़ रहे हैं। सभापति महोदय, अकेले जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 33,180 और जयपुर रेंज में 42,487 मुकदमे दर्ज हुए हैं, यह आज तक के इतिहास का सर्वाधिक रिकार्ड है। सभापति महोदय, महिला

(श्री अशोक लाहोटी)

अत्याचार की बात की। पिछले एक साल में 41,155 मुकदमे दर्ज हुए हैं 49 प्रतिशत मुकदमे ज्यादा हुए हैं। 53,561 मुकदमे हमारी सरकार के छोड़ने के बाद, एक साल में ज्यादा दर्ज हुए हैं। क्या मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद इस बात के लिए था? इतना ही नहीं, कुल अपराधों का 20 प्रतिशत अकेले महिला अत्याचार का है। अभी बात कर रहे थे एससी, एसटी अत्याचार की, 8,591 मुकदमे दर्ज हुए 29 प्रतिशत ज्यादा हैं। सभापति महोदय, मुकदमों में अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचार में 47 प्रतिशत बढ़ोतरी और अनुसूचित जाति के प्रति 64 परसेंट बढ़ोतरी हुई है। क्या यह मुख्य मंत्री जी के प्रति धन्यवाद था? सभापति महोदय, डकैती में 42 प्रतिशत ज्यादा, चोरी में 41 प्रतिशत ज्यादा, लूट में 39 प्रतिशत ज्यादा, बलात्कार में 48 प्रतिशत ज्यादा, छेड़छाड़ के मुकदमों में 68 परसेंट ज्यादा, पोक्सो एक्ट में 44 प्रतिशत ज्यादा, मर्डर में 10 परसेंट ज्यादा। माननीय सदस्य, क्या यह मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे थे?

सभापति महोदय, इतना ही नहीं 180 देशों का जो सर्वे आया, उस सर्वे में भारत का भ्रष्टाचार में नंबर तो 78 पोजिशन पर आया, पर शर्मसार करने वाली बात यह है कि राजस्थान उस भ्रष्टाचार के उस सर्वे में नंबर वन पर आया है। क्या मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे थे? सभापति महोदय, आजकल जो सबसे ज्यादा हमको चिंतित कर रहा है, वह कर रहा है ऑनलाइन क्राइम, डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम, ई-क्राइम। जिसको रोकने के लिये मैं समझता हूं कि इस सदन में बैठकर एक दिन इस चीज पर चर्चा करवाई जाए कि आखिर इस क्राइम को रोकने के लिये हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, सरकार के पास क्या मैकेनिज्म है? सभापति महोदय, यहां पर 2661 मामले दर्ज हुए हैं। केवल मनी फ्रोड के 1523 हुए हैं और इसमें तो कई मंत्री और अधिकारी भी अछूते नहीं रहे हैं।

(14.00 बजे)

कई आई.ए.एस., आई.पी.एस. और मंत्रियों के साथ भी ये फ्रोड हुए हैं। सभापति महोदय, आप घोषणा-पत्र के पेज नंबर 35 पर पढ़ें, मैं सरकार को कहूंगा कि केवल धन्यवाद लेकर, अपने मन ही मन खुश होने का प्रयास नहीं करें। ईमानदारी से, एक साल हो गया, आपने दो बजट पेश कर दिये, दो बजट और पेश करेंगे तब तक चुनाव आ जाएंगे। घोषणा-पत्र के पेज नंबर 35 पर 1 से 23 बिंदु तक की घोषणाओं में आपने एक भी घोषणा पूरी की हो, बता दें।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, पुलिस विभाग में 15323 पद खाली पड़े हैं। मैंने आपको ये आंकड़े तो बताए, लेकिन पुलिस इन आंकड़ों को पूरा कैसे करेगी? मैं आई.पी.एस. से शुरू करूं तो मैं ज्यादा समय लूंगा। आई.पी.एस. से कांस्टेबल तक, 6345 पद कांस्टेबल के खाली पड़े हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपराधों पर 100 प्रतिशत काबू पा लेंगे। इन पदों को भरने का काम एक साल में शुरू भी नहीं हुआ है। केवल बजट में घोषणा हुई है काम भी शुरू नहीं हुआ है। कई बार जब जरूरत पड़ती है, तो होमगार्ड्स को बुला लेते हैं। होमगार्ड्स को भी आप पूरे महीने की तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। जितने दिन काम लेना है, उतने दिन उनसे काम ले लेते हो, फिर उनको वापस छोड़ देते हो। सभापति महोदय, यह पूरा विभाग सीएम साहब के पास है और मैं यह कहूं कि इस पूरे विभाग में आपने 6604 करोड़ रुपये का बजट बनाया है, कटौती कर बनाया है, जो आपके कुल बजट का मात्र 3 परसेंट है। इस 3 परसेंट के बजट से हम चाहें कि राजस्थान के सारे विभागों की मानिटरिंग भी ठीक हो जाए, सम्पूर्ण राजस्थान अपराध मुक्त हो जाए। उसमें से भी यदि तनख्वाह, पेंशन और ब्याज को छोड़ दें तो केवल 280 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष थे, उसमें से घटाकर मात्र 214 करोड़ रुपये आपने राजस्थान पुलिस के विकास के लिए रखे हैं।

सभापति महोदय, इसके आधुनीकरण के नाम पर, जिनमें आप गाड़ियां भी खरीदेंगे, नये थाने भी बनाएंगे, स्वागत कक्ष भी बनाएंगे, अत्याधुनिक हथियार भी लेंगे, पपला, जीवाणु, कीटाणु जैसे आतंकवादियों से मुकाबला करेंगे। पुलिस के हथियारों की खरीद के लिए आपने केवल दो करोड़ रुपये रखे हैं। क्या आप इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद दे रहे हैं? पुलिस की री-आर्गेनाइजेशन के लिए, पुलिस के पूरे इनोवेशंस के लिए, पुलिस के पूरे आधुनीकरण के लिए आपने मात्र 41 करोड़ रखे हैं। मैं समझता हूं कि आप थानों की पूरी रंगाई-पुताई भी इसमें नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदय, पहली बार सात-आठ बड़ी साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं। सूरसागर (जोधपुर), फलौदी (जोधपुर), शास्त्रीनगर (जयपुर), गलता गेट (जयपुर), गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर), खो-नागोरियान (जयपुर), मालपुरा (टोंक), बजरी की गैंगवार, भू-माफिया, खनन माफिया, वाहन चोरी माफिया, आनलाइन ठगी, साइबर ठगी, क्या इन सब अपराधों पर इन आंकड़ों के साथ, मुख्य मंत्री जी इस बजट के साथ अपराध पर काबू पाना चाहते हैं और

(श्री अशोक लाहोटी)

जवाबदेही प्रशासन तय करना चाहते हैं? इसी कारण से सरकार के मंत्री को एक जन सुनवाई में फरियाद लेकर एफ.आई.आर. दर्ज करवाने जाना पड़ता है और मुख्य मंत्री जी को बजट में घोषणा करनी पड़ती है कि राजस्थान पहला राज्य है, जहां हर व्यक्ति की एफ.आई.आर. दर्ज होगी।

सभापति महोदय, यह आजादी के 72 सालों के बाद हो रहा है, 72 साल बाद हम यह कह रहे हैं कि एफ.आई.आर. दर्ज करनी पड़ेगी, यह जवाबदेही प्रशासन है? सभापति महोदय, प्रदेश की जनता को समुचित, सुरक्षित वातावरण केवल बातों से ही नहीं दिया जा सकता। मैंने आपसे कहा कि कहां से हथियार खरीदेंगे, कहां से नवीन भवन बनाएंगे, आप कहां से सुधार करेंगे, इतने बड़े प्रदेश में जहां अपराधी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हों। जहां आप पुलिस को पत्थर और लाठी देकर यह कहो कि जाओ आप अपराधियों से मुकाबला करो। क्या राजस्थान के पुलिस के जवानों को आपने मरने के लिए छोड़ा है? सभापति महोदय, मैं इन सब बातों के साथ यह बात भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो पुलिस के लोग हैं, उनके भ्रष्टाचार की तो हम बात करते हैं या अपराधों की बात भी की, लेकिन वह छोटा हैड कांस्टेबल, जब हम होली व दिवाली मनाते हैं, तब भी थानों पर 24 घंटे ड्यूटी करता है, 8 घंटे के पैसे में यदि हम उससे 24 घंटे की ड्यूटी लेंगे, मैं सरकार से मांग करूंगा कि आनुपातिक रूप से उनकी तनख्वाह भी उतनी की जाए, जिससे भ्रष्टाचार खतम हो। आप 15 हजार रुपए तनख्वाह देते हैं और उम्मीद करते हो कि उससे 2 लाख रुपये का काम लें। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी कम कांस्टेबल की तनख्वाह है। मैं यह भी कहूंगा कि पुलिस की री-आर्गेनाइजेशन के लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए। यदि यह विभाग मजबूत नहीं होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी विभाग अपनी कार्य योजना को पूरा नहीं कर सकता।

अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इतना बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा गया। आज तक एसीबी में कितने सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। मैं जयपुर का महापौर रहा हूं। कम से कम एक हजार से ज्यादा फाइलें पिछले दस साल से एंटी करप्शन में पड़ी हैं, उन पर आज तक चालान पेश नहीं हुए। एसीबी में कितने बड़े अधिकारी पकड़े गये, कभी पटवारी, कभी गिरदावर, कभी फोर्थ क्लास, कभी चपरासी, या तो चालान पेश करने की अनुमति नहीं देते। आपके पास फिंगर प्रिंट के नमूने के लिए उसकी लैब तक नहीं है।

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, यह 21वीं सदी आ गयी है। आज हम सबको बैठकर यह चिंता करनी पड़ेगी कि इस पुलिस से यदि हमको काम करवाना है तो हमको इन भर्तियों में केवल कांस्टेबल के ढाई हजार पद निकालकर संख्या बल पर, या तालियां बजाकर पुलिस का री-आर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते। हमारा देश वह है, जहां हमारे लिए कहते थे कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस हिंदुस्तान के नौजवानों का पलायन रोकना है। उन आई.टी. के प्रोफेशनल्स को, जिनकी सेवा पूरी दुनिया ले रही है। हमारे आई.टी. प्रोफेशनल्स जाकर पूरी दुनिया में साइबर क्राइमों को खतम कर रहे हैं और हमने आज तक पुलिस में साइबर क्राइम को खतम करने के लिए कोई योजना तक नहीं बनायी है। थानों के बाहर चोरी की गाड़ियों के अंबार लगे हुए हैं और हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं। थानों की स्थिति देखें तो खुद पुलिस वाले वहां के बाथरूम का उपयोग नहीं कर सकते और हम स्वागत कक्षों के निर्माण की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार 500 घोषणाएं करने की बजाय भले ही, एक पद पर यह कह दे कि हम यह एक पद पूरा करेंगे, हम पुलिस का री-आर्गेनाइजेशन करेंगे। पुलिस को आधुनिक हथियार देंगे या साइबर क्राइम को रोकने का प्रयास करेंगे। आप हैड कांस्टेबल की भर्ती करते हो और उससे उम्मीद करते हो कि वह सोशल मीडिया का सारा काम करके पुलिस की साख जमाए। सोशल वायरल पहले होता है और पुलिस को बाद में पता चलता है। थानागाजी अलवर का मामला हो, चाहे मुख्य मंत्री जी के खुद के जिले के मामले हों, चाहे और कहीं की घटनाएं हों। सोशल मीडिया पहले बताता है और पुलिस को बाद में पता चलता है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपने जेल भी रखा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी सिरोही से आने वाले हमारे बड़े भाई थे, वे चले गये, वे एक-एक मुकदमे की बात कर रहे थे। एक-एक मुकदमे की बात करें तो मैं एक-एक घटना यदि आपको बताने लगूं तो शाम हो जाएगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थानागाजी की घटना, कल ही एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार की दिन-प्रतिदिन की घटती घटनाएं राजस्थान ही नहीं, इनके मुखिया संसद में कहते हैं कि देश को रेपिस्तान बना दिया, फिर राजस्थान क्या बन रहा है? ये घटनाएं और ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? क्या आपके मुखिया राजस्थान को रेपिस्तान कहेंगे?

(श्री अशोक लाहोटी)

सभापति महोदय, जेल के बारे में बात की जा रही है। मैं भी छात्र आंदोलन में कई बार जेल जाकर आया हूं। अभी जो पुलिस के मुखिया हैं मैं जब मेयर था तो उन्होंने मुझे जेल प्रशासन बुलाकर वहां की पूरी स्थिति बतायी कि यहां क्या स्थिति है? जेलों की जो स्थिति है और जिस प्रकार से दयनीय स्थिति हम डेली पढ़ते हैं, मानवाधिकार आयोग हो, कोर्ट हो, उस पर कई बात पर संज्ञान लेते हैं। हमारे जो 4438 पद हैं, उनमें से 892 पद रिक्त हैं। जेलों का केवल 199 करोड़ रुपये का बजट है। इस बजट में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इसकी कैपिटल निकालें तो 10-15 करोड़ रुपये निकलेंगे, जिसमें हम जेल का री-आर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं।

मैं पूरे प्रदेश की जेलों की बात करूंगा, यदि जयपुर सेंट्रल जेल की भी बात करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में एक खुली जेल बनी हुई है। आप कभी पुलिया के ऊपर से निकलते हुए भी देखेंगे तो आप देखकर आश्चर्य करेंगे कि जयपुर शहर के बीचोंबीच ऐसी बेशकीमती जमीन पर ये जो छोटी-छोटी गुमटियां बनी हुईं, इस खुली जेल में किसको मानवीय यातनाएं दी जा रही हैं? मैंने पिछले बजट में भी प्रस्ताव दिया था कि हजारों करोड़ रुपये की जमीन है। हिंगोनिया गोशाला के पास खुली जेल और सेंट्रल जेल का नया प्रस्ताव बना हुआ है। क्यों नहीं, सरकार सेंट्रल जेल का एक छोटा हिस्सा भी आक्शन कर दे तो दोनों प्रस्ताव वहां चले जाएंगे। हजारों गायें हैं, कैदी गायों की सेवा करेंगे तो उनकी मानसिकता भी बदलेगी और वे सेवा के काम में भी लगेंगे।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, यदि उस सांगानेर खुली जेल को शिफ्ट करते तो आपने अभी जो एक कालेज की घोषणा की। कभी बात आती है कि स्कूल बंद करके उसमें कालेज खोलेंगे, कभी कहते हैं कि स्कूल के चार कमरे प्रिक्योर करके उसमें कालेज खोलेंगे। इस खुली जेल में आपके मिनी सचिवालय सहित जयपुर के सारे विभाग और यह कालेज भी वहां पर खोली जा सकती है। यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से डिमांड भी है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं केवल आपको यही कहूंगा कि जिस प्रकार से इस पुलिस विभाग की जो सेहत है, पुलिस विभाग के जो आंकड़े हैं, पुलिस विभाग की जो घटनाएं हमको दिन-प्रतिदिन देखने को मिल रही हैं, इन सारी घटनाओं पर यदि हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया, हमने पुलिस के आधुनीकरण पर ध्यान नहीं दिया, हमने पुलिस की नई भर्तियों पर ध्यान नहीं दिया।

(श्री अशोक लाहोटी)

सबसे बड़ा जो आज वास्तव में, अभी माननीय भरत सिंह जी भी कह रहे थे, साइबर क्राइम, ई-क्राइम, डिजिटल क्राइम का जो जमाना है, पुलिस के जवान को ए.के. 47 लेकर फील्ड में जाने की जरूरत तो तब पड़ेगी जब सामने से कोई अपराधी आए। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि कम्प्यूटर के उस वार-रूम में बैठकर जिस पर साइबर क्राइम हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए पूरे दो साल के बजट में एक भी पद की स्वीकृति नहीं है, मैं आश्चर्यचकित हूं। कभी हम बात करते हैं कि सीएसआर से कैमरे लगवा लेंगे। आपके घोषणा पत्र में लिखा है। राज्यपाल की घोषणाओं में आपने कहा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपने लिखा। कितने कैमरे लगे, सरकार बता दे कि एक भी कैमरा आपने लगाया क्या? हर काम हम सीएसआर की तरफ देखते हैं और सीएसआर, उसकी बात कल उद्योग में करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमने थानों को लावारिस छोड़ा है, जिस प्रकार से थानों को हमने बेलगाम छोड़ा है, पुलिस का, वहां का थानाधिकारी यदि वहां के किसी माफिया से, पुलिस के चक्कर में तो वे ही आएंगे, कोई अपराधी होगा, कोई क्राइम वाला होगा, कोई पैट्रोल चोर होगा, कोई जीएसटी की चोरी कर रहा होगा, कोई सट्टा बाजार चलाता होगा। उनसे यदि पैसे ले लेकर थानों की हम री-आर्गेनाइजेशन करें, थानों को स्ट्रेन्थन करें तो मैं समझता हूं हम सबके लिए गंभीर विषय है।

माननीय सभापति महोदय, इन सबसे गंभीर विषय लेकिन उसमें थोड़ा-सा अभी काम शुरू हुआ है पिछले दो-तीन महीने में जयपुर में एक सैल बनाई है, यह है मादक पदार्थों पर। पिछली बार सदन में मैंने कहा था कि 'उड़ता पंजाब' की तरह अब 'उड़ते राजस्थान' की तरफ जा रहा है। 'उड़ता जयपुर' हो रहा है। राजस्थान और जयपुर में हजारों कोचिंग सेन्टर्स के छात्र पढ़ रहे हैं और हर चाय की दुकान पर, आप चाहे छापे डलवाकर देख लो, पुड़िया के नाम से आपको हर मादक पदार्थ जयपुर शहर में अवेलेबल है। यह खुद पुलिस की रिपोर्ट में भी माना है। इसको रोकने के लिए बहुत बड़े मैकेनिज्म की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, आश्चर्यजनक मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा चिंता तो आजकल बच्चों की है। यहां बैठे हुए अधिकांश सदस्य बात करते हैं कि हम यहां पर बैठे हैं और बच्चे स्कूल जाएं, उन बच्चों की स्कूलों के आसपास जो दुकानें हैं, उन दुकानों पर सबसे ज्यादा मादक पदार्थ बिकते हैं। हुक़्के पर हमने बैन लगाया। अच्छे काम के लिए, अभी यहां पर माननीय बी.एल. सोनी साहब

(श्री अशोक लाहोटी)

बैठे थे, मैं धन्यवाद दूंगा उनको। जब वे जयपुर पुलिस कमिश्नर थे, पिछली बार भी मैंने धन्यवाद दिया था तो पहली बार हुक्के पर बैन लगाने की बात इन्होंने शुरू की। जयपुर में अघोषित हुक्का बैन किया, लेकिन आज भी जयपुर में हुक्के पर आपके कानून लाने के बाद में हुक्का 500 रुपये की जगह 2000 रुपये में बिकने लग गया। यदि मैं असत्य बोल रहा हूं तो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको हर रेस्टोरेंट में हुक्का दिलवा सकता हूं। मैं भी देखता हूं और वहां जाता हूं तो उनको मना भी करता हूं। आप जब मेरे साथ थे तो हम दोनों ही बैठे थे।

सभापति महोदय, चूंकि आज पुलिस पर डिमांड है। अपराध निश्चित रूप से बढ़े हैं। अपराधों को रोकना पड़ेगा। मैं यह समझता हूं अपराधों का ग्राफ यह बताता है कि राजस्थान में सरकार का इकबाल खतम हो गया है। जिस प्रकार से एससी/एसटी के मुकदमे दर्ज हुए कांग्रेस के मित्र जब खड़े होते हैं तो यूं समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम क्यों लिया? अभी मैं कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे कि राजनीति है। बाबा साहब अम्बेडकर की योजनाओं को अगर आप लागू करना चाहते हैं तो आप अपना ग्राफ देखें। किस प्रकार से आंकड़े बढ़े हैं, एक भी आंकड़ा जो मैंने बताया, कोई भी 40 प्रतिशत से कम वृद्धि नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 50 साल के मंत्री महोदय, आप रिकार्ड निकाल लें, यदि इतना ग्राफ कभी किसी साल में बढ़ा हो तो आप जो कहो, वह हम करने को तैयार हैं। 40 -40 प्रतिशत हर अपराध में वृद्धि हुई है। आखिर सरकार है कहां? सरकार नाम की चीज खतम हो गई है। जगह-जगह माफिया पनप रहे हैं। बजरी देखो तो बजरी माफिया पनप रहे हैं। आए दिन यहां पर बजरी के माफियाओं की और राजस्थान पत्रिका जैसे कार्यालय में यदि पुलिस घुसने का प्रयास कर लेती है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का कोई भी घर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी जगह महफूज नहीं है। यह दुस्साहस किसके दम पर हो रहा है?

माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हर मांग की तरह इस मांग को भी टेबल बजाकर पास तो कर दोगे लेकिन ये दो बजट निकल गये हैं। केवल घोषणाएं करके, टेबल बजाते रहोगे तो पहले भी 21 आए थे, अबकी बार तो टैम्पों में आओगे। ईमानदारी से अभी तक दो बजट आपके पास पड़े हैं, हम तो विपक्ष में हैं, आपको चेताने का काम कर रहे हैं। जनता ने

(श्री अशोक लाहोटी)

आपको, लोकतंत्र है, आपको सरकार चलाने का आदेश दिया है और हमको सड़क नापने का आदेश दिया है। हम सड़क नापेंगे और फिर सरकार में आएंगे। आप चेत जाओ तो पहले वाली हालत नहीं हो, कुछ सम्मानजनक रह जाओ। इन्हीं बातों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री सभापति: डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, हमारे राज्य की सुरक्षा और देश की सुरक्षा में पुलिस का बहुत अहम रोल है। मैं समझता हूं कि आज जो यह चर्चा हो रही है, बहुत सार्थक चर्चा है। इसके साथ हम सबको आपस में सामंजस्य मिलाकर किस तरह से पुलिस के साथ आम आदमी का जुड़ाव हो, उसके ऊपर हमें गौर करना जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, यह पूरे विश्व की समस्या है, सिक्योरिटी, सुरक्षा। स्काटलैंड यार्ड, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्मार्ट पुलिस उनकी मानी जाती है। जब शुरुआत हुई स्काटलैंड यार्ड की, 1829 में, राबर्ट पॉल ने चालू किया तो राबर्ट पॉल का बड़ा मजाक उड़ा कि ये तो राबर्ट पॉल के दादाओं का ग्रुप है जो लोगों को रोक रहा है लेकिन धीरे-धीरे जिस तरह से स्काटलैंड यार्ड में पुलिस के लिए लोगों के दिल के अंदर, उनके कार्य से कान्फिडेंस बना, मैं समझता हूं आज दुनिया के लिए अपने आपमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मेरा भतीजा डीजीपी है मध्यप्रदेश में, वी.के. सिंह, अभी जो टीम गई थी, स्कॉटलैंड यार्ड में तीन चार डीजीपी गये थे भारत से, वह भी गया था वहां पर। मैंने कहा स्काटलैंड यार्ड में क्या चीज देखी? तो उसने कहा चाचाजी, वहां सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का कान्फिडेंस है। यूरोप के अंदर 20 हजार लोगों के ऊपर सिर्फ दो पुलिसमैन और हमारे राजस्थान में 600 लोगों के ऊपर एक पुलिसमैन है। बहुत कम है, वहां पुलिस की बहुत बड़ी संख्या नहीं है लेकिन लोगों का कान्फिडेंस है। ऐसा नहीं है कि यूरोप या अमरीकन कंट्रीज जो सबसे ज्यादा डवलप्ड हैं, वहां पर कोई अपराध नहीं होते।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, 1960 में जान एफ. कैनेडी को गोली मार दी गई। ऑस्वाल्ड ने गोली मारी और दूसरे व्यक्ति ने कोर्ट में जाते वक्त ऑसवाल्ड के गोली मार दी। आज तक पता नहीं चला कि सबजैक्ट के पीछे कौन था? फ्रांस के जनरल डी गॉल के ऊपर सात बार हमले हुए लेकिन उनकी इंटेलीजेंसी इतनी स्मार्ट थी कि सातों बार चार्ल्स डी

(श्री जितेन्द्र सिंह)

गॉल को बचा लिया। एक बार तो लास्ट शाट मारते वक्त उन्होंने उसको पकड़ा। कान्फिडेंस क्यों नहीं है? पुलिस में आम व्यक्ति का कान्फिडेंस क्यों नहीं है? इसमें हमें हमारे इतिहास में जाना पड़ेगा, भारत के इतिहास में। जब रजवाड़ों के बाद ब्रिटिश हुकूमत आई, ब्रिटिश हुकूमत ने एक डिसीप्लेंड पुलिस खड़ी की, डिसीप्लेंड आर्मी खड़ी की। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अन्याय किया, जिस तरह से आजादी के हमारे दीवानों पर अन्याय किया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को एक दिन पहले फांसी पर लटका दिया गया। उनको डर था कि जनता के अंदर आंदोलन होगा बहुत बड़ा। कोई पूछने वाला नहीं था कि जेल में एक दिन पहले क्यों फांसी दी?

मैंने सैल्युलर जेल देखी है, आपने भी देखी होगी अंडमान निकोबार में। आजादी के परवानों के साथ किस तरह से अन्याय हुआ। जतिन प्रसाद दास को जबरदस्ती ट्यूब डालकर दूध पिलाकर मार दिया उन्होंने। ये जो घृणा उपजी, हिन्दुस्तान के लोगों में घृणा उपजी और जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, we adopted the British Police System. हमने जो ब्रिटिश पुलिस सिस्टम है, उसको एडाप्ट किया। वह ब्रिटिश पुलिस सिस्टम लोगों के अंदर भय और घृणा का रूप था। आज विदेशों के अंदर पुलिस का सम्मान, मान-सम्मान है। मुझे दुःख है कि सारा कार्य करते हुए भी बहुत सारे अच्छे अधिकारी हैं लेकिन आम जनता में, आम जनता को तो छोड़ दीजिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति भी पुलिस के थाने में जाने की हिम्मत नहीं करता and this is a true fact. मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने शुरुआत की है कि स्वागत कक्ष बनें। कम से कम उनका कान्फिडेंस बने, पेड़ के नीचे नहीं बैठे रहें। मैंने स्वयं मेरे विधायक कोष से 14-14 लाख दो थानों के लिए दिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा क्षेत्र हरियाणा बोर्डर पर है। मैंने वह शुरुआत की, मैंने उनको दिए, कि किसी भी तरह से कम से कम लोगों में कान्फिडेंस बन सके।

माननीय सभापति महोदय, लगभग 1 लाख 13 हजार की टीम राजस्थान की पुलिस में है। आरपीएस 872, आईपीएस 215, कांस्टेबल करीब एक लाख हैं। हमारे पास पूरी आंडेंटीफाइड टीम है। अत्यन्त आवश्यक है, किस तरह से वातावरण को कंट्रोल करें, उन्होंने अपने तरीके से, उनको खुद को भी बहुत आवश्यकता थी। पुलिस एंड डाक्टर्स की कोई छुट्टी नहीं होती है, इनकी 24 घंटे सेवा होती है। They need their mental rest also. ऐसा नहीं है

(श्री जितेन्द्र सिंह)

कि विदेशों में क्राइम नहीं होते। आप रोज अख़बारों में पढ़ते हैं यूएसए में स्कूल के लड़के ने शाट गन उठाई, गोलिया चलाकर अपने 16 साथियों को मार दिया this is a big problem there. यूएसए जैसे डवलप कंट्री में यह प्रोब्लम है, यह भी चीज उनके कंट्रोल के बाहर है क्योंकि वहां हथियार खुले आम बिकते हैं, अपने यहां बहुत सिक्योरिटी है। राजस्थान आज भी सबसे सेफ है। बाहर के कई मेरे मित्र व रिश्तेदार हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और जयपुर शहर के तो दीवाने हैं। वह चाहते हैं कि जयपुर में बसने को हमें वक्त मिले। अगर जयपुर में कोई क्राइम बढ़ा है, राजस्थान में कोई क्राइम बढ़ा है तो नियर बाई स्टेट, हमारे बार्डर पर हरियाणा है, उधर पंजाब है, मादक द्रव्य आते हैं, इधर उत्तर प्रदेश हैं जिनकी रोज धौलपुर में एंट्री होती रहती है। मध्यप्रदेश है जहां डेकोटी होती रहती है।

सभापति महोदय, अत्यन्त आवश्यक है कि पुलिस को हमें किस तरह से स्ट्रेंथन करना चाहिए, पुलिसकर्मी जिनकी 24 घंटे की डयूटी है, we should look after them. हमें उनके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। थाने के भवन दरवाज़ों में चला करते थे, कोई लोकल बिल्डिंग नहीं थी, हमने तो स्वयं देखा है, आपने भी देखा होगा। उनको आवास की सुविधा दी जाए। पुलिस वालों के बच्चे रोज पिटाई देखते हैं, रोज अपने पिताजी को डंडे से पीटते हुए देखते हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसा होता है कि मेरे पिता डाक्टर थे, मुझे लगा कि मैं भी डाक्टर बनूं। पुलिस मैन है उसका बच्चा सोचेगा कि मैं भी पुलिस मैन बनूं, तो किस तरह उनकी फैमिली को फैसेलिटीज दें।

सभापति महोदय, टैक्नोलोजी डवलप हो रही है, अपराधों को कैसे रोकें। पुलिस का आधा टाइम तो इसी में खर्च होता है कि कोई डैड बॉडी आ गई, लगा कि कोई करंट से डेथ हो गई, लाश पड़ी है, लोगों को समझाना है। एक्सीडेंट हो गया, डेड बॉडी पड़ी है, लोगों को समझाना है। समझाइश भी एक अत्यन्त आवश्यक चीज है।

सभापति महोदय, मैं तो खुद विटनैस हूं। दो मिनट में आपको वाकया सुनाता हूं। 2009 में गुर्जर आरक्षण था। पूरा राजस्थान बंद था। सारे हाईवे, रेलवे ट्रैक बंद थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे बुलाया और कहा कि डा.

(श्री जितेन्द्र सिंह)

साहब जाइये और अपने भाइयों को समझाइये। मैंने कहा कैसे, बोले कि वह कह रहे हैं कि ट्रैक पर आकर सरकार बात करे। मैंने कहा सर, ट्रैक पर मैं जाऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाओगे, वहां का वातावरण तो बहुत खराब है। मैंने कहा सर, आपने मुझे कहा है, हुक्म दिया है, मैं जाऊंगा। सभापति महोदय, मैं हेलिकाप्टर से गया, एक खेत में हेलिकाप्टर लैंड किया, वहां पुलिस और कलेक्टर थे। पीलूपुरा की बात है। एक एडिशनल डीजीपी थे, उनकी पत्नी यहां अपने साथ एमएलए भी रही हैं। आपको पता है। उन्होंने कहा डाक्टर साहब, we will not allow you to go there. वहां लोगों के पास फायर आर्म्स है, 15 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं। हम उनको तो रोक लेंगे लेकिन जो एक दर्जन ए के 47 लेकर बैठे हैं उनको कहां से रोकेंगे? आप मुख्य मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, आपकी सिक्योरिटी हमारे लिए जरूरी है। मैंने कहा कि मैं तो जाऊंगा, उन्होंने कहा आप जाएं तो वज्र को लेकर जाएं। वज्र, पुलिस का डिफेंसिव, जिसके अंदर पुलिस के आर्म्स वगैरह होते हैं। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगा, मुझे तो सिविल ड्रेस में अपने 12 लड़के दे दीजिए, उन्होंने शाटगन वगैरह अपने पास रखी। हम तीन जिप्सी में रवाना हुए। जगह-जगह सड़कें कटी हुई थीं। रेपिड एक्शन फोर्स मोर्चा लिए बैठी थी। मैं मौके पर पहुंचा। मैंने पूरे एक घंटे तक समझाइश की। अंत में कर्नल साहब, हरप्रसाद थे वहां, उन्होंने कहा कि डाक्टर साहब आप कैसे कहते हैं कि आप हमें रिजर्वेशन देंगे। मैं पूरे कान्फिडेंस के साथ गया था। मैंने कहा, मैं नहीं जानता, मैं 1 या 5 परसेंट दिलाऊंगा, अगर मैं नहीं दिला सका तो यह मेरा रेजिग्नेशन है, यह आप रख लीजिए, मैं कल से असेम्बली नहीं जाऊंगा। मैं भी आ जाऊंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपको रिजर्वेशन मिल जाए। उनके पास कोई शब्द नहीं था। उन्होंने आपस में कहा कि डाक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, हमें जाकर वार्ता करनी चाहिए। मैं जाने लगा, इतनी देर में हमारे पुलिस के गार्ड्स थे उन्होंने अपने वेपन्स निकालने शुरू कर दिए। मैंने कहा कि यह क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा कि डेकोइट्स आ रहे हैं ए के 47 लेकर, वह आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, हमें डायरेक्शन है कि आपको जिंदा बचाना है। मैंने हाथ जोड़े, भइया फायरिंग मत कर देना, पहले ही 72 बच्चे मारे जा चुके हैं, ऐसी गलती मत कर देना, जो उनको करना है, वह कर लेने दीजिए।

सभापति महोदय, यह सत्य घटना है। बीबीसी की संवाददाता, पूरा इंडिया का प्रेस था, उसने मेरे सामने माइक किया and asked, well

(श्री जितेन्द्र सिंह)

Minister, how could you entered into this daring crowd? I said, madam, a tiger can enter into tiger's den. वह हंसकर मुस्कुराने लग गई। मैं बचकर आया। किसी तरह से हम लोग आए। इसलिए वार्ता करना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत दुख होता है, जब रायट्स होते हैं। राजस्थान में रायट्स हुआ था, मौका देना चाहिए। हमारे लीडर बैठे हैं, हर कम्युनिटी के हैं, लोग कम्युनिटी वाले को ज्यादा रेस्पोंसिबल समझते हैं। They should go. राइट्स हो रहे हैं तो अकेले पुलिस की भी बात नहीं है। वह भी वाकया था कि मिस मैच मैटर हो गया और 72 लोग मारे गए। इसलिए अत्यन्त आवश्यक है, हिन्दु, मुसलिम रायट्स हैं, तो लीडर है उनकी जिम्मेदारी है, they should go there. They should talk with them. आज कितना शांति मार्च, मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में निकला था। चार लाख की भीड़ साइलेंटली गई थी, मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा, यह छोटा काम नहीं है। गुढ़ा से, उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय प्रतिनिधि बैठे हैं। आप जाते हैं हर जगह, लोगों को समझाते हैं। यह हमारी मॉरल डयूटी है that we should go there and we should help Police. This is not their work.

माननीय सभापति महोदय, नितान्त आवश्यक बात है कि किस तरह से हम इम्प्रूव करें। साइबर क्राइम की बहुत घटनाएं हो गई हैं। मेरे मित्र जज हैं, उनकी पत्नी के अकाउण्ट में से पैसे निकाल लिए गए, हाई कोर्ट के जज हैं, तो किस तरह से साइबर क्राइम, हमें यूरोप से यह सब चीजें सीखनी पड़ेंगी।

राजस्थान में बहुत डवलपमेंट किया है। सीटीएस पोर्टल पुलिस ने बनाया है। राजकॉप बनाया है। सीएलजी टीम बनाई है, उनसे आप वार्ता करते रहिए। सीएलजी, लोकल लोग होंगे वह कन्वेंस कर लेंगे। स्टूडेंट पुलिस योजना भी बहुत अच्छी है। पुलिस मित्र योजना भी बहुत अच्छी है। महिला सशक्तीकरण और उसके लिए तो निश्चित रूप से आवश्यक है। स्पोर्ट्स में भी आपने अलग से 2 परसेंट रिजर्वेशन दिया है। राजस्थान पुलिस ने अच्छा काम किया है, इल्लीगल वाइन पंजाब से आती थी, मादक पदार्थ आते थे, वेपन्स आते थे उस पर रेस्ट्रिक्शन हुआ है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं, this is a moral duty of every-body. We should cooperate to the Police. सभापति महोदय, मैं तो डाक्टर हूं, पाइजनिंग के केस होते हैं, हमारी लैबोरेटरी में हज़ारों क्यू में पड़े हुए

(श्री जितेन्द्र सिंह)

हैं। लैब नहीं है, पता नहीं लगता। मेरे विधान सभा क्षेत्र के परिचित के भाई की डैथ हो गई, एक साल तक पॉइजनिंग की रिपोर्ट नहीं आई। उनके विसरा गए हुए हैं, लैबोरेटरी में लाइन लगी हुई है। हमें डीएनए लैब चाहिए। हमें क्रिमिनल का modus operandi क्या है, उनका रिकार्ड चाहिए।

सभापति महोदय, ब्लड सैम्पल है, उनकी अलग लैब होनी चाहिए। यूरोप में तो इतनी डवलप है कि नेपोलियन की डैथ के 100 साल बाद हेयर टैस्ट से पता लगा लिया कि नेपोलियन को स्लो पोइजन आर्सेनिक दिया गया था। हमें सारा डवलप करना पड़ेगा, वैपन्स, बुलैट, यह नितान्त आवश्यक है।

सभापति महोदय, मैं आपको अंत में बताना चाहूंगा। मेरा भाई आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में डाक्टर था, फोरेंसिक मेडिसिन में। मैं नीचे हाल में गया। मैंने देखा कि इतने सारे बच्चे जींस पहनकर कैसे लेटे हैं। मोर्चरी का एयरकंडीशंड हाल था तो I took lightly किसी के कोई चोट ही नहीं। मैं अन्दर गया, मैंने कहा यह क्या हो रहा है। उसने कहा, भाई साहब, ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, मोटर साइकिल एक्सीडेंट्स में मारे गये। सभापति महोदय, मैं उस क्षण को 40 साल बाद भी नहीं भूला। हमारे बच्चे, जवान-जवान बच्चे, यह नितांत आवश्यक है, यह हाउस बैठा हुआ है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, 10 हजार डैथ्स होती हैं राजस्थान के अन्दर every year. 90 percent deaths are due to head injury. हैड इंजरीज में ये बच्चे, लम्बे-लम्बे बाल हैं, शक्ल कौन देखेगा, हैलमेट ही नहीं लगाते। 90 percent deaths are due to head injury. सभापति महोदय, मैं जा रहा था। मेरी कांस्टीट्यूएंसी का लड़का मोटर साइकिल से जा रहा था। शुक्र है हैलमेट था, उसका बैलेंस बिगड़ा और वह एक ढेर पर चढ़ गया। 15 फीट मोटर साइकिल उछली, सभापति महोदय, I was an eye witness, सिर के बल नीचे गिरा, मैंने सोचा खतम हो गया। मैंने मेरी गाड़ी रोकी, एम्बुलेंस को बुलाया। उसको खड़ा करके भेजा, अन्कांशस था। पांच दिन बाद प्लास्टर लगाये हुए आ गया। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा मैं ही तो चल रहा था, हैलमेट था, बच गया। सभापति महोदय, यह नितांत आवश्यक है। इसके लिये जयपुर, अजमेर जरूरी नहीं है। एवरी व्हीकल, यहां पर सीनियर आफिसर्स बैठे हैं, सारे हाउस के लोग बैठे हैं। मेरा बस पड़े तो मैं दो करोड़ रुपये हैलमेट बांटने में लगा दूं।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में गया। एक दिन में 15 बच्चे मोटर साइकिल एक्सीडेंट्स में मारे गये। सभापति महोदय, नितांत आवश्यकता है कि पुलिस का काम सिर्फ चोरी रोकना नहीं है, हमारे बच्चों की सुरक्षा भी है। घर में एकाध तो बच्चा होता है। एक-एक बच्चे हैं, खतम हो गये। सभापति महोदय, helmet should be must for all of the Rajasthan. गांव में, सब जगह। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, हम सबकी मोरल ड्यूटी है। यह अकेले पुलिस की मोरल ड्यूटी नहीं है। We should support them. अगर कोई गलती करता है, उसको दण्ड देना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बेहतरीन था, देने की कोशिश की लेकिन जब तक पुलिस और हम लोगों का सामंजस्य नहीं होगा, once again I repeat, that helmet should be must for whole of the Rajasthan. बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, आज पुलिस की डिमांड पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार। आज के इस अवसर पर सबसे पहले दिल्ली के दंगों में शहीद हुए कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल रतनलाल को हम श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए शहादत दी। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस ने काम किया कि 30 हजार की भीड़ ने पुलिस को घेर रखा था। 50 पुलिस वाले, उस वक्त उनके पास साधन थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपनी ड्यूटी समझते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए, महिलाओं और बच्चों को देखते हुए उन पुलिस वालों ने कोई भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी जान की बाजी लगाकर उस परिस्थिति को उन्होंने कंट्रोल करने का प्रयास किया। उसमें हमारे पुलिस वाले शहीद भी हुए और बहुत गम्भीर घायल हुए। उनको, रतनलालजी को श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं।

सभापति महोदय, दो-तीन विषय, गम्भीर विषय हैं, जो राजस्थान में पनप रहे हैं। यह जनरल विषय है कि पुलिस के पास साधन नहीं हैं, यह सब लोग बात करेंगे। जिस शहर में मैं रहता हूं, भीलवाड़ा में, उस शहर के जो अभी हालात हैं, कहावत है कि चावल को, पका कि नहीं पका, देखने के लिये एक चावल को दबाकर देखते हैं तो पूरे कढ़ाई के चावलों का पता चल जाता है

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

कि चावल पक गये हैं। इसलिये एक शहर में ये हालात हैं तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में बहुत भयावह परिस्थितियां बन रही हैं।

दो-तीन चीजें हैं। एक तो जो अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि उड़ता पंजाब, वह राजस्थान में भी परिस्थितियां बन रही हैं। बहुत गम्भीर विषय है। हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उनको पैसा दे-देकर नशे की तरफ मोड़ा जा रहा है।

आज हमारे राजस्थान में एक ब्याज माफिया पनप रहा है, जो बच्चों को प्रेरित करता है कि पैसा मैं दे दूंगा, तू क्रिकेट का सट्टा लगा ले, पैसा मैं दे दूंगा, तू नशे की पुड़िया मंगा ले। इस तरह से जो व्यवहार हो रहा है। वह बच्चे एकदम कच्ची मिट्टी के बने हुए वे भावुक बच्चे, नशे की लत में फंसते जा रहे हैं। हमारे पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। हमारे यहां ब्याज माफिया इतना तेजी से पनप रहा है कि 10 रुपये, 20 रुपये का ब्याज लेते हैं। बच्चों को प्रेरित करते हैं कि तू क्रिकेट का सट्टा लगा ले, रातों-रात लखपति बन जाएगा, करोड़पति बन जायेगा। वे बच्चे उनके जाल में फंसते हैं। बड़े-बड़े लोग, पुलिस से मिले हुए लोग इस काम में लिप्त हैं। कई तरह से बच्चों से वे घर के गहने मंगवा लेते हैं, चैक साइन करके मंगवा लेते हैं। फिर उनका ब्लैकमैलिंग होता है। मेरे भीलवाड़ा शहर में कम से कम गम्भीर रूप से 500 अपराध इस तरह के हो चुके हैं, जिनके मां-बाप को बच्चों को लेकर शहर छोड़कर पलायन करना पडा है। ऐसे 500 परिवार हैं, जो अपनी इज्जत के डर से और केवल इसलिये कि 10 रुपये, 20 रुपये सैकड़े का ब्याज लेकर वे इतना पैसा बना देते हैं कि भविष्य में वे चुका नहीं पाते। फिर उनको अपना घर और गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। इसमें जो पुलिस का संरक्षण है, मैं निश्चित रूप से इसकी आपत्ति करता हूं। पुलिस ब्याज माफिया से मिली हुई है। ब्याज माफिया इतना बेखौफ होकर थाने में घुस कर, अगर पुलिस वालों के सामने बातचीत होती है तो वे थाने में मारपीट करने तक को तैयार हो जाते हैं कि पैसा तो मैं लेकर ही रहूंगा। पुलिस उनको कहती है कि हां, पैसा देना पड़ेगा। इन परिस्थितियों के कारण से हमारे बच्चों की मनोवृत्ति पर जो गलत असर पड़ रहा है और यह नई पीढ़ी जो पूरी बर्बाद हो जाएगी, सरकार से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में भी हमको कोई नये कानून की आवश्यकता है।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

आज पूरी नौजवान पीढ़ी को क्रिकेट के सट्टे ने बर्बाद करके रख दिया है। आज हमारे पूरे शहर में जब भी क्रिकेट के मैच चलते हैं, कोई 10 हजार, कोई 20 हजार, कोई 30 हजार का क्रिकेट का सट्टा लगाते हैं और वे रात को सट्टा लगाकर हारते हैं, सुबह उनका पैसा वसूल होता है। वे लोग पैसा दे नहीं पाते, घर से गहने लेकर जाते हैं। घर से वे खाली चैक पर अपने पिताजी के साइन लेकर जाते हैं, खुद के अकाउंट के साइन लेकर जाते हैं। उन लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है कि कई बच्चे आत्महत्या करने पर हमारे यहां मजबूर हो चुके हैं। कम से कम 10 से 15 के बीच में ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है। इसलिये क्रिकेट के इन सट्टेबाजों पर भी किसी तरह से हम रोकथाम कर सकें, क्रिकेट का यह सट्टा हमारे राजस्थान में एक तरह का नासूर बन चुका है। इस सट्टे पर किस तरह से हम गम्भीर और प्रभावी रोक लगा सकें, इस पर आज हमको चिंतन की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, पुलिस की एक और समस्या है। जब चोरी होती है, और सोने की चोरी अगर कहीं से हो जाती है, चोर ले जाकर उसको बाजार में बेचता है। बाजार में बेचने के बाद जिस सुनार के यहां वह बेचता है, जो चोर पकड़ में आता है तो सुनार को पुलिस पकड़कर ले जाती है। पुलिस यह कहती है कि तूने चोरी का सोना खरीदा है। उससे सोना भी वसूल किया जाता है, चोर से भी सोना वसूल किया जाता है, और सुनार को और एक्स्ट्रा दण्ड की व्यवस्था होती है, पुलिस का जो तरीका होता है, उसके कारण से हमारा जो राजस्थान का सुनार समाज है, वह पीड़ित हो रहा है। इस बारे में सरकार को ऐसा कोई प्रभावी निषेधात्मक उपाय करना चाहिए कि अगर कोई चोर चोरी का सोना सुनार को बेचता है तो उस सोने पर यह नहीं लिखा रहता है कि यह चोरी का है। अब सोने की खरीद-बेच करना सुनार का काम है, वह अगर ले लेता है तो वह इस कानून के आधार पर अपराधी माना जाता है क्योंकि अभी कानून में यह प्रावधान है कि जो चोरी का सोना खरीदता है वह भी अपराधी है तो इस तरह का प्रावधान है, सुनार का धंधा ही अब बिलकुल बंद हो जाएगा। कम से कम एक हजार प्रकरण हमारे भीलवाड़ा शहर में ऐसे हैं, जो सुनारों की दुकानों के नाम पर पुलिस तोड़-बट्टा करती है और उन सुनारों को परेशान करती है तो ये जो तरीके हैं, उन तरीकों पर प्रभावी नियंत्रण किसी तरह से लग सके।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

आज 2-3 महीने से जो सी.ए.ए. और एन.आर.सी. के खिलाफ वातावरण इस देश में निर्मित किया जा रहा है। अभी तीन दिन पहले मेरे भीलवाड़ा शहर में एक मौलाना +++ साहब, उन्होंने जो भाषण दिया और जिस गंदी भाषा का उन्होंने उपयोग किया उस भीलवाड़ा शहर में, मैं सरकार को आगाह करता हूं कि जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए हैं। उन दंगों पर लगभग हर व्यक्ति यह आरोप लगा रहा है कि केवल बोली के कारण से यह दंगे हुए हैं। अगर भाषण सही हों, भाषण भड़काऊ नहीं हों तो निश्चित रूप से दंगों को रोकने में हमको बहुत मदद मिलती है। उन मौलाना ने सरकार को चैलेंज कर दिया और उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे कोई भी तकलीफ होती है, आप मेरे पास आइए। मेरे से नहीं निपटेगा तो मैं इतनी सलाहियत रखता हूं कि पूरे राजस्थान में आग लगा दूंगा और उन्होंने कहा है अगर तुम्हारे कोई दो आदमी मारता है तो तुम चार आदमी मारकर आओ, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। इस तरह का खुला चैलेंज अगर कानून और व्यवस्था को मिलने लगा तो राजस्थान में भी दिल्ली जैसे हालात हो जाएंगे। मेरी हाथ जोड़कर सरकार से प्रार्थना है कि कृपा करे और इस तरह का जो भड़काऊ व्यवहार करते हैं, मेरे पास उसके प्रमाण मौजूद हैं। मैं पुलिस अधिकारियों से और सरकार से प्रार्थना करता हूं ऐसे भड़काऊ बयानों पर तत्काल सख्त और कठोर कार्यवाही होनी चाहिए जिससे हमारे राजस्थान का माहौल नहीं बिगड़े। राजस्थान साम्प्रदायिक दृष्टि से, आज अभी जितेन्द्र सिंहजी कह रहे थे, देश में राजस्थान कानून और व्यवस्था के मामले में सबसे अच्छा समझा जाता है। राजस्थान शांत प्रदेश माना जाता है। इस शांत प्रदेश में अगर आग लगती है और चूंकि भीलवाड़ा तो एक ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है, तीन-चार साल से भगवान की कृपा से अब शांति हुई है और इस तरह का अगर बयान आता है तो वापस ये भड़काऊ गतिविधियां होकर इस तरह से हालात बिगड़ेंगे। मेरी सरकार से अपील है कि कृपा करे और ऐसे भड़काऊ बयानों पर सख्त और कठोर कार्यवाही करे।

श्री सभापति: विराजिए आप। विराजिए। विराजिए माननीय सदस्य।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): दो बात और हैं।

श्री सभापति: नहीं, विराजिए आप। श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सर, कनक्लूड करने दो मुझे।

श्री सभापति: कनक्लूड हो गया अब।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): एक मिनट सर।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीना। विराजिए, प्लीज सहयोग कीजिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): मेरे भीलवाड़ा शहर में, मेरे शहर की एक..(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-16 व 17 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, जैसा आप जानते हैं पुलिस की कार्य-प्रणाली आम व्यक्ति के जन-जीवन को प्रभावित करती है। पुलिस का कर्तव्य है कि वह आमजन के जान-माल की रक्षा करे एवं एक सामान्य व्यक्ति को भयमुक्त होकर अपना जीवन-यापन की व्यवस्था करे। कभी भी कोई व्यक्ति जब अपने आपको असुरक्षित महसूस करता है, तभी वह पुलिस के पास इस भावना के साथ जाता है कि पुलिस मुसीबत की घड़ी में उसकी सहायता करेगी। खास तौर पर जो भारतीय समाज के कमजोर तबके हैं, जैसे कि महिला, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति।

महोदय, जो आंकड़े हैं, वह कुछ और ही बयान करते हैं। सरकारी आंकड़े, पुलिस के आंकड़े मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आग्रह करता हूं सर, राजस्थान पुलिस का प्रतीक है-'आमजन में विश्वास और अपराधी में भय'। अब दिखने को यह मिल रहा है या नहीं, विगत दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो इसके विपरीत कहानी दर्शाती है। इस विषय में मैं सदन के समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा जो यह साबित करता है कि पुलिस विभाग की कार्य-शैली में बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता रखता है। थानागाजी जिला अलवर में एक दलित युवती के साथ गैंग-रेप की घटना हुई। आरोपियों ने उस घटना की वीडियो फिल्म बनायी एवं पीड़िता को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठे। पूरे हिन्दुस्तान को पता लग गया, पर वहां के थाने को, वहां के एस.पी. को और पुलिस मुख्यालय को पता नहीं लगा। अब यह कार्य कुशलता कहें या क्या कहें, आपकी मर्जी। इस घटना की सूचना संबंधित थाने एवं अलवर पुलिस अधीक्षक को भी दी गयी थी फिर भी बड़े शर्म की बात है कि किसी भी स्तर पर कोई त्वरित कार्यवाही नहीं की गयी। कार्यवाही एकमात्र की गयी कि अपराधियों को कैसे बचाया जाए, उनको बचने का कैसे

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

समय दिया जाए। इस घटना से न सिर्फ राजस्थान में ही, बल्कि पूरे देश में इसकी निन्दा की गयी। फिर भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ संबंधित नियमों में कार्यवाही नहीं हुई। यह संबंधित नियम क्या हैं सर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी इस नियम के तहत कार्यवाही नहीं करता तो उसके खिलाफ भी इस नियम में कार्यवाही का प्रावधान है। पिछले डेढ़ साल से अगर एक भी कोई कार्यवाही हुई तो मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय, अपना जवाब दें तो कृपया उल्लिखित करें कि पिछले डेढ़ साल में इस अधिनियम में किस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हुई? मैं आशा करता हूं कि मेरा ज्ञानवर्धन करेंगे।

सर, इसी तरह से मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में एक दलित युवक को पुलिस अभिरक्षा में मारा गया। न सिर्फ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, बल्कि अपराधियों को बचाने का और बचने का पूरा मौका दिया। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ना तो दूर, पूरा साक्ष्य जो था, उसको मिटाने का काम किया। यह बहुत ही निन्दनीय घटना है। उसका होगा, जो देखा जाएगा। इसमें नियम यह कहता है सर, कि ऐसे में अनुसूचित जाति, जनजाति के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, उसमें 60 दिन में अन्वेषण करना और 60 दिन के भीतर आरोप पत्र, मतलब उसकी चार्ज शीट फाइल करना। उसकी बरसी होती आयी सर। 28 तारीख को बरसी हो जाएगी। आज तक कहीं चालान के आस-पास नहीं पहुंच पाये, यह एक चिंता का विषय है और मैं इसको बार-बार उठाता रहूंगा। अगर जरूरत पड़ी इसकी बरसी पर, तो इस सरकार को फिर याद दिलाऊंगा।

सर, इसी तरह से जयपुर शहर में राजस्थान सरकार के वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर, वह मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं। अगर कैबिनेट मिनिस्टर के कहने से भी मुकदमा दर्ज नहीं होता तो आम आदमी की परेशानी आप सोच सकते हैं, कैसा अन्याय होता होगा, कैसी न्याय प्रक्रिया होगी, कैसी पुलिस प्रगति होगी?

सर, कुछ ही दिन पहले नागौर में जो घटना हुई, उसमें मुझे जाने का मौका मिला। जो मेरी रिपोर्ट थी, वह मैंने मेरी पार्टी को सौंप दी है। वह लिखित रिपोर्ट है। देखते हैं क्या होता है और उससे भी लोगों का मन शांत नहीं हुआ।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

कुछ दिन बाद बाड़मेर में एक आदमी को मार दिया गया, 22 साल का युवक, जिसके कोई आपराधिक मुकदमा नहीं, किसी केस में कोई वांटेड नहीं, उसको आप थाने में लाते हो, 24 घंटे रखते हो और वह लड़का मारा जाता है और फिर कहते हो उसके सीने में दर्द हुआ। कैसा सीना, जो थाने में आकर ही दर्द होता है। वह युवा था, किसी बीमारी में उसका इलाज नहीं चल रहा था। फिर भी आपकी महिमा, आपकी माया, आप जाने, आपका काम जाने।

सर, मेरी पीड़ा क्या है, मैं इस सदन में कांग्रेस का सदस्य हूं। सत्ता पक्ष का सदस्य हूं। मैंने राजस्थान पुलिस में लम्बे समय तक नौकरी की और मैं राजस्थान का मूल निवासी हूं। गांव से आता हूं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। इन घटनाओं का पीड़ित कौन होता है? गांव, गरीब, किसान और मजदूर, वह पीड़ित होते हैं। कभी मैंने नहीं सुना कि पुलिस अभिरक्षा में किसी धन्ना-सेठ की डैथ हो गयी, कहीं दबंगों की डैथ हो गयी। यह ले-देकर अत्याचार भी इन गरीबों के साथ होता है और फिर आप देखिए, ...(व्यवधान) आपका भी सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद।

सर, इसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना फिर पैदा होती जा रही है। छोटी-छोटी बात पर पुलिस उन पर अनावश्यक सख्ती बरतती है। उनके मौहल्लों में बल-प्रयोग किया जाता है। एक तरफ तो हम कश्मीर में जो इंटरनेट बंद किया, उसकी सब लोग चिंता व्यक्त करते हैं कि बंद क्यों किया? गलत किया। उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया। राजस्थान में तो हर शहर में माधोपुर क्या, मालपुरा क्या, गंगापुर क्या, जयपुर क्या, जोधपुर क्या, हर शहर में रोज आये दिन होता है। कृपया उसका भी विवरण दें। अगर कश्मीर में गुनाह है तो राजस्थान में भी गुनाह है। यहां एक देश है, एक कानून चलेगा, दो नहीं चल सकते।

सर, इसमें क्या हो रहा है, ऐसे माहौल में अपराधी भयमुक्त होकर घूम रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वह परेशान हो रहा है। मेरी पीड़ा यूं और बढ़ जाती है कि वह लोग, जो वहां बैठे हुए हैं, वह तो अपने कर्मों से बैठे हुए हैं और हम लोग, जो यहां सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, वह गरीबों के वोट से बैठे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, सब गरीबों ने हमको वोट दिया है और अगर हमारे

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

कार्यकाल में भी यह होता रहेगा तो शायद आने वाले समय में जनता हमें माफ नहीं करेगी। कम-से-कम राजस्थान का गरीब तो हमें माफ नहीं करेगा। यह मैं सबके हित की बात कह रहा हूं। उनकी बात करूं, उनकी तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं। तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, वह खुद ही कहते थे, आप जानते हो पुलिस की व्यवस्था। उनकी पार्टी में जब वह गृह मंत्री थे, मैं सांसद था। हमारे एक सदस्य जोर-जोर से कह रहे थे कि 02 अप्रैल, 2018 को यह हुआ, यह हुआ। मैंने महोदय को आग्रह किया कि आप दौसा में क्या कर रहे हो? मैं दौसा से सांसद था। लड़कों ने लाइसेंस लेकर, परमिशन लेकर जुलूस निकाला। उस शांति प्रिय जुलूस पर पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया, बर्बरता की और उनके खिलाफ मुकदमे बनाये। खैर, आपकी मेहरबानी, आपने दौसा वालों को तो उसी दिन छुड़ाया, पर पूरे राजस्थान में उन लड़कों के खिलाफ अभी भी मुकदमे हैं। आपने क्या नहीं किया? पुलिस बनी थी कानून-व्यवस्था के लिये, शांति कायम रखने के लिये। आपने आनंदपाल सिंह कांड करवा दिया, आपने दारासिंह कांड करवा दिया। आपका तो जितना महिमा-मंडन किया जाए, उतना ही कम है। 72 गुर्जरों को मरवा दिया आपने चलते रास्ते, तो दूध का धुला हुआ कोई नहीं है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करेंगे, माननीय सदस्य।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, उनका तो एक मिनट भी पांच मिनट चला और मेरे पांच मिनट भी नहीं चल रहे। सर, मुझे मौका दीजिये, पहली बार बोल रहा हूं। सर, मैं आंकड़े बताना चाहता हूं, ये रहे मेरे पास आंकड़े।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करेंगे आप।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, 2017 के मुकाबले 2019 में महिला अत्याचार 61 परसेंट बढ़े हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार 2017 के मुकाबले 2019 में 60 परसेंट बढ़े हैं, अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार 2017 के मुकाबले 2019 में 82 परसेंट बढ़े हैं। आप कहते हो राजस्थान में सब ठीक है, अगर ये गरीब प्रताड़ित हैं, अगर ये उद्वेलित हैं तो फिर वो ठीक कौन हैं, ठीक वो अपराधी हैं।

सर, मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि राजस्थान पुलिस में कोई कमी नहीं है। ये वो ही राजस्थान पुलिस थी, जब सन् 1984 में पूरे उत्तरी भारत में सिख विरोधी दंगे चल रहे थे, राजस्थान पुलिस ने एक भी आदमी को नहीं

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

मरने दिया। राजस्थान पुलिस में कोई कमी नहीं है, राजस्थान पुलिस के अधिकारी बहुत योग्य हैं, उनको प्रोपर मार्गदर्शन चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए।

सर, मुझे याद है कि भरतपुर में कलेक्टर, एस.पी. को सस्पैंड किया था, ऐसे नहीं कि उनसे कोई दुश्मनी थी या उनके काम में कोई कमी थी, आपने होम सैक्रेटरी बदला था क्योंकि आपने जवाबदेही फिक्स की थी। जो काम जिस आदमी की करने की जिम्मेदारी है, सही करता है उसको इनाम दीजिए, आउट आफ टर्न प्रमोशन दीजिए, रिवार्ड दीजिए, मैडल दीजिए और गलती करता है तो कृपया यह तो बताएं कि, भाई, तेरी गलती है, ये नहीं चलेगा।

सर, आपने दो मिनट का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा। माननीय सदस्य, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि कल भी लास्ट में जो वक्ता बोल रहे थे उन्हें बड़ी तकलीफ थी और वो जैसे कोई भाग के जा रहे हो न वैसे जा रहे थे।

एक माननीय सदस्य: कृपया शांत रहें।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। मैं 8 मिनट पर पहली घंटी बजाऊंगा और 10 मिनट पर दूसरी घंटी बजाऊंगा। आप अच्छे पार्लियामेंटेरियन होने का सबूत देंगे और मुझे सहयोग करेंगे ताकि जो भी वक्ता बोलना चाहते हैं उन्हें पूरा समय...

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): सबको बराबर का समय दो, हमें तीन मिनट दो तो सबको तीन मिनट दो।

श्री सभापति: विराजिये। मैं वो ही आपकी बात, मेरा तो सिर्फ मुंह है, वाणी आपकी ही है ये। आप विराजिये। मैं तो सिर्फ अपना मुंह इस्तेमाल कर रहा हूं बाकी मैं आपकी ही वाणी बोल रहा हूं। आवश्यक रूप से आप मुझे सहयोग करेंगे और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन होने का सबूत देंगे और आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी वक्ता बोलना चाहते हैं अच्छी तरह से बोल पाएंगे। श्री संजय शर्मा। शांत रहें, शांत रहें। कृपया सहयोग करें, शांत रहें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 पुलिस व मांग संख्या 17 कारागार पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।

(श्री संजय शर्मा)

मानननीय सभापति महोदय, जब मुझे मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पुलिस पर बोलने का मौका दिया तो उस वक्त मेरे मन में कई प्रकार के विचार थे लेकिन अभी मैंने कांग्रेस के माननीय सदस्य और पुलिस के पूर्व मुखिया रहे उनके जो विचार सुने और वर्तमान सरकार के शासनकाल में जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं और जिस प्रकार से उन्होंने दु:खी होकर के उन घटनाओं का उल्लेख किया है, मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में हूं कि मेरे सामने बैठे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य जिस प्रकार से सरकार के गुणगान कर रहे थे और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जिस प्रकार से सरकार की पुलिस की कमियों का उल्लेख कर रहे थे तो मैं पुलिस के ऊपर क्या बोलूं और सरकार के बारे में क्या कहूं, माननीय सभापति महोदय, मेरी समझ के पार है।

मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी पुलिस के पूर्व मुखिया ने कहा कि पुलिस के हर थाने में लिखा होता है और हम भी देखते हैं कि, 'आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय', बिलकुल ठीक बात है। पुलिस का काम है कि वह ऐसा काम करे कि आमजन को सुरक्षा मिले, पुलिस की कार्यशैली से आमजन में विश्वास पैदा हो, लेकिन पुलिस का वो जवान जब अपनी स्थिति की ओर देखता है तो मोर नाचना तो बहुत अच्छी तरह चाहता है, लेकिन जब अपने पांव की ओर देखता है तो बहुत दुखी होता है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से चाहे वो हमारा सेना का जवान हो जो सीमा पर रहकर हमारी सीमाओं की रक्षा करता है, चाहे वो पुलिस का जवान हो, मैं कहना चाहूंगा कि सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से उल्लेख किया, चाहे त्यौहार होली का हो चाहे दीपावली का त्यौहार हो, हम अपने घर में वो त्यौहार मनाते हैं, हम अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं और चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, वो पुलिस का जवान हमारी सुरक्षा के लिए सड़कों पर खड़ा रहता है, आधी रात को खड़ा रहता है लेकिन जब व्यवस्थाओं के नाम पर वो सरकार से मांग करता है तो सरकार उसको बजट का अभाव दिखा करके नमस्ते करके एक ओर हो जाती है।

अभी सिरोही से आने वाले सदस्य ने कांग्रेस सरकार के बारे में बहुत बड़ी बात की लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2008 से 2013 की सरकार

(श्री संजय शर्मा)

के बारे में जब माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब थे, तिजारा में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। कोर्ट परिसर से हार्डकोर क्रिमिनल को उठाकर ले जाते हैं, टुंडा नाम के अपराधी को और पालपुर गांव का वो अपराधी और उस गांव में पुलिस घुसने से डरती थी, जब थानेदार उस अपराधी का पीछा करते हुए उस गांव में जाता है तो पुलिस की गाड़ी तोड़ी जाती है, थानेदार को पीटा जाता है और उस वक्त तत्कालीन एस.पी. संतोष चालके जिनकी पांच दिन पहले नियुक्ति अलवर जिले में हुई थी, वो पुलिस के साथ जाते हैं और हार्डकोर क्रिमिनल को पकड़कर लाते हैं। उस वक्त तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जो वहां के माननीय सदस्य थे, वो मुख्य मंत्री जी के पास आते हैं और 24 घंटे के अंदर-अंदर उस संतोष चालके आई.पी.एस., एस.पी. का ट्रांसफर करके ए.पी.ओ. कर दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार का शासन माननीय अशोक गहलोत जी ने पूर्व में दिया है।

मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी पुलिस के पूर्व मुखिया और हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि थानागाजी में रेप की घटना घटी, बिल्कुल घटी, बहुत दुखदायी घटना थी, दलित महिला के साथ रेप हुआ, वो परिवार बार-बार पुलिस अधीक्षक के पास जाता रहा। थानागाजी के माननीय विधायक भी उनके साथ गये और उसके बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस हरकत में आई। मैं यह कहना चाहूंगा कि उस वक्त लोक सभा चुनाव चल रहे थे, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार के मुखिया नहीं चाहते थे कि वो मामला उजागर हो, एफ.आई.आर. लोज हो और कांग्रेस की सरकार ये नहीं चाहती थी कि लोक सभा चुनाव के दौरान इस प्रकार का कोई केस राजस्थान की जनता के सामने आये, तो जानबूझ करके उस एफ.आई.आर. में देर हुई। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जब तक पुलिस के ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप खतम नहीं होगा, पुलिस स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पायेगी, अपराधियों को नहीं पकड़ पायेगी। माननीय सभापति महोदय, यह बात मैं आपसे कहना चाहूंगा।

जिस प्रकार का वातावरण है, मैं जिस अलवर जिले से आता हूं, अलवर जिले के अंदर अपराधियों का गढ़ है, चाहे वो गौ तस्करी हो, चाहे वो नकली सोना चांदी बेचने वाले टटलूबाज हो, चाहे वो अवैध खनन हो, चाहे वो नकली दूध बेचने वाले हों, चाहे साइबर क्राइम हो, अलवर जिला अपराधियों का गढ़ बना हुआ है।

(श्री संजय शर्मा)

जिस प्रकार से संसाधनों का अभाव है, 40 प्रतिशत पुलिस की नौकरी में कमी है। जो संसाधन, हथियार पुलिस के अधिकारी और पुलिस के कर्मचारियों के पास होने चाहिए वो उनके पास नहीं हैं। जब बहरोड़ के अंदर पपला नाम के हार्डकोर क्रिमिनल को अपराधी उस थाने से उठाकर ले जाते हैं तो हमारा पुलिस का जवान डंडे और राइफल लेकर उनका पीछा करता है और वो अपराधी अपने हाथ में एके 47 लेकर आते हैं और जिस जीप से वो अपराधी का पीछा करती है उस जीप की हालत तो, माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि कब वो जीप खड़ी हो जाये, कब उसको धक्का देना पड़ जाये, किस प्रकार के संसाधन आप पुलिस को दे रहे हैं और आप पुलिस से आशा कर रहे हैं कि वो अपराधियों को पकड़ करके राजस्थान में सुरक्षा का माहौल दे।

यहां हमारे पुलिस के आला अधिकारी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आप पुलिस के थानेदार को डीजल का कितना बजट दे रहे हैं? वो डीजल डलवाने के लिए पैट्रोल पंप वालों के आगे हाथ जोड़ता है। तीन-तीन, चार-चार साल तक उनका भुगतान नहीं होता है और जब वो पुलिस का जवान डीजल लेने जाता जाता है तो वो थक हार कर अपनी जेब से देता है या फिर भ्रष्टाचार के माध्यम से वो जो पैसा लेता है उसके माध्यम से डलवाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि जब तक हम पुलिस को संसाधन नहीं देंगे, जब तक हम पुलिस को बजट नहीं देंगे, पुलिस राजस्थान की सुरक्षा तो कर रही है लेकिन जिस स्थिति में वह सुरक्षा करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी।

मैं आपके माध्यम से एक आग्रह और करना चाहूंगा कि पुलिस के जवान को हम चाहे गांव, ढाणी सुदूर में होने वाली उस चौकी में नियुक्ति कर देते हैं, थाने में नियुक्ति कर देते हैं वो सरकार के आदेश पर, अपने अधिकारी के आदेश पर तुरंत चला जाता है लेकिन किसी भी डाक्टर को जो नया डाक्टर चुनकर आता है उसको आप गांव में लगाकर देखो, वो राजनीतिक हस्तक्षेप करके या वो नौकरी छोड़ना पसंद करेगा वो गांव में जाना पसंद नहीं करेगा।

(15.00 बजे)

वो पुलिस का जवान, उसका बच्चा पढ़ रहा है, किस स्थिति में है उसकी चिंता उसको होती है लेकिन मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमको उस पुलिस के जवान की भी चिंता करनी होगी, उस पुलिस

(श्री संजय शर्मा)

के परिवार की भी चिंता करनी होगी जो शहर में या गांव में रह करके शिक्षा के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है और वो पुलिस का जवान जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को बनाने में हमारा सहयोग कर रहा है, उसकी चिंता हमको करनी होगी।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि अलवर जिले की जिस प्रकार की स्थिति है वहां हमें ट्रेनिंगशुदा कमांडो की आवश्यकता है, पुलिस के नये वाहनों की आवश्यकता है, अत्याधुनिक हथियारों की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से अलवर जिले के अंदर अपराधों में कमी होगी।

इसके साथ-साथ अलवर शहर की यदि मैं बात करूं तो अलवर शहर के वैशाली नगर के अंदर एक थाने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं, पिछली बार भी मैंने बजट सैशन में मांग की थी कि अलवर में वैशाली नगर में एक थाना दिया जाये और अलवर शहर और अलवर जिले के जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अलवर के वैशाली नगर में एक थाना दिया जाये।

इसके साथ-साथ अलवर शहर के अंदर जो सेंट्रल जेल है, क्योंकि उसकी जमीन में मेडिकल कालेज बनने जा रहा है, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस जेल को एमआईए स्थित जो रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आती है, डाढोली गांव में जो जेल के लिए पूर्व में प्रस्तावित जमीन है, उस जेल को वहां शिफ्ट कर दिया जाये। इसके साथ-साथ चाहे किशनगढ़बास हो, चाहे बहरोड़ हो, चाहे तिजारा हो, वहां भी हमारे जेलकर्मियों के लिए अत्याधुनिक हथियार और जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिये निश्चित रूप से सरकार उपलब्ध कराएगी तो आने वाले समय में हमारे पुलिसकर्मी, अधिकारी अच्छी से अच्छी सुरक्षा अलवर ही नहीं अपितु राजस्थान को दे पाएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय,

(श्री हेमाराम चौधरी)

आज पुलिस और कारागार की मांग पर चर्चा हो रही है, मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये, और भी माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे।

आज हम चैन की नींद सोते हैं तो यह पुलिस की वजह से है, अगर पुलिस नहीं हो तो हमारा सोना ही हराम हो जाये। आज हम सुरक्षित हैं, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। तो जवानों की वजह से। इसलिए केवल हम यह कहें कि पुलिस कुछ नहीं करती पर फिर भी पुलिस में भी कई तरह की कमियां हैं, खामियां हैं, उनको सुधारने की जरूरत है।

देवली-उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य राजस्थान के पूर्व डी.जी. रहे हुए हैं, पुलिस में राजस्थान में उससे बड़ा कोई पद नहीं होता है, उनका अपना अनुभव है। उन्होंने भी पुलिस के बारे में आज जो कहा वो बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर सदन के सभी माननीय सदस्यों को चिंता करने की जरूरत है, सरकार को भी चिंता करनी चाहिए।

पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी राजस्थान का मुखिया आज के हालात के बारे में अगर ये बयां करें और फिर भी हम चिंता नहीं करें, उस पर विचार नहीं करें, मनन नहीं करें, सोचे नहीं और केवल यह कहकर अपनी बात खतम करें कि पूर्व की सरकार ने क्या किया, पूर्व की सरकार ने जो किया वो तो अपना करके करवा के उधर चली गई, आज तो जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है। मौजूदा सरकार को कानून व्यवस्था को कायम रखना है। कानून व्यवस्था अगर खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्व सरकार की अब नहीं है। पूर्व सरकार के समय अगर वो ठीक काम करते, जनता का विश्वास जीत लेते, दिल जीत लेते तो फिर इस बार भी सरकार उन्हीं की आती, हमारी थोड़ी आती, उनको क्यों उधर भेजा।

2 अप्रैल, 2018 की घटना बहुत ही भयभीत करने वाली घटना थी। ऐसा वातावरण बन गया था बाड़मेर जिले का, उस दिन मैं वहां था, मेरे विधान सभा क्षेत्र से बाड़मेर में लोग आये अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। विरोध, उनको ऐसा लगा कि शायद संविधान में कुछ ऐसा संशोधन होने जा रहा है, होने जा रहा था या नहीं जा रहा था, उनको लगा इसलिए वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बाड़मेर मुख्यालय पर आये। शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था। था तो पुलिस बताये उनके पास से कितने हथियार, क्या चीजें बरामद हुईं? कुछ था ही नहीं तो बरामद

(श्री हेमाराम चौधरी)

क्या हो, पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उनके साथ जबरदस्त मारपीट की, उनको जेल में बंद किया। फिर उसके बाद में किया सो किया, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे उन सबमें ये भय पैदा कर दिया कि तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, कान्स्टेबल जा-जा करके हर कर्मचारी अधिकारी से संपर्क करने लगे कि तुम्हारा नाम है इसलिए तुम्हारे खिलाफ मुकदमा बनेगा, तुम जेल जाओगे। उन लोगों को डरा-डरा कर कई तरह के उनके साथ भी पुलिस वालों ने और तरह से उनसे लाभ प्राप्त किया। यह बात फिर हमने एस.पी. से भी कही, जोधपुर आई.जी. से भी एप्रोच की, उनको भी बताया फिर बाद में जाकर के जो गिरफ्तार हो गये, वो हो गये और बाकी लोग गिरफ्तारी से बचे, नहीं तो न जाने कितने लोग जेल में जाते और वहां जेल में जगह ही नहीं मिलती। विरोध दर्ज करवाने वहां आये, मेरे विधान सभा क्षेत्र की अनुसूचित जाति की मेघवालों की 4 गाड़ियां जला दी गई, उसका कुछ नहीं हुआ, मुकदमा तक दर्ज हो गया होगा, पर उस पर कार्यवाही कुछ नहीं हुई। उनकी 4 गाड़ियां जला दी गईं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की तो उनको कुछ आर्थिक मदद तो देते। जेल भी गये, गाड़ियां भी जलीं तो ये काम उनके शासन में ठीक नहीं हुआ।

अभी वो कह रहे थे कि करीब 42 मुकदमे वापस ले लिए हैं, दस मुकदमे और वापस लेने पर विचार चल रहा है। उस समय जो मुकदमे हुए 42 और 10 ही क्यों, सारे मुकदमे वापस लिये जाने चाहिए, उनका कोई अपराध नहीं है। 307 के मुकदमे वापस लिये जा सकते हैं, एट्रोसिटी के मुकदमे वापस लिये जा सकते हैं, आबकारी के मुकदमे वापस लिये जा सकते हैं तो वो क्यों नहीं लिये जा सकते? इसलिए सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, सरकार से अनुरोध है कि उस समय 2 अप्रैल को जो भी मुकदमे हुए वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएं।

सभापति महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में जितनी बात की जाये कम है। वो एक-एक मुकदमे के बारे में बात करने लगे तो ये बात पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय जाया नहीं करके कुछ दूसरी बातें जो मुझे कहना जरूरी है उस पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

अभी बाड़मेर की दुर्घटना की बात आई। अभी पुलिस कस्टडी में जीतू

(श्री हेमाराम चौधरी)

की हत्या हुई, कई दिनों तक लाश पड़ी रही, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उसके लिए फिर यहां से कितने लोगों को वहां जाना पड़ा, किस तरह से कितनी मशक्कत करनी पड़ी तब जा करके उसका अंतिम संस्कार हुआ और उसको 25 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिये गये, एक आदमी को नौकरी और एक भूखंड, उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई। यह तो दिया आपने, ठीक है, इन्सान की कीमत पैसों से मत तोलो। पैसे, भूखंड, नौकरी, वो गया है अगर पुलिस की गलती है तो फिर पुलिस वालों को भी तो सजा मिलनी चाहिए। पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ क्या? और अगर पुलिस वालों का नहीं है तो फिर ये इतने आपने पैसे दिये, इस तरह से पुलिस में कस्टडी में और भी मौतें होती हैं, यह पहली मौत ही हो राजस्थान के इतिहास में, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से पूर्व में भी पुलिस कस्टडी में मौतें हुए होंगी। उन लोगों को कितना मुआवजा दिया? उनको कितने भूखंड दिए? कितनों को नौकरी दी? इसको दी। मैं कहूं कि 25 नहीं 50 लाख दो। आप एक भूखंड नहीं, 2 भूखंड दो। अच्छा किया। मैं इसका विरोध नहीं करता। स्वागत करता हूं। सरकार को और मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं लेकिन इसमें इतना बवाल किया तब दिया। अगर यह बवाल नहीं करते, खाली पुलिस थाने जाते और अंतिम संस्कार कर देते तो इसका मिलता क्या? एक धेला नहीं मिलता, न भूखंड मिलता और न नौकरी मिलती। यह तो दूसरे लोगों ने सहयोग कर दिया, तब जाकर इसको मिला है। पुलिस कस्टडी में दूसरी मौतें भी हुई हैं, उनका क्या हुआ?

मैं बाड़मेर जिले के पुलिस थाना पचपदरा के एक मामले का यहां उल्लेख करना चाहूंगा। एफआईआर संख्या 196/2019 उसकी भी पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। पहले उनके आपस में कोई झगड़ा हुआ था। वह पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने आया था। उसका मुकदमा दर्ज किया नहीं। मुलजिमों का किया। उसके साथ मारपीट की और उसने कहा कि मुझे इतना मारा है कि मैं मर जाऊंगा। मुझे हास्पिटल ले जाओ। मेरा इलाज कराओ लेकिन वह इलाज कराने के लिए हास्पिटल नहीं गए। उसको लेकर के नहीं गए। उनको जब पता पड़ा कि यह मर जाएगा तो एक्जिक्यूटिव आफिसर को बुलाया।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप थोड़ा विराजें। अब आप ही बोलना जानते हो? हमारा अपना तरीका है। आप जैसे नहीं हैं। बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन जैसा टूटा-फूटा है, वैसा सदन में रखना चाहते हैं।

पुलिस वालों को पता लग गया कि अब यह मर जाएगा और अपने गले आ जाएगा। उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया कि इसकी जमानत करो। मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह तो मर जाएगा, इसकी मैं क्या जमानत लूं। उन्होंने कहा कि मैं इसकी जमानत नहीं लेता। यह मरेगा। वह मर गया। मरा इसलिए कि जमानत नहीं ली। अन्यथा तो पुलिस अपना पिंड छुड़ा लेती। फिर बाद में कुछ हुआ लेकिन उसको आज दिन तक कुछ नहीं मिला। वहां के एसएचओ के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? एपीओ कर दो। थोड़े दिन के लिए निलंबित कर दो। थोड़े दिनों के बाद जांच रिपोर्ट मंगाकर जांच कमेटी बैठाकर बहाल कर दो। इससे ज्यादा किसी को कुछ हुआ है क्या? कोई हुआ है तो बताना कि इस-इस अधिकारी के खिलाफ यह-यह हुआ है। किसी के खिलाफ कुछ नहीं होना। गया वह तो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा क्यों?

सभापति महोदय, एक्सीडेंट के मामले में, दुर्घटनाएं होती हैं। अभी बूंदी में एक बस की दुर्घटना हुई है। उसमे 24 लोग मारे गए, 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया। अच्छी बात है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन इसी एक्सीडेंट में मरे हैं क्या? इससे पहले कोई मरा ही नहीं क्या? उनको कितना-कितना मुआवजा दिया? एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है। एक्सीडेंट की भी अलग-अलग परिभाषा होती है क्या? नहीं। इसमें विधान सभा का सत्र चल रहा था। इस सत्र को चलाना था। यहां ज्यादा हो-हल्ला हो जाएगा, इसलिए इस मामले को शांत करना था। खासकर अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी। अध्यक्ष जी बीच में आ गए। अध्यक्ष जी की मेहरबानी से इनको 5-5 लाख रुपये मिल गए। दिए तो मुख्य मंत्री जी ने लेकिन अध्यक्ष जी इंटरवीन नहीं करते तो मुझे नहीं विश्वास, वह ढाई लाख तक ही रहता। सच बात तो सच है। दिया उसका धन्यवाद, लेकिन वजह क्या रही? मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई वजह हो तो ही आप मुआवजा दो? एक्सीडेंट हो गया। आदमी मर गया। वजह क्या है? वजह एक्सीडेंट है। आप मुआवजा एक समान सबको दो। अगर ऐसा हो गया तो आने वाले समय में लोगों की एक्सीडेंट और पुलिस

(श्री हेमाराम चौधरी)

कस्टडी में मौतें हुईं तो लोग लाशें लेकर बैठ जाएंगे। उसमें दूसरे लोग लग गए तो राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। आप पहले से इसकी ठीक से व्यवस्था कर दो ताकि भविष्य में इस प्रकार की नौबत नहीं आये।

सभापति महोदय, पुलिस में सबसे ज्यादा नफरी कांस्टेबलों की होती है लेकिन कांस्टेबलों की सुनवाई नहीं होती। कांस्टेबल सबसे छोटा कर्मचारी है। दूसरे विभागों में भी जो सबसे छोटा कर्मचारी है चाहे पुलिस विभाग में या किसी भी विभाग में, उसकी सुनवाई नहीं होती। साधारण आदमी की, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती। वैसे ही इनकी भी नहीं होती है। कांस्टेबल के स्थानांतरण के मामले में पूर्व में जब पिछली बार हमारी सरकार थी तो अगर किसी कांस्टेबल की दूसरे जिले में नियुक्ति हुई है तो उसका अपने गृह जिले में स्थानांतरण के लिए, पुरुष के लिए 7 वर्ष था और महिला के लिए 3 वर्ष था। यह न्यूनतम कार्यकाल पूरा होगा तो ही वह अपने गृह जिले में जा सकता है। बाद में पिछली सरकार के टाइम में पुरुष और महिला, सबका 15 वर्ष कर दिया। नौकरी के लिए हिन्दुस्तान में भटकता है आदमी। विदेशों में भी जाता है। कितने ही लोग विदेशों में होंगे। रोजी के लिए आदमी कहीं न कहीं तो जाएगा।

अब अगर किसी बाड़मेर की महिला की नियुक्ति भरतपुर में हो गई, धौलपुर में हो गई। अब वह बाड़मेर आना चाहती है तो 15 साल तक नहीं आ सकती है। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? ऐसा क्या आसमान गिर गया? वह बाड़मेर में आ जाएगी तो पुलिस कांस्टेबल की सेवाएं ठीक से नहीं दे पाएगी?

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): बस थोड़ी ही बात है। वह क्या कर लेगी? भरतपुर, धौलपुर में तो सेवाएं ठीक दे रही है लेकिन बाड़मेर में नहीं देगी, क्योंकि गृह जिला है। गृह जिले का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां से अगर मैं प्रतिनिधि चुना गया तो वहां के लोगों की ठीक से सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे भी दूसरी जगह से चुनाव लड़ना चाहिए। यह कौनसी बात हुई? गृह जिले में क्यों नहीं लग सकती? लग सकती है। लगनी भी चाहिए। वह 15 साल के बाद में तो आ सकती है न? वह 15 साल के बाद में आई, तब भी गड़बड़ कर देगी। तब क्या

(श्री हेमाराम चौधरी)

कर लोगे? नौकरी तो उसकी काफी लंबी है। यह किस तरह के तर्क हैं। यह तर्क हैं या कुतर्क हैं, समझ में नहीं आता है। मेहरबानी करके आप उन महिलाओं की भी सुनवाई करो।

सभापति महोदय, आप कहते हो कि महिलाओं की सुनवाई करो। कहां सुनते हो महिलाओं की? 3 साल की जगह 15 साल टिका दिया। अधिकारियों से बात करो, पूछो तो कहेंगे कि यह तो गड़बड़ हो जाएगा। गृह जिले में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बदमाशी करेंगे पुलिस वाले। काहे की बदमाशी करेंगे पुलिस वाले? अगर बदमाशी करने वाले हैं तो वह कहीं भी होंगे तो कर लेंगे। नहीं करने वाले नहीं करेंगे। इनकी भी आप मेहरबानी करके सुनवाई करो। यह जो पहले था 7 साल और 3 साल का, वह वापस कर दो। बस इतना ही है। पहले किया वह कर दो। बाद में किया उसको बदल दो। इनकी सरकार ने किया और अपनी सरकार आई, यह मामला बहु त चला।

मैंने कहा कि हमारी सरकार आई तो पहले वाला कर देंगे। अब इन्होंने कर दिया था, यह तो अपने बस की बात थी नहीं। हमारी सरकार आई तो कर देंगे। अब हम कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा कहकर वोट तो लिया था। लोगों से वादा करके वोट ले लिया। जीत भी गए। अब 5 साल हमारे और हमारे बाप के। अब वह भले ही रोते रहें। यह कोई चलेगा क्या? दुबारा कौन विश्वास करेगा? हमारी बात पर कौन विश्वास करेगा? कौन वोट देगा? अब कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा? ऐसा कहकर आपने वोट क्यों लिया? मैंने तो ले लिया। अब यह जुल्म किया तो कर दिया। उनको ठग लिया। लेकिन ऐसा नहीं हो। इस पर आप मेहरबानी करके गौर करें।

आप जैसे कहते हो, किसी भी काम की मांग करें तो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता। इसमें तो पैसा, टका नहीं चाहिए आपको? विदाउट टीए, डीए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप टीए डीए देना। विदाउट टीए, डीए हो तो ही करना। उसको एक पैसा मत देना। यह बिना पैसे का काम है। वित्तीय संसाधन इसमें आपके आड़े नहीं आ रहा है। वह तो कर दो। वह भी आप नहीं कर रहे हो।

स्थानान्तरणों पर प्रतिबंध, काहे का प्रतिबंध? जरूरत है तो लगाओ। एक स्कूल में एक मास्टर बैठा है, 10 में से 1 मास्टर है। 9 पद खाली पड़े हैं। वह कह रहा है कि स्कूल में मास्टर ही नहीं हैं। कोई लगाओ। परीक्षाएं आ गई हैं। कहें कि स्थानान्तरण पर प्रतिबंध है। यह कैसा प्रतिबंध है? यह मेरी समझ

(श्री हेमाराम चौधरी)

में नहीं आता। इस कारण से मैं कह रहा हूं। हो सकता है कि ठीक होगा लेकिन मैं तो कहता हूं कि यह प्रतिबंध किसके लिए? सरकार के लिए प्रतिबंध? फिर कौन काम करेगा? सरकार कह रही है कि हम नहीं कर सकते। मंत्री कह रहा है कि हम नहीं कर सकते। यह तो समझ के बाहर की बात है।

सभापति महोदय, अंत में बस एक बात। मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत अणकिया है। जो पुलिस स्टेशन गुढामालानी के साथ थी। उसको बाद में बाड़मेर सदर पुलिस स्टेशन के साथ कर दिया। अब यह क्यों किया? अगर ठीक नहीं हो तो उलटा तो मत करो। उसको उठाकर के बाड़मेर के साथ टेक दिया। यह सिर्फ एक पंचायत है। उस पंचायत का पटवार सर्किल नोखड़ा है। नोखड़ा गुढा में है और यह अणकिया को कर दिया बाड़मेर में। अब पटवारी एक और थाने अलग-अलग। उसका एसडीओ कोर्ट गुढामालानी, तहसील गुढामालानी, एक्स.ईएन. आरएसईबी गुढामालानी, एक्स.ईएन. पीएचईडी गुढ़ामालानी, सब वहीं हैं लेकिन उस एक पंचायत को उठाकर बाड़मेर में डाल दिया। मैं कोशिश कर-करके थक गया, कोई सुनवाई नहीं हुई आज दिन तक तो मेहरबानी करें, मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक पंचायत बाड़मेर में रखने से क्या फायदा? गुढ़ा के लोग कह रहे हैं कि आप हमें अपने साथ रखो, हमें बाड़मेर में क्यों रखा? हमारे साथ अन्याय क्यों किया? मैंने कहा कि यह अन्याय मैंने तो किया नहीं, हो गया, मेरे से होगा तो कर दूंगा। मारवाड़ी में कहावत है, अपरां बार उठैं सूड़्या। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन है कि यह मेहरबानी करें।

माननीय सभापति महोदय, अंत में बाड़मेर जिले में जब से केयर्न आयी है, गैस, आयल का काम शुरू हुआ है अब रिफाइनरी का काम शुरू हुआ है। बहुत बड़ी तादाद में बाहर से कम्पनियां वहां आयीं हैं। बहुत व्हीकल्स आये हैं, बहुत लोग, हजारों, लाखों की तादाद में मजदूर वगैरह, बाहर के लोग आये हैं, अपराध बहुत बढ़े हैं, अपराधों को देखते हुए, यह सारा देखते हुए अतिरिक्त पुलिस थानों के खोले जाने की भी जरूरत है। पूर्व में खोले भी हैं। एमपीटी, आरजीटी, कम्पनियों से पैसा लिया है उनके क्षेत्र में तो एक पुलिस थाना मेरे विधान सभा क्षेत्र में नोखड़ा में खोल दें, इसमें वित्तीय संसाधनों की जरूरत है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

आपके वित्तीय संसाधन हो तो मेहरबानी कर देना, नहीं हो तो मैंने कहा, आपने सुना। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस और 17 कारागार पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये आपका हार्दिक आभार।

माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणाओं में पुलिस को बिलकुल महत्व नहीं दिया गया, केवल 1682 वाहन खरीदने के लिये कुछ करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक विशिष्ट प्रकोष्ठ और लैबोरेटरी सम्बन्धी कुछ घोषणाएं हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत पुलिस तथा कानून व्यवस्था राज्य के अंतर्गत आने वाला विषय है। पुलिस बल का प्राथमिक कार्य कानून व्यवस्था बनाये रखना, अपराधों की जांच करना तथा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पिछले कुछ समय से पुलिस तंत्र में सुधारों की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। यह सच्चाई है कि राज्य सरकार पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करती आयी है। कभी अपने राजनीतिक विरोधियों से निपटने के लिये तो कभी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिये, यही मुख्य कारण है कि राज्य सरकार पुलिस सुधार के लिये तैयार ही नहीं हुई। जिस पुलिस को आम आदमी का दोस्त होना चाहिये, वही आम आदमी पुलिस का नाम सुनते ही सिहर जाता है। यथा सम्भव पुलिस के चक्कर में न पड़ने का प्रयास करता है इसलिये यह कहावत प्रचलित है कि पुलिस वालों की न दोस्ती अच्छी, न दुश्मनी। माननीय सभापति महोदय, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, इसके बजाय सैंया भये कोतवाल, अब डर काहे का, ये चर्चे हर गांव और शहर में तेजी से चल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, लोगों में आम धारणा बन गयी कि पुलिस प्रशासन सत्ता पक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। आम जनता के प्रति पुलिस की जवाबदेही संदिग्ध हो गयी है। हाल ही में कई मामलों में पुलिस की संवेदनहीनता और क्रूरता भी सामने आयी है। दलित उत्पीड़न की अभी हाल ही की घटनाएं जिनका जिक्र सदन में लगातार लम्बे समय से चला आ रहा है, उसके अलावा ऑनलाइन एफआईआर की बातें जरूर हर बजट के अंदर हुई लेकिन माननीय विधायकों, मंत्रियों से लेकर सब लोगों को एफआईआर दर्ज

(श्री नारायण बेनीवाल)

कराने के लिए धरने तक बैठना पड़ा। इसके अंदर माननीय सभापति महोदय, एनडीपीएस में धारा 29 का जो प्रोविजन है उसमें यह अखबारों में छपता है कि मादक पदार्थों की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गयी और इसके तार बहुत लम्बे और ऊंचे स्तर तक जुड़े हुए हैं। दूसरे ही दिन यह खबर प्रमुखता से अखबारों में छपती है लेकिन उसके बाद में न कोई मुलजिम पकड़ में आता है और न कुछ और होता है। यह सिर्फ और सिर्फ लोगों पर दबाव पैदा करके और पुलिस उन लोगों से कहीं न कहीं मोटी रकम ऐंठती है इसलिये इस मामले के अंदर ठोस कार्य योजना की मैं जरूरत महसूस करता हूं। राज्य में पुलिस की छवि तानाशाहीपूर्ण, जनता के साथ मित्रवत न होने और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने की रही है। रोज अनेक ऐसे किस्से देखने, पढ़ने, सुनने को मिलते है, जिनमें पुलिस द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। पुलिस का नाम लेते ही प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, रौब, बंधी, वसूली, उगाही, रिश्वत आदि जैसे शब्द दिमाग में कौंध जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक मजबूत समाज अपनी पुलिस की इज्जत करता है और उसे सहयोग देता है वहीं एक कमजोर समाज पुलिस को अविश्वास से देखता है और प्राय: उसे अपने विरोध में खड़ा पाता है अत: पुलिस सुधारों को सामाजिक कल्याण से जोड़कर ही इनके वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीति सत्ता को एक नये सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। चूंकि पुलिस में आया हुआ व्यक्ति हमारे बीच का ही है इसलिये पुलिस सुधारों की रूपरेखा तय करते समय समाजशास्त्र के नियमों को भी ध्यान में रखना होगा।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत अच्छा उदाहरण एक व्यक्ति ने पेश किया जब पुलिस के सिपाही ने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया और उसको पूछा तो बोले कि पुलिस में यह आनुवांशिक बीमारी है। पूछा कि कैसे है? उसने कहा कि हमारे अधिकारी हमारे साथ ऐसा ही सलूक करते हैं, उनसे बड़े अधिकारी उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है इसलिये इस मामले में कोई न कोई सुधार करने की मैं बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस सामाजिक रूप से नागरिकों की मित्र है और बिना उनके सहयोग से कानून व्यवस्था का पालन भी नहीं किया

(श्री नारायण बेनीवाल)

जा सकता। पुलिस की छवि आज एक भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार विभाग की बन चुकी है। यह प्रवृत्ति देश की कानून और व्यवस्था के लिये बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। पुलिस व्यवस्था को आज नयी दिशा, नई सोच और नये आयाम की आवश्यकता है। समय की मांग है कि पुलिस नागरिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के प्रति जागरूक हो और समाज के सताये हुए तथा वंचित वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनशील बने।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सामने प्राय: पुलिस की नकारात्मक छवि ही आती है। पुलिस में बहुत अच्छे जवान और काबिल ऑफिसर्स भी बैठे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी भावना और सहयोग समाज को जो मिल रहा है वह समाज के सामने आ नहीं पाता। किसी भी लोकतांत्रिक देश में पुलिस की शक्ति का आधार जनता का उस पर विश्वास है और यदि नहीं है तो यह घातक है। पुलिस में संस्थागत सुधार ही वह पूंजी है जिससे कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। सभी तरह के गैर कानूनी कार्यों पर नकेल कसी जा सकती है लेकिन सत्ता में आने वाली हर सरकार पुलिस के पुराने ढांचे को बनाये रखना चाहती है ताकि वे सुरक्षा बल का अपने मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर सके।

माननीय सभापति महोदय, जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है उसमें साइबर अपराध, धोखाधड़ी जैसे अपराधों की संख्या में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार आज हमारे देश में संक्रामक रोग की तरह फैल चुका है। जब भ्रष्टाचार हमारे जीवन का एक अंग बन गया हो तो पुलिस व्यवस्था इससे कैसे अछूती रह सकती है? हमारी पुलिस व्यवस्था में सुधार कर उसे बदलते वक्त के अनुसार बनाना होगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पीड़ित व्यक्तियों को न्याय प्रदान करेंगे तथा समाज विरोधी तत्वों से बचायेंगे। वरिष्ठ अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कृत संकल्पित हों, वे जैसे ही सुधारों की प्रक्रिया आरम्भ करते हैं, उनका तबादला कर दिया जाता है। दरअसल पुलिस व्यवस्था में जो सुधार हम फिल्मों में देखते हैं, व्यावहारिक तौर पर वह सम्भव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस व्यवस्था में बदलाव एवं संगठन में लाये जाने वाले बदलावों की तर्ज पर ही लाया जा सकता है। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी, अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रवृत्ति में रातोंरात बदलाव नहीं ला सकता लेकिन तबादलों से तंग वरिष्ठ अधिकारी वर्ग अब तो जैसे सुधारों की

(श्री नारायण बेनीवाल)

प्रक्रिया से ही तौबा कर चुके हैं। पुलिस व्यवस्था में जड़ जमा चुकी इस विसंगति को बदलने के लिये पुलिस सुधार तो करना ही होगा।

पुलिस विभाग में संख्या बल की भारी कमी है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ 450 व्यक्तियों पर एक पुलिसकर्मी की सिफारिश करता है वह आंकड़ा हमारे यहां बहुत नीचा है। पुलिस बल के काम करने की कठिन परिस्थितियां, पुलिसकर्मियों की मानसिक स्थिति, पुलिसकर्मियों पर काम का अतिरिक्त दबाव, पुलिस से जुड़े अन्य मानवीय पक्ष, पुलिस पर पड़ने वाला राजनीतिक दबाव, कार्य बल में कमी, फोरेंसिक जांच की निम्न गुणवत्ता, अत्याधुनिक हथियारों की कमी, वाहनों व संचार साधनों की कमी, ये सब पुलिस की कार्य शैली को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस भर्ती के नियमों में पारदर्शिता की कमी के कारण भी इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पदोन्नति तथा कार्य के घण्टों को लेकर भी समस्या हमेशा होती रही है। देश में पुलिस सुधार के प्रयासों की एक लम्बी श्रृंखला है, जिसमें विधि आयोग, मलिमथ समिति, पद्मनाभैया समिति, मानवाधिकार आयोग, सोली सोराबजी समिति और सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ, 2006 मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों में पुलिस सुधारों हेतु कई सिफारिशें हैं पर अब तक इन पर न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने उन पर उल्लेखनीय कार्यवाही की है। इन आयोगों, समितियों तथा उच्चतम न्यायालय ने कई सुझाव दिये थे कि पुलिस कम्पीटेंट अथोरिटी बनायी जाये जो पुलिस के खिलाफ आने वाली गम्भीर शिकायतों की जांच कर सके। थाना प्रभारी से लेकर पुलिस प्रमुख तक की एक स्थान पर कार्य अवधि दो वर्ष सुनिश्चित की जाए, अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था के लिये अलग-अलग पुलिस की व्यवस्था की जाये। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो जिसका दायित्व पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त रखना होगा।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का गठन भी हो जिससे कार्मिक मामलों में पुलिस को स्वायत्तता प्राप्त हो, राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने तथा पुलिस में महिला पुलिस की संख्या बल में बढ़ोतरी की जाये। माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय प्रधान मंत्री, मोदीजी का भी विजन है कि भारतीय पुलिस को स्मार्ट, सेंसेटिव, माडर्न, अलर्ट एण्ड अकाउण्टेबल, रिलायबल, टैक्नोसेवी एण्ड ट्रेंड बनाना होगा। माननीय सभापति

(श्री नारायण बेनीवाल)

महोदय, राजस्थान जैसे प्रदेश में जो बहुत ही शांत प्रदेश रहा है, इसके अंदर पुलिस सुधारों को लेकर हमें बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा और पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं, वे भी कहीं न कहीं हमेशा प्रताड़ना के शिकार रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस दूरसंचार के सहायक उप निरीक्षक व हैड कान्स्टेबल के पदों को लेकर वेतन विसंगति के जो मामले हैं, इसमें सब बड़े पुलिस अधिकारियों ने बहुत बड़ी-बड़ी पत्रावलियां चलायीं, लेकिन उन्हें अभी बराबर का पे-स्केल नहीं दे पाये। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि कोई ठोस कार्यवाही इस पर की जाए।

माननीय सभापति महोदय, ह्यूमन इंटेलीजेंस की बहुत बड़ी कमी आज देखने को मिल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आपका बहुत आगे आ गया, लेकिन ह्यूमन इंटेलीजेंस में बार्डर की इंटेलीजेंस की चौकियों को भी खतम कर दिया गया है। जो नयी भर्तियां हो रही हैं, उनमें उनके पद सृजित नहीं किये जा रहे हैं। इस पर भी एक ठोस कार्य योजना बनाने की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय यहां विराज रहे हैं। मेरे क्षेत्र के भी दो-तीन ऐसे मामले हैं। एक तो नागौर जिले की कोतवाली से डोडा पोस्त की चोरी हो गयी और पुलिस दो साल बाद आज तक यह पता नहीं कर पायी कि वह चोरी किसने की। इस मामले में त्वरित संज्ञान लिया जाए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): इसके अलावा एक हमारे वहां नगरपालिका के अंदर माननीय मंत्री महोदय, एसओजी में एक ही...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें अब। अंकित नहीं होगा।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला। अगली बार आप अपने स्थान पर रहेंगे, वर्ना अलाउ नहीं करूंगा मैं।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): आदरणीय सभापति महोदय, पुलिस और सुरक्षा जैसे विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

आपका तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे देश की इंटर्नल सिक्योरिटी की बात करें, चाहे राजस्थान की सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा की चिंता सबको करनी चाहिए। हर भारत का नागरिक पुलिस और प्रशासन पर निर्भर रहता है कि उसकी सुरक्षा की जाएगी। चाहे माताओं-बहनों की बात करें, चाहे हमारे बुजुर्गों की बात करें, पुलिस और प्रशासन के माध्यम से उनका सम्मान बचा रहे, समाज की व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चलती रहें।

मैं उत्तराखण्ड गया। जिस तरह से राजस्थान पुलिस का नारा है-'अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास', उत्तराखण्ड की पुलिस ने भी 'मित्रता, सेवा और सुरक्षा' का नारा दिया है। आम जनता और पुलिस के बीच मित्रता जैसा भाव हो, पुलिस का जनता के प्रति सेवा का भाव हो और आम जनता के प्रति प्रशासन का सुरक्षा का भाव हो। राजस्थान प्रदेश भी उसी तरफ चलने का काम कर रहा है। सतयुग से कलियुग तक कोई दिन आज तक ऐसा नहीं आया, जिसमें अपराध घटित न हुए हों। सरकारें चाहे किसी भी पार्टी या दल की रही हों, मुख्य मंत्री चाहे कोई भी रहा हो, जहां आबादी निवास करती है, अपराध भी उनके बीच ही निवास करता है, लेकिन माननीय सभापति महोदय, जब इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने अहिंसा का नारा दिया और अहिंसा के साथ-साथ लोकतंत्र की स्थापना के साथ-साथ यह तय हुआ कि लोकतंत्र में हिंसा और अपराध की कतई जरूरत नहीं है। जहां हिंसा और अपराध होगा, पुलिस व प्रशासन मुस्तैदी के साथ उसका विरोध करके सामान्य जनता को सुरक्षा देने का काम करेंगे, लेकिन जब हमारे दौसा जिले की बात आती है तो पिछले 20-25 सालों से ऐसी व्यवस्था रही, इसके लिए हम कहते हैं कि पुलिस जिम्मेदार है। मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि जितनी पुलिस जिम्मेदार है, हम नेता लोग भी उतने ही इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। सभापति महोदय, उसका कारण मैं देना चाहता हूं। एक कार्यकर्ता अपराध करके जेल जाता है और चार-छह महीने जेल रहकर आता है और हमारे नेतागण उसके बगल में फोटो खिंचवाते हैं और फेसबुक पर उसे शुभकामनाएं देते हैं। यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हमें यह तय करना होगा, किस आदमी की सिफारिश करनी है, कौन

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

आदमी सही है, कौन न्याय की बात कर रहा है और कौन अन्याय की बात कर रहा है। एक-दूसरे की सरकारों पर आरोप लगाते रहते हैं।

अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य आरोप लगा रहे थे कि सरकार नहीं कर पायी, मेरा विनम्र आग्रह है, पिछले पांच साल 2008 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही, 2013 से 2018 तक भाजपा की सरकार रही। सबको अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, आरोप और प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। आने वाला समय ऐसा होगा, युवा इतना जागरुक हो गया है, जन प्रतिनिधि से या पुलिस से यदि थोड़ी-सी भी गलती हो जाती है तो उसे फोन में रिकार्ड कर लेता है। वह अमेरिका तक वायरल हो जाती है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं-

कराह रही है मानवता आतंकवाद मिटाने को,
हम भी तो तैयार खड़े हैं आतंकी निपटाने को।
जब-जब पाप बढ़ा इस धरा पर, हमने ही बोझ उतारा है,
हम राम-कृष्ण के वंशज हैं, जिसने रावण और कंस को मारा है।।

आदरणीय सभापति महोदय,

सीता हरण किया रावण ने, मानवता को ललकारा था,
श्री राम प्रभु ने रावण को लंका में घुसकर मारा था।।

जब तक हम इन अपराधियों को इनके घर में घुसकर नहीं मारेंगे, पुलिस का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक अपराध से नहीं निपटा जा सकता।

आदरणीय सभापति महोदय,

हम उसी राम-कृष्ण के अनुयायी हैं,
युद्ध समर में हार नहीं सकते,
जो रच रहे हैं षड्यंत्र-अपराधों के,
क्या हम उन्हें ललकार नहीं सकते।।

हमें ललकारना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा कि अन्याय का साथ देने वाले कोई भी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे नेतागण हों, उन्हें सुधरना पड़ेगा। यह इक्कीसवीं सदी का भारत है। अंत में मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूं-

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

अपराध को संरक्षण देने वालों को राजनीति में टिकने नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो सर्व समाज के साथ मिलकर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे।

इस बात के लिए भी मैं आग्रह करता हूं आपसे। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे यहां दौसा जिले में जिस तरह का वातावरण बना, विकास होना चाहिए था हमारे जिले का, लेकिन सबसे नजदीक जिला होने के बाद भी हमारे जिले का विकास नहीं हुआ। उसमें हमारे लोगों ने अपराध को संरक्षण दिया। वे इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें सुधरने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, एक एडिशनल एसपी आफिस हमारे महुवा में देने की कृपा करें। सोनी साहब भी बैठे हैं डीजी साहब भी बैठे हैं और हमारे होम सैक्रेटरी साहब भी बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कल-परसों मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला, उनसे भी मैंने आग्रह किया है, उन्होंने रांका साहब को निर्देशित किया। उसके बाद अभय कुमार जी को भी किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए हमारे पुलिस के अधिकारी यह कहते हैं कि हमें बजट की जरूरत पड़ती है। मैं आपको मेरे विधान सभा क्षेत्र को एक आदर्श विधान सभा क्षेत्र बनाने के लिए मेरे विधायक कोष से दो करोड़ रुपये सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए देने की घोषणा करता हूं। आप प्लान तैयार करें। अपराधमुक्त महुवा बनाने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, थोड़े दिन पहले हमारे नेताजी ने भौंरीलाल बैरवा नाम के व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करवा दिया। पुलिस ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ दिन पहले एक सैनिक की जमीन पर कब्जा करवा दिया। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति टोडवाल, जो कि हमारे वैश्य समाज का व्यक्ति था, उसकी जमीन पर कब्जा करवा दिया। कुछ दिन पहले किसी ने हैलीपैड बनाकर कब्जा कर लिया एक सुरेन्द्र गुप्ता की जमीन पर, अजय सिंह राजपूत की जमीन पर। पुलिस से मेरा निवेदन है, डीजी साहब भी बैठे हैं, इस तरह की गतिविधियां होती हैं।

आज आप देख रहे हैं कि हमारे सम्बन्ध पाकिस्तान से किस तरह के हैं। हैलीपैड की बात पर बार-बार मुद्दा उठता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो गलत है, उसे गलत साबित करें। जो सही है, उसे सही साबित

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

करें। मैं पुन: माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो यह एफआईआर दर्ज नहीं हुआ करती थी, माननीय सभापति महोदय, मैं लास्ट में समाप्त करूंगा, माननीय डीजी साहब और सबको मैं निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं निवेदन इतना-सा करना चाहता हूं, अभी हमारी कमेटी गयी थी कर्नाटक...

एक माननीय सदस्य: सभापति जी को बोलें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): एक ही बात है। अभी हम लोग कर्नाटक जाकर आये थे। मेरे ही गांव के, मेरे ही परिवार के एक धर्मेन्द्र कुमार मीणा जिले के एसपी लगे हुए हैं। (व्यवधान) एक सैकण्ड। उन्होंने विचार किया और जहां पर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने जो लोग आते हैं उनका कैसे पता लगे तो वहां सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपने आफिस में उसका कंट्रोल ले लिया और जितने भी लोग आते हैं उनका एक रजिस्टर तैयार किया कि कौन-कौन वहां एफआईआर दर्ज कराने आते हैं, उनके साथ कैसा बर्ताव होता है। माननीय सभापति महोदय, वे एसपी साहब खुद प्रार्थी से बात करते हैं कि आपको थाने में न्याय मिला या नहीं मिला। उससे वहां उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और पूरे कर्नाटक में सरकार इसको लागू कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि राजस्थान में भी यह योजना लागू होगी तो हम सब लोगों को लाभ मिलेगा। आपने बोलने का मौका दिया, आपका पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्दी, जय सर्व समाज।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): सभापति महोदय, आज कारागार और पुलिस की मांग पर विचार हो रहा है। राजस्थान पुलिस का यह नारा रहा है - 'अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास', लेकिन वास्तव में हो उलटा रहा है- 'अपराधियों में विश्वास और आमजन में भय', यह स्थिति है। जिस तरह से अपराधों का ग्राफ पिछले 15 महीनों से बन रहा है वह इसको स्पष्ट बयान कर रहा है। जब राज्य के किसी भी कोने में सुबह का अख़बार उठाकर देख लो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसमें कहीं दुष्कर्म की, कहीं चोरी की, कहीं लूटमार की घटना न आती हो। स्याही सूखती नहीं है और दुबारा यह घटना आ जाती है। अब तो अपराधी पुलिस के सामने बंदूक उठाकर तान देते

(श्री वासुदेव देवनानी)

हैं। कल ही अजमेर में पृथ्वीराज मार्ग पर पुलिस पर बंदूक तानकर एक अपराधी खड़ा हो गया और भाग निकला तो एक को तो पकड़ पाये और एक को नहीं पकड़ पाये, यह स्थिति बनी है। पहले जो खाकी का खौफ था वह समाप्त हुआ है और स्थिति यह बनी है कि अपराध में देशभर में जयपुर 5वें नम्बर पर है और साइबर अपराधों में दूसरे नम्बर पर है। यह स्थिति, मैं मानता हूं जैसा आप कह रहे थे कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल में अपराध बढ़े। हर सरकार प्रयत्न करती है लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण, मानिटरिंग न होने के कारण, खुली छूट देने के कारण इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं और राजस्थान में तो पूर्णकालीन गृह मंत्री नहीं है, राजस्थान तरस रहा है। आपके 100 में से किसी को तो पूर्णकालीन गृह मंत्री बनाओ और कोई नहीं मिले तो हमारे धारीवाल साहब को बना दो लेकिन किसी को पूर्णकालीन बनाओ, जो इसकी मानिटरिंग तो कर सके, ऐसा मेरा आग्रह है। वर्तमान मुख्य मंत्री के पास दिल्ली के कई काम हैं, वे सीएए से लेकर पता नहीं कितने ही मुद्दों पर केवल बोलते रहते हैं इसलिए राजस्थान में पूर्णकालीन गृह मंत्री की आवश्यकता है।

राजस्थान के अन्दर 894 पुलिस थाने हैं, 1216 चौकियां हैं, हैड कांस्टेबल के 3700 से अधिक पद खाली हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सब्इंस्पैक्टर स्तर तक के जो थाने हैं वे कैसे रोकेंगे? उसके यहां कुल 15 पुलिसकर्मी हैं, एक एसआई है, एक एएसआई है, एक हैड कांस्टेबल है और 12 कांस्टेबल हैं तथा थाने पर जो काम होते हैं उसमें कोर्ट की पैरवी के लिए एक कांस्टेबल चाहिए, एक कांस्टेबल आपको डाक ड्यूटी के लिए चाहिए, 4 कांस्टेबल आपको पहरे के लिए चाहिए, 2 कांस्टेबल वायरलैस ड्यूटी के लिए और एक-दो अवकाश पर रहते हैं तो फिर 2-3 के भरोसे पूरे एरिया की किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था हो पाएगी इसलिए मेरा सुझाव है कि पहरे के लिए आप आरएसी की ड्यूटी लगाएं तो निश्चित रूप से आपके बचेंगे, आप वायरलैस पुलिस के यहां से प्रशिक्षित व्यक्ति को लगाओ और जो अधिकारियों के घरों और आफिस में बाकी काम के लिए जो कांस्टेबल हैं उनको भी जरा वहां से मुक्त करो ताकि वे आपको मिल सकें।

जहां तक साइबर क्राइम है, स्थिति यह है कि आईटी एक्ट के अन्दर 1500 से अधिक मामले आपके पास हैं और 1200 में तो आरोपी आपकी पकड़ से दूर हैं, 10 परसेंट से ज्यादा खुल नहीं पाते और वसूली तो 2-3

(श्री वासुदेव देवनानी)

परसेंट हो पाती है। इस प्रकार की जो स्थिति बनी है इसमें मेरा आग्रह है कि साइबर के लिए एक नया कैडर बनाएं जिसके कारण ट्रेंड टैक्नीकल व्यक्ति वहां पर होगा तो ये कुछ खुल पाएंगे, नहीं तो आज आईएएस, आईपीएस, आरएएस, इन्कम टैक्स कमिश्नर या प्रोफेसर रैंक वाले भी इसके शिकार होते जा रहे हैं, इसलिए इसमें अनुसंधान करने के लिए ट्रेंड लोगों को रखने की आवश्यकता है।

आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाएंगे, कैसे बनाओगे? एसीबी द्वारा पकड़े जाने के मामले बढ़े हैं और ये बिना पुलिस की मिलीभगत के सम्भव नहीं है। करें भी कैसे क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है उसकी स्थिति यह है कि पुलिस अधीक्षक के 6 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 5 पद रिक्त हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 60 में से 28 पद रिक्त हैं, निरीक्षक के 98 में से 68 पद खाली पड़े हैं और जितना काम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो साल भर में काम करता है, सालभर में 200 मुकदमों को वह निस्तारित करता है उससे पहले उसके पास ज्यादा मुकदमे आ जाते हैं। ये जो लगातार बढ़ रहे हैं, इनके लिए कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है।

इस समय राजस्थान में एक ठग सोसाइटी ज्यादा होती जा रही हैं चाहे वह आदर्श सोसाइटी हो, नवजीवन सोसाइटी हो, संजीवनी को-आपरेटिव सोसाइटी हो, 1200 से ज्यादा ये ठग सोसाइटियां हैं जिनमें केन्द्र सरकार ने फरवरी, 2019 के अन्दर एक कठोर कानून बनाया जो 21 फरवरी, 2019 से लागू हो गया पर उसका राज्य में पालन नहीं हो रहा है। उस कानून में व्यवस्था है कि ठगों को सज़ा मिलेगी और जमाकर्ताओं की भरपाई हो पाएगी, उसका प्रावधान है, उसके सचिव स्तर पर अधिकारी को कोर्ट के पावर्स भी हैं, जिला स्तर का जज विशेष कोर्ट कर सकता है, लेकिन सरकार इस पर मौन धारण किए हुए बैठी है जिससे आज लाखों लोगों का पैसा डूबा हुआ है। उनको यह पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा इसके लिए कहीं न कहीं हमारी सरकार को विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, क्योंकि समय की सीमा है, मैं बहुत अधिक विषय पर नहीं जा रहा हूं पर अजमेर के विषय में कहना चाहता हूं। आज अजमेर मादक पदार्थों का हब बना हुआ है। उसमें अजमेर शहर के अन्दर चाहें तो अफसर और मंत्री जी, स्थान नोट कर लें, वहां पर दरगाह सम्पर्क सड़क क्षेत्र, इन्द्रकोट, रामप्रसाद घाट और दरगाह क्षेत्र में प्रतिबन्धित मादक पदार्थों की बिक्री और कारोबार खुला चल रहा है, इस काम में सम्बन्धित लोग

(श्री वासुदेव देवनानी)

बच्चों का उपयोग कर रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों का उपयोग करते हैं, जबकि वहां पर दो थाने लगते हैं, दरगाह और गंज तथा वहां पर आपने उप अधीक्षक स्तर का अधिकारी भी लगा रखा है, लेकिन फिर भी यह काम धड़ल्ले से हो रहा है। यह बिना पुलिस की जानकारी के हो, ऐसा मैं नहीं मान सकता इसलिए इस पर कहीं कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अजमेर एक बहुत बड़ा जिला है और उसके अन्दर कई बार लाखों लोग दरगाह जियारत करने के लिए भी आते हैं, पुष्कर के मेले में भी आते हैं इसलिए मेरी आपसे मांग है कि कोटा और भिवाड़ी जिले की तरह अजमेर जिले में भी शहर और ग्रामीण के लिए अलग-अलग एसपी की व्यवस्था की जाए, तब जाकर कुछ कंट्रोल में आएंगे, नहीं तो अजमेर जिले के केकड़ी, सावर, विजयनगर, मसूदा, ब्यावर जो मुख्यालय से बहुत दूर हैं वहां ठीक से नहीं हो सकता। अजमेर चूंकि अन्तरराष्ट्रीय महत्व का स्थान है, इसलिए वहां पर दो पुलिस एसपी की व्यवस्था होगी तो अजमेर की कानून व्यवस्था में सुधार हो सकेगा।

दूसरा, अजमेर चूंकि पर्यटन स्थल है, आपने जयपुर और उदयपुर में पर्यटन थाने बना रखे हैं, अजमेर में भी एक पर्यटन थाना खोला जाए क्योंकि वहां पर विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं, वे अंग्रेजी या अलग-अलग भाषाओं के होते हैं जिससे स्थानीय पुलिस को उस भाषा को समझने में कठिनाई होती है इसलिए वहां पर पर्यटन थाना खोलकर उसमें प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति की जाए।

मेरी यह मांग है कि चूंकि अजमेर उत्तर के अन्दर यह गंज और क्रिश्चियन गंज थाने हैं जो बहुत ही लम्बेचौड़े हैं, इनकी सीमाएं बहुत ज्यादा हैं। इन दोनों को मिलाकर तीन थानों की आवश्यकता है। दो के साथ एक और नया थाना जिसमें कुछ क्षेत्र गंज का और कुछ क्षेत्र क्रिश्चियनगंज का मिलाकर बनाया जाए। अगर सम्भव हो तो हरिभाऊ उपाध्याय नगर जो पुलिस चौकी है उसको थाने के अन्दर आप क्रमोन्नत कर सकते हो जिसके कारण से सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो सके नहीं तो आज उसमें बहुत बड़ा वैक्यूम आ रहा है।

मेरी चौथी मांग, हमने बहुत जोरशोर से कहा था कि हम कानून व्यवस्था सुधारेंगे इसलिए अभय कमांड की व्यवस्था हुई। अभय कमांड की

(श्री वासुदेव देवनानी)

2017 में स्थापना की गई। योजना थी कि 776 कैमरे लगाएंगे लेकिन तीन वर्षों के अन्दर अभी तक केवल 308 कैमरे ही लगे हैं। ये कैमरे भी हमारे कार्यकाल में लगे, मैं कार्यकाल का भी नहीं कहना चाहता था। मैं दो मिनट में केवल अजमेर की बात कहूंगा। कैमरों को अभय कमांड सेंटर से जोड़ने की फाइबर केबल भी अभी तक धीरे-धीरे बिछ रही है इसलिए बाकी सारे कैमरे तुरन्त आप लगाएंगे तो अजमेर की कानून व्यवस्था कंट्रोल में आ पाएगी। यह काम बहुत धीमी गति से चल रहा है।

साथ में, जैसा मैंने परसों भी जिक्र किया कि अजमेर में यातायात समस्या है। यातायात समस्या के लिए पुलिस के दो सर्किल बनाये जाने की आवश्यकता है, एक अजमेर नोर्थ और एक अजमेर साउथ। एक ही सर्किल होने के कारण पूरे शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है। माननीय सभापति महोदय, अजमेर की एक विशेष समस्या है कि वहां पर बांग्लादेशी बहुत बड़ी संख्या में हैं जिसके कारण से उनका कोई पता नहीं लगता, अन्दर आकर रह लिये और आटो रिक्शा चलाकर, घरों में काम के बहाने घुस जाते हैं और मेरा ऐसा अंदाज है कि राजस्थान में दस लाख से अधिक बांग्लादेशी है और उनका ज्यादा गढ़ अजमेर है इसलिए बांग्लादेशियों की पहचान के लिए एक अभियान चलाया जाए कौन-कौन बांग्लादेशी हैं, पहचान करके उनको डिपोर्ट किया जाए, कानून के अंतर्गत डिपोर्ट की व्यवस्था है। आप उसको डिपोर्ट करेंगे, तो आगे बढ़ चलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक मुद्दा और है होमगार्ड का। आपके 30 हजार से ज्यादा होमगार्ड हैं। कब बुलाते हो, जिस दिन उसकी आवश्यकता होती है और आवश्यकता होने के कारण वे बराबर टिक नहीं पाते हैं। होमगार्ड को स्थायी कर पाएंगे तो निश्चित रूप से अपने लिए काम करेंगे।

तीसरा, मेरा आपसे यह आग्रह है कि अपराधी तो आज हाइटेक होते जा रहे हैं और मेरी पुलिस वाले निहत्थे तकनीकी दृष्टि से अंगूठा छाप हैं। उनको ट्रेंड करके, अलग से कैडर बनाकर, इसकी व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा।

एक दूसरा मुद्दा जो इन दिनों राजस्थान के अंदर फैल रहा है। वह है धर्मांतरण का, लगातार धर्मांतरण होता जा रहा है, पुलिस की शह के बिना नहीं हो सकता, इसलिए मैं मांग करूंगा कि पुलिस की शह से हो रहे धर्मांतरण को रोका जाए। यह सरकार तुष्टीकरण के आधार पर उनको करने दे रही है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

आज मेरी कई बच्चियों को साथ में ले जाया जा रहा है और बच्चियों के प्रकरण पुलिस में दर्ज करवाते हैं, कोई भी वहां पर बरामद महिला नहीं होती, पुरुष नहीं होते, तो इस प्रकार की एक संकटकाल की स्थिति बनी है। इसलिए मैं एक बात कहता हुआ.

श्री सभापति: श्री रामलाल जाट। अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति जी, आज मांग संख्या 16, 17 पुलिस व कारागार पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति जी, पुलिस का नाम आते ही आम लोगों में क्रूरता, भ्रष्टाचार, अमानवीयता, कई तरह की ऐसी चीजें मन में लोगों के आती हैं। इसके पीछे कई कारण रहे हैं। जैसा डाक्टर साहब ने बताया था कि जब इसका गठन हुआ सन् 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में, तब समाज में अपराधियों को हटाने का था, सामाजिक समरसता बनाने था। तब से लेकर अब तक हम यह नहीं कह सकते कि सुधार नहीं हुआ। जो पुलिस की छवि उस समय बनी हुई थी अपनी सत्ता को बचाने के लिए, आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए, वह छवि आज तक पुलिस के प्रति आम लोगों में बनी हुई है। हालांकि, समय-समय पर प्रयास भी किये। फिर भी, माननीय सभापति महोदय, वह चीज हम हासिल नहीं कर पाए, जो स्काटलैण्ड यार्ड की पुलिस हासिल कर पाई। वहां पुलिस ने किस तरह लोगों का विश्वास जीता। हालांकि, समय-समय पर यहां पर राज्य सरकारों ने व्यवस्थाएं कीं। भारत सरकार का भी अहम रोल रहता है। कई बार उन अंग्रेजों की तरह ही भारत सरकार, इस आंतरिक सुरक्षा वाली पुलिस को, चाहे सीबीआई के रूप में, चाहे ईडी के रूप में, अपनी सरकार को बचाने के लिए लगा देती है, दुरुपयोग करती है। इस वजह से आज भी वही छवि बरकरार है।

मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री जी को, जिन्होंने संवदेनशील, पारदर्शिता, जवाबदेही का एक नारा ही नहीं दिया, इस बजट में भी प्रावधान किया। पहले भी जब मुख्य मंत्री बने, गांवों में पुलिस की कमेटियां बनाने का काम भी किया, लेकिन फिर भी आज कई कमियां इसके अंदर हैं। आज हम सब मिलकर पुलिस में सुझाव देने की बात करेंगे, पर मंशा जब सरकार की होगी, तो ही ये चीजें संभव हो पाएंगी। आज विधान सभा हो या

(श्री रामलाल जाट)

लोक सभा, पूरे हिंदुस्तान में या राजस्थान में कई बड़े-बड़े ओहदे पर रहे हुए पुलिस अधिकारी माननीय मंत्री भी बने, एमपी भी बने, एमएलए भी बने और आज भी हैं। वे रहते हुए भी ठीक नहीं कर पाए, आज उस पर उनको अंगुली उठानी पड़ रही है क्योंकि, इसमें सरकारों की मंशा जब तक सही नहीं होगी। आज वे उधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं। जब सरकार की मंशा पूरी सही हो पाएगी तो ही यह व्यवस्था ठीक हो पाएगी।

माननीय सभापति महोदय, आज सबसे बड़ी समस्या है। पुलिस का जो शब्द है POLICE, इसमें वे पूरी चीजें हैं। लोगों को अगर यह चीज समझ आ जाए, इसके लिए अपनी शिक्षा में ही सुधार करें, जन जागरूकता हो, गांवों में कमेटियां हों, तो ही इस शब्द का सही अर्थ निकल पाएगा। जिस किसी ने सोच समझकर पुलिस बनाई। माननीय सभापति महोदय, इसमें 'पी' का मतलब पोलाइट-विनम्रता, किस तरह पुलिस के कांस्टेबल को, पुलिस के अधिकारी को विनम्रतापूर्वक आदमियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्या आज वे चीजें हैं? कई जगह हैं, लेकिन फिर भी कई कमियां हैं।

इसके साथ ही, दूसरा शब्द 'ओ' है, ओबिडिएंट-आज्ञाकारी, आज किसी भी समय पुलिस कांस्टेबल की, अधिकारी की ड्यूटी लगती है। वह उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना करता है, चाहे किसी के घर में कैसी परिस्थिति हो। इस शब्द का सही अर्थ वह कांस्टेबल जानता है, पुलिस का आदमी जानता है लेकिन, सरकार इस चीज को समझ पाएगी, आम जनता तभी समझ पाएगी।

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद 'एल' शब्द आता, लेबोरियस-परिश्रमी, उसकी ड्यूटी का कुछ पता नहीं। कितने दिन ड्यूटी रहेगी, रात-दिन, कब खाना मिलेगा, पुलिस का जवान कितना लेबोरियस होता है। इस शब्द के अंदर वह चीज छिपी हुई है।

उसके बाद आता है 'आई' इंटेलिजेंट-होशियारी, उसकी होशियारी आज कई तरह के क्राइम है, ब्लाइंड मर्डर होते हैं, कई तरह की ऐसी चीजें गावों में होती हैं, जिनका कोई सुराग भी नहीं होता। गांव वाले पुलिस के नाम से डरते हैं, बताने को भी तैयार नहीं होते, लेकिन उसकी होशियारी से, उन चीजों को भी पुलिस निकालती आई है। कई आरोप भी लगते हैं, कई चीजें पूरी

(श्री रामलाल जाट)

भी नहीं हो पातीं, लेकिन फिर भी पुलिस इन कामों में आगे बढ़कर काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, पांचवां शब्द है करेजियस-साहसी, पुलिस का कांस्टेबल साहसी है। कई ऐसी घटनाएं घटती हैं, नदी में तालाब में बाढ़ आती है, तालाब में कई बच्चे डूब जाते हैं, कई बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं। कई पर्यटकों को जब मुश्किल में, लेकिन एक पुलिस का जवान, पुलिस का अधिकारी उन सब चीजों को छोड़कर, एक साहसपूर्ण परिचय देकर, कई बार पानी में कूदकर, कई बार गैलेंट्री प्रमोशन भी हुए हैं तो, इस शब्द में वे सारी चीजें छिपी हुई हैं।

लास्ट में आता छठा 'ई' एफिशियंसिटी, जो विशेषज्ञता उसके अंदर है, उन चीजों को अगर मोटिवेट करेंगे, सारी सरकारें मिलकर करेंगी, सारे जन प्रतिनिधि मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से जो शब्द है POLICE उसका सही अर्थ आम लोगों तक पहुंच पाएगा। शिक्षा में कमी है, इसमें जब तक सुधार नहीं होगा, माननीय सभापति महोदय, तब तक मैं समझता हूं जो हम सबके विचार हैं, लोगों की सोच है, वह पूरी नहीं हो पाएगी।

माननीय सभापति महोदय, इन सब चीजों के लिए समय-समय पर कमेटियां भी गठित हुई हैं। 1977 में भी ये चीजें आईं, 1997 में तत्कालीन गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी। महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर थे जोसेफ लेब्रो, 1998 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से जो कमेटी गठित हुई मानवाधिकार की योजनाएं लागू करना, महिला कांस्टेबल को भर्ती करना, कई वे चीजें, उस कमेटी के माध्यम से सरकारों में लागू हुई लेकिन, अकेले पुलिस राज्य सरकार के हाथ में नहीं रह पाई, इसमें सुधार करने का काम, भारत सरकार भी सहयोग करेगी, राज्य सरकार का भी सहयोग होगा, तो ही उन चीजों को हम हासिल कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, 2000 में भी केन्द्र सरकार में आतंकवाद का जो इश्यू चला, उस समय भी कई कमेटियां बनीं, लेकिन वह काम भी पूरे तरीके से पूरा नहीं हो पाया। 2005 में भूतपूर्व न्यायवादी सोली सोराबजी की अध्यक्षता में पुलिस की कमेटी बनी। माननीय सभापति महोदय, उसमें भी उन सभी चीजों को लिया गया, जिसके परिणामों को कई राज्य सरकारों ने माना और कई ने नहीं माना। 2006 में, जो मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने

(श्री रामलाल जाट)

कहा था, जो प्रकाश सिंह, आईपीएस, यूपी कैडर के सीनियर अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी। उसमें उन सब चीजों के सुझाव दिये कि राज्य सरकारें अपने खुद का पुलिस कानून लेकर आये। अगर वे नहीं लेकर आती तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर वे काम करें लेकिन, क्या हासिल हुआ। उस समय सरकार थी तत्कालीन विपक्ष में बैठे माननीय उप नेता महोदय, उस समय प्रतिपक्ष के नेता गृह मंत्री थे। मुझे याद है मैं भी विपक्ष में था, वे सत्ता में थे। जो आप जिसकी जगह विराज रहे हैं, सी.पी. जोशी साहब अध्यक्ष जी, उस समय उनसे भी बात हुई, कई बार डिस्कस भी हुआ लेकिन, उस कमेटी का क्या हश्र हुआ, कानून बने, लेकिन जब तक राजनेताओं की सोच सही नहीं हो पाएगी। तब तक पुलिस का सही सुधार नहीं हो पाएगा। आज डीजीपी से लेकर कांस्टेबल तक, राजनेताओं की सिफारिश पर ट्रांसफर, पोस्टिंग होती हैं, कैसे माननीय सभापति महोदय उन चीजों में सुधार हो पाएगा? यह इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी नेताओं की, तब तक हम इन चीजों पर काम नहीं कर पाएंगे।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं इन सब चीजों के साथ ही कुछ सुझाव भी आपको देना चाहूंगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से 432 लोगों पर एक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होनी चाहिए और आज राजस्थान में पहले आंकड़े बताए हैं पूरे हिंदुस्तान के, 750 पर आंकड़ा बैठ रहा है। सबसे बड़ी जो नफरी की कमी है, पुलिस का अधिकारी ट्रस्ट में रहता है, अपन नेता लोग हैं सब एमएलए, एमपी कई बार टाइम नहीं दे पाते, पुलिस से भी ज्यादा काम करते हैं तो अपन भी ट्रस्ट में हो जाते हैं तो कई बार चिड़चिड़ापन हो जाता है तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, गृहमंत्री जी बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि भर्तियां भी बढ़ाएं। समय पर पूरी भर्तियां करें। इसके साथ ही उन कांस्टेबल्स को जो आज संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको कम से कम परिवार के साथ घूमने का भी एक टाइम दें, छुट्टियां दें। कई बार टीवी, अखबार में आता है कि छुट्टी नहीं होने से कान्स्टेबल सुसाइड कर लेता है। कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, उन सब चीजों के लिए अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से इन सब चीजों में अपन हासिल कर पाएंगे।

आज भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है, हालांकि राजस्थान में मुख्य मंत्री जी

(श्री रामलाल जाट)

ने एक अलग सैल बनाकर आईटी के माध्यम से कोई भी कॉल करता है और तुरंत उसकी रिकार्डिंग होती है और वह पकड़ा भी जाता है लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह भ्रष्टाचार आज से नहीं है। आज अकेले अशोक गहलोत जी या हम सब मिलकर इसको नहीं मिटा पाएंगे। यह आदि-अनादि काल से चला आ रहा है। इसके तीन स्वरूप बने हुए हैं नजराना, शुक्राना और जबराना। यह कई भेंट उपहार के रूप में सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता सारे युगों के अंदर यह था तो इसको इतना आसानी से नहीं मिटा सकते हैं लेकिन अगर सब मिलकर इस पर काम करेंगे तो इसको कम करते हुए निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता आएगी। जितना भ्रष्टाचारकर्ता खुद पैसा लेता है, देने वाला भी उतना ही दोषी है फिर भी राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए काफी हद तक प्रयास किया।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री खुशवीरसिंह।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, मैं वैसे ही खतम कर रहा हूं दो मिनट में। आज जो मुख्य मंत्री जी ने एफआईआर दर्ज कराने का हर जगह, चाहे पुलिस एसपी साहब के आफिस में हो या ऑनलाइन हो, दर्ज करने का आदेश दिया है, यह स्वागत करने योग्य है लेकिन उसमें कई तरह की दिक्कतें भी हैं। आज क्राइम बढ़ा है, आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्राइम को दर्ज करने का एक बहुत-बड़ा साहसिक काम किया है।

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): 000

श्री सभापति: विराजिये। श्री खुशवीरसिंह।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें। सभी के लिए निर्देश हैं।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): 000

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें, मेरा सभी से फिर आग्रह है।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं संक्षिप्त में मेरी बात समाप्त करूंगा। पहले निज में शासन और फिर अनुशासन की बात आती है सभापति महोदय, आज हम प्रदेश के अंदर एक तरफ तो पुलिस को कोसते हैं और दूसरी तरफ हम पुलिस से सभी आशाएं लगाकर बैठे हैं, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, अमन-चैन कायम करने

(श्री खुशवीरसिंह)

के लिए। सभापति महोदय, इसके बारे में हमें चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। अभी मेरे से पूर्व वक्ता हुड़ला जी बता रहे थे कि किस तरह से हमारी इस व्यवस्था के अंदर क्राइम घुल गया है और हम ही राजनीति में बैठे राजनेता उन लोगों को प्रश्रय देते हैं और फिर हम न्याय की उम्मीद किस आधार पर रख सकते हैं। इसके लिए हमें स्वयं को पहले सोचना होगा सभापति महोदय। अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे, उनको काफी लंबा अनुभव है पुलिस का और इन्होंने एक बात कही कि अपराध का आंकड़ा बढ़ा है पिछले वर्षों से इस वर्ष अपराध का आंकड़ा बढा है, बिलकुल सत्य है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसके लिए हमारे उन गांधीवादी नेता को, आदरणीय मुख्य मंत्री गहलोत साहब को जिन्होंने, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से 12वीं विधान सभा का मैं सदस्य रहा हूं और उस वक्त एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। मैं उसका जिक्र करूंगा, लेकिन गहलोत साहब ने लंबे अनुभव के बाद में यह महसूस किया कि कई पीड़ित गरीब लोग थाने में अपनी रिपोर्ट लेकर के जाते हैं और उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है और उसके लिए यह जो एक आदेश किया है कि एसपी के पास में जीरो नंबर की एफआईआर दर्ज की जा सकती है। आज उसी का नतीजा है कि इतने आंकड़े बढ़े हैं, और बढ़ेंगे आंकड़े क्योंकि यह हमारे गांधीवादी नेता की सोच है कि किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। उसकी जांच होगी, जांच में जो भी निर्णय होगा वह अलग चीज है।

सभापति महोदय, मुझे याद है मैं 12वीं विधान सभा का सदस्य था और इसके लिए सबसे मजबूत अगर हमें काम करना होगा तो हमारे गृह मंत्री महोदय विराजमान हैं, खुफिया तंत्र को हमें मजबूत करना होगा। आदि अनादि काल से देख लें जिस सरकार का खुफिया तंत्र मजबूत रहा है तो वह सरकारें मजबूत रही हैं और जिस दिन से खुफिया तंत्र कमजोर हो गया है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, एक घटना हुई थी 12वीं विधान सभा का सदस्य था मैं उस वक्त और वह घटना थी रावला-घड़साना। रावला-घड़साना में 6 महीनों से आंदोलन चल रहा था। जबरदस्त संघर्ष था। लोगों में आक्रोश था और नतीजा यह हुआ कि वहां बंदूक की गोली चलानी पड़ी और एक नहीं, 9-9 लोग हमारे प्रदेश के, उनको हमारी पुलिस के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया और सरकार का जब वक्तव्य आया था अभी के नेता प्रतिपक्ष उस वक्त गृह मंत्री थे और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य मैंने तब सुना, उनके वक्तव्य में यह

(श्री खुशवीरसिंह)

रिपोर्ट थी कि 9 के 9 मरने वालों की गलती थी, पुलिस की कहीं गलती नहीं थी जबकि मैं यह मानता हूं कि खुफिया तंत्र सरकार का कमजोर रहा था इसलिए वह स्थिति को भांप नहीं पाए और बहुत ही हल्के में लिया और उसकी बदौलत हमारी पुलिस की गोली के द्वारा हमारे लोगों को एक पानी के बदले नौ-नौ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसलिए मैं चाहूंगा कि खुफिया तंत्र को हमें मजबूत करना होगा।

सभापति महोदय, दूसरा अभी जो यह नया क्राइम आ रहा है साइबर क्राइम। साइबर सैल को पुलिस को मजबूत करना होगा। अगर साइबर सैल हमारा मजबूत नहीं है तो हम डाल-डाल और वे पात-पात। तो इस साइबर सैल को भी हमें मजबूत करना होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं क्योंकि उस वक्त जो आईपीसी की धाराएं बनी थीं, वे 1830 में तैयार हुई, 1834 तक बनी और उसके बाद में शनैः-शनैः लगती रही, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई 1870 में पूर्ण रूप से लागू हुई, उन्होंने 40 अमैंडमेंट भी किए उनके कार्यकाल में। उसके बाद में 37 अमैंडमेंट आजादी के बाद में हुए हैं लेकिन उस वक्त उनका यह दायरा नहीं था कि साइबर सैल भी एक इस तरह की व्यवस्था होगी, उसमें जिक्र नहीं था तो मैं चाहूंगा कि हमारे साइबर सैल को मजबूत करना होगा और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो नफरी होनी चाहिए पुलिस की, वह नफरी नहीं है। सभापति महोदय, आज कमी है पुलिस में तो मैं चाहूंगा जब तक भर्ती की व्यवस्था हो, तब तक हमारे पास में जो होमगार्ड हैं वह होमगार्ड आज इधर-उधर भटकते फिर रहे हैं, तो क्यों नहीं पुलिस की नफरी में अगर आप पूरे होमगार्ड जो राजस्थान के हैं, उनको स्थाई ड्यूटी भी दे दें फिर भी हमारी नफरी कम रहेगी। इसके लिए आपको अलग से बजट की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनको आप पूरे 365 दिन ड्यूटी दीजिए, उसके बावजूद भी आपकी नफरी कम रहेगी और इसके लिए अतिरिक्त बजट देने की आवश्यकता नहीं है, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिसकर्मी चाहे चौकी में है, चाहे थाने में है, चाहे अन्य कार्यालय में है, डीवाईएसपी कार्यालय में है, जो उत्कृष्ट काम करता है, सामाजिक तौर पर उनका सम्मान होना चाहिए, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर कि उस व्यक्ति और उस अधिकारी ने काम किया है। एक बात मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां पर भी क्राइम होता है या

(श्री खुशवीरसिंह)

पुलिस की कोई नैग्लीजेंसी हो जाती है तो हम पूरी पुलिस को कोसने लग जाते हैं कि पुलिस चोर है, पुलिस भ्रष्ट है। पुलिस कभी चोर और भ्रष्ट नहीं हो सकती। व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, अधिकारी भ्रष्ट हो सकता है आपका, लेकिन पूरी पुलिस को हम यह जब कहते हैं तब दु:ख होता है हमें। हां, हो सकता है एक अधिकारी भ्रष्ट हो, निश्चित रूप से माफियाओं से मिला हुआ हो, हो सकता है, जमीनों का धंधा करता हो, हो सकता है, कोई दारू की खेप में शामिल हो सकता है, स्मगलिंग में शामिल हो सकता है। आजकल जो फंडा चल रहा है, उसमें भू-माफियाओं के साथ मिल सकता है लेकिन पुलिस नहीं हो सकती है। इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन अधिकारियों को जिन्होंने आमजन में विश्वास की बात को कायम रखा है।

सभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में 4 दिसम्बर को एक दलित महिला गवरा देवी का मर्डर हुआ था। ज्यों ही वह घर से निकली, उसकी आवाज सुनाई दी, उसके भाई को चिल्लाहट सुनाई दी, जंगल में उनका कुआ है, उसका भाई पीछे भगा लेकिन वह नहीं मिली। उसने वहीं से पुलिस को फोन किया, पुलिस आधे घंटे में आ भी गई थी, ढूंढ़ते रह गये और दूसरे दिन जब पता चला कि जहां घटना हुई, उस घटना स्थल से मात्र 300 मीटर दूरी पर उसका शव मिला और उसका मर्डर किया गया। प्रथम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आनन फानन में या लापरवाही में, मैं आरोप नहीं लगाता हूं किसी पर, लापरवाही में यह बताया गया कि किसी प्रकार के बलात्कार का प्रयास नहीं हुआ। जब जनता ने मांग की कि बोर्ड के माध्यम से हम पोस्टमार्टम करवाएंगे और दूसरे दिन जब बोर्ड के माध्यम से पाली में पोस्टमार्टम होता है और रिपोर्ट आती है कि इसमें बलात्कार का प्रयास किया गया और फिर उसका मर्डर किया गया। 4 दिसम्बर की घटना है, दलित महिला है, गरीब महिला है, हालांकि वहां के स्थानीय अधिकारियों ने कोशिश की, एडिशनल एसपी ने भी कोशिश की, लेकिन बड़े दु:ख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, सभापति महोदय, दिन दहाड़े की घटना है और आज दिन तक पुलिस को कोई क्लू तक नहीं मिल पाया, यह हमारे लिये एक सवालिया निशान खड़ा करता है। हमारे लिये बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण घटना है। गृह मंत्री महोदय के माध्यम से मैं चाहूंगा कि चाहे कुछ भी करना पड़े, प्रयास नहीं हुए हैं ऐसी बात नहीं है, आईजी, जोधपुर तक ने भी कोशिश की है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तत्परता दिखाते हुए हाथों हाथ

(श्री खुशवीरसिंह)

आदेश जारी किया कि तुरंत इसकी जांच करें। मैं चाहूंगा कि उसकी जांच हो और वह मुलजिम पकड़ा जाये ताकि हमारे यहां अमन और चैन रहे। आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): धन्यवाद सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 पुलिस विभाग पर वक्तव्य हो रहा है। हमारे राज्य में या देश में देखा जाये तो जो हम जन प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, वह भी और जो आमजन हैं, सभी लोग पुलिस विभाग से आशा करते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे। हमारे देश की और राज्य की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं लेकिन हम सभी पुलिस विभाग को कोसते हैं कि पुलिस विभाग ऐसा है, ऐसा है। कुछ हद तक सही भी हो सकता है और कुछ हद तक गलत भी हो सकता है। इस पूरे सदन को मिलकर सरकार को अवगत कराना चाहिये कि पुलिस विभाग की पीड़ा क्या है। आज पुलिस विभाग के कर्मियों को पर्याप्त मात्रा में भत्ता नहीं मिल पा रहा है। जैसे वर्दी धुलाई है, यात्रा भत्ता है। कई समय से पुलिस विभाग की डिमांड है कि रोडवेज में हमें नि:शुल्क यात्रा के लिये नियम बनाये जाएं। कुछ समय पहले मेरे पास कुछ लोग आये थे, 30.10.2017 के आदेश के बाद 8.1.2020 को जो वापस आदेश निकाला है, इसमें 30.10.2017 के बाद की अवधि के अधिक भुगतान की राशि वसूली जायेगी। मतलब एक पुलिसकर्मी से हर महीने 4-5 हजार रुपये वसूले जायेंगे। इससे वह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे क्योंकि वह उसकी सैलरी से पैसा कटेगा तो वह कहीं न कहीं से इस पैसे को वापस लायेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस आदेश को निरस्त किया जाये।

हमारे अनुसूचित क्षेत्र में सभी विभागों की विज्ञप्ति अलग से जारी होती है। उस अनुसूचित क्षेत्र में जो आरक्षण की व्यवस्था है, राज्यपाल की 2016 की जो अधिसूचना है, कार्मिक विभाग का आदेश है, वहां पर आरक्षण का बंटवारा किया गया है। 45 परसेंट एसटी, 5 परसेंट एससी और 50 परसेंट अनारक्षित। पुलिस विभाग की हाल ही में जो विज्ञप्ति जारी हुई है और 2017 में जो भर्ती हुई, उसमें राज्यपाल की अधिसूचना की अवहेलना की गई। यह पूरा सदन जानता है, जो उस समय सरकार थी, वह भी जानती है और हम भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं 2017 की जो विज्ञप्ति जारी हुई, उसमें एक

(श्री राजकुमार रोत)

भी अभ्यर्थी एससी और एसटी का जो 50 परसेंट अनारक्षित सीटें हैं, उसमें नहीं लिया गया। अनारक्षित की मैरिट 60 गई है और एसटी और एससी का अभ्यर्थी 70 परसेंट ला रहा है फिर भी उसको एसटी, एससी में काउंट किया गया। एक तरफ तो कहते हैं कि वहां पर आरक्षण व्यवस्था लागू है, अभी हाल में जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें जो पद डिवाइड हुए हैं विज्ञप्ति संख्या 1602 दिनांक 4.12.2019 को जारी हुई है, उसमें 1597 पद दिये गये हैं। इसमें 1257 पद अनारक्षित, मतलब 78 प्रतिशत और 318 पद एसटी को दिये गये हैं, मात्र 19 प्रतिशत पद दिये गये हैं और एससी को 22 पद दिये गये हैं, मात्र 0.37 प्रतिशत पद दिये गये हैं। वहां पर 45 प्रतिशत के हिसाब से पद डिवाइड होने चाहिये। वहां पर एक आंदोलन हुआ, लड़कों ने डिमांड की, संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई। उस विज्ञप्ति में एसटी के लिये सिर्फ 15 पद आगे बढ़ाये गये और एससी को जो पूर्व में 22 पद दिये गये थे, उनको 23 पद, मतलब एक पद की वृद्धि की गई। इस तरह से वहां के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है।

हम संविधान की बात करते हैं, संविधान में आरक्षण के प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है, सरकार चाहे कोई भी हो, इधर की हो या उधर की हो लेकिन हमेशा कहीं न कहीं अन्याय हुआ है। इसी की बदौलत वहां के सारे युवा कहीं न कहीं परेशान हैं और प्रताड़ित हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि जो वास्तव में आरक्षण की व्यवस्था है, वह विभिन्न भर्तियों में और विशेषकर पुलिस विभाग की भर्ती में लागू की जाये। वहां पदोन्नति की बात होती है, एक अभ्यर्थी जो एससी या एसटी का है, कांस्टेबल में सामान्य कोटे से भर्ती होता है लेकिन उसकी पदोन्नति होती है तो उसे वापस एसटी के कोटे में लिया जाता है। तब दु:ख होता है जो 1995 में एक कांस्टेबल बना है और जो 2005 में कांस्टेबल बना है, 1995 का कांस्टेबल एसटी, एससी का है वह 2012 में भी कांस्टेबल ही है और जो 2005 में भर्ती हुआ है, उसका हैड कांस्टेबल से एएसआई तक प्रमोशन हो जाता है। इस तरह पदोन्नति में कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है।

आज कानून व्यवस्था के बारे में लोगों में मानसिकता बैठ गई है कि पुलिस ऐसी है। आज हर पुलिस कर्मी में एक तनाव जैसा रहता है। हम कोई ऐसी पालिसी बनाएं ताकि वह तनाव मुक्त हो जाये और लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आये।

(श्री राजकुमार रोत)

अभी पुलिस विभाग की कमियां गिनाई जा रही थीं। हमारी शासन व्यवस्था पर प्रशासनिक अधिकारी हावी होता है, भले कोई भी सरकार रही हो। अभी 2 अप्रैल की घटना की बात हो रही थी। 2 अप्रैल की घटना को दो साल हो गये लेकिन आज भी सदन में गूंज रही है। इससे यह साबित होता है कि उस दिन कहीं न कहीं गलत हुआ था। उधर से भी सभी बता रहे थे कि कांग्रेस सरकार में यह हो रहा है, वह हो रहा है, मैं किसी भी पार्टी की या किसी भी सरकार की बुराई नहीं करना चाहता लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है, हमारे आसपुर इलाके में थाने के सामने एससी, एसटी के लोगों ने तलवारबाजी की और उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, थानेदार साहब खड़े हैं और पास में तलवार लेकर लोग खड़े हैं। लोगों को 2-2, 3-3 किलोमीटर तक दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया। उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी, हमारे डूंगरपुर के विधायक वहां पहुंचे, हम भी साथ में पहुंचे तो एफ.आई.आर. नहीं करने दी। विधायक साहब को ऊपर से आलाकमान का फोन आया कि वहां से हट जाओ। इस तरह की बात हुई है। दो से तीन किलोमीटर तक लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया और 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया और वे ही लोग गिरफ्तार हुए, जिनके साथ मार-पीट हुई थी। 17 लोग थे, 17 के 17 ही एससी, एसटी के थे, तो इस तरह की मानसिकता है। यह मानसिकता कब खतम होगी, आज हमारे देश को आजाद हुए 70-72 साल हो गये हैं, लेकिन आज भी वह मानसिकता बैठी हुई है। हमें उस मानसिकता पर काम करना पड़ेगा।

अभी हाल ही में पंचायती राज चुनाव हुए कि किस तरह की घटना होती है। हम बात करते हैं कि 'आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर' तो अपराधी कैसे बन रहे हैं? हम कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं। हमारी फोर्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम अपराधी बना रहे हैं। हमारी कुछ ऐसी व्यवस्था है जिससे जो अपराधी नहीं है, वह भी अपराधी बन रहा है। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि अभी जो सरपंच के चुनाव हुए हमारी एक पंचायत है, दो पंचायतों में आगजनी हुई, बूथ पर पथराव हुआ। उस घटना में जो हुआ, जो सबसे पहले कड़ी स्टार्ट हुई कि वह इलाका गुजरात बोर्डर पर है। राजस्थान का जो सबसे महंगा दारू का ठेका जाता है, वह उस इलाके में जाता है। वहां जो थानेदार लगते हैं, कहीं न कहीं ऊपर जैक लगाकर वहां लगते हैं। कहते हैं, बहुत महंगा जाता है, बहुत बड़ी पेटियों में जाता है। वहां पर चंडीगढ़

(श्री राजकुमार रोत)

पंजाब, हरियाणा से जो दारू आती है तो सरपंच के चुनाव में.., मैंने भी विधायक का चुनाव लड़ा था, तो दारू की गाड़ी जा रही है। युवा वर्ग लोग कह रहे थे कि इसमें दारू है, पुलिस कह रही दारू नहीं है, इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। एक-दो गलत करते हैं और पूरे विभाग को बदनाम करते हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

अभी जो माण्डला में हुआ, एक नाबालिग बच्चा है जो कि बीएससी-बीएड कर रहा है, उसका मत भी नहीं आया, उसका वोट भी नहीं आया, उसका नाम राहुल खराड़ी है। पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ा और बुरी तरह से मारा है और जेल भेज दिया है। एक नाबालिग को जेल भेजा, उसने अगर गुनाह किया तो उसे बाल गृह में भेजना चाहिए था, उसकी जे.सी. कराकर, उसके असत्य दस्तावेज पेश करके उसको वहां पर भेज दिया। यह स्वाभाविक है कि वह बच्चा वहां पर पढ़ रहा था। उसके साथ ऐसा हुआ तो उसमें अपराधी प्रवृत्ति अब जागेगी, जितने लोग पकड़े गये, सारे निर्दोष लोग पकड़े गये। स्वाभाविक है कि जो घटना करने वाला है, वह तो भाग जाएगा, जो निर्दोष है वह सोचेगा कि घर पर रहें। घर पर ही बैठे थे, सभी लोगों को उठाकर बंद कर दिया गया। वह नाबालिग बच्चा था, उसके साथ मारपीट की।

एक राजस्व गांव है, आजादी के 70 साल बाद भी उस गांव से कोई सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा था। इतना भय था। पहली बार वहां से आदमी लड़ा, उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारा गया और कहा गया कि तू फिर चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। उससे यह कहलवाया कि नहीं लड़ूंगा। उससे इतनी मारपीट की गयी। यह जो घटना है, वह स्वाभाविक है। उस इलाके में आज शराब की बात होती है। ऊपर से टार्गेट आता है कि टार्गेट पूरा करो, तो पुलिस प्रशासन, वहां पर जो ठेकेदार रहते हैं, इंग्लिश दारू, बिहार का जो दारू आता है, वह दारू बिकता है। वह टार्गेट देते हैं कि कौन-कौन गरीब आदमी जो पीने के लिए देशी महुआ बना रहा है, लिस्ट बनाकर पुलिस प्रशासन को दी जाती है कि ये गरीब आदमी देशी महुए का दारू बना रहा है क्योंकि उनको इंग्लिश दारू बेचना है। पुलिस कार्यवाही करती है और आंकड़ा ऊपर भिजवाती है। ऐसी जो घटनाएं हैं, उन पर पाबंदी लगायी जाए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि इलाके में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनायी जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, आपने पुलिस और कारागार की डिमांड पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। पुलिस का नौजवान खाकी वर्दी में 12 से 18 घंटे की ड्यूटी करता है। न कोई रविवार, न कोई छुट्टी। राष्ट्रीय छुट्टी का दिन भी हो तो सुबह चार बजे उठता है, वर्दी संभालता है, जूते पालिश करता है, बैल्ट लगाता है और जनता के बीच में आदर्श बनकर खड़ा होने की कोशिश करता है। दूसरे महकमे भी हैं, वहां पर भी सरकारी कर्मचारी हैं, 52 इतवार हैं, 12 सैकण्ड सैटरडे हैं, 36 सरकारी छुट्टियां हैं, 365 दिन में 100 छुट्टियां हैं। ये भी सरकारी कर्मचारी हैं, उतनी ही तनख्वाह पाता है, लेकिन एक भी छुट्टी नहीं ले पाता है। इसका भी परिवार है, इसके बाल-बच्चे हैं। इसको भी कभी बेटी की फीस जमा कराने जाना होता है तो उस दिन ड्यूटी आ जाती है। शायद ही जिंदगी में कभी घर में बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माता-पिता के साथ अपना त्यौहार मना पाता है क्योंकि यदि यह सड़क पर त्यौहार के दिन खड़ा नहीं रहेगा तो हम हमारा त्यौहार नहीं मना पाएंगे। हम आपस में होली नहीं खेल पाएंगे। हम दिवाली नहीं मना पाएंगे, हम ईद नहीं मना पाएंगे। वह वहां मजबूती से, दुरुस्ती से लगा रहता है ताकि हम अपने त्यौहार मना पाएं, अपने परिवार के बीच में बैठकर खुशियां मना पाएं।

कभी दंगा-फसाद हो जाए तो ड्यूटी कब खतम होगी, उसका भी कोई अता-पता नहीं रहता है। यह पुलिस लाइन का कर्मचारी पुलिस लाइन में रहता है। यदि लाइन शब्द जुड़ गया तो वहां पर हर तरह की लाइन ही लाइन लगती है। सुबह 4 बचे उठता है तो शौचालय की लाइन में लगो, वहां से निवृत्त होकर नहाने के लिए लाइन में लगो, वहां से फ्री हो गया तो मैस में खाने के लिए लाइन में लगो। 8 बजे ड्यूटी पाइंट पर नहीं पहुंचे तो अधिकारी गैर हाजिरी डाल देता है, वहां उसकी सुनवाई नहीं होती। इन परिस्थितियों में हमारी पुलिस का नौजवान काम करता है। सरकारी आवास में, पूरे देश का सर्वे है कि जो 24 प्रतिशत पुलिस के कांस्टेबल जो सरकारी आवास में रहते हैं, उनकी स्थिति भी बड़ी दयनीय है। दिन भर मुस्तैदी से खड़ा रहता है। रात को 9-10 बजे तक ड्यूटी पाइंट पर रहता है और जनता के उलाहने सुनता है। अधिकारियों की डांट-डपट सुनता है और कुछ हम जैसे लोग धमका जाते हैं कि वर्दी उतरा दूंगा। इस तरह की बातों के बाद जब 10 बजे आकर सोता है तो मन में यही चिंतन रहता है, यही मंथन करता हुआ सोता है कि सुबह फिर 4 बजे उठना है, उसी लाइन में लगकर उसी ड्यूटी पाइंट पर जाना है और अपनी ड्यूटी को

(श्री बिहारीलाल)

निभाना है। इन्हीं परिस्थितियों में हमारा यह कर्मचारी काम करता है और 40-45 की उम्र तक आते-आते उम्र से ज्यादा बूढ़ा लगने लग जाता है। बीमारियां घेर लेती हैं। इन परिस्थितियों में भी जब खाकी वर्दी में यह सिपाही मजबूती से डटा-खड़ा रहता है तो निश्चित रूप से खाकी वर्दी का जो खाकी रंग है, वह बड़ा सोच-समझकर तय किया गया होगा, क्योंकि यह मिट्टी से मिलता हुआ रंग है। अपनी कर्तव्यपरायणता के लिए अगर उसको मिट्टी में मिलना हो तो भी तैयार है। शहीद रतनलाल की तरह जो दिल्ली में अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गये। अगर अपराधियों को भी मिट्टी में मिलाना हो तो उसके लिए भी मुस्तैदी से डटा रहता है। पुलिस नफरी में जो कांस्टेबल का 86 प्रतिशत हिस्सा है ये उसकी कहानी है।

इसके बाद पुलिस के सकारात्मक पहलू भी हैं। हम नकारात्मक पहलू की बात करें तो यह उनके साथ न्याय नहीं होगा। सकारात्मक पहलू का भी हमें जिक्र करना होगा। मेरे बीकानेर जिले में महिला थाने का अधिकारी मनोज माचरा, एक सामाजिक सरोकार का काम करता है, अच्छा संदेश जाता है। ऐसा ही काम जयपुर में करधनी थाना अधिकारी रामकिशन करता है, एक सामाजिक संदेश जाता है। सकारात्मक कामों की भी हमें तारीफ करनी होगी, पहचान करनी होगी। इन 86 प्रतिशत कांस्टेबल, उसके बाद 13 प्रतिशत की नफरी जो एएसआई और सीआई की है, ये दोनों 99 प्रतिशत हुए। इसके बाद एक प्रतिशत लोग बचते हैं जो डीवाई.एस.पी. और डी.जी.पी. तक की पोस्ट के लोग हैं। इन लोगों को तो अपनी आईपीएस एसोसिएशन में अपनी बात कहने का हक है। लेकिन उन 99 प्रतिशत लोगों को कहीं पर भी अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। सरकार से उसका सीधा तारतम्य किसी भी स्तर पर नहीं है। थानों की स्थितियां देखिए, किस मानसिक तनाव में काम करता है। 30 साल पहले की नफरी से काम चला रहे हैं। अनुसंधान अधिकारियों के पद जयपुर में 50 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं तो प्रदेश की स्थिति का आकलन कर सकते है। सभापति महोदय, वर्दी-भत्ते की स्थिति देखिए। कांस्टेबल से सीआई तक 7 हजार रुपये सालाना, 99 प्रतिशत पुलिस और एक प्रतिशत पुलिस आई.पी.एस. को 20 हजार रुपये सालाना, यह स्थिति देखिए माननीय सभापति जी।

मैस व्यवस्था, किस तरह 2 हजार रुपये के मैस भत्ते में सिपाही से सीआई तक का गुजारा करते हैं। माननीय डीजीपी साहब या अधिकारियों ने मैस में जाकर कभी उनके साथ खाना खाया? उनको कभी बराबरी का एहसास

(श्री बिहारीलाल)

कराया। लांगरी 6300 रुपये में अपनी नौकरी करता है और सुबह से शाम तक 100 लोगों का खाना बनाता है। माननीय मंत्री महोदय, हम घर में दो लोगों का खाना बनाने के लिए किसी को रखते हैं तो वह 12 से 15 हजार रुपये से कम नहीं लेता है। स्वीपर 600 रुपये में, मुलजिम के खाने के लिए 15 रुपये का प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, वह भूखा मर जाए तो कस्टडी डैथ में पूरे थाने की जान जाए।

सभापति महोदय, पुलिस को एक मजबूत अभियोजन पक्ष की जरूरत है, चाहे दूसरी कोई भी एजेंसियां हो, क्योंकि पुलिस जब कभी भी, घटना घटित हो जाती है तो पुलिस अपने आपको अकेला पाती है, कोई साथ में खड़ा नहीं होता है। डाक्टर्स के साथ स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है। सीबीआई, एनआई और अदर एजेंसियों के अपने अभियोजन पक्ष हैं। पुलिस के लिए ऐसा तंत्र नितांत जरूरी है। एपीपी, एडीपी की जो व्यवस्था है, वह कहीं-कहीं पुलिस के साथ खड़ी होती हुई नजर नहीं आती। पुलिस का स्वयं का अभियोजन पक्ष होना चाहिए। इसके लिए पुलिस के अधिकारियों और सरकार को चिंता करनी चाहिए। कस्टोडियल डैथ के लिए सदन ने चिंता की, बाड़मेर से आने वाले वरिष्ठ सदस्य ने जिसका जिक्र किया। पूरा सदन चिंतित हुआ। आसन से व्यवस्था हुई। सरकार इस पर वक्तव्य देगी, कस्टोडियल डैथ पर कुछ निर्णय होना चाहिए, निश्चित तौर पर कस्टडी में ह्यूमिलिएशन और फिजिकल असाल्ट से मौत होती है तो होना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू भी हमें देखना होगा। देशभर का 2017 का एक सर्वे उठाकर देखिए। 100 कस्टोडियल डैथ हुई, जिसमें से 95 प्रतिशत कस्टोडियल डैथ दूसरे कारणों से, हार्ट अटैक आदि से हुई। मात्र 5 प्रतिशत कस्टोडियल डैथ फिजिकल असाल्ट से हुई, उनमें जरूर अपराध बनता है, लेकिन पूरे थाने को हम कठघरे में खड़ा कर देते हैं। कितने वर्षों तक अधिकारी/कर्मचारी उस बात के लिए घूमता रहता है, परिवार संताप में रहता है। इस बात को भी हमें देखना होगा। पुलिस को प्रयोगशाला बनाने से पहले मैं अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि नीचे तक सर्वे कराइए। आप नित नये जो रोज आदेश फर्मा देते हैं, उनसे नीचे व्यवस्थाएं कितनी बिगड़ जाती हैं, इसका भी अंदाजा लगाइए। ठीक है आपने सीसीटीएनएस की व्यवस्था की, रोजनामचा, एफआईआर, गुमशुदगी सब ऑनलाइन हो गया लेकिन हमारे पास तकनीकी सक्षम लोग हैं क्या? हमारा सर्वर पांच-पांच घंटे डाउन रहता है। इन परिस्थितियों को कौन दुरुस्त करेगा? सीआई से आरपीएस पदोन्नति का, ट्रेनी

(श्री बिहारीलाल)

एग्जाम 50 प्रतिशत अंक का, ये तुगलकी फरमान जो 24 जून, 2019 को लागू हुआ, इसे वापस लेना चाहिए। कंपनी कमांडर, पुलिस सीआई के काडर को अलग करना चाहिए। सभापति जी, पुलिस में सबसे बड़ी विसंगति, संसाधनों का बंटवारा देखिए, जो भी संसाधन चाहे वह वाहन हो, फोटोग्राफी मशीन हो, प्रिंटर हो, कम्प्यूटर-स्टेशनरी, मोटर साइकिल, आधुनिक हथियार, हैलमेट, चाहे कुछ भी हो, उन संसाधनों का बंटवारा पुलिस हैडक्वार्टर्स से शुरू होकर थाने तक जाता है। इस परम्परा को रोकिए, इसको बदलिए। इन संसाधनों का बंटवारा पुलिस थाने से शुरू करके हैडक्वार्टर्स तक लाइए, तब जाकर आप सही मायने में न्याय कर पाएंगे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरे नोखा के तीन थानों के चार मुकदमों का जिक्र करना चाहूंगा जिनमें आज भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है। पुलिस थाना नोखा, एफआईआर 387/19, मुकेश सोनी के साथ लूट हो जाती है। 2019 के बाद 2020 आ गया, साल बदल गया। अभी तक बीकानेर की पुलिस उसको खोज नहीं पाई है। एफआईआर नंबर 84/19, पुलिस थाना जसरासर, श्याम बाना का सुसाइड केस, एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है। यह साबित हो चुका है कि मृत्यु पूर्व सुसाइड नोट था, वह श्याम बाना का था परन्तु प्रभावशाली लोग हैं, राजनीतिक पहुंच वाले लोग हैं। पुलिस इनको बचाने का प्रयास कर रही है। इसमें भी अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। एफआईआर नंबर 01/20, पुलिस थाना जसरासर, एक नाबालिग नायक समाज की बेटी मैना, ईश्वर नायक की बेटी को कोई अगवा करके ले जाता है। एक महीने तक थाने के आगे धरना चलता है। नायक समाज धरना देता है। दलित की बेटी का आज तक पता नहीं चला। बीकानेर की पुलिस सो रही है। पुलिस थाना पांचू की एफआईआर नंबर 25/20, हरिराम ने खुद के स्टूडियो में चोरी हुई, केस दर्ज कराया और पहले चैलेन्ज करके चोरी की गई, उसको चेतावनी देकर राजनीतिक रंजिश से, इसका भी अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया।

माननीय सभापति जी, मैं चार बातें मेरे क्षेत्र से संबंधित रखूंगा। पुलिस थाना नोखा, आपने पालिसी तय कर रखी है कि उपखण्ड स्तर पर सीआई बैठेगा। नोखा में सीआई 20 वर्षों से बैठ रहा है लेकिन गजट नोटिफिकेशन में नोखा थाना आज भी इंस्पैक्टर नहीं बोलता है। उसके हिसाब से गजट नोटिफिकेशन में यह प्रावधान कीजिए। नोखा थाना को सीआई थाना

(श्री बिहारीलाल)

बनाइए और उस हिसाब से नफरी लगाइए। नोखा के तीनों पुलिस स्टेशन नोखा, पांचू, जसरासर में रिक्त पद भरे जाएं। हमारे नोखा में आईबी की पोस्ट की बहुत बड़ी जरूरत है। पठानकोट हमले के पहले जो आईबी की पोस्ट आपने बंद कर दी, बीकानेर जिले की दो पोस्ट बंद हो गई। 24 पोस्टें राजस्थान की बंद हुई। उनको खोलने के आपने आदेश कर दिए, पठानकोट हमले के बाद। सीमावर्ती क्षेत्र में ये बात जरूरी है। उन्हें नहीं खोला गया है, वापस से खोला जाए। नोखा में किसान आंदोलन का बड़ा केन्द्र देखते हुए एक IB की चौकी खोली जाए।

श्री सभापति: श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री बिहारीलाल (नोखा): पांचू पुलिस थाने में भौगोलिक एरिये को देखते हुए कक्कू में एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाए। रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़े अपराध गठित होते हैं, यहां जीआरपी की चौकी स्थापित की जाए।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा): हमारे कारागृह का निर्माण हो चुका है, उसको पुन: संचालित नोखा में किया जाए।

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 व 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य ने बंद करने के बाद जो कुछ भी कहा, अंकित नहीं होगा। कोआपरेट नहीं करते हैं आप।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): प्रदेश में कानून-व्यवस्था पुलिस के जिम्मे है। प्रदेश में जनता शांति व धैर्य से जीवन-यापन करे, इसके लिए पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। साल-सवा साल पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और प्रदेश के सदन के नेता, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, अहिंसा के पुजारी और देश के दूसरे गांधी सम्माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनी। सरकार बनते ही जो गृह विभाग के क्षेत्र में, कानून-

(श्री किसनाराम विश्नोई)

व्यवस्था के क्षेत्र में फैसले लिये गये, चाहे वह मॉब लिंचिंग का कानून लाने का बहुत बड़ा फैसला हो, चाहे कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस के संसाधन बढ़ाने की बात हो, चाहे पिछले बजट में स्वागत कक्ष बनाने की बात हो। मैंने स्वयं ने मेरे विधायक कोष से दो थानों में स्वागत कक्ष निर्माण की स्वीकृति दी है।

माननीय सभापति महोदय, लंबे समय से चर्चा हो रही है। पुलिस के बारे में, जीरो आवर के समय सुबह भी सामने बैठे साथियों ने किसानों के बारे में चिंता की। किसानों के कितने शुभचिंतक है, वह मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया था रावला-घड़साना की घटना। वह शायद किसानों के प्रति बहुत ही इनकी हमदर्दी जाहिर करती थी। देश के आजाद होने के बाद में राजस्थान में किसानों के ऊपर कोई गोली चली है तो इनके शासन में चली है रावला-घड़साना में, जो किसानों के लिए वैल में आ रहे थे। सभापति महोदय, यह बहुत ही चिंता का विषय है। आप सभी को मालूम है और एक कहावत भी है माननीय अशोक गहलोत जी हमेशा शांतिप्रिय और अहिंसा के पुजारी रहे हैं। एक कहावत है, हमारे धर्मगुरु जाम्बू जी की एक कहावत है कि ''जै कोई आवे हाय-हाय करते, आप होइए पानी'' अगर सामने वाला कोई आग-बबूला होकर आ रहा है, आप स्वयं पानी की तरह हो जाओ, वह सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। ऐसे हमारे सदन के नेता हैं, ऐसे हमारे माननीय मुख्य मंत्री हैं। चाहे वह गुर्जरों का बार-बार आन्दोलन हो, हमेशा वार्ता में विश्वास करने वाले हमारे सदन के नेता रहे हैं। वार्ता में विश्वास करते हैं। निर्णय-फैसला, कोई कानून हाथ में लेने का फैसला माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं करते। इसी तरह से इस बजट में भी पुलिस के संसाधन, वाहन बढ़ाने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की घोषणा की है। एफएसएल लैबोरेट्री को जोधपुर, जयपुर, अजमेर को अपग्रेड करने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। अनेकानेक कानून व्यवस्था बढ़ाने की घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के समय भी पुलिस थानों के सीमांकन में एक बात आई थी कि पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार उसी विधान सभा क्षेत्र में हो। शायद माननीय पूर्व तत्कालीन गृह मंत्री की चली नहीं होगी, बात आगे नहीं बढ़ सकी। आज भी थानों की तहसील कोई है, पंचायत समिति कोई है, विधान सभा क्षेत्र कोई है। मेरी आपसे मांग रहेगी कि पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार उसी विधान सभा क्षेत्र में आने वाले गांव होने चाहिए ताकि कानून-

(श्री किसनाराम विश्नोई)

व्यवस्था की दृष्टि से, जन-प्रतिनिधि की पहुंच की दृष्टि से वह सुलभ हो सके और आसानी से कानून-व्यवस्था में सुधार में इससे सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे पुलिस थाना हो या पुलिस की चौकी हो। इसलिए थानों का सीमांकन भी विधान सभा क्षेत्रवार हो।

पुराने जमाने में पुलिस थाने अंदर गांवों में बने हुए थे। आज जगह-जगह नेशनल हाईवे बन गए, स्टेट हाईवे बन गए। आज आबादी हाईवे पर ज्यादा आएगी। इसलिए अंदर गांव में बने हुए थानों को भी हाईवे पर लाना चाहिए। आज पुलिस के अंदर मेरा एक सुझाव रहेगा कि आज कानून-व्यवस्था की दृष्टि से शिकायत आ रही है, वह शिकायत तब कम होगी, आज आबादी की दृष्टि से थानों के अंदर नफरी होती है, जिले के अंदर, आबादी के हिसाब से नहीं होकर क्षेत्र के हिसाब से हो, भौगोलिक दृष्टि से हो क्योंकि आज जैसे हमारे मारवाड़ के अंदर सारी आबादी छितराई ढाणियों में बसती है। वह क्षेत्र की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से हो तो निश्चित रूप से लोगों को न्याय त्वरित गति से मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ एक दूसरा मेरा सुझाव है कि पुलिस थाने के अंदर दो सैल होने चाहिए। अनुसंधान का सैल अलग हो और कानून-व्यवस्था का सैल अलग हो ताकि अनुसंधान अधिकारी अपने स्तर पर अनुसंधान करे और कानून-व्यवस्था का अलग सैल हो त्वरित गति से कानून-व्यवस्था हो, पुलिस अपना एक्शन ले सके। पुलिस के पीछे हमेशा कहा करते हैं कि 'सांप चला गया और लकीर के पीछे पुलिस पहुंचती है' तो यह धब्बा उस पर कभी नहीं लग सकता, अगर दो सैल हों। अनुसंधान का अलग और कानून व्यवस्था का अलग। साथ ही साथ पूर्व वक्ताओं ने, माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी, वह बात बिलकुल वाजिब है क्योंकि आज पुलिसकर्मियों का वेतन भी कम है। कांस्टेबल का वेतन कम है। जो हमेशा चाहे बीट का काम करता हो, थानों के अंदर, कांस्टेबलों के वेतन में वृद्धि हो। हार्ड ड्यूटी के हिसाब से जो वेतन है, वह कम है। कांस्टेबलों का वेतन बढ़ना चाहिए ताकि वे नई ऊर्जा के साथ काम करें। साथ ही, सभी माननीय सदस्यों ने यह बात भी रखी कि कांस्टेबल को एक साप्ताहिक अवकाश भी मिलना चाहिए। अगर कांस्टेबल को नियमित रूप से अवकाश नहीं मिले, अगर उसको रोस्टर तरीके से अवकाश मिलेगा तो निश्चित रूप से कांस्टेबल का जीवन स्तर भी सुधरेगा और नई ऊर्जा के साथ वह अपना काम कर सकेगा।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

पुलिस के सरलीकरण की बात आती है, इसके बारे में भी ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि पुलिस व आम जनता का तालमेल हो, चाहे स्वागत केन्द्र के माध्यम से हो, आवभगत के माध्यम से हो, तालमेल होना चाहिए। जिला स्तर पर, थाने स्तर पर हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, खेलकूद जैसी गतिविधियां करने से भी आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है।

साइबर क्राइम की बात आई, साइबर क्राइम के लिए कार्मिकों को अलग से ट्रेनिंग देनी चाहिए। पूरे देश में अपराध बढ़ने के दो बहुत बड़े कारण हैं, एक बेरोजगारी, दूसरा नशा। यह दो बड़े कारण हैं, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। लोग नशे की वजह से अपराध कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपनी बात जारी रखें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): स्मैक जैसा जानलेवा नशा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर कोई नशेड़ी पकड़ा जाता है अपराध करते हुए पकड़ा जाता है, उसको पकड़ने के बाद, थाने में स्वयंसेवी संस्था द्वारा उसके माता-पिता के आने के बाद, सीधा नशा मुक्ति केन्द्र में भेजें तो निश्चित रूप से समाज में सुधार आएगा।

अपराध करने का एक बड़ा कारण बेरोजगारी है। जब नशा करने वाले लोगों को पकड़ा जाता है, उसके बाद उन्हें नशा मुक्ति केन्द्र में पहुंचाएं इससे उनको लाभ मिलेगा और समाज में सुधार होगा। हमारे मारवाड़ क्षेत्र में रामदेवरा जी का मेला, और बहुत बड़ेबड़े मेले लगते हैं, छोटे-छोटे थाने होते हैं, बाहर से बड़ी संख्या में जाप्ता आता है, वहां स्टाफ के लिए बैरक, रात्रि विश्राम की व्यवस्था नहीं होती। बड़े-बड़े मेले लगते हैं, ऐसे क्षेत्रों में बैरक का निर्माण होना चाहिए ताकि जब भी अतिरिक्त ज़ाप्ता चुनाव या मेले में आता है, रहने की व्यवस्था हो सके। पुलिस में अनेक सुधार करने की आवश्यकता है। पुलिस को जनप्रिय बनाने के लिए, चाहे इंस्पैक्टर हो, सब इंस्पैक्टर हो, हैड कांस्टेबल हो, कांस्टेबल हो, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा मिलेगा।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): सभापति महोदय, एक मिनट। मेरा विधान सभा क्षेत्र लोहावट जहां से मैं आता हूं, नया विधान सभा क्षेत्र है, वहां

(श्री किसनाराम विश्नोई)

पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय खुलना चाहिए। पुलिस थाना लोहावट में पीलवा मौर्य में पुलिस चौकी बननी चाहिए। मतोड़ा में पुलिस चौकी की स्थापना की जानी चाहिए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, मैं पुलिस के श्रेष्ठ-सर्वश्रेष्ठ, अच्छे अधिकारियों-कर्मचारियों, सबको बधाई देना चाहता हूं कि राजस्थान भर में बहुत अच्छा काम करते हैं। परन्तु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुलिस के बेड़े को बदनाम भी करते हैं जिसके कारण पुलिस का पूरा बेड़ा जो एक लाख से भी ऊपर है, वह बदनाम हो जाता है।

मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि सबकी रिपोर्ट थाने में दर्ज होनी चाहिए। मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं कि कितनी रिपोर्ट दर्ज होती हैं। मैंने विधान सभा के इसी सत्र में पूछा था कि रामगंज मण्डी क्षेत्र में कितने लोग 6 महीने में एफ.आई.आर. दर्ज कराने आए? जवाब मिला 2468. कितनी दर्ज हुईं? बताया 267. इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान भ्रामक है या उन्होंने नीचे पर्कुलेट नहीं किया है या उनके आदेश को माना नहीं गया है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, दो-चार दिन पहले की बात है। महावीर नगर थाना, कोटा में अनुसूचित जाति के एक पुष्पकांत महावर को बुलाकर पुलिस ने मारा। इसलिए मारा कि एक के साथ ज्यादती हो गई थी,

(श्री मदन दिलावर)

उसकी बात लेकर थाने गया था। उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में बुलाकर उसको बुरी तरह से ठोका। वह एसपी साहब के पास गया कि मेरी रिपोर्ट दर्ज करो, मुझे पुलिस वालों ने मारा है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसी प्रकार से 11-12 में चेचट में माया यादव कांस्टेबल थी, उसकी हत्या पुलिस वालों ने ही कर दी बलात्कार करके। उसके परिजन आज दर-दर भटक रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। यह न्याय चाहते थे कि उनके परिजन को कोई नौकरी मिले, न्याय यह चाहते थे कि परिजनों को पेंशन मिले, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट में प्रावधान है कि एससी के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को पांच हजार रुपये महीने की पेंशन देनी चाहिए। यही नहीं, जितने भी ऐसे अत्याचार होते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या हो जाती है, अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार हो जाता है तो उनके परिजन को पेंशन देने का प्रावधान है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक एक को भी पेंशन नहीं दी गई है। कानून की पालना नहीं करना, इससे ज्यादा बुरा हाल क्या हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति की बेटियों के साथ किस प्रकार अत्याचार व अन्याय होता है। भरतपुर में 5 अप्रैल को 3 साल की मासूम के साथ रेप, टोंक में 4 वर्षीय बालिका के साथ रेप, मुंडावर थाने में 6 वर्षीय बालिका के साथ रेप, दौसा में 7 वर्षीय बालिका के साथ रेप, उदयपुर में 17 वर्षीय बालिका के साथ रेप, जैसलमेर में बालिका के साथ रेप। ऐसी बड़ी लिस्ट मेरे पास है लेकिन आप समय नहीं देंगे, इसलिए मैंने कहा है।

सभापति महोदय, ऐसे माहौल में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है। अलवर में गैंग रेप हो जाता है और तीन दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। वैशाली नगर थाने में पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। महिला क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर लेती है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, लेकिन आप फिर कहेंगे मदन दिलावर, समय नहीं है, समाप्त करें। राजस्थान में लगातार साम्प्रदायिक घटनाएं बढ़ रही हैं, यह गंभीर घटनाएं हैं।

01 जुलाई को जयपुर के शास्त्री नगर में, 11 अगस्त को जयपुर के सुभाष चौक में, जयपुर शहर ईदगाह में 12 अगस्त को, गंगापोल में 13 अगस्त को, 11 अगस्त को ही जयपुर में कल्याण जी का रास्ता में, खोह-

(श्री मदन दिलावर)

नागोरियान जयपुर में, नवें महीने में बहरोड़ में, मालपुरा टोंक में, सवाईमाधोपुर में, इन सब जगहों पर मुसलमानों ने योजनाबद्ध तरीके से, इकट्ठे होकर, हिन्दुओं पर हमला किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। केवल खानापूर्ति करने के लिए, छोटे-मोटे दो-चार लोगों को अरैस्ट करके अपने काम की इतिश्री मानी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं, पुलिस थाना छतरगढ़ में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या को दुर्घटना में बदल दिया गया। दुष्कर्म पीड़िता की हत्या करके दुर्घटना बता दिया गया। सीबीआई से जांच होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार जांच नहीं करा रही है, इससे बुरी और क्या बात हो सकती है।

(16.48 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं एसीबी के अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि चोरों, बदमाशों, रिश्वतख़ोरों को धड़ाधड़ पकड़ रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार उनको बचा रही है। क्यों नहीं उनको समय पर अभियोजन स्वीकृति मिलती है? जमानत होते ही उन लोगों को क्यों ड्यूटी पर ले लिया जाता है? यदि कानून में कोई कमी है तो कानून क्यों नहीं बदल दिया जाता है? इससे साफ जाहिर होता है बड़े-बड़े लोग, आईएएस, आरएएस, बड़ी-बड़ी सेवा में जो लोग हैं, वह करोड़ों रुपये रिश्वत करके, भ्रष्टाचार करके भी, अपनी नौकरी पर वापस आ जाते हैं और ईमानदार लोगों पर अपना आदेश चलाते हैं, इससे बुरी बात क्या हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार अनुसूचित जाति के खिलाफ है। यह सरकार अनुसूचित जाति की महिलाओं के खिलाफ है, इनके साथ अत्याचार, बलात्कार करने वालों के साथ हो जाती है। इनकी तो एफआईआर भी तब दर्ज होती है जब वीडियो वायरल हो जाता है। यदि वीडियो वायरल न हो तो एक एफ.आई.आर. दर्ज न करें। ये तो कहते हैं कि गरीब लोग हैं, ऐसे ही कहते रहते हैं, झूठ-मूठ ही कहते रहते हैं। अभी खण्डार का मामला हुआ। बैरवा समाज की एक बालिका के साथ रेप हो गया है, वह दर-दर की ठोकरें खा रही है, वह दौड़ रही है, लेकिन उसके लिये कोई कार्यवाही नहीं हो रही। एस.पी. के पास भी घूम आती है। बड़े अफसरों के पास

(श्री मदन दिलावर)

भी घूम आती है। यहां ज्ञापन देने के लिये भी आते हैं, लेकिन गृह मंत्रीजी को टाइम नहीं है। सोने का समय चाहिये न। सोने से ही टाइम नहीं है। माननीय सभापति महोदय, वे कैसे इस राजस्थान की जनता को सम्भालेंगे, इनका संरक्षण कैसे करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे +++ गांधीवादी मुख्य मंत्रीजी दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाकर एक स्टेटमेंट देते हैं। वहां स्टेटमेंट देते हैं, सी.ए.ए. को मैं राजस्थान में लागू नहीं करूंगा। कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी लागू नहीं होने दूंगा। उसका दुष्परिणाम क्या होता है। देश भर के +++ धरना देना प्रारम्भ कर देते हैं। उनकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वे वहां दिल्ली में दंगा फैलाते हैं, 50 लोगों की हत्याएं कर देते हैं। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ये क्या बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): और उनकी नेता भी जा करके, माननीय सभापति महोदय, उनकी नेता भी वहां कहती हैं ...(व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्या बोल रहे हो ...(व्यवधान) बैठ जाओ, बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कि निकलो, तुमने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या। सड़कों पर आ जाओ, मारो लोगों को। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): +++ इस तरह के ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): वह उन लोगों को +++, आओ सड़कों पर, तुमने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं क्या, सड़कों पर आकर मारो। इससे वहां 50 से ज्यादा लोगों को मार दिया। यदि सरकार चाहे और इन लोगों में दम है, नैतिकता है तो +++ अपनी सीट से उतार दें, घर भेज दें। अपना काम करें और +++ कहें कि इटली जाएं। (व्यवधान) यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। हिन्दुस्तान के लोगों को मरवाने की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं चाहता हूं +++

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यहां रहने का अधिकार नहीं है, सभापति महोदय, यह देश शांत देश है। शांत प्रदेश है। (व्यवधान) शांत प्रदेश है, इस प्रकार से दंगा भड़काने का काम और देश के लोगों को मरवाने का काम राजस्थान के मुख्य मंत्री कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जो असंसदीय और अनपार्लियामेंट्री हैं, जो सदस्य नहीं हों, उनका व्यक्तिगत नाम न लें। Please skip the name of +++. Please skip the name.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): और माननीय +++ कर रही हैं। (व्यवधान) मैं नाम नहीं लेता हूं। चलो नाम डिलीट कर दो। पर राजस्थान के मुख्य मंत्री और कांग्रेस की अध्यक्षा इस प्रकार का कृत्य करती हैं तो क्या अपराध नहीं बनता है? (व्यवधान) मेरे सामने और मेरे पास यातायात मंत्री बैठे हैं। करोड़ों रुपये की रिश्वत पकड़ी जाती है। आठ-दस अधिकारी जेल में भेज देते हैं।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। (व्यवधान) मानसिक संतुलन खराब हो चुका है इनका।

श्री सभापति: स्किप कर दिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): +++ पकड़ करके उनसे पूछताछ की जाती है। (व्यवधान) +++ भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा जाता है।

श्री सभापति: मैंने नाम स्किप करवा दिया है। व्यक्तिगत नाम न लें।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। इनको पता नहीं है कि कौन मंत्री है और कौन चीफ मिनिस्टर है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्यों भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। (व्यवधान) भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जितने भी मैम्बर हैं, उनको बोलने का मौका दिया, इनको भी बोलने का मौका दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप हाउस के एक्शन को जानती हैं, प्लीज। प्लीज मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि पर्सनली किसी भी सीनियर लीडर, either this way or that way, कृपया नाम न लें। (व्यवधान) जो मूल वक्ता हैं, जो आज के ...(व्यवधान)

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हाउस को डिस्टर्ब न करें, माननीय सदस्य, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनको प्लीज बोलने का मौका दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: Please sit down. Please sit down.

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): कौन है, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में है।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): इनको सरकार की जानकारी ही नहीं है।

श्री सभापति: कृपया बैठिये। आप बहुत सीनियर मंत्री रहे हैं। आप मिनिस्टर रहे हैं, और आप बहुत डिसीप्लीन में रहने वाले व्यक्ति हैं। Either this way or that way, please don’t take the name of senior leader.

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): दिल्ली पुलिस किनके हाथ में है।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): समाज को हिन्दू और मुसलमान में बांट कर रख दिया है आपने।

श्री सभापति: और मेरे सामने जो टेबल्स पर बैठे हैं, please skip the name of senior leader +++.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इसीलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): आज ये फ्रस्ट्रेशन में हैं, इनको बैठा दें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मेरे मन की बहुत पीड़ा है कि मेरे देश के लोग मारे जा रहे हैं। मेरे प्रदेश के लोग दु:खी हैं। बारां में धारा 144 लगा करके वहां धरना देने की अनुमति दी जा रही है। हमको इकट्ठे होकर मंदिरों में पूजा करने नहीं दिया जा रहा है। बारां में हमको इकट्ठे होकर के मंदिरों में पूजा करने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन धारा 144 लगा करके वहां हजारों लोगों द्वारा रास्ता रोक करके धरना दिया जा रहा है। यह कौनसी पुलिस है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय हो गया है, प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, महिलाएं और बच्चे अस्पताल में सुरक्षित नहीं हैं, विद्यालयों में सुरक्षित नहीं हैं, थानों में सुरक्षित नहीं हैं, ये सरकारी आफिसेज में सुरक्षित नहीं हैं।

श्री सभापति: प्लीज, दिलावरजी, प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कहां जाएं, किससे कहें। यहां कहने आते हैं तो गृह मंत्रीजी सो जाते हैं। हम यहां बोलते हैं तो नाम नहीं लेना, यहां पाबंदी लगा देते हैं। हम किससे कहें, कहां जाएं, किसके सामने रोएं? मेरी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। मेरे भाई और बच्चे मारे जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। कहां जाकर, किससे कहूं? कौन सुनने वाला है? +++ बैठिये, मैंने सुना था। एक जगह मैं गया, लोगों से पूछा था कि तूने तो चोरी की है, तुझे पुलिस में क्यों नहीं डाला। कहा कि सरकार ने, कांग्रेस के जब चुनाव हो रहे थे, तब हम सारे +++ को इकट्ठा किया था। उन्होंने कहा था, तुम कुछ भी करना, तुम्हारा संरक्षण हम करेंगे।

श्री सभापति: प्लीज, कृपया समाप्त कीजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उसी आधार पर +++ सबका संरक्षण यह सरकार कर रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंह बिधुरी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हम करेंगे, और उसी आधार पर ये +++ सबका संरक्षण यह सरकार कर रही है। अपराध बढ़ रहे हैं ...(व्यवधान) बलात्कार बढ़ रहे हैं।

लिखित वक्तव्य

(मा. सदस्य श्री मदन दिलावर के सदन पटल पर रखे गये शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): सभापति महोदय, इनको बैठाइये आप, इनकी भाषा देखिये कैसी है।

श्री सभापति: रुकिये आप। मैंने समाप्त कर दिया है, your time is over. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह बिधुरी।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): माननीय सभापति महोदय, आपने गृह विभाग की मांगों पर चर्चा करने के लिये मुझे जो समय दिया है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। पुलिस के ऊपर चर्चा हो रही है। जब 1857 के विद्रोह में भारतीय सेना और भारत के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी फौज के द्वारा कुचल दिये गये, उस वक्त जालिम पुलिस के आई.पी.सी. एक्ट की स्थापना 1861 में हुई थी। उससे लेकर आज तक किसी भी सरकार ने आई.पी.सी. कोड को नहीं बदला है। पुलिस का रवैया जो आम जनता के नाम पर अंग्रेजों के टाइम का था, वह आज भी कायम है।

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

पुलिस में ईमानदार अधिकारी भी हैं, ईमानदार कर्मचारी भी हैं। चाहे पिछली सरकार हो, घूस कांड में ए.सी.बी. ने बड़ा खुलासा किया है। ड्रग्स मामले में मैंने भी, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र बेगूं में सी.आई. इन्वाल्व था, जो करोड़ों रुपये की गाड़ियां निकालते थे, ऊपर के अधिकारियों को सब पता था। मैं बधाई देना चाहता हूं एसी.बी. के उच्च अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को, जिन्होंने मेरे साथ, जुलाई से लेकर 25 सितम्बर तक, तीन महीने मेहनत करके, जहां ट्रक के ट्रक ड्रग्स के, डोडा-चूरा के निकालकर पंजाब, हरियाणा के नौजवानों की नसों में जो जहर घोला जा रहा था, इस तरह की मेहनत करके मैंने उनको पकड़वाया। उसमें जो उच्च अधिकारी, एस.पी. लेवल के लोग, थानेदार ने खुद, इस ए.सी.बी. के ट्रैप में तीन बार, चार बार यह कहा कि 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख, हर कार्यवाही के अन्दर उस वक्त के सुपरिन्टेन्डेंट पैसे लेते थे। क्यों नहीं उस सुपरिन्टेन्डेंट को सस्पैंड उसी वक्त किया गया? जो अधिकारी, विभागीय जांच कराई, विजिलेंस जांच, क्या यह मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि एक आदमी, जिसके नेतृत्व में एक थानेदार भी अगर लगता है तो एस.पी. की अनुशंसा पर लगता है। क्या जिले के मालिक को, हैड को यह पता नहीं है कि थानेदार डोडा चूरा ड्रग्स के, भर-भर के पंजाब भेजे जा रहे हैं। मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूं, स्वर्गीय सरदार बेअंतसिंहजी पंजाब के मुख्य मंत्रीजी थे। के.पी.एस. गिल वहां के डी.जी.पी. थे। गृह मंत्री नहीं थे। मुख्य मंत्रीजी ही गृह मंत्रीजी थे। स्वर्गीय राजेश पायलट जी इंटर्नल-सिक्योरिटी मिनिस्टर थे। पायलट साहब से वे मिलने आये, स्वर्गीय नरसिम्हा रावजी भारत के प्रधान मंत्री थे। उनको डी.जी.पी. बनाना चाहते थे। उन्होंने बेअंतसिंहजी को घर पर बुलाया। बाई-चांस मैं अन्दर बैठा हुआ था। स्वर्गीय पायलट साहब ने कहा कि पंजाब में आतंकवाद किस वजह से है।

(17.00 बजे)

तो डी.जी.पी. स्व. के.पी.एस. गिल ने कहा कि आतंकवाद की जड़ें ड्रग्स माफिया के पास हैं। जब तक हम ड्रग्स माफिया की कमर नहीं तोड़ेंगे, पंजाब में आतंकवाद खतम नहीं होगा। उसी वक्त बेअंतसिंहजी ने खुद गृह मंत्री होते हुए के.पी.एस. गिल को कार्रवाई के आदेश दिये, जो भी हो, चाहे पुलिस वाला इन्वाल्व हो, चाहे कोई स्मगलर इन्वाल्व हो, उनको पकड़ना नहीं है, उनको शूट-आउट कर देना है। आज उनकी बदौलत ड्रग्स माफिया से पंजाब में आतंकवाद फैला, यह दोनों पार्टी जानती है।

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, हमें धन्यवाद करना चाहिए स्व. सरदार बेअंत सिंहजी का, स्व. राजेश जी पायलट का, स्व. के.पी.एस. गिल जी का कि उन्होंने कितने लोगों को, स्मगलरों को पकड़ा। जो पुलिस वाला इन्वॉल्व था, उनको सर्विस से टर्मिनेट किया। कितने ही एस.पी. हटाये, कितने एस.एच.ओ. हटाये और आज पंजाब शांति की राह पर है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं तीन बार ए.सी.बी. की ट्रैप, तीन महीने की मेहनत उस एस.पी. की विजिलेंस जांच क्यों करायी गयी? उसको सस्पैण्ड या टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया? अभियोजन की स्वीकृति अभी तक क्यों नहीं दी गयी? आप भ्रष्टाचार रोकना चाहते हो। पुलिस में ईमानदारी भी बहुत है। ए.सी.बी. भी राज्य सरकार की है, सी.बी.आई. भी केन्द्र की है। हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस तो केन्द्र सरकार की है। हम सब जनता के द्वारा पक्ष-विपक्ष चुनाव जीत कर आते हैं। कोई पुलिस, कलेक्टर या एस.पी. आपको चुनाव नहीं जितवा सकता था। अगर आपको पुलिस, एस.पी. या कलेक्टर जितवाते तो आप इधर होते और हम उधर होते। जनता चुनाव जितवाती है। सात करोड़ जनता चुनाव जितवाती है।

माननीय सभापति महोदय, एक वाकया आपको याद दिलाता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उनकी एक 1949 की एक किताब है, के.एल.पंजाबी ने लिखी है। कलकत्ता में दंगे हो गये थे। उनको बुलाया गया और पूछा कि कलकत्ता में दंगे क्यों हो गये? गृह मंत्री का दबाव था। भारत के निर्माता सरदार पटेल, कांग्रेस के पंडित नेहरूजी के गृह मंत्री थे, आपके नहीं थे, हमारे थे। खुदा न खास्ता, उन्हीं का खून मेरी बांहों में भी बह रहा है। उन्हीं का खून हम सब हिन्दुस्तानी, उन्होंने कहा कि आपको कितने भी आदमी मारने पड़ें, कितने भी दंगाई मारने पड़ें, लेकिन दंगा रुकना चाहिए। आपको याद होगा के.एल. पंजाबी की किताब पढ़िये, पांच-सात लोग मारे। जहां लाखों लोग दंगों में मरते और उसी वक्त ठोस डिसीजन से वह दंगे बंद हो गये।

माननीय सभापति महोदय, आज हमें इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर हम भ्रष्टाचार, जो मेरा है, जो उसका है, उसको बचाएंगे। भ्रष्ट कर्मचारी को बचाने से, भ्रष्ट पुलिस वाले को बचाने से, डोडा-चूरा में इन्वाल्व होने वाले अधिकारी को, ऊंचे बड़े अधिकारी बचाने से, यह एक साल से नहीं चल रहा, मेरे बड़े भाई चित्तौड़गढ़ से पूर्व सदस्य और आजकल जयपुर से विधायक नरपत सिंहजी, यह मंत्री भी रहे हैं। इनको सब पता है कि चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

से ड्रग्स, डोडा-चूरा कहां जाता है। क्या हम सोच सकते हैं कि अगर यह डोडा-चूरा ऐसे ही पुलिस वालों की शह पर चलता रहा और इनको ऊपर लेकर चाहे एस.पी. हो, आई.जी. हो, डी.जी. हो, उनको बचाया जाता रहा। जो पंजाब हमको कबड्डी के खिलाड़ी देता था, जो हमको हाकी के प्लेयर देता था, जो हमको सैनिक देते थे पंजाब, हरियाणा, यू.पी., क्या हमारे जवान अगर ड्रग्स में इन्वाल्व रहेंगे और पुलिस वाले अरबों-करोड़ों की ड्रग्स निकालते रहेंगे और कोई भी सरकार हो, इनको ऊंचे अधिकारी बचाते रहेंगे, विजिलेंस जांचों में क्लीन चिट देते रहेंगे, नेताओं को चोर बताते रहते हैं। विधायक किस तरीके से चुनाव जीतकर आता है, तो हमको सैनिक मिलेंगे? क्या हमको 10 साल बाद फौज मिलेगी? मैं इन अधिकारियों के लिये पक्ष-विपक्ष से कहना चाहता हूं अगर फौज का सिपाही, सैनिक आज अपनी ड्यूटी माइनस 40 के अंदर भी सियाचिन से छोड़ देगा और बार्डर से अगर रात को इसी तरह से भ्रष्टाचार में इन्वाल्व हो जाएगा, उनको भी पैसे मिल सकते हैं, उनको भी लालच मिल सकता है, उनको भी रिश्वत मिल सकती है, लेकिन वह अपनी जान पर खेलकर भारत की रक्षा करते हैं, मां-बहनों की रक्षा करते हैं। दीवाली के त्यौहार पर हम पटाखे और फूलझड़ियां छुड़ाते हैं और वह आतंकवादियों की, दुश्मनों की गोलियां खाते हैं। अपने खून से भारत को सुरक्षित रखते हैं अपनी जान देकर और एक यह पुलिस वाले हैं, जो डोडा-चूरा में इन्वाल्व होकर पूरे भारत के नौजवानों की रगों में जहर घोल रहे हैं और उनको विजिलेंस इन्क्वायरी देकर बचाया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्ट आदमी किसी का नहीं होता है। आज कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बड़ा अगर वायरस है तो यह भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का वायरस है। आप अगर पुलिस की बात करना चाहते हो तो अमरीका में जाओ, इंग्लैण्ड में जाओ। आपके खिड़की खोलने से पहले सर कहकर बात करेंगे और यहां आज किसी थाने में जाओ तो पुलिस का एस.एच.ओ. हो या एस.पी. हो, बगैर गाली दिये बात नहीं करेगा। हर जगह आतंक हो रहा है। जयपुर के अंदर मुझसे बहुत लोग मिलने आते हैं। कई लोग ऐसी जगह पर हैं जो उधर जाकर करोड़ों-अरबों रुपयों की स्मगलिंग करके आये हैं। पंजाब में ट्रक-के-ट्रक निकालकर आये हैं। कई पंजाब के अधिकारी इनसे परेशान हैं। सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, विपक्ष भी जानता है कि क्या हो रहा है लेकिन कार्यवाही क्यों नहीं होती है?

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

आखिरकार हमें सोचना पड़ेगा। अच्छी जगह ईमानदार लोगों को लाओ। आज देश की हालत खराब हो रही है। पुलिस जहां भी जा रही है, माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह देश हिन्दू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है और ईसाई का भी है। वीर अब्दुल हमीद एक मुसलमान था। मुसलमान को आग में जलने का दु:ख होता है लेकिन उसने पेटेंट टैंक तोड़े। भारत की सीमाओं को बचाने वाले माननीय प्रधान मंत्रीजी ने, माननीय गृह मंत्रीजी ने गुर्जर-मुसलमानों की तारीफ की है। जम्मू-कश्मीर की बार्डर पर वह लोग देश को बचा रहे हैं, 40 लाख लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान इस देश का कोई कम देशभक्त है। जितना हिन्दू देशभक्त है, उतना मुसलमान भी देशभक्त है। गोली जब भी चलती है तो किसी निर्दोष नागरिक के दिल पर चलती है तो उसके घर में विधवाएं बैठी होती हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज दलित व्यक्ति थाने में मारा जाता है। आप आई.जी. को सस्पैण्ड कर देते हो, एस.पी. को क्यों बचा लेते हो। थानेदार को सस्पैण्ड कर देते हो, एस.पी. को विजिलेंस इन्क्वायरी दे देते हो। ए.सी.बी. ने जो पकड़ा मेहनत करके, किस तरीके से, रिवर्स ट्रेप है यह। मैंने कितनी मेहनत करके पकड़ाया 8 करोड़, 80 लाख, पता नहीं लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यह मेरा टेप किया हुआ नहीं है, यह ए.सी.बी. के उन अधिकारियों की जिनको टेप रिकार्डर दिया, उनकी टेप है। इसमें छह बार लिखा है कि एस.पी. ने दो लाख की रिश्वत मांगी है। माननीय डी.जी. साहब को भी पता है कि किसने उनको बचाया, किसने फोन किया? आप ऐसा ही काम करते रहोगे तो कल को आप आतंकवादियों को भी बचा लोगे। हमारे देश की प्रधान मंत्री मारी गयी। राजीव गांधीजी मारे गये। यह आतंकवाद से बड़ा खतरा है ड्रग्स। इससे ही आतंकवाद फैलता है।

माननीय सभापति महोदय, मैक्सिको पूरी दुनिया के अंदर ड्रग्स की सप्लाई करता है। अमरीका जैसा सुपर पावर कंट्री, पुलिस, ड्रग माफिया और राजनेताओं का नेक्सस है, उसकी वजह से परेशान है। वह दुनिया का सुपर पावर कंट्री ड्रग्स से परेशान है। आप इस डोडा-चूरा में लिप्त कोई भी अधिकारी या कर्मचारी और नेता हो, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं करते? क्यों बचा रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि अगर हम भ्रष्ट लोगों को बचाएंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ही नहीं लड़ सकते।

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

माननीय सभापति महोदय, आज अच्छे पुलिस वाले भी हैं। यह नहीं पुलिस वाले ने कितनी मेहनत करके, ए.सी.बी. ने ट्रेप किया। आज ए.सी.बी. का थोड़ा बहुत डर है तो पुलिस का भी डर क्यों नहीं होना चाहिए। स्कूलों के सामने चाहे मेरे रावतभाटा हो, चाहे जयपुर में हो, कोकीन और चरस बिक रही है। होस्टल के अंदर चरस जा रही है। हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं और भारत का भविष्य खराब हो रहा है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चे, मैं भगवान से दुआ करूं कि कोई ड्रग्स में पड़ जाए तो इन पर क्या गुजरेगी। क्या इन्हें यह सोच था? क्या इनको यह सोच नहीं आ रही कि सारे भारत के, सारे राजस्थान के बच्चे हमारे बच्चे हैं। अगर हमारा कोई बच्चा ड्रग्स पी लेता है या ड्रग्स का आदी हो जाता है तो उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। वह गुंडा बनेगा, बदमाश बनेगा, जेबकतरा बनेगा। कितने स्मैकची हैं जिनका पैसे की कमी से शरीर टूटता है। फिर वह क्या करेगा, चोरी करेगा, अपराध बढ़ेंगे।

सभापति महोदय, अगर मैं गलत हूं, मैंने गलत काम किया है तो आप मुझे फांसी की सज़ा दे दें। अगर किसी डोडा, चूरा में लिप्त अधिकारी को ट्रेप कराना गलत है, भ्रष्टाचार रोकना गलत है तो आप निर्णय करें। अगर यह गलत है, 5-6 बार इसमें एस.पी. का नाम आया, तो उसको सर्विस से टर्मिनेट क्यों नहीं किया?

सबसे बड़ा दु:ख इस बात का है कि जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि भारत को अगर बचाना है तो तेरा-मेरा करना छोड़ दो। यह सिरवी घूस कांड में अभियोजन स्वीकृति भी आपने नहीं दी। मेरे ट्रेप वाले केस में भी अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली। आप करना क्या चाहते हो? भाषण तो बहुत लंबे देते हो। देश बदल देंगे, भारत बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे लेकिन पकड़े हुए चोरों को क्यों बचाना चाहते हो? इससे आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? डोडा-चूरा के स्मगलर, अफीम के स्मगलर, सदन के अंदर क्रिमिनल आदमी नहीं होने चाहिए। उनकी पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। उसकी जांच होनी चाहिए। एसीबी की ट्रेप में यह 5-7 टेप, यह किसका होता है? यह मेरा टेप रिकार्डर नहीं है। एसीबी टेप देती है, मांग होती है, डिमांड होती है, उसके साथ भी खेल चलता है।

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

सभापति महोदय, ईमानदार अधिकारी रोता है। मैं पहली बार बोल रहा हूं। बोलने तो दो। आपको दुख हो रहा है?

श्री सभापति: नहीं, नहीं, प्लीज।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): एस.पी. के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। सदन में बोलने का मेरा अधिकार है। तेरा, मेरा चलाओगे तो यह नाव खुद ही डूब जाएगी। अधिकारी उस थाने में तो अच्छा है और उस थाने में बुरा है। आप एक नीति बनाओ। जो एसीबी के ट्रेप में आ जाए चाहे वह कोई भी कर्मचारी, अधिकारी हो, उसको सर्विस से बर्खास्त करो। कितने ही बेरोजगार हैं। नंबर एक। नए नौजवान लोगों की भर्ती करो। 7 करोड़ लोग हैं राजस्थान में। चौधरी बंशीलाल जी की तरह तुरंत भर्ती खोलो। डीसी सस्पैंड किया, उस डीसी को वीआरएस दे देते थे। जो नए लड़के आते थे उनमें से डीसी लगा देते थे। तुरंत एक्शन लो। तुरंत एक्शन की जरूरत है। युवा भारत में बूढ़े एक्शन की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, क्या फौज के अंदर बीमार आदमी को माइनस 40 के अंदर भेजा जाता है? अंग्रेजों का एक जमाना था, जिस भी पुलिस वाले का पेट निकला होता था, उनको बोलते, यू ब्लडी, यह स्टमक आउट क्यों है? गेट आउट। सर्विस से बर्खास्त। बोलते कि तुम्हारा पेट क्यों निकल रहा है। क्या कुछ करप्शन किया है? जिसका पेट निकला होता था, उसको तुरंत बर्खास्त कर देते थे। सभापति महोदय, आज क्या हो रहा है? मोटे-मोटे पेट वाले, रात को कुर्सी पर सोने वाले थाने में आ जाते हैं। चले जाते हैं। अपराधी पकड़े नहीं जाते। गुंडे, बदमाश घूमते रहते हैं। उसके बाद वह कहें कि एमएलए गलत है। एमएलए का फोन टेप करो। एस.पी. हमारा फोन टेप करता है। उसका फोन टेप करो कि एमएलए कहां जा रहा है? एमएलए का पीछा करते हैं। एमएलए के साथ कौन बात कर रहा है? हमारी निजी जिंदगी है, हमसे कौन बात करे, कौन नहीं करे। किसने अधिकार दे रखा है सदन के सदस्यों का एस.पी. फोन टेप करे। कौन ऐसी ताकत है जिसने दे रखा है। इस चीज की जांच होनी चाहिए। यह गलत बात है। यह जन प्रतिनिधियों को चोर बना देते हैं और चोर को ईमानदार बना देते हैं।

सभापति महोदय, उन शहीदों से सीखो। क्या थानों के अंदर रिजर्व बैंक

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

की नोट छापने की मशीन लगी हुई है? इनकी प्रोपर्टी की जांच कराओ। किस-किस टाइम में, विपक्ष के और पक्ष के टाइम में, कई लोग ऐसे हैं, सबको पता है, बहुत सारे पुलिस वालों को पता है। बहुत आईपीएस आफिसर्स को पता है। उदयपुर रेंज में लगने वाले आई.जी. या जो भी नए, पुराने लगे होंगे, वह पांच-पांच सौ करोड़ रुपये कमाकर के लाए होगे और अब कहीं और डीजीपी लगे होंगे। यह क्या हो रहा है?

सभापति महोदय, 4-4 साल तक एक पद पर बैठे रहते हैं। उनको पोस्टिंग मिल जाती है। ईमानदार अधिकारी को खुड्डे लाइन लगा देते हैं। आपके वक्त के गृह मंत्री कहते थे कि मेरे पास लिखा हुआ है, मैं हैड कांस्टेबल की बदली नहीं कर सकता था। बहुत से कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल हैं, वह एस.पी. के घरों में खाना बना रहे हैं। उनके जूते साफ कर रहे हैं। कमाल है। यह नहीं होना चाहिए। अभी इसकी जांच कराओ। सबको सर्विस से बर्खास्त करो। सरकार, सरकार होती है। यह सरकार के अंडर में होते हैं। सरकार का एहतराम नहीं रहेगा, विधायक का एहतराम नहीं रहेगा, जन प्रतिनिधि की इज्जत नहीं रहेगी तो यह आपकी कुर्सी पर भी कब्जा कर लेंगे।

सभापति महोदय, यह किसी भी आदमी को चोर बना देंगे। किसी भी आदमी को डाकू बना देंगे। यह अंग्रेजों की ताकत जो इनको दे रखी है, कहीं भी राज करें। किसी भी पोलिटिकल पार्टी के आदमी को अंदर करके झूठा केस बना देते हैं। पुलिस थाने में शरीफ आदमी जाते हुए डरता है। बहन, बेटी जाते हुए डरती है कि पुलिस वालों से बात नहीं करेंगे। पुलिस वालों से शिकायत करते हुए आम आदमी डरता है। गुंडा, बदमाश थानेदार के पास बैठकर के व्हिस्की पीता है। शरीफ आदमी थाने के बाहर खड़ा होता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): सभापति महोदय, घंटी थोड़ी देर बाद बजा देना। मैं बड़ा दुःखी हूं। मैं पंजाब के डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा जी से ड्रग्स के मामले में मिला। मैं उन्हें जानता हूं। उन्होंने कहा, बिधुड़ी जी, हमारे पंजाब को नहीं, इन डोडा, चूरा और अफीम के स्मगलरों ने और पुलिस के अधिकारियों ने मिलीभगत करके भारत की फौज को भी कमजोर कर दिया है। आज हमारी फौज में वैसे ही अधिकारियों की कमी है। मैं इन पुलिस वालों से विनती करना चाहता हूं कि तुम इंटरनल फोर्स हो। आप सीआरपीएफ से सीखो

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

बीएसएफ से सीखो, एसएसबी से सीखो। अगर एसएसबी करप्ट हो जाएगी तो आपके प्लेन हाई जैक हो जाएंगे। अगर सीआरपीएफ, बीएसएफ करप्ट हो जाएगी तो सीमा में आतंकवादी घुस जाएंगे। फौज से सीखो। अगर फौज के लोग बॉर्डर्स पर रिश्वत लेने लग जाएंगे तो प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति और आप, हम सब लोग अपने घरों में जो चैन की नींद सो रहे हैं, वह चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। न तो मुख्य मंत्री सेफ होगा, न ही प्रधान मंत्री सेफ होगा और न राष्ट्रपति सेफ होगा। आप उन शहीदों से सीखो जो अपने देश के लिए जान दे देते हैं। आप करोड़ों रुपये खाकर के भी अपने देश, अपनी सीट और अपनी वर्दी के साथ वफादारी नहीं करते हैं। आप उन भ्रष्ट अधिकारियों को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं।

सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह चाहता हूं कि आज ही उस एसपी की तुरंत पिछले 5 साल की जांच कराएं। पिछले 5 साल जो हमारी सरकार नहीं थी लेकिन एक साल तक वह जो चित्तौड़गढ़ जिले में रहा, उसकी भी जांच कराएं। कौन आदमी वहां डोडा, चूरा का काम करता है? कौन उसमें इनवाल्व था? कौन थाने वाले इनवाल्व थे? उस एसपी ने कितना डोडा, चूरा भेजकर के पंजाब के नौजवानों को ड्रग एडिक्ट बनाया? उसकी जांच क्यों नहीं हुई? एक साल तक उसकी जांच क्यों नहीं हुई? उस जांच को क्यों रोका गया? मैं मांग करता हूं कि जब एसीबी ने ट्रैप किया तो ये सब अधिकारी जानते हैं जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ बैठे हैं, इस पर विजिलेंस की इन्क्वायरी की जरूरत नहीं होती है। हमारा गुनाह है, अपराधी को पकड़ना गुनाह है, यदि यही खेल चलता रहा तो फिर तो दाउद इब्राहिम से बातचीत कर लो, छोटा राजन से बातचीत कर लो।

श्री सभापति: आनरेबल सर।

श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह (बेगूं): फिर तो सईद अहमद से बातचीत कर लो, पाकिस्तान के आतंकवादियों से बातचीत कर लो। माननीय सभापति महोदय, अपराधी छोटा हो या बड़ा, अपराधी तो अपराधी ही होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको फिर धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया और उम्मीद करता हूं कि यहां जितने भी सदस्य बैठे हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे कोई और हों, हम जन-प्रतिनिधि पहले हैं, छवि हम

(श्री बिधुरी राजेन्द्र सिंह)

लोगों की पुलिस खराब करने की कोशिश करती है, हमारी सीआर जनता लिखती है। जो नेता, जो लीडर पुलिस वालों से विधायकों की या जन प्रतिनिधियों की सीआर लेता है, पार्टी यह सीआर लिखने की आदी नहीं है, हमारी सीआर जनता लिखती है। हमें जनता चुनाव जिता कर भेजती है, हम सब लोगों को, पक्ष और विपक्ष को जनता चुनकर भेजती है। इन पर विश्वास करके, इनको प्रोटेक्शन देकर सरकारें बचती नहीं हैं। अधिकारी, एसपी और कलेक्टर मिलकर सरकार नहीं बनाते हैं। वह गांव का, ढाणी का किसान, गरीब आदिवासी, मजदूर, दलित, मुसलमान, पिछड़ा, अगड़ा, वे सरकार बनाते हैं, जिसकी सरकार उसके कर्मचारी, आज हमारी सरकार है तो हमारी बात और आपकी सरकार है तो आपकी बात। धन्यवाद।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, सरकार कोई वक्तव्य देने वाली थी, शायद भूल गयी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय आपदा प्रबन्धन मंत्री जी ओलावृष्टि पर अपना स्टेटमेंट देंगे।

शासकीय वक्तव्य

ओलावृष्टि व आकाशीय बिजली से जन एवं फसल हानि

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में दिनांक 4 और 5 मार्च, 2020 को हुई ओलावृष्टि से फसल खराबे की प्रारम्भिक सूचना जिलों से प्राप्त की गयी है। जिला अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं सहित 14 जिलों की रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है। अभी वर्तमान में 2 और जिलों में बरसात हो रही है। ओले भी पड़ रहे हैं, नागौर और धौलपुर में (व्यवधान)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, पाली भी है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप सुन तो लें पहले। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप मंत्रीजी का स्टेटमेंट सुन लें पहले।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

जिला अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, दौसा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, करौली, सवाईमाधोपुर में 33 प्रतिशत या इससे अधिक की खराबी की सूचना प्राप्त हुई है। जिला अलवर की 2 तहसीलों, तहसील रामगढ़ में 48 गांवों में 63 प्रतिशत से 74 प्रतिशत, तहसील अलवर के 4 गांवों में 35 से 80 प्रतिशत खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला बाड़मेर की एक तहसील गुढ़ामालानी के 9 गांवों में 40 से 50 प्रतिशत खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला भरतपुर की दो तहसीलें, नदबई के दो गांवों में 10 से 80 प्रतिशत तथा कुम्हेर के आठ गांवों में 50 प्रतिशत खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला दौसा की तीन तहसीलों, लवाण के तीन गांवों में 35 से 40 प्रतिशत, रामगढ़-पचवारा के 16 गांवों में 40 से 80 प्रतिशत, लालसोट के सात गांवों में 40 से 80 प्रतिशत खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला गंगानगर की एक तहसील अनूपगढ़ के चार गांवों में 33 प्रतिशत खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला हनुमानगढ़ की एक तहसील के चार गांवों में 40 से 60 प्रतिशत, 11 गांवों में 25 से 50 प्रतिशत, पाँच गांवों में 20 से 35 प्रतिशत खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला जयपुर की दो तहसीलें, जयपुर के चार गांवों में 45 प्रतिशत एवं कोटखावदा के 23 गांवों में 50 से 90 प्रतिशत खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला जोधपुर की एक तहसील लोहावट के 44 गांवों में 77 से 80 प्रतिशत खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला करौली की एक तहसील टोडाभीम के एक गांव में 40 से 50 प्रतिशत खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला सवाईमाधोपुर की एक तहसील खण्डार में 50 से 60 प्रतिशत खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला बूंदी, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं में 33 प्रतिशत से कम खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है।

माननीय सभापति महोदय, जिला कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दिये गये हैं कि आप पुन: इस बात को देखें क्योंकि मेरे को कई विधायकों ने इस बात को कहा है कि हमारे क्षेत्र में 33 प्रतिशत खराबे की सूचना प्राप्त हुई है। जिला बूंदी की दो तहसीलों, बूंदी के तीन गांवों में 10 से 15 प्रतिशत और हिण्डौली के 11 गांवों में 15 से 20 प्रतिशत खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला बीकानेर की एक तहसील खाजूवाला के चार गांवों में 5 से 15 प्रतिशत खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला चूरू की चार तहसील, तहसील राजगढ़ के 16 गांवों में 5 से 15 प्रतिशत, रतनगढ़ के छह गांवों में 5

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

से 25 प्रतिशत, सरदारशहर के छह गांवों में 5 से 25 और चूरू के आठ गांवों में 10 से 30 प्रतिशत खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला झुंझुनूं की तीन तहसील, खेतड़ी के 33 गांवों में 5 से 25 प्रतिशत, झुंझुनूं के नौ गांवों में 5 से 20 प्रतिशत एवं उदयपुरवाटी के 20 गांवों में 5 से 15 प्रतिशत खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ओलावृष्टि से हुए खराबे की तरफ संवेदनशील है तथा इस हेतु दिनांक 5.3.2020 को मुख्य सचिव द्वारा सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि प्रारम्भिक आकलन की सूचना भिजवाकर गिरदावरी साथ ही रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने की कार्यवाही करें ताकि 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा रिपोर्ट प्राप्त होने पर एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान दिया जा सके। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार किसानों की फसलों के खराबे में उनके साथ है तथा सभी प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने हेतु तत्पर है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले की तहसील जायल व लाडनूं में आज अभी-अभी, जैसे मैंने पहले नाम बोले, अभी बरसात हो रही है, ओलावृष्टि हुई है, उसके आकलन के लिये भी हमने जिला कलेक्टर्स को बोल दिया है, वे तत्काल इसकी सूचना दें।

माननीय सभापति महोदय, आकाशीय बिजली गिरने से नागौर जिले की दो तहसीलों में लाडनूं तहसील के गांव उदरासर में 5.3.2020 को रात्रि सवा नौ बजे श्रीमती गीता देवी की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गयी। उक्त मृतका सीकर जिले से सम्बन्धित होने के कारण जिला कलेक्टर सीकर को सूचित कर दिया गया है। उसका नाम है श्रीमती गीता देवी पत्नी सुरेश, निवासी कंवरपुरा, पालवास, तहसील सीकर।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी कैजुअल्टी हुई है वह नावां तहसील में हुई है। नावां तहसील के गांव देदिया का बास की श्रीमती भंवरी देवी पत्नी रामूराम, जाति जाट, उसकी कैजुअल्टी हुई है। दिनांक 6.3.2020 को दोपहर दो बजे खेत में काम कर रही भंवरी देवी की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गयी और उसके साथ उसके पति रामूराम पुत्र हनुमानाराम पर भी बिजली गिरी, लेकिन वह घायल अवस्था में है और उपचाराधीन है।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये प्रारम्भिक सूचनाएं हैं और प्रारम्भिक सूचना के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी मेरे से कई माननीय सदस्य मिले भी हैं क्योंकि उनके पास गांवों से सूचना आती है। चूंकि ये प्रारम्भिक सूचनाएं हैं और जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि आलू की फसल होती है आपके उधर धौलपुर की तरफ, प्याज की फसल हमारे सीकर जिले की कई तहसीलों में होती है तो इनका पता चार-पांच दिन बाद चलता है, आलू, प्याज, सब्जियां, ये दो तो धरती के अंदर हैं, सब्जियां ऊपर हैं लेकिन इनका पता दो, तीन, चार दिन बाद लगता है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट तो प्रारम्भिक है, रात को नौ, दस, ग्यारह बजे तक ओले पड़ रहे थे। अब इतनी जल्दी ओलावृष्टि ...(व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आज भी पड़े हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हां, कह रहा हूं, कह रहा हूं। (व्यवधान) बोल रहा हूं, बोल रहा हूं। चिंता मत करो, बोल रहा हूं, बोलने दो आप मुझे।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि गिरदावरी छोड़ो, हमने, हमारे मुख्य सचिव ने, मेरे आपदा प्रबन्धन विभाग के सचिव ने, मैंने स्वयं ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसका पूरा संज्ञान लिया है और मुख्य मंत्री जी ने मुझे इस पर निर्देश दिये हैं कि आप तत्काल जिला कलेक्टर्स को इस बात के लिए कहें। अगर किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, वह सहायता दी जाए। तत्काल गिरदावरी 7-डी के आधार पर, चाहे कितने ही दिन लग जाएं, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, क्योंकि इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह अचानक हुई है और अभी भी हो रही है। कई जिलों में अब भी बरसात हो रही है। कई जिलों में ओलावृष्टि अभी-अभी हुई है। आज दो बजे नागौर में हुई है। अभी भी ओलावृष्टि हो रही है।

मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अभी भी ओलावृष्टि हो रही है। मैंने हमारे माननीय अध्यक्ष जी से कहा था कि आप अगर कल शाम को पांच बजे तक कह दें तो पूरी सूचना मेरे पास आ जाएगी, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा कि आप पांच बजे एक बार स्टेटमेंट दे दें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

कि हम हर घंटे जिला कलेक्टरों से बात करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना होती है, कोई और प्रकार की बात होती है तो उसका तत्काल उपचार कराया जाएगा, क्योंकि ओले हैं, ओलों से पशुधन का भी नुकसान होता है। ओलों से दो आदमियों की भी कैजुअल्टीज हो गयीं।

मैं जब मेरे घर रात को दस बजे गया तो पेड़ों की जितनी छालें होती हैं, वे नीचे आकर गिर गयीं। यह ओलावृष्टि पिछले दो दिन से चल रही है और अभी मौसम विभाग ने फिर सूचना दी है कि आने वाले एक-दो दिन में और बरसात होने की सम्भावना है और ओले गिरने की सम्भावना है। यह प्रकृति का प्रकोप है। किसी के हाथ में नहीं है। जितना मेरे और सरकार के हाथ में होगा, वह काम हम सब करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मेरा आपसे निवेदन है, जैसा कि मंत्री जी ने स्टेटमेंट में कह दिया है कि जो भी कोई बात है, आप उन्हें व्यक्तिश: ...(व्यवधान) Please inform him. ...(व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मेरा एक मिनट का निवेदन है। जैसा आपने कहा है, आप असली रिपोर्ट तो 13 तारीख तक ले आएं। लास्ट दिन जवाब दे सरकार। (व्यवधान) पूरे राजस्थान का जवाब सरकार लास्ट दिन दे, तब सही रिपोर्ट आएगी।

श्री सभापति: इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। आप अपना स्टेटमेंट इन्हें दे सकते हैं बाद में। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावना को मद्देनजर रखते हुए ...(व्यवधान) आप सुन लें पहले। मैं आज नया तो हूं नहीं। एक बात तो सुन लें। अब मुझे चौदह महीने हो गये, इस आपदा प्रबंधन विभाग को देखते हुए। मैं कहना चाहूंगा, एक दिन में न तो गिरदावरी 7-डी की बात हो सकती है, न दो दिन में हो सकती है, न तीन दिन में हो सकती है। चाहे पांच दिन लगें, सात दिन लगें, चाहे दस दिन लगें, पूरी गिरदावरी की जाएगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। 15 तारीख आएगी तो भी पूरी गिरदावरी करायी जाएगी, 7-डी करवायी जाएगी और हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने की बात की जाएगी।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी भावना, हमारी भावना, हम सबकी भावना एक है कि किसान को इस आपदा में जो भी नियमों के तहत हम मदद कर सकते हैं, वह करें। मैं चाहता हूं कि इसे समयबद्ध करें। अगर दस दिन के समय में हम इसकी गिरदावरी कराकर जिसे भी जो नुकसान हुआ है, जो आपके नोर्म्स में आ जाता है कि 33 परसेंट से अधिक खराबा हुआ है, उन किसानों को जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, आप कलेक्टर के खाते में पैसे डालकर उसे ऑनलाइन वितरित करने का काम कर दें।

मैं सोचता हूं कि राजस्थान के चाहे कितने भी जिले हों, लगभग 14 जिले प्रभावित हुए हैं और किसानों की संख्या आपके हिसाब से आएगी, हम नहीं जानते उसके बारे में, जो मंशा आपकी है, वही हमारी है, हम सब चाहते हैं कि किसान को इस आपदा के समय में सरकार जो नियमों के तहत उसे मदद कर सकती है, उसे करने में विलम्ब न हो, इसलिए हमें कम से कम इसे दस दिन में, अभी कल हम सब लोग जैसे छुट्टी पर जाएंगे तो हम सब भी अपने-अपने एरिया में एक बार प्रायोरिटी के आधार पर उन सारे क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अपनी आंख से स्वयं भी देख लेंगे। जब हम वापस यहां मिलेंगे 12 तारीख को तो और कोई बात होगी तो उसे देखेंगे।

हमारी भावना एक ही है कि हम बारह दिन, पंद्रह दिन या एक सीमा तय कर लें ताकि कलेक्टर रिपोर्ट भेजें और उसके आधार पर हमारा एक्शन हो जाए। जो डैथ हो गयी हैं, जिन्हें हम तुरंत पैसा दे सकते हैं, वह कलेक्टर के अधिकार में है कि उसे चार लाख रुपये अपने आपदा प्रबंधन में से देने का अधिकार है और किसी को पशुधन का नुकसान हो गया, नुकसान अगर उसका वैरिफाई हो जाता है तो वह सहायता का अधिकारी है। सदन की, आपकी और हम सबकी भावना यह है कि इस काम में विलम्ब न हो। जो भी सर्वे के आधार पर आपकी रिपोर्ट बनती है, वापस सोमवार को हम जब आएंगे तो अगर कोई और जानकारी आपके पास है तो दे दीजिए। बाकी हम सब चाहते हैं कि इसे पंद्रह दिन मैक्सिमम कर दीजिए। पंद्रह दिन में सारी सूचना प्राप्त करके उन्हें उनके खातों में पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएं।

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में बहुत अच्छी चने की फसल थी। कम बारिश की वजह से और तेज हवा की वजह से पूरा फूल जा चुका, कोई उस पर फल भी नहीं आया। मैं कहती हूं कि पूर्ण रूप से खराबा है वहां भी। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि कलेक्टर महोदय से खासकर के उस क्षेत्र के लिए भी गिरदावरी रिपोर्ट मंगायी जाए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं सबके लिए एक साथ बोल देता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि इस मामले में हमारे मुख्य मंत्री जी, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव, मेरे विभाग के सारे अधिकारी हर घंटे हर कलेक्टर से बात कर रहे हैं। जहां दो की कैजुअल्टी हुई है उनके लिए निर्देश जारी कर दिए जाएंगे और हर सूरत में चार-चार लाख रुपये कैजुअल्टी वालों को दिये जाएंगे, नम्बर वन। नम्बर टू- आपने कहा दस दिन, मैं कह रहा हूं अगर पंद्रह दिन भी हो जाएंगे तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पेशल गिरदावरी होगी। यह मैं कहना चाहूंगा। 12 तारीख को जब आप यहां सदन में आएं तो उस समय तक आप अपने क्षेत्रों में जाएं। अगर जिला कलेक्टर के द्वारा या पटवारियों के द्वारा किसी प्रकार की बात आपके सामने आती है कि गिरदावरी में कुछ गड़बड़ हुई है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारे तहसीलदार, एसडीओ और कलेक्टर को इस बात के निर्देश दे दिये जाएंगे कि किसान के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

(17.36 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि महुवा में भी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। उस पर ध्यान आकर्षित करें और किसानों को मुआवजा दिलाएं।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं किसी सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता। पक्ष-विपक्ष की बात नहीं करना चाहता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरी पुलिस ही खराब हो। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यह वास्तविकता भी है, क्योंकि पिछले टाइम उप मुख्य मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान की कानून-व्यवस्था बिगड़ी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, सत्ताधारी पार्टी के एमएलए भी धरने पर बैठे हैं। यहां के मंत्रियों को भी जन सुनवाई में जाना पड़ा, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और हमारे साथी विधायक अभी राजेन्द्र बिधुरी जी ने पूरी सरकार की बात भी बतायी। किस प्रकार का राजस्थान में और चित्तौड़गढ़ जिले में जो काम हो रहा है, वह आप लोगों से छिपा नहीं है। बिधुरी जी ने खुद ट्रैक भी करवाया और चित्तौड़गढ़ जिले की पूरी व्यथा भी आप लोगों के सामने सुनायी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अपराध घटाने के लिए सबसे पहले थानों में नफरी की जरूरत है। महिलाओं और एससी-एसटी पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वे पूरे राजस्थान में आप लोगों से छिपे हुए नहीं हैं। जिस प्रकार बीकानेर में हुआ, चित्तौड़ में हुआ, एक चित्तौड़गढ़ में अभी का मामला है मेरी विधान सभा का, एससी-एसटी की दो बालिकाएं गुम हो जाती हैं। सदर थाना चित्तौड़ की बात है, शम्भुलाल जग्या की दो नाबालिग बच्चियां हैं। पिछली 7 जनवरी को गुमी थी और आज उनका केस है 09/2020 धारा 365 आईपीसी 16/17 पोक्सो एक्ट लगा है, उन बच्चियों का दो महीने में पता नहीं लग पाया। सभी माननीय अधिकारी विराज रहे हैं। उन नाबालिग बच्चियों का आप पता भी लगाएं। उसके बारे में आप सोचें कि उन बालिकाओं का क्या हो रहा होगा। कहां नहीं है, उसके बारे में भी आपको बताने की जरूरत है। चित्तौड़गढ़ में अभी एनडीपीएस की बात राजेन्द्र जी बिधुरी ने कही, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि रिवर्स ट्रेप भी हुई, सीआई भी पकड़ाया पर वह फाइल वहां की वहां है। वास्तव में इस फाइल में क्या है, क्या नहीं है, दूध का दूध, पानी का पानी इस सरकार को करना चाहिए। इसके

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

तार कहां तक लम्बे हैं ऊपर से नीचे तक, उसको भी आपको चैक करवाना चाहिए। उसमें छोटे अधिकारी तो मर जाते हैं पर उसमें बड़े अधिकारी भी हों तो आप लोगों को उसमें ध्यान लगाना चाहिए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कोतवाली थाने का मामला है, 3 जनवरी, 2020 को थाना क्षेत्र राजपुरिया गांव में एक ट्रैक्टर ट्रोली में 488 किलो डोडा चूरा पकड़ते हैं, एनडीपीएस का 6/2020 धारा 8/15 में दर्ज किया जाता है। उक्त प्रकरणों में ज्ञात हुआ कि पुलिस कर्मचारियों द्वारा डोडा-चूरा जब्ती के कुछ दिवस पूर्व किसी अन्य स्तर से बरामद किया गया था, किन्तु पुलिस कर्मचारियों और अपराधियों की सांठ-गांठ से चालीस लाख रुपये लेकर डोडा-चूरा छिपा दिया गया। सौदे की राशि पुलिसकर्मियों तक नहीं पहुंचने के कारण सौदे में लिप्त पुलिस कर्मचारियों द्वारा यह प्रकरण, मुकदमा दर्ज किया गया है। समाचार पत्रों में भी आया, उसमें तीन कांस्टेबलों को भी सस्पैंड किया और वहां के डिप्टी साहब को भी एपीओ किया। उस डोडे-चूरे के पूरे केस में 100 परसेंट पुलिस इन्वाल्व थी, बड़ी गाड़ी उन्होंने पकड़ी थी, राजस्थान पत्रिका में भी आया, भास्कर में भी आया और 10-15 दिन तक वह बात चली है पर अभी तक उनका राजनीतिक संरक्षण होने की वजह से उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। डी.जी. साहब यहां विराज रहे हैं, डी.जी. साहब से अपील करूंगा कि आप उसका भी पता लगाएं और सरकार इसका उत्तर भी दे।

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे वहां की पुलिस की बात करूं तो जब कोई केस दर्ज करवाने जाता है तो उसको पहले पूछते है कि तू किस पार्टी से बिलोंग करता है, कौनसे समुदाय से करता है। इस तरह से अगर पुलिस बात करती है तो न्याय कहां होगा? हमारे चंदेरिया थाने का मामला है, वहां अभी लेटेस्ट एक महीने पहले पुलिस कस्टडी में एक मुलजिम को जहर पिला दिया जाता है, उसकी दस दिन तक तबीयत बिगड़ी रही। हम मिलने भी गये, थाने में बात भी हुई, वहां के सीआई साहब को एपीओ भी किया और दूसरे कांस्टेबल, एसआई को भी हटाया। कांस्टेबल और हैड कांस्टेबल को तो हटा दिया पर सीआई साहब को 15 दिन में वापस लगा दिया। वहां की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है इसलिए इसको भी आप देखने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले में रेत माफिया, टोल माफिया, तेल माफिया, बजरी माफिया, इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। उन

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

बजरी माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। वहां 100 से 150 डम्पर डेली चित्तौड़गढ़ शहर में भी आते हैं, आस-पास भी आते हैं। राजनीतिक संरक्षण वाले लोग, पुलिस वाले उनके साथ मिलकर उनसे 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपये लेते हैं और उसे खाली करवाते हैं। राजनीतिक लोग उन डम्परों के साथ रहते हैं, पुलिस के साथ रहते हैं और इस तरह की घटनाएं चित्तौड़गढ़ जिले में हो रही हैं, उस पर भी आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। इस तरह से चित्तौड़गढ़ जिले की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है और इसमें सोचने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, चितौड़गढ़ जिले में फर्जी केस भी खूब हो रहे हैं, उनकी तरफ भी आप ध्यान लगायें। माननीय सभापति महोदय, कभी एससी, एसटी के केस, कभी एनडीपीएस के केस होते हैं। 8/29 में लोगों को फंसाया जाता है, झूठा फंसाया जाता है और 4-4, 5-5 नाम झूठे लिये जाते हैं और पुलिस उनसे पैसे वसूल करती है। उस 8/29 में वास्तविक आदमी तो एक होता है पर उसमें 10-10, 15-15 लोगों से पैसे ले लेते हैं तो मैं सरकार से इस 8/29 में जो-जो भी नाम आते हैं उनकी तरफ भी आप ध्यान दें क्योंकि हमारे वहां अफीम और डोडा-चूरा खूब पैदा होता है इसलिए फर्जी केस भी बनाये जाते हैं इसलिए उस पर भी आप ध्यान देकर कार्यवाही करवायें।

माननीय सभापति महोदय, होमगार्ड की भी काफी मांगें हैं, काफी चीजें हैं। होमगार्ड का आरआई वहां ड्यूटी लगाने के नाम पर उनसे मंथली वसूली करता है। मैं यहां की नहीं, राजस्थान की बात करता हूं, चित्तौड़गढ़ जिले की बात करता हूं। होमगार्ड का कोई भी कर्मचारी अगर ड्यूटी पर लगने की बात करता है तो उससे मंथली ली जाती है यह बिलकुल बाई-प्रूफ है और अगर आप चाहो तो प्रूफ भी करवा दूंगा। वहां का होमगार्ड का सिपाही इसलिए नहीं बोल सकता है कि उसको सस्पैंड कर दिया जाता है या उसकी ड्यूटी नहीं लगाएगा इसलिए वह बात नहीं करता है। इसलिए होमगार्ड की इस चीज को भी देखें। माननीय सभापति महोदय, होमगार्ड के सिपाही को भी आप 4-5 ड्यूटी देते हैं इसलिए उनको भी पूरे साल 365 दिन की ड्यूटी देनी चाहिए, उनके पैसे में भी इजाफा करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं जेल की बात करूं। जेल में काफी लोग

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

बन्द हैं, उनके हवा-पानी की व्यवस्था भी करवानी चाहिए, पंखा, टीवी की भी व्यवस्था करवानी चाहिए। उन लोगों के भोजन में भी सुधार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जो जेल हैं वे काफी छोटी हैं और मुलजिम बहुत ज्यादा हैं इसलिए उस बात को देखते हुए नई बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में जितने भी एससी, एसटी के केस हो रहे हैं, नाबालिगों के केस हो रहे हैं, मैं किसी सरकार पर आरोप-प्रत्यारोप तो नहीं लगाना चाहता हूं पर उनमें काफी बढ़ोतरी हुई है इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चित्तौड़गढ़ जिले में जिस प्रकार पुलिस राजनीतिक संरक्षण की वजह से लोगों को परेशान करके झूठे केस बना रही है, उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अभी बिधुरी जी ने जो कही है उन सब बातों पर भी आपको ध्यान लगाने की जरूरत है। चित्तौड़गढ़ जिले में वास्तव में पुलिस की स्थिति ऐसी है कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से सीआई और थानेदार को लगा दिया जाता है तो पुलिस को स्वतंत्रतापूर्वक चित्तौड़गढ़ में लगायें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्रसिंह गुढा।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, सदन के अन्दर आकर सारी बातें सुनकर मेरा दिमाग ऊक-चूक हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे हरिश्चन्द्र यहीं आ गये। जो भ्रष्टाचार के अन्दर भ्रष्टाचार का सम्राट है वह भ्रष्टाचार की बातें करता है, जो अपराध का सम्राट है वह अपराध की बातें करता है। अभी देवनानी जी भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत अच्छे बोल रहे थे, उससे पहले कालीचरण जी भी बहुत अच्छा बोलते हैं। पहले वाले मंत्री बोल रहे हैं लेकिन सबको पता था कि पिछली हमारी सरकार थी तो हेमाराम जी ईमानदार आदमी थे सबको पता था, दुर्रू मियां जी ईमानदार थे सबको पता था, भरत सिंह जी थे। अब कटारिया जी के बारे में सबको पता है कि ईमानदार आदमी हैं। लेकिन हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, हर मोहल्ले में भी अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, हर घर में भी अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं, हर गांव में भी अच्छे और बुरे होते हैं, हर इंस्टीट्यूट में अच्छे और बुरे होते हैं। अच्छे आदमी आगे आ जाते हैं तो वह गांव अच्छा हो

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढा)

जाता है, बुरे आदमी आगे आ जाते हैं तो गांव बुरा हो जाता है। जहां तक मैं समझता हूं, महात्मा बुद्ध के टाइम में धरती पर दो करोड़ आदमी थे और 99 परसेंट जंगल था उसमें भेड़िये, लकड़बग्घे वगैरह सब थे। अब वह जंगल सारा खतम हो गया तो वह सारी आत्मा हमारे अन्दर आ गई, भेड़ियों की, लकड़बग्घों की, लोमड़ी की, गीदड़ों का, भालू वगैरह की। अब ये बताते हैं कि तीन साल की बच्ची के साथ बुरा काम हो गया, पाँच साल की बच्ची के साथ हो गया तो यह कोई भेड़िया ही कर सकता है, इन्सान तो ऐसा काम कर नहीं सकता।

एक बार चाणक्य ने यह कहा था कि राजा व्यापारी हो जाएगा तो जनता भिखारी हो जाएगी। चाणक्य के टाइम में, चन्द्रगुप्त मौर्य के टाइम में चाइना का कोई डेलिगेशन आया था कि इस देश की उन्नति का कारण क्या है और जब चाणक्य से मिलने के लिए वे लोग गये तो उन्होंने पूछा कि आप पर्सनल काम से आए हो या सरकारी काम से आए हो। रात का समय था तो उन्होंने कहा कि हम आपसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो उन्होंने एक दीपक को बन्द कर दिया और दूसरा दीपक उन्होंने चालू किया तो उन्होंने पूछा कि यह क्या है तो उन्होंने कहा कि यह जो दीपक था उसमें सरकारी तेल जल रहा था और यह मेरा पर्सनल दीपक है जिससे प्राइवेट बातें होंगी और पूछा कि आप बोलो तो बोले कि कुछ नहीं बोलना। जिस राज्य का महामंत्री इतना ईमानदार और सिद्धांतवादी हो तो वहां तो प्रोग्रेस आटोमेटिक होगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पुलिस भी हममें से ही है, हम सारे के सारे लोग चुनाव में एफिडेविट देते हैं कि इतने पैसे में हम चुनाव लड़ेंगे। एक भी माई का लाल उस एफिडेविट के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ता और एक आदमी भी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। अब सारी पुलिस हममें से ही है। अब ये बाकी के लोग भाषण दे रहे हैं। आपको बताना चाह रहा हूं कोई जेल में होमगार्ड मंत्री रहा। मुझे होमगार्ड का पता है, मैं जेल में भी गया, तो मुझे जेल का आप लोगों से ज्यादा पता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं बाकी वाले मामले में भी, मैं खूब गया हूं, आपने भी भेज दिया था 40 दिन, पिछली बार ये कटारिया जी मंत्री थे। उस टाइम एक एक्सीडेंट के मामले में मुझे टिका दिया था। मेरा कोई लेना -देना नहीं था, खूब गया हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सारा का सारा खेल है। बीट कांस्टेबल क्या करता है, चौकी पर क्या होता है, थाने में

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढा)

कैसे मुकदमे दर्ज होते हैं, कैसे चालान होता है, कैसे नाम कटता है और इसके अंदर सीओ क्या करता है, एसपी क्या करता है, सारी की सारी बात, लेकिन हकीकत यह है कि ''बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय', वो बात है। मैं बता रहा हूं 100 परसेंट ईमानदार, सभापति महोदय मैं भी नहीं हूं। वह बात, गलत बोलने से, सच नहीं बोलने से पाप लगता है। मैं वह पढ़ रहा था, सभापति महोदय, मैं आपके सामने सच बोलना चाह रहा हूं। सच्चाई यह है कि यहां आकर ईमानदारी पर बोलने का अधिकार 100 परसेंट मुझे तो नहीं है और ये देवनानी जी को भी नहीं है।

आपको बता रहा हूं अभी एक जानकार थे। वे बजरी का ट्रक डला रहे थे। उन्होंने कहा बजरी का ट्रक कहां डलवाना है, जयपुर के बाहर तो पैसे इतने लगेंगे, अन्दर कितने थाने क्रास कर रहे हैं, उसके हिसाब से फीस बढ़ती जाएगी। ये सबको पता है, आप भी उस जनता के बीच में से आये हो। आप पक्ष में भी रहे हो, विपक्ष में भी, सबको पता है, क्या-क्या होता है। मेरी जानकारी के हिसाब से लालचंद जी कटारिया ईमानदार आदमी हैं, रमेश जी मीणा भी और कोई भी होंगे लेकिन हरिशचंद्र कोई भी नहीं है। अब ये सारे ऐसे बातें कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। विधूड़ी जी बहुत अच्छा बोल रहे राजेन्द्र गुढ़ा खूब अच्छा बोल रहा, आक्या जी भी अच्छा बोल रहे हैं लेकिन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम हरिशचंद्र नहीं हैं, मेरा आपसे निवेदन है।

दूसरी बात, वे उधर बैठे हैं, आईपीएस अधिकारी बैठे हैं, चाहे छोटे बैठे हों, हरिशचंद्र मुझे तो कोई लगा नहीं, एक भी मिल जाए तो मुझे बता देना। जहां तक पुलिस की बात है, अपराध की बात है, कस्टडी में क्या होता है, पुलिस कस्टडी के अंदर सबको पता है। सभापति महोदय, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन सबको पता है। पुलिस का सारा मामला किसी से छिपा नहीं है। लेकिन, ऐसा कौनसा डिपार्टमेंट है, जो ईमानदार हो, वह बता दो। देवनानी जी एजुकेशन में थे, मुझे पता है सब, थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत नालेज है, ज्यादा नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, छोड़ो देवनानी जी की बातों में पड़ गये। आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने पहले कहा था, मैंने पिछली बार कहा था कि सच्चाई है पिछली बार **+++** पता था। इस मामले में सीएम साहब ने 5 करोड़ की बातें कहीं, मेरे हिसाब से वे छोटा बोल गये हमारे मुख्य मंत्री जी। मैं बताना चाह रहा हूं कि सारा का सारा, ये दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मेरी बात खतम करूंगा। मेरी

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढा)

बात खतम करने से पहले चींटी से लेकर हाथी तक, चाहे उड़ने वाला पक्षी हो, चाहे पानी का हो, चाहे जमीन पर चलने वाला हो, चाहे चार पांव से चले, चाहे दो पांव से चले, सबका एक प्रिंसिपल होता है। घोड़ी-घोड़ा रखने वाला, उसको पता चल जाता है कि घोड़े का मिज़ाज क्या है, घोड़ा जब कान चेप लेता है तो घोड़े का जानकार आदमी उसके पास नहीं जाता, मैं भी जानता हूं। ऊंट रखने वाला, ऊंट की बाडी लैंग्वेज से जान जाता है। वाइल्ड लाइफ के लोग, सांप की बाडी स्टाइल से पता चल जाता है कि सांप जब यूं बैठा है तो अटैक नहीं करेगा, डरा रहा है, दूर जाओ। उसने कुंडली बनाकर मामला यूं कर लिया तो अब ऊपर आएगा। टाइगर को जानने वाला टाइगर की पूंछ से पता लगा लेते हैं कि इस टाइगर का मूड ये है। सबका पता चलता है। सभापति महोदय, इस आदमी का पता नहीं चलता है। ये हंसता-हंसता बैण्ड बजा देता है। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बेईमान इस धरती के ऊपर कोई है तो यह इंसान है और जनता में सारी गड़बड़ है। इस सदन के अंदर इधर वाले हो, अब बता दो, कोई माई के लाल में दम हो तो कटारिया जी पर अंगुली उठा लो, भ्रष्टाचार की। कटारिया जी बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन देवनानी जी बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बताऊं नहीं लगता, अब ये है तो है। इन सबका पता है, देवनानी जी माफ करना, दूसरे नहीं हैं, उनका नाम ले देता। बाकी लगभग काम ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है। मैं बताना चाह रहा हूं, इस मामले में आप बुरा मत मानना ईमानदारी वाला मामला तो बच गया कम, पुलिस के मामले में, वे उधर बैठे साहब, सब जानते हैं, पूरी जिन्दगी पुलिस में लगा दी। सच बात तो यह है कि पुलिस को अगर आप देखोगे तो उनके बराबर बेचारा कोई नहीं है, कांस्टेबल से ज्यादा। वीआईपी मूवमेंट हो, चाहे होली हो, हम सब धुलण्डी खेलेंगे, वे हमसे दूसरे दिन खेलेंगे, चाहे त्यौहार हो, चाहे कुछ हो, उनके क्या-क्या प्रोब्लम है, कोई छुट्‌टी नहीं है। उस पर एक घंटा बोला जा सकता है। सब जानते हैं चाहे बलात्कारी हो, चाहे चोर हो, चाहे डकैत हो, उनसे उनका वास्ता पड़ता है तो वे लगभग वैसे ही हो जाते हैं। सारे लोगों का वास्ता, चोरों से दिन भर, बलात्कारियों से, लूटेरों से, क्रिमिनल्स के साथ उनका वास्ता पड़ता है तो वे दिन भर उन्हीं में रहेंगे तो उन जैसे हो ही जाएंगे। हमारे पास भी लोग आते हैं, हम भी मदद कर देते हैं, वोटों की भूख है, इसके पास सौ वोट हैं तो बोले भैया इसमें गड़बड़ नहीं है, हम भी फोन करते हैं।

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढा)

मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सभापति महोदय, मेरा तो दिमाग थोड़ा ऊक-चूक हो गया है, मेरे थोड़ी कम समझ आ रही है। भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार, ये यहां रहने वाले आदमी, यदि तय कर लें भ्रष्टाचार के बारे में, माई का लाल कौन सा भ्रष्टाचार हो जाए, **+++** और नीचे तक जाता है। इस मामले में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है और मैं भी नहीं हूं। धन्यवाद जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16-17 पर अपनी बात कहने का मौका दिया। सभापति महोदय, हर व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश होती है और हर व्यवस्था में कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ बुरे भी लोग होते हैं। विडम्बना यह है कि जब व्यक्ति राज में होता है तो उसको बुरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति राज में नहीं होता है तब उसको बहुत ही सज्जन, ईमानदार व्यक्ति की अपेक्षा रहती है, अधिकारी की। खास तौर से मैं पुलिस के बारे में बोलना चाह रहा हूं। सभापति महोदय, हमेशा पुलिस के बारे में बात होती है। मैंने भी पुलिस के खिलाफ बहुत आंदोलन किये। सभी लोग यह कहते हैं कि पुलिस को गुंडों के ऊपर टूट पड़ना चाहिए, उनका नामोनिशान मिटा देना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर के, अभी मैं सदस्यों के विचार सुन रहा था, तो मुझे याद आया कि हमारे गांव में कोई बड़ा पहलवान होता था, तो पड़ोसी गांव के लोग होते थे तो वे कहते थे कि इस पहलवान को हराना है। इसको धूल चटाना है। इज्जत का सवाल है तो गांव वाले उसको पांच-पांच किलो घी एकत्र करके देते थे कि इसको घी खिलाओ, दूध पिलाओ तगड़ा करना है, उसको हराना है और अपने इसको जीतना है लेकिन, मैं समझ नहीं पा रहा कि ये राजस्थान के पुलिस के कांस्टेबल को कौन सी शिलाजीत खिलाते हैं हमारी सरकार में रहने वाले, कि वह सारे कर्मचारियों से तो ड्यूटी लेंगे आठ घंटे और उस कांस्टेबल से कहेंगे 12 घंटे तो नाइट में ड्यूटी करेगा और दिन में भी कोई लिमिट नहीं है। उतनी ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी और मधुर व्यवहार भी आपको रखना पड़ेगा और आपको साइकिल पर चलकर दूर-दूर से मुल्जिमों को पकड़कर लाना पड़ेगा और उसके पचास रुपये देंगे, आपको साइकिल के। मोटर साइकिल पर दुनिया चल रही है, कार में दुनिया चल रही है लेकिन, अभी भी पुलिस कांस्टेबल को कह रही हैं, तू, साइकिल से दौड़कर फार्चूनर वाले मुल्जिम को पकड़ ले। ये अब कैसे पकड़ा जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। ये कौनसा कानून, हम ही तो

(श्री बलजीत यादव)

बनाते हैं। वो कांस्टेबल है, उनमें से कितने ही हमारे कोई चाचा का लड़का, कोई ताऊ का लड़का, कोई फूफा का लड़का, कोई भाई है, कोई भतीजा है, सारे सब कुछ हम जानते हैं। रोज उनका दुखड़ा जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं यह नहीं समझ पाया कि हम इस चीज को क्यों नहीं जान पाए, या तो उसको हटा ही दो, तो मजाक नहीं बने। कोई आदमी देखे तो भी, यह कानून हमने बनाया। हमने ये सारी चीजें रखीं तो कोई इसको पढ़े तो हंसे तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि उस कांस्टेबल को भी इंसान समझा जाए, मैंने पिछली दफा भी सदन में कहा था, मैं कोई वकालत पुलिस की नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ईमानदारी से जीना चाहता है जो कान्स्टेबल ड्यूटी करना चाहता है वह शपथ लेता है कि मैं ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को निभाऊंगा तो उसको उसकी उस शपथ को छुड़वाने में सरकारें क्यों मजबूर करती हैं कि वह जाएगा, रोडवेज में तो जाएगा, हरियाणा में पास मिलता है, पंजाब में मिलता है।

(18.00 बजे)

पिछली बार मैंने सदन में कहा, इतने दिन गुजर गए, मुझे नहीं पता किसी के जूं भी नहीं रेंगी है, उसके अंदर कोई चाल चली हो तो, कुछ उसको फायदा मिला हो तो, कुछ नहीं मिलेगा। सभापति, महोदय, खाने का पैसा मैं कह रहा था पहलवान को पांच-पांच किलो घी देते हैं गांव वाले और यहां कान्स्टेबल को एके-47 वाले गुंडे से लड़ने के लिए जो रोजाना चिकन-मटन खाता है गुंडा, उससे लड़ने के लिए उसको 65 रुपये रोज के दिए जाते हैं, उसका जो मैस अलाउंस है, वह दिया जाता है कि तू इसमें दोनों टाइम रोटी खा ले। अब मुझे यह बता दे कोई यहां पर बैठा हुआ आदमी कि 65 रुपये के अंदर उसको रोज दिन में कहां रोटी खिलाई जा सकती है, कहां की रोटी खाए, तो उसको कहते हैं कि तेरे पेट के गांठ बांध ले, पर दौड़े जा, लड़े जा और मलाई चाटते हैं कुछ पुलिस के अधिकारी, वह चाहे कोई सरकार आ जाओ, उनका कोई माई का लाल कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। इतने तेज होते हैं कि उनको खबर लग जाती है सबसे पहले, जैसे गांव में हमारे पक्षियों को देखकर किसान बता देता था कि बारिश होगी, ओले पड़ेंगे, वह अधिकारी इतने एक्सपर्ट हैं सभापति महोदय, वह भिड़ते ही जान जाते हैं कौनसी सरकार आनी है और चंपी चालू कर देते हैं उनको ही आगे पोस्टिंग मिलती है।

(श्री बलजीत यादव)

मैं मेरे कई सदस्यों से, नाम नहीं लूंगा एक आईपीएस, सभापति महोदय, इतना बड़ा डाकू, इतना बड़ा डाकू कि ठेके पर थाने छोड़ता था वह और मैं प्रत्यक्ष कह रहा हूं, सत्य बात कह रहा हूं और जिसकी प्रशंसा माननीय हमारे बीजेपी के गृह मंत्री रहे गुलाब चंद जी कटारिया ने भी की और जोर से चिल्लाकर की। कटारिया साहब, मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट करता हूं लेकिन सुनना आप, क्योंकि मुझे आप भले आदमी लगते हो इसलिए मैं ध्यान में लाना चाहता हूं। मैंने अखबार में पढ़ा, गृह मंत्री जी का बयान आया, एसपी को मैंने लगाया है, बहुत बढ़िया एसपी है और मैं गवाह हूं उस एसपी के डाकू होने का और अभी मुझे यही के हमारे सदस्यों ने एक दिन कहा कि साइन करके 5 -10 सदस्य लेकर गए चीफ मिनिस्टर के यहां कि उस एसपी को हमारे यहां लगा दो। मैंने कहा भले आदमियों, वह तो डाकू है, वह तो बीजेपी के राज में भी लूट रहा था और अब तुम ले जाना चाह रहे हो तो बोले कि नहीं, हम सोच रहे हैं कि बढ़िया है।

मुझे नहीं पता मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन यह जो काम करे और माननीय कटारिया जी, आप मुख्य मंत्री आगे बन जाओगे, आप होम मिनिस्टर थे तो आरएसएस का एक कार्यकर्ता उसको पुलिस वाला एक भ्रष्ट अधिकारी, उसने ऐसे मोधा पटक कर, उसका छोरा है वह मंदबुद्धि है सभापति महोदय, पार्षद के इलेक्शन थे। दूसरे एमएलए ने कहा कि इसको ठोकना है इस आरएसएस वाले को, यह मेरे टिकट का विरोध कर रहा था। सभापति महोदय, उस का मैंने देखा, पेंट खोलकर उसने दिखाया, मंदबुद्धि है वह लड़का उसका पूरा खानदान आरएसएस का है, उसको इतनी बुरी तरह से मारा और हुआ क्या, बहरोड थाने में था वह थानेदार और उसको एसएचओ बनाकर लगा दिया पुरस्कार में कि तूने बढ़िया ठोका। उनकी जूतियां घिस गई कटारिया जी के चक्कर लगा-लगा कर। कटारिया जी ने कहा कि डीजी आकर बैठ जाएगा सस्पैंड करूंगा तो, कुछ नहीं हुआ। मैंने प्रदर्शन किया, अलवर में किया तो बैरिकेड लगाकर मुझे रोक लिया है। हजारों लोग ले गया, आरएसएस का कार्यकर्ता था लेकिन क्योंकि अन्याय हुआ था। वहां रोका, बार-बार केस लगा दिए। मैंने कहा कि चोर है, यह एसपी चोर है और करोड़ों रुपये खा रहा है और मैं साबित करूंगा। पत्रकारों ने कहा कि आप पर केस हो जाएगा। मैं सबूत दूंगा कि वह पूरे वहां पर रोड पर रुकवाकर लूट रहा है हर ट्रक को। कैमरे को बंद कर देता है, कैमरा चलने नहीं देता है और मैं आज पकड़कर बताऊंगा उसकी वीडियो रिकार्डिंग। वह एसपी तो चूं बोला नहीं, उसके बाद में उसको हटाया गया वहां से और लिखवा कर वहां के बीजेपी एमएलए ने यह लिखा दिया

(श्री बलजीत यादव)

सरपंचों से कि एसएचओ ईमानदार है तो मैं कहता हूं कि जो राज में आ जाता है वह इनके हिसाब से चलता है तब उसके कुछ और सिद्धांत हो जाते हैं, जब वह विपक्ष में चला जाता है तो कुछ और बातें हो जाती है लेकिन यह कान्स्टेबल जो है मेरी सहानुभूति है उनसे, मैंने आज तक किसी सिपाही की शिकायत नहीं की है, उसने 19-20 गलती भी की है तो मैंने मेरा सिद्धांत बना रखा है कि यह दबा कुचला आदमी है, अगर इससे कोई गलती भी हो जाए तो यह मान लेना चाहिए कि बेचारा फ्रस्ट्रेशन में है इसलिए इसकी गलती को अनदेखा किया जाना चाहिए तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी बुद्धिमान लकड़हारे की और उसमें बताया कि मूर्ख लकड़हारा काटने जाता था पेड़ तो वह कुल्हाड़ी की धार नहीं देखता था तो दिन भर पसीने-पसीने होता और लकड़ी नहीं काट पाता। दूसरा लकड़हारा था, वह बुद्धिमान था वह पहले धार देता अपनी कुल्हाड़ी को और देकर के काटता और वह कुछ समय में ही उससे 4 गुना लकड़ी काट कर ले आता तो मैं कहना चाहता हूं यह एक बार प्रयोग करके देख ले राजस्थान सरकार। पुलिस वाले को आप ड्यूटी दे रहे हो 12 घंटे, फिर कहते हो कि तामील करवा, उसको पकड़, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, एक बार उसकी 8 घंटे ड्यूटी कर दो, उसको अच्छा वेतन दो। सातवां वेतन आयोग लगा... (समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक मिनट मैं इमोशनल हो रहा हूं। मुझे थोड़ा एक मिनट दो, फिर मेरा आगे कभी काट लेना। सातवां वेतन आयोग लागू हुआ सभापति महोदय, तो उस कॉन्स्टेबल से इतना पैसा बचाना चाहते हैं कि उस को उसका कोई लाभ नहीं दिया। उसको 5000 रुपये का फायदा मिलता सेंटर के हिसाब से लगती तो, लेकिन पता नहीं सारे के सारे गरीब को लूट करके बचाना चाहते हैं, उसको नहीं दिया कांस्टेबल को और उस कांस्टेबल को जगह-जगह मतलब उसके साथ इतना आप उसको कहते हो कि लड़ो एके-47 से, मैं भी कहता हूं कि लड़ूंगा सभापति महोदय मैं जानता हूं न गुंडों से हमारी भी दुश्मनी है। मेरे लिए एसपी ने लिखकर भेजा, एमएलए की जान को खतरा हो सकता है इसको सुरक्षा दो पर मेरे को सुरक्षा नहीं दी सरकार ने और मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, लट्ठ लेकर लड़ता हूं गुंडों से मेरे को परवाह नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं भी क्या सोचता हूं कि मेरे बेटे ने मुझे क्या बोला, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं पूरे सदन से ही जब मैं पपला के खिलाफ बोला, जब मैंने धरना दिया तो मेरे बेटे ने यह कहा कि पापा कभी अपने यहां एके-47 लेकर आ जाए, आप थोड़ा सुरक्षा के गार्ड तो

(श्री बलजीत यादव)

रख लो। मतलब डर, तो जब मेरा बेटा एक दिन एक गुंडे से लड़ने के लिए मुझे कहता है कि आप सुरक्षा रखो तो वह कान्स्टेबल है उसको रोज कहते हो कि भूखा मर, लड़ गुंडों से, लड़ गुंडों से और वह अगर मर गया तो पुरानी पेंशन स्कीम भी नहीं देते हो। मर गया न तो उसका जो पैसा जमा हुआ है उसको भी हड़प लेगी सरकार। उसको कोई पेंशन देगी नहीं, उसको कोई शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं। अब यह भी फोर्स का आदमी है, वह बार्डर पर लड़ रहा है, वह भी फोर्स का आदमी है, यह भी फोर्स का आदमी है। वह वहां लड़ रहा है, यह असामाजिक तत्वों से यहां लड़ रहा है तो इस के साथ भेदभाव क्यों? इसको क्यों नहीं दिया जाए शहीद का दर्जा? वह पैकेज क्यों नहीं दे सकते? कितने लोग शहीद होते हैं, तो क्या इससे कंगाल हो जाएगी सरकार? लेकिन नहीं देंगे, तो मैं यह मांग करता हूं राजस्थान की सरकार से कि कोई भी पुलिस वाला कांस्टेबल पुलिसकर्मी शहीद हो तो शहीद का पैकेज मिले।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, 30 सैकंड में खतम कर रहा हूं। उसको पैकेज मिले, पुरानी पेंशन स्कीम से उसको पेंशन दें, तभी तो लड़ेगा वह कि मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है तो लड़ेगा। मैं एक और बताना चाहता हूं कि उनको वर्दी भत्ता 7 हजार रुपये से 15 हजार रुपये किया जाए।

श्री सभापति: विराजिये। समाप्त करें। महत्वपूर्ण बातें तो पहले बोलनी चाहिए थीं।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): जो ड्यूटी भत्ता है, दोगुना किया जाए और इनको यह उच्चाधिकारियों द्वारा अपमानित किया जाता है सभापति महोदय, वह बंद होना चाहिए। वह न तो हड़ताल कर सकता है, न वह शिकायत कर सकता है सभापति महोदय, थोड़ा उनके प्रति रहम रखें।

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इनका ध्यान रखें। देखिए नहीं रखोगे तभी तो सरकारें बदलती हैं अगर सब सरकारें सही-सही काम करें तो आप उधर नहीं जाते और

(श्री बलजीत यादव)

आप इधर नहीं आते इसलिए एक बार थोड़ा सहानुभूति रखकर उनकी जो भी मांगें हैं, मैं आपको टेबल कर दूंगा उनकी जो भी मांगें हैं। मैं समझता हूं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और उनको रियायत के ऊपर जिला मुख्यालय पर प्लाट भी सरकार देगी, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। बहुत से लोगों को देती है।

श्री सभापति: विराजिये। श्री गिरधारीलाल।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, सभापति जी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन में माकपा और कई विपक्षी पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे हुए थे। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद वादा किया था और इसे अपने जन घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिन राजनेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए उन्हें सरकार वापस लेगी मगर अफसोस है कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, आज इस सदन में कांग्रेस और माकपा व अन्य विधायक बैठे हैं उनके भी मुकदमे एक साल बीत गया है, आज भी सरकार ने वापस नहीं लिए हैं लेकिन इसी सदन के दूसरे सत्र में मैंने क्वेश्चन लगाया था, गृह विभाग का जवाब था, सरकार ने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी शासन में भाजपा विधायकों की अनुशंसा पर यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की अनुशंसा पर भी बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगे हुए मुकदमे वापस लिए गए थे, इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे सरकार द्वारा पहले किए गए थे, वह वापस लें।

सभापति महोदय, छात्र संघ चुनाव में परिणाम के वक्त सीकर में पुलिसकर्मियों द्वारा छात्राओं के साथ भयंकर मारपीट की गई थी, जिसकी खबर अखबारों में भी बड़े कवरेज के साथ हुई थी। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर सीकर में बड़ा आंदोलन भी चला और पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी ने भी Twit किया, पुलिस के इस कृत्य की घोर निंदा की। बेटी बचाओ का नारा देने वाली हमारी सरकार ने आज तक छात्राओं के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ

(श्री गिरधारीलाल)

कोई भी कार्यवाही नहीं की। अत: मेरा आग्रह है दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाये।

सभापति महोदय, प्रदेश में पुलिसकर्मियों को 20-20 घंटे की ड्यूटी दी जाती है। अपराध का एक कारण यह भी है कि 24 घंटे ड्यूटी देने वाला पुलिसकर्मी अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये शराब माफियाओं से, भू-माफियाओं से और करप्शन करने वालों के साथ मिलना उसकी मजबूरी हो जाती है। मैं आपसे इस सदन के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि 8 घंटे के अतिरिक्त ड्यूटी करने वाले समय का बहुत ही कम भत्ता दिया जाता है। अत: मेरी मांग है कि अतिरिक्त समय तक काम करने वाले पुलिसकर्मियों को भत्ता आज की महंगाई को देखते हुए दिया जाये।

सभापति महोदय, हमारे स्टेट में होम गार्ड हैं। पुलिस एकेडमी ने होम गार्ड की नीति बना रखी है, उसमें सरकार मजदूर के हिसाब से उनसे काम कराती है, जैसे काम नहीं होता है तो मजदूर की तरह ठोकर मार देती है। होम गार्ड अधिनियम 1962-63 में संशोधन करते हुए 12 माह ड्यूटी देने की अनुशंसा की जाये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आज पूरे राजस्थान में, विशेषकर बीकानेर जिले में हत्याओं, चोरियों, बलात्कार का और विशेषकर शराब माफियाओं का आतंक बना हुआ है। किसी की सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, तमाम पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी व हम राजनेताओं को पता है, शराब माफिया सरेआम अवैध शराब बेचते हैं। उन पर नकेल कसने की आवश्यकता है। पुलिस थाना आज शराब माफियाओं के द्वारा चलाया जाता है। संसाधन नहीं होने की वजह से वह अपराधियों के साथ मिलने के लिये मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जहां भी जरूरत होती है अपराध पकड़ने के लिये शराब माफियाओं को फोन किया जाता है तो वह वाहन उपलब्ध करा देते हैं। इसलिए पुलिस के भत्ते, संसाधन बढ़ाये जाएं। सभापति महोदय, मैं यही कहते हुए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: विराजिए। श्रीमती इन्दिरा।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): सभापति महोदय, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे मेड़ता क्षेत्र में माली समाज की एक लड़की चार साल पहले खेत में गुम गई। आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उस पर कब तक कार्यवाही हो जायेगी? यह एफआईआर नंबर 341/2016 की बात है। जब एक

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

घर में बच्चा बीमार होता है तो मां की ममता कितनी दुःखी होती है। आज चार साल से उनकी एक बेटी गुम है, वह रोज मेरे घर आते हैं और उनकी बहन और भाई आकर रोने लग जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसकी आप जरूर जांच कराएं।

दूसरा, हमारे मेड़ता में पुलिस थाने में महिला कांस्टेबल के लिये अलग से लैट्रिन बाथरूम की सुविधा होनी चाहिये और अलग से क्वार्टर की भी कमी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि उनके लिये अलग से सुविधा होनी चाहिये। सरकार आती रहती है, जाती रहती है सभापति महोदय, मैं भी एक दलित परिवार की हूं। आज हम दो एमएलए एससी के हैं और दोनों को बिना मुकदमे के फंसा दिया गया। इसकी आप जरूर जांच कराएं और जो दोषी हैं उनको आप जेल कराओ, चाहे फांसी कराओ, मेरे को कोई डर नहीं है। हम कसूर में नहीं हैं, बिना कसूर के हैं। 200 एमएलए से आप पूछ लेना, एससी के एमएलए तो बहुत सारे हैं परंतु हम दो ही एमएलए सीधे सादे हैं। मैं कुछ भी नहीं जानती हूं लेकिन हम दोनों के साथ ऐसी घटना हुई। मैं सरकार से मांग करना चाहती हूं आप मेरी तुरंत जांच कराएं। मैं डरती नहीं हूं चाहे आप जेल में डालो, चाहे फांसी कराओ, मैं नहीं डरती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि आप मेरी जरूर जांच कराओ, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 16 व 17 पर बोलने के लिये मुझे मौका दिया, आपको धन्यवाद। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के बजट का मात्र 3 परसेंट बजट पुलिस पर रखा गया है। इस 3 परसेंट से इनकी तनख्वाह भी जायेगी और साधन भी खरीदेंगे। सिर्फ 214 करोड़ में यह होना मुश्किल है। अभी अपराध कई प्रकार के घटने लग गये हैं तो संसाधन भी उस हिसाब से बदली करने पड़ेंगे। पुराने संसाधनों से राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता की सुरक्षा संभव नहीं है, इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिये, ऐसा मेरा सुझाव है। राजस्थान में साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिये आपको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे।

हमारे ब्यावर में लूंदरीमेंदरा थाने की एक बच्ची चन्द्रकांता पन्नू पुत्री मदनलाल पन्नू, उम्र 19 साल, जाति मेघवाल, यह सेंट फ्रांसिस अस्पताल अजमेर में नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। सवाईमाधोपुर के फिरोज अब्बासी नाम के व्यक्ति ने फर्जी आईडी बनाकर उसको फोन पर जाल में फंसाया। 2

(श्री शंकर सिंह रावत)

जनवरी, 2020 को अजमेर से वह गायब हुई। उसको वहां सवाई माधोपुर बुलाया, 3 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ और 6 फरवरी को सवाई माधोपुर में उसकी लाश मिली। सभापति महोदय, कानून में सुधार करना पड़ेगा। अनजान व्यक्ति के पास फोन आता है कि आप इनाम जीत गये हैं, आपका पैसा कौनसे खाते में डालना है। सभी माननीय सदस्य जो जीत कर आये हैं या और भी जो लोग हैं जो जीत कर नहीं आये हैं, उनके भी मोबाइल नंबर नैट पर उपलब्ध हैं। नैट से मोबाइल नंबर लेकर उनको फोन करते हैं, आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। आपके पास फोन आया, आपको पैसा डालने के लिये पूछेंगे, इस प्रकार की घटनाएं हजारों की तादाद में हो रही हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसा कोई कानून लाया जाये कि एक व्यक्ति एक या दो से ज्यादा मोबाइल नंबर नहीं रख सके। लोग फर्जी आईडी बनाकर कई प्रकार के क्राइम कर रहे हैं, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, इससे चोर भी पकड़े जायेंगे। कई अपराधी अपनी गाड़ी पर काली फिल्म लगाकर मेन रोड पर चल रहे हैं, पुलिस देख रही है, किसी प्रकार का सुधार नहीं कर रहे हैं। इस पर भी आपको कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। राजस्थान में कोई भी गाड़ी काली फिल्म की नहीं निकले और पकड़े तो उस पर कड़ी कार्यवाही हो। मुंह पर कपड़ा बांध कर पैदल चलने वाले, मोटरसाइकिल पर चलने वाले एवं गाड़ी में चलने वालों पर भी आपको रोक लगानी पड़ेगी ताकि पुलिस उसको पहचान सके कि यह कोई अपराधी जा रहा है या कोई साहूकार जा रहा है। इसके लिये निश्चित तौर पर हमको कहीं न कहीं कड़े फैसले लेने पड़ेंगे।

दूसरा मेरा निवेदन है कि शराब के धंधे में दुकान एक स्वीकृत होती है लेकिन पुलिस की शह से 10 जगह पर उसकी ब्रांचें चल रही हैं, उसमें भी आपको सुधार करना पड़ेगा। सट्टे बिना पुलिस की शह के चल नहीं सकते हैं। चाहे शराब की तस्करी हो, चाहे बजरी की तस्करी, जिस प्रकार काफी वक्ता बोले हैं यह पुलिस की सहमति के बिना नहीं चल सकता है, इसलिए पुलिस को उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। हम लोग यहां पर आने के बाद पक्ष और विपक्ष में बंट जाते हैं। यह पुलिस आपकी थी, यह पुलिस हमारी है, पुलिस न आपकी है, न पुलिस हमारी है। जिस दिन आप इनके चक्कर में कहीं फंस जाएंगे तो उस दिन देखना, इसकी वर्दी किस तरह से आपको रंग लगती है। जो फंसे हुए हैं, उनसे पूछें। गृह मंत्री महोदय हंस रहे हैं। हकीकत है, इसलिए अपनी और परायी बनाना भूलो और हमारी राजस्थान की जनता कैसे

(श्री शंकर सिंह रावत)

सुखी रहे, कैसे अच्छे से रहे, उनको न्याय कैसे मिले, इस ओर अपना ध्यान चाहिए। हमको जनता इसीलिए जिताकर भेजती है, ऐसे नहीं, यह हमारी और परायी बनाने के लिए। पुलिस की मनमर्जी, कौनसा आदमी ठीक करना है कि साहब, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, क्या इसके पहले के कोई केस हैं, साहब इसके तीन केस तो हैं, चलो मैं इसकी एच.एस. खोल देता हूं, साहब मजा आ गया। कई आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, उन पर 5-5, 6-6 केस चल रहे होंगे, फिर भी कहीं कुछ फर्क पड़ता, यह पुलिस की मनमानी है। इस मनमानी के ऊपर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए।

एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहते हैं। यह हमारी सरकार में हुआ था, यह आपकी सरकार क्या कर रही है? इससे ऊपर उठकर हमें यह देखना चाहिए, हमारी-तुम्हारी पर बात कर रहे हैं। मैं यहां की घटना की बात बता रहा हूं। यही हाउस था। 2008-10 में जब हमारे इसी सदन के सदस्य, जिनके बेटे का अपहरण हुआ और हत्या हुई। जो तत्कालीन माननीय गृह मंत्री जी थे, उनसे पूछा, हमारे विपक्ष ने पूछा कि आपके सदस्य के बेटे की लाश हो गयी है, तो कह रहे थे कि मरा नहीं है। दूसरे दिन जवाब दिया कि मरा नहीं है, अभी जिंदा है। यह रिकार्ड पर है। माननीय गृह मंत्री जी नाराज होंगे। उस समय भी ऐसा था। निश्चित तौर पर तीसरे दिन लावारिस रूप में खेतों में उसकी लाश मिली, तब पता लगा, हमारे को। इस हमारे-तुम्हारे से ऊपर उठकर हमको बात करनी चाहिए।

थानों के अंदर भी सुधार करने के लिए, मैं हमारे अजमेर की बताता हूं। हर थाने से वसूली होकर एसपी, आईजी तक ऊपर तक जाती थी। वह कहां तक जाती थी? ट्रैप हुए, कम से कम उसमें सुधार वाली बात करनी चाहिए कि हमारा सुधार कैसे हो, हमारी जनता आगे सुख कैसे पाए? ये चीजें हमको ऊपर उठकर करनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

हमारे ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में जब एक धार्मिक प्रकरण हो रहा था। समाज के लोग जब आपस में भिड़ने के लिए तैयार हो गये थे, उन्होंने शिकायत की। जब हाउस चल रहा था, मुझे रिपोर्ट मिली कि निश्चित तौर पर इस तरह का कोई विवाद हो सकता है, धार्मिक मामला। धर्मांतरण के लिए, उसके ऊपर मैंने मामले को यहां विधान सभा में उठाया तो मुझे जान से मारने की धमकी मिली। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मामलों को आपको संगीन व सीरियस लेना चाहिए।

(श्री शंकर सिंह रावत)

मेरे यहां इसी प्रकार का मैटर सदर थाना में मुकदमा नंबर 727 दिनांक 27.07.2019 को दर्ज हुआ। उसके ऊपर भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। अभी 175/2020 ब्यावर सिटी थाने में दर्ज हुआ, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। यहां से फोन चले जाते हैं। नहीं, नहीं ये धार्मिक मैटर्स हैं, तो फिर कौन करेगा? आप लोगों को उसमें थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जवाजा थाने के अंदर पांच व्यक्तियों के ऊपर, फेसबुक आई.डी. पर अपनी मुस्लिम दाढ़ी लगाकर, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस 151 में गिरफ्तार करके छोड़ देती है। कानून के अंदर कोई न कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि कोई इस प्रकार का अपराध करता है, अभी हाई कोर्ट ने भी 66(अ) और आई.टी. को खतम कर दिया है। निश्चित तौर पर हमें ऐसा कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि अपराधियों को कड़ी सज़ा हो सके। ब्यावर का जो धर्मांतरण का मैटर हुआ है, उसमें मेरी सरकार से मांग है कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री महोदय, आप जब भी रिप्लाई दें, तो इस मामले की सीबीआई से जांच हो। कितने ही लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर, फर्जी नाम से वे वहां पर नौकरी भी करके आ गये और अभी भी कर रहे हैं। उनकी नौकरी से हमको कोई आब्जेक्शन नहीं है, लेकिन यह देश सबके लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति के ऊपर नहीं है। इस देश को जब आजाद कराया होगा, तो सभी जातियों ने अपना खून बहाया होगा। मैं किसी को यह नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है या यह सही है, लेकिन अभी उसके अंदर जो बिखेरा डालने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। यह धर्मांतरण का काम बंद होना चाहिए। इसलिए इस केस की निश्चित तौर पर सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, ब्यावर क्षेत्र की मेरी मांगों के लिए भी मैं निवेदन कर देता हूं। ब्यावर एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा हुआ है। अपराधों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। ब्यावर सिटी थाने में निर्धारित मापदंडों से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ब्यावर में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित करना चाहिए। बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए एक नया थाना खोलना चाहिए। मुकदमों की संख्या और साकेत नगर पुलिस चौकी को पुलिस थाने में बदलने के लिए मेरा निवेदन है। सभापति महोदय, ट्रैफिक व्यवस्था में, इनकी लापरवाही से एक व्यक्ति की वहां पर हत्या हो गयी।

श्री सभापति: विराजिए। श्री गिर्राज सिंह।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): हमारे यहां ट्रैफिक के लिए जो 23 पद स्वीकृत हैं। दो मिनट में अपनी बात कह रहा हूं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): बोलने दो, बोलो-बोलो।

श्री सभापति: आपको नहीं बोलना क्या ?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): बोलना है सर।

श्री सभापति: बोलिए फिर। आप उनको क्यों इनवाइट कर रहे हो, बोलिए बोलिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): पुराने साथी हैं।

श्री सभापति: तो क्या मैं आपका टाइम उनको दे दूं? बोलिए, अपनी बात समाप्त करिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 व 17 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, पुलिस का एक सिपाही 24 घंटे थाने में ड्यूटी देता है। सभापति महोदय, 24 घंटे ड्यूटी देने के बाद वह कभी घर नहीं जाता, कभी त्यौहार भी नहीं मना पाता है और हम लोग घर में आराम से सोते हैं। होली हो या दिवाली हो, वे चौराहे पर खड़े रहते हैं और थाने में भी कानून व्यवस्था को संभालते हैं।

सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार में मुख्य मंत्री जी गहलोत साहब ने कांस्टेबल के लिए ग्रेड-पे 1900 से 2400 की थी, बाद में जब बीजेपी की सरकार आयी तो उन्होंने उस आदेश को निरस्त कर दिया। हर पुलिस के जवान की उसकी तनख्वाह में से करीब 4 से 5 हजार रुपये महीने की कटौती होती है। मुझे मालूम है कि कटारिया जी तो ऐसा काम नहीं कर सकते, पता नहीं मुख्य मंत्री जी के दबाव में आकर इन्होंने कर दिया गया होगा। सभापति महोदय, पुलिस के जवान को 25-30 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि पिछली गहलोत सरकार ने जो फैसला किया, उसमें हमारे पुलिस के जवानों के हक में वापस वही नियम लागू होना चाहिए।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र बाड़ी के अंदर आये दिन जाम लगा रहता है। ट्रैफिक की व्यवस्था काफी खराब है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वहां पर ट्रैफिक के लिए 10 से 15 जवान लगाए जाएं। सभापति महोदय, हर समय जाम रहता है, उस व्यवस्था में थोड़ा सुधार हो।

सभापति महोदय, एक-दो नई पुलिस चौकी खोली जाएं, जहां पर क्राइम होता है। मेरे यहां जैसे एक सूलेटी गांव है। एक कृषि उपज मंडी है, वहां पर व्यापारियों का काम होता है, काफी पैसे का आना-जाना होता है, तो लोगों की नजर उसी जगह पर रहती है।

सभापति महोदय, बाड़ी में एक सदर थाना खुला है, उसके लिए कोई बिल्डिंग नहीं है। सभापति महोदय, वहां पर बिल्डिंग की व्यवस्था करायी जाए, नई बिल्डिंग बनायी जाए, नये क्वार्टर बनाए जाएं। सभापति महोदय, डीवाईएसपी के लिए भी कोई आफिस नहीं है, न रहने के लिए कोई मकान है। सभापति महोदय, अधिकारियों के पास कोई गाड़ी भी नहीं है, वे पुराने जमाने की जीप चलाते हैं, वे ऐसी ही चल पाती हैं। गुंडों के पास कितनी बढ़िया-बढ़िया गाड़ी हैं, फार्च्यूनर, स्कार्पियो, इससे नीचे की वे बात ही नहीं करते हैं। सभापति महोदय, ऐसी कोई बढ़िया जो आज के जमाने की गाड़ी चल रही है, स्कार्पियो वगैरह, जो गुंडों का मुकाबला कर सके। ऐसी गाड़ियां पुलिस के लिए होनी चाहिए। बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा हमारी तीन तहसील पड़ती हैं। धौलपुर में जो जेल की व्यवस्था है, वहां पर काफी कैदी हो जाते हैं। बाड़ी के अंदर एक बना दी जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि बाड़ी के अंदर एक जेल बना दी जाए। जेल में जो कैदी हैं, उनके सबके पास मोबाइल है, वे वहां से आए दिन फोन करते हैं। लोगों को धमकी देते हैं। चौथ वसूली का उनका काम चालू है। इसकी जांच कराई जाए या जेल में कोई ऐसा सिस्टम कराया जाए जैसे अपने विधान सभा में मोबाइल नहीं लगते हैं। वहां पर जेल के अंदर भी कोई ऐसी व्यवस्था कराई जाए। पूरे प्रदेश के अंदर कराई जाए, यह भी जरूरी है।

सभापति महोदय, हम होमगार्ड को ड्यूटी कितने दिन देते हैं? बहुत कम देते हैं। इनको बराबर ड्यूटी दी जाए, इनको पक्का कराया जाए और बिना वर्दी वाले की अलग तनख्वाह कर रखी है, वर्दी में आएगा तो इतनी तनख्वाह। वह काम तो कर ही रहा है। सबका वेतन एक बराबर होना चाहिए। एक बड़ी गंभीर बात है। एक पुलिस का जवान कांस्टेबल होता है। बहुत छोटी नौकरी

(श्री गिर्राज सिंह)

होती है। उसके लिए आपके इतने कड़े नियम बना दिए कि 15 साल वह अपने जिले में नौकरी ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? आपका तहसीलदार जब पोस्टिंग होती है, वह नया होता है, नायब-तहसीलदार लगा देते हैं। आप एसडीएम को जिले में लगा देते हैं तो आप उनको क्यों नहीं लगा सकते हैं? सभापति महोदय, जो यह 15 साल का नियम बना रखा है, यह बहुत ही गलत नियम है। इसको भी समाप्त करें और पांच साल का नियम बनाया जाए।

बजरी पर आए दिन रोजाना गोलीकांड हो रहे हैं। जगह-जगह गोली चलती है, फायरिंग होती है, पत्थर फिंकते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी इस सदन में कहा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये बजरी का नंबर दो का अगर सरकार की मंशा हो तो बंद होगी। परंतु ये बंद तभी होगी जब उन पाइंटों पर अपनी पुलिस लगाएं। अब पुलिस को लगा देते हैं, रास्ते में। रास्ते में पुलिस क्या करे? वह ट्रैक्टर लेकर नहीं आते, वे ट्रक लेकर आते हैं, सीधी टक्कर मारते हैं। जहां से बजरी भरी जाती है, उस पाइंट से, वहीं पर अगर हमारे पुलिस के 25-30-50 सिपाही उस जगह लगा देंगे तो वहां से वे बजरी लेकर नहीं आएंगे तो रास्ते में खून-खराबा होगा ही नहीं।

सभापति महोदय, जो लोग पुलिस पर गोली चलाते हैं, जो पत्थर मारते हैं फिर पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। पुलिस पर फायरिंग भी करते हैं। वे पुलिस को गोली मार रहे हैं तो कोई बात नहीं है और अगर पुलिस गोली मार देती है तो उनको मुआवजा चाहिए। फिर वे आंदोलन करेंगे, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, राजनीति करेंगे। पुलिस के खिलाफ ये बार-बार, ठीक है अगर पुलिस ने कोई गलती की है तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए लेकिन वे ही पुलिस को मार रहे हैं तो पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। धौलपुर जिले में जो डकैतों की समस्या है। धौलपुर, करौली, भरतपुर, ये तो सभी इधर से उधर, उधर से इधर, यूपी वाले जिले हमारे लगे हुए हैं, इधर मध्यप्रदेश के जिले हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, काफी टीवी पर चला है। अखबारों में भी आई है और मोबाइल में भी रिकार्डिंग डली है। हमारे यहां भी डली है। डकैत धमकी देते हैं एक तो हमारे मंत्री रमेश मीणा जी के नाम से, एक मेरे नाम से सभापति महोदय। पुलिस ने चार दिन में क्या कार्यवाही की? चार-पांच दिन हो गए पुलिस को, अभी तक क्या कार्यवाही की? क्या पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी?

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, मान कर चलें कि हम लोग अगर गुंडों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो क्या गुनाह करते हैं? अगर वे गुंडे हमको ही नहीं छोड़ रहे हैं तो यह अंदाज लगा लिया जाए कि बाकी जनता का क्या हो रहा है? आप मोबाइल में देखें कि उन्होंने कितनी गंदी-गंदी गालियां बोली हैं। मैं कल माननीय अध्यक्ष जी को भी बताकर आया। मैंने मुख्य मंत्रीजी को भी बताई। चार-पांच दिन हो गये, पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 000

श्री सभापति: शांत रहें। विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): पुलिस क्या काम करती है, वह हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। हम बहुत अच्छेसे जानते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापति महोदय, घंटी बजाने से काम नहीं चलेगा।

श्री सभापति: दो मिनट और हैं। आप बोल लिए हैं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, इसके लिए ए.के.47, आप देख लो इसमें कितनी राइफल लहरा रहे हैं। कितनी गंदी-गंदी गालियां दे रहे हैं। एक तो मैं मांग करता हूं कि हमारे पूरे संभाग में भरतपुर में गुंडागीरी है हर एक विधायक के लिए दो-दो गनमैन लगाने चाहिए और ए.के.47 वाले लगाने चाहिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। मैं अलाउ नहीं करूंगा। विराजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 000

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, कुछ अलाउ नहीं होगा। (व्यवधान) उसकी भी जांच करा देना।

श्री सभापति: वह अपनी बात कह रहे हैं। उनको आप अपनी बात कहने दीजिए। आप उनको बात ही नहीं कहने दे रहे हैं। विराजिए आप। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, वीडियो को आप देख लें, 5-6 बंदूक हैं उनके पास। क्या उनकी गिरफ्तारी से काम हो जाएगा? क्या उनकी राइफल बरामद की जाएगी? पुलिस उनको कितने दिन में गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी? (व्यवधान) मैं एक चीज और कहना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए। सहयोग कीजिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, पूरा संभाग डकैतों से परेशान है। हमारे पड़ौस का जिला है अलवर, वहां भी यही गुंडागीरी है, चूरू जिला है, वहां भी यही गुंडागीरी है। मैं मांग करता हूं कि.., इसको क्यों बंद कर रहे हैं?

श्री सभापति: आपने अपने हाथ से ही बंद किया है। किसी ने नहीं किया।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, क्या सरकार उनके हथियार बरामद करेगी या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी या उनको गिरफ्तार करेगी? ये जो एमएलए हैं, जो 8-10 जिले ऐसे हैं, जो दस्यु प्रभावित हैं, गुंडागीरी है, मैं मांग करता हूं कि दो-दो ए.के.47 वाले गनमैन लगाए जाएं और गुंडों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। कुछ पुलिस के अधिकारी मिले हुए हैं। मैं नाम लेकर नहीं बताऊंगा। पहले के नाम लूंगा और अबके भी नाम लूंगा। पहले जब 2009-10 की बात है

श्री सभापति: किसी का नाम नहीं लेंगे आप। आप अपनी बात कहें लेकिन नाम नहीं लेंगे।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): चोर को चोर नहीं कहूं, ईमानदार कह दूं। मेरे तो खून में नहीं है गुलामी करना कि मैं इनकी गुलामी करूं। चोर को चोर नहीं कहें, उसको सर्टिफिकेट और दे दें ईमानदारी का। सभापति महोदय, मैं पुलिस के लिए यह नहीं कह रहा हूं, हमारा एसपी ईमानदार है। मैं उसकी तारीफ करूंगा, चोर नहीं है। बिलकुल सौ का सौ परसेंट ईमानदार है। पर जो नीचे का स्टाफ है, कुछ गड़बड़ लोग हैं। मैंने एक डकैत की सूचना दी कि वो चम्बल में जाकर एल एंड टी मशीन चला रहा है, बजरी भर रहा है। मैंने उसकी थानेदार को सूचना दी। उस थानेदार ने दो ही मिनट नहीं हुए जब तक उस डकैत का फोन मेरे पास आ गया कि आप मेरे खिलाफ कैसे हुए? मैं आपको देख लूंगा। जोरदार काम है। ये कानून व्यवस्था है। ये न्याय मिलेगा हमको। मानकर

(श्री गिर्राज सिंह)

चलिए कि पुलिस को अगर कहें तो उस डकैत को कहां से मालूम हो गया? कहां से सूचना पहुंच गई, दो ही मिनट के अंदर, और लौटकर वो वापस फोन हमारे को करते हैं। कोई एक गैंग नहीं है, करीबन दस से पन्द्रह गैंग है। कोई ऐसा बढ़िया अधिकारी लगाया जाए, एसपी की मैं बिलकुल कह रहा हूं कि सौ का सौ परसेंट ईमानदार है। (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको।

श्री पब्बाराम (फलौदी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बहुत ज्यादा हो गया। आप विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, आपके यहां डकैत नहीं हैं। (व्यवधान) आपके यहां होंगे तो आप भी यही कह देंगे जो मैं कह रहा हूं। आपके साथ में यह बात बीतेगी जो हम पर बीत रही है, तो आप भी यही बोलेंगे जो आज हम बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, उन्हें आप अपने पास कक्ष में बुलाएं। निश्चित रूप से ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मोबाइल की रिकार्डिंग सुनिए आप।

श्री सभापति: मैं कुछ बोल रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, माननीय सदस्य जो भी अपनी समस्या बता रहे हैं, ...(व्यवधान) जो भी अपनी पीड़ा बता रहे हैं, आप उनको व्यक्तिगत रूप से अपने कक्ष में बुलाकर सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। समाप्त करें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। आप विराजिए। अंकित नहीं होगा। मैंने कह दिया। मंत्री जी को मैंने कह दिया। आसन ने अपनी व्यवस्था दे दी, आप विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। प्लीज सहयोग करें। अंकित नहीं होगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने आपके बारे में माननीय मंत्री जी को कह दिया, यह आपको व्यक्तिगत रूप से बुलाकर, जो भी आप इनको बात बताएंगे उसका समाधान करेंगे। आप व्यक्तिगत रूप से ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, मैं सिर्फ यह पूछना चाह रहा हूं ...

श्री सभापति: कब तक पूछेंगे?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): पुलिस क्या कार्यवाही करती है वह भी आप सुन लो। पुलिस दो-तीन गाड़ी लेकर जाएगी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय की अपनी सीमा है। सदन में बाकी सदस्यों को भी बोलना है। आपने अपनी बात बताई, मंत्री महोदय आपको अपने कक्ष में बुलाकर आपकी बात सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। प्लीज अब आप विराजिए। (व्यवधान) श्रीमती रमीला खड़िया।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): पुलिस क्या करेगी, वह भी आप मुझसे पूछ लो। अख़बार में बड़े-बड़े फोटो देंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्रीमती रमीला खडिया।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: आप मंत्री जी को कक्ष में जाकर अपनी बात कहना, उसका समाधान करेंगे।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्रीमती रमीला खड़िया।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, पुलिस प्रशासन पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान की पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है। बहुत अच्छे अधिकारी हैं। पुलिस को गलत नजरिए से देखा जाता है। एक अधिकारी गलत हो सकता है। एक कहावत है कि तालाब में एक मछली गंदी रहती है तो वह पूरा तालाब गंदा करती है। इस प्रकार पुलिस के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करती हूं, अधिकारी बहुत अच्छे भी हैं और कहीं-कहीं गलत भी है। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगी, आप मुझे टोक देंगे। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, मध्यप्रदेश व गुजरात की एक

(श्रीमती रमीला खड़िया)

सीमा है। उसमें भैरूपचार पर एक चौकी लगाई हुई है, उसमें भवन नहीं है। इसी तरह मेरे तीन थाने हैं पाटन, सज्जनगढ़ व कुशलगढ़, वहां पर पद खाली हैं। पाटन में 40 में से 19 ही भरे हुए हैं और 21 पद रिक्त हैं। सज्जनगढ़ में 21 पद है, 14 भरे हुए हैं और 7 खाली है। कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, पेपर में भी आ रहा है। अभी आठ दिन पहले दिन-दहाड़े कुशलगढ़ में चोर आए, एक व्यापारी अपने घर जा रहा था, उसने घर के बाहर स्कूटी खड़ी की, आठ जने आए और मिर्ची डालकर उस व्यापारी का बैग ले गए। उसने लाठी मारी और दो चोरों को पुलिस के हवाले किया। कुशलगढ़ की जनता इकट्ठी हो गई और उनको गिरफ्तार किया।

हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र में आए दिन चोरियां होती जा रही हैं। अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपसे मांग करती हूं कि वहां महिला कांस्टेबल दी जाए और महिला की अलग से व्यवस्था की जाए। वहां आए दिन बलात्कार होते हैं। आए दिए झगड़े होते रहते हैं।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गरीब आदिवासी रहते हैं। दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं तो कहीं दुकान से लाकर एक बोतल दारू लाकर पी लेते हैं, लेकिन उनको ले जाकर उन पर दस-दस बोतल का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। सरकारी दुकानें सरेआम रोड पर चल रही हैं, उनको नहीं रोका जाता। स्कूलों के पास दुकानें चल रही हैं, मेन मार्केट में दुकानें चल रही हैं और खड़े गरीब को, काश्तकार को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। इस तरह से बोला जाता है कि आपका नेता कौन है, किससे बात करोगे, इस तरह का बर्ताव किया जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि गरीब काश्तकार दारू का धंधा नहीं करता है। कभी थक जाए या शादी ब्याह हो तो थोड़ी पी लेता है, उसमें थोड़ी बहुत छूट दी जाए। जो सरकारी दुकानें हैं, तत्काल प्रभाव से उनको बंद किया जाए।

सभापति महोदय, कसारवाडी चौकी, भैरूपचार चौकी है, उनमें भवन नहीं है, वह किराए से चलाए जा रहे हैं, मैं मांग करती हूं कि उनके लिए भवन दिया जाए। स्टाफ नहीं है, रिक्त पद हैं, उनको भरा जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

मांग संख्या 16 व 17 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में उपखण्ड कार्यालय गढ़ी में टोपीदार बंदूकों के लाइसेंस बनाने का बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है। वहां 3 तारीख को बांसवाड़ा के एसपी साहब ने उस पर संज्ञान लिया। जानकारी जुटाई तो उपखण्ड कार्यालय गढ़ी में कार्यरत बाबू +++ ने कुछ दलालों के माध्यम से तथा कुछ अधिकारी-कर्मचारियों की मिलीभगत से प्रति लाइसेंस 50-60 हजार रुपये लेकर, करीब 100 से अधिक फर्जी लाइसेंस बनवाकर बंदूकें खरीदवा दीं। उदयपुर के दुकानदार को जब यह मालूम पड़ता है, तो उसने जानकारी लेने के लिए उपखण्ड कार्यालय में सूचना भेजी। एक तारीख को उपखण्ड अधिकारी को सूचना देने के बाद 3 तारीख को उपखण्ड अधिकारी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। सभापति महोदय, दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा खेल एक वर्ष से गढ़ी क्षेत्र में चल रहा था। लाइसेंस बनाने वाले हैं सक्रिय होकर उन्होंने 100 लाइसेंस बनाए। लाइसेंस बनाने में तहसीलदार, वन अधिकारी व थाने का सत्यापन होता है लेकिन सत्यापन नहीं कराकर, इस बाबू ने इस खेल को खेला। दुर्भाग्य यह है कि शत प्रतिशत जितने भी लाइसेंस बनाए गए, यह सब मुस्लिम वर्ग के बनाए गए।

हमारा जो बांसवाड़ा क्षेत्र है, वहां की जनता बहुत भोली-भाली है, वहां के लोग ज्यादा इस तरह के हथियार रखने के उत्साही नहीं हैं लेकिन हमारे वहां पर गढ़ी, परतापुर, अरथूना, खोडन इन 3-4 क्षेत्र में जो मुस्लिम समुदाय है, उन सभी मुस्लिम समुदाय को 100 से ऊपर लाइसेंस दे करके वहां पर आतंक फैलाने का बहुत बड़ा काम किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकरण में जो भी दलाल हैं, इनके खिलाफ तो मुकदमा होना ही चाहिए। साथ ही जितने भी लाइसेंसधारी हैं, जिन लोगों ने बंदूकें खरीदी हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए क्योंकि अभी एक तारीख को सूचना मिली, एस.डी.ओ. साहब ने 3 तारीख को मुकदमा दर्ज किया। उसमें मात्र 10 लोगों के नाम ही दर्ज हुए हैं। कुल 65 बंदूकें बरामद हो चुकी हैं, लेकिन जो बंदूकधारी हैं, जिन्होंने फर्जी लाइसेंस लिये हैं और बंदूकें खरीदी हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इनके नाम भी पुलिस में नहीं जोड़े जा रहे हैं।

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

माननीय सभापति महोदय, हमारा यह जो गढ़ी क्षेत्र है, एक संवेदनशील क्षेत्र है। मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे परतापुर, गढ़ी, अरथूना, खोडन ये जिस क्षेत्र में हैं, हमारे इस सीधे-साधे क्षेत्र में बाहर से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग आ करके वहां पर निवासरत हैं और इनके पास में अवैध हथियारों का बहुत बड़ा भण्डार है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पूरे क्षेत्र के अन्दर बारीकी से जांच की जाए। वहां पर जो भी अपराधी हैं, उनको वहां से खदेड़कर बाहर किया जाए। इनके पास जितने भी अवैध हथियार हैं, सारे अवैध हथियारों को जब्त किया जाए। क्षेत्र में शांति बहाल की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे बांसवाड़ा जिले के सम्पूर्ण थानों में परिवादी अपना मुकदमा दर्ज करने के लिये जाता है, पर वहां पर तुरन्त एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है। परिवाद रजिस्टर में पार्ट-3 के अन्दर इसको इन्द्राज कर लिया जाता है। महीनों तक परिवादी थाने के चक्कर लगाता रहता है। पार्ट-3 को राठौड़ी में ले-देकर निपटा लिया जाता है। परिवादी को न्याय नहीं मिलता है। इस प्रथा को समाप्त करना बहुत अति आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत गढ़ी, अरथूना, जौलाना, परतापुर, खोडन, पालोदा, सरेड़ी, तलवाड़ा, बोरी आदि क्षेत्रों में आये दिन चोरों ने आतंक मचा रखा है। मोटर साइकिल, पानी की मोटरें, भैंसें, बकरियां, घरों और कैबिनों में ताले तोड़ करके चोरी करना, बाजारों में मोबाइल की दुकानों के ताले तोड़कर चोरियां करना, कहीं न कहीं इस गिरोह के द्वारा क्षेत्र में आतंक मचाया हुआ है। और तो और, हमारे पूरे क्षेत्र में, जंगलों में खेती करने वाले किसानों के जो कनेक्शन ले रखे हैं, वहां पर इनके उपकरण भी चोरी कर लिये जाते हैं, सरकारी डी.पीज. की चोरी होती है। किसान के जो भी संसाधन होते हैं, सारे चोरी हो जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सम्पूर्ण क्षेत्र में आम जनता में चोरों का भय बना हुआ है। लोग रात्रि में गश्त का काम सम्भाल रहे हैं। खोडन, पालोदा क्षेत्र में रात्रि में चोरों से भिड़ंत के मामले भी सामने आये हैं। अन्य क्षेत्रों में भी गांवों में गश्ती दल कहीं न कहीं चोरों के साथ मुकाबले कर रहे हैं। इसी प्रकार गढ़ी क्षेत्र में आये दिन, दिन-दहाड़े हत्याएं, लूट, मारपीट बलात्कार आदि के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।

(श्री कैलाशचन्द्र मीणा)

वर्तमान में गढ़ी क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसको मार करके नथेली के पास नहर में फेंक दिया गया। उसकी लाश पाई गई, जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ। परिवार के लोग न्याय के लिये भटक रहे हैं। इसी प्रकार बोरी गांव, जो मेरा स्थानीय गांव है, के पास में एक हथोलिया तालाब है, उसकी नहर में एक नवयुवक की बेदर्दी से हत्या कर उसकी लाश फेंक दी गई, जिसका आज दिन तक कोई अता पता नहीं है। इससे इस क्षेत्र में भय और आक्रोश है। ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएं करने के बाद भी अपराधी घूम रहे हैं। चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, हत्याएं आदि घटनाएं दिन-दहाड़े हो रही हैं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस संतोषप्रद जवाब देने को भी तैयार नहीं है। अभी 14 माह में बांसवाड़ा में जितने भी अपराध और घटनाएं हुई हैं, पहले ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई हैं।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा गढ़ी में गढ़ी, अरथूना, लोहारिया, सदर थाना आते हैं। इन थानों में आधे से अधिक पद रिक्त हैं। परतापुर में ट्रैफिक पुलिस तक की सुविधा नहीं है। नई भर्ती की जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाए। थाने की कमियों को पूरा किया जाए। साथ ही मेरा निवेदन है कि जितने भी पुराने थाने हैं, उसमें स्टाफ के रहने के लिये जो रेजीडेंस क्वार्टर बने हुए हैं, सारे क्वार्टर जर्जर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार बजट उपलब्ध कराये और इन सभी क्वार्टर्स का नवीनीकरण करके जवानों के रहने के लिये उत्तम व्यवस्था की जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, जय-जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री बृजेन्द्र ओला। श्री बृजेन्द्र ओला। श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 पुलिस और 17 कारागार के ऊपर काफी माननीय सदस्यों ने भावना प्रकट की। सर्वप्रथम पुलिस थानों में पुलिस के प्रति जनता का विश्वास हो, आपसी संवाद हो। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि चाहे कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस थाने में जाए, उनका मान-सम्मान हो,

(श्री मदन प्रजापत)

स्वागत हो तो स्वागत कक्ष का जो फैसला लिया है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही काफी समय से शिकायत थी कि कोई पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तो एक नई शुरुआत, पहल करते हुए जिले में कहीं भी एफ.आई.आर. दर्ज करवाने का किसी का भी अधिकार है। यह निर्णय भी स्वागत योग्य है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस बात का आभार व्यक्त करता हूं कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी का निर्माण, जो पचपदरा में हो रहा है, और भी उद्योग बढ़ रहे हैं। रिफाइनरी और उद्योगों को देखते हुए अतिरिक्त मोबाइल यूनिट का फैसला किया है। इनके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि अलवर की तर्ज पर, रिफाइनरी बड़ा प्रोजेक्ट है, अपराधी भी बढ़ेंगे और बाड़मेर की भौगोलिक परिस्थिति, राजस्थान का जैसलमेर के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है, तो अलवर की तर्ज पर बाड़मेर में रिफाइनरी को देखते हुए अलग पुलिस अधीक्षक, एस.पी. आफिस का कार्यालय तुरंत खोला जाए। यह समय की मांग है। जनता की भावना है।

माननीय सभापति महोदय, आज कई बातें आईं, कई भावनाएं व विचार आये, लेकिन सिर्फ पुलिस को कोसना भी मेरे लिहाज से ठीक नहीं है। जितने बोलने वाले हैं, उतने तरीके होंगे, अलग-अलग विचार होंगे। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भावना प्रकट की है, यह बात बड़ी गम्भीर है। इसमें राजनीति की बजाय, माननीय मंत्रीजी भी विराजमान हैं, सभी सदस्यों के मन में यह भाव प्रकट हुआ कि 5-5 विधायक खड़े होकर अगर वे भय की बात करते हैं, तो इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करना अति जरूरी है और मांग भी है।

माननीय सभापति महोदय, और भी कई जो बातें आईं, पहले भू माफिया का तो सुना था, बजरी माफिया का भी सुना है, लेकिन भू माफिया और बजरी माफिया से भी बढ़कर ब्याज माफिया पनप रहा है। उस माफिया में ब्याज लेने वाले भी हैं, ब्याज देने वाले भी हैं। आपने सुना होगा चाहे संजीवनी हो, चाहे आदर्श क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी हो, अन्य प्राइवेट बैंकों के माध्यम से पूरे राजस्थान ही नहीं, बाहर प्रवासी, जो राजस्थानी भाई हैं, उनसे भी करोड़ों-अरबों रुपयों का जो घोटाला किया है, उन सोसायटियों के खिलाफ

(श्री मदन प्रजापत)

भी, डर के मारे साधारण आदमी मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते हैं, पूरी गहन जांच की जाये और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो

(19.00 बजे)

ताकि और कोई गिरोह पैदा न हो और कोई हिम्मत नहीं करें। एक मजदूर हो, चाहे चाय कर्मचारी हो, उनकी खरी कमाई का जो पैसा है, उनको लोग पैसा देकर जाल में फंसाने के लिए सोसाइटियों के माध्यम से किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा ब्याज माफिया का उदाहरण मैं इस बात का देता हूं चाहे राज किसी का भी हो, ब्याज से पैसा देकर बड़े महंगे ब्याज पर पाँच प्रतिशत, दस प्रतिशत पर लेते हैं और वह पैसा नहीं भर पाने की वजह से आज युवा आत्महत्या कर रहा है। हर थानेवाइज लिस्ट बनाई जाए कि यह जो व्यवहार से अधिक मनमाने तरीके से ब्याज लेते हैं, यह कौन गिरोह है, उस गिरोह के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, आज हर साल की लिस्ट बनाई जाए क्योंकि यह अगर इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो उनके हौसले और बुलंद होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि बालोतरा बड़ा शहर है और अस्थाई व्यवस्था के तौर पर तो ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है लेकिन मैं मांग करता हूं कि स्थाई ट्रैफिक पुलिस थाना बालोतरा में खोला जाए और वहां पर उसमें भी नफरी बढ़ाई जाए। माननीय सभापति महोदय, बालोतरा का पुलिस थाना बड़ा हो गया है और काफी प्रपोजल भी आए हुए हैं। बालोतरा के पास में जसोल नाकोड़ा तीर्थ भी है और रानी भटियाणी का बड़ा तीर्थ है तो जसोल पुलिस चौकी को पुलिस थाना अगर बना दिया जाए तो यह जनहित में होगा।

माननीय सभापति महोदय, इस जसोल पुलिस थाने के अलावा जो बालोतरा का उप-कारागृह है, उस जेल को बाहर नये तरीके से शिफ्ट किया जाए। कई साल हो गए आज जर्जर हालत है, वहां जगह भी कम है। अब सवाल आता है बजट का, तो वहां जो जेल परिसर में जगह है, उस जमीन की कीमत से फ्री में जेल बन सकती है। अपन को न देने की जरूरत है, न लेने की जरूरत है, क्योंकि शहर के बीचों-बीच कीमती जमीन है। अगर कुछ करने की जरूरत है तो वह निर्णय लेने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं कि बालोतरा उप जेल को भी बाहर शिफ्ट करके नया निर्माण

(श्री मदन प्रजापत)

करवाया जाए और समय के साथ में आधुनिक गाड़ियां हों, चाहे आधुनिक हथियार हों, अन्य सामग्री हो, इनकी भी जो मांग बार-बार उठती है उनके लिए भी निर्णय करना अति जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, इनके अलावा आज क्राइम नये तरीके से बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया मोबाइल के माध्यम से, तो इनके लिए भी अलग से ट्रेनिंग देना, क्योंकि यह नये तरीके से साइड क्राइम जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त प्रयास करके रोकना अति-जरूरी है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का इस बात का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चिंता जाहिर कि दस-बारह हजार युवाओं की एक्सीडेंट दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है और दु:ख कितना होता है, भगवान न करे उस परिवार को मालूम है कि वास्तविक दुर्घटना में क्या नुकसान होता है। इनके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिंता जाहिर करते हुए तमिलनाडु की तर्ज पर और भी जो फैसला किया है, कम से कम दुर्घटनाएं हों, उनके सुधार करने के लिए जो की गई है, इस बात का आभार व्यक्त करते हुए माननीय सभापति महोदय, हैलमेट को लोग हलके तरीके से लेते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में अपना स्थान ग्रहण करता हूं, हैलमेट को नोर्मल तरीके से लेते हैं। यह सख्त हिदायत दी जाए क्योंकि या तो डर के या मन में समझाइश के अलावा यह लोग हल्के में लेते हैं। अभी माननीय वरिष्ठ सदस्य और पूर्व मंत्री माननीय डा. जितेंद्र सिंह जी ने चिंता जाहिर की, यह बात तो मामूली है लेकिन अगर एक्सीडेंट और दुर्घटना होती है तब मालूम पड़ता है कि हैलमेट कितना अनिवार्य है।

माननीय सभापति महोदय, नशे की बात भी आयी। कई तरह से युवा आज बर्बाद हो रहा है और यह गुजरात शराबबंदी के कारण राजस्थान पुलिस, यहां कितना राजस्थान बदनाम होता है, आए दिन शराब की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं और मालूम पड़ता है कहां जा रही है तब पता चलता है कि वह गुजरात जा रही है। हजारों सैकड़ों गाड़ियां रोजाना पंजाब, हरियाणा से सीधी गुजरात जाती हैं और उनका नुकसान और खामियाजा राजस्थान को भुगतना पड़ता है।

(श्री मदन प्रजापत)

इन ब्याज माफिया के अलावा माननीय सभापति महोदय, सटोरियों का भी बड़ा गिरोह है, इनके ऊपर भी कार्यवाही करनी चाहिए। इसके अलावा जेलों में सुविधा हो, चाहे खानपान हो और एक इंसानियत के नाते इनके ऊपर जो आरोप बार-बार लगते रहे हैं लेनदेन के, कम से कम उनको भोजन भी मिले और समय पर और भी कई सुविधाएं बढ़ें।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, आज का जो सिस्टम है, और कई बातें आईं, लेकिन यह किसी एक को दोष नहीं है। सिस्टम है, आज बजरी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, लेकिन बजरी माफिया जो हैं, उनके लेन-देन की भी बातें आती हैं, सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि 10 टन से ऊपर है, ओवरलोड भरना पड़ेगा और ज्यादा वजन से गाड़ी भरने के कारण यह उनकी आपसी फायदे के लिए मजबूरी बन गई है, उनके खिलाफ भी सख्ती की जाए या बजरी का कम से कम लीज आबंटन हो ताकि यह बजरी माफिया की बीमारी मिट सके।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, चाहे चुनाव खर्च की बात हो, अन्य हो, यह सिस्टम और नियम ऐसे बने हुए हैं इसलिए मजबूरी में नहीं चाहते हुए भी कई लोग यह तरीके अपनाते हैं। यह सही मायने में ठीक नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः एक बात के ऊपर जोर देता हूं कि रिफाइनरी को देखते हुए सिवाना, सिणधरी और बालोतरा, पचपदरा में नया एस.पी. कार्यालय खोलना समय की मांग है और बाकी कागज मैं टेबल करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(मा. सदस्य श्री मदन प्रजापत के सदन पटल पर रखे गये शेष वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार के ऊपर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय सभापति महोदय, किसी भी सरकार का दर्पण एक प्रशासनिक तंत्र होता है और प्रशासनिक तंत्र किस तरीके से काम करता है, उस सरकार के बारे में उसी से स्पष्ट होता है कि सरकार कैसा काम कर रही है, जनता के विश्वास के ऊपर खरा उतरने का काम कर रही है या जनता के विश्वास को तोड़ने का काम कर रही है। माननीय

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता जिनमें राजेन्द्र जी विधूड़ी ने, गिर्राज सिंहजी ने, हरीश जी मीना ने और भी कई माननीय सदस्यों ने इस सरकार के बारे में और इस सरकार की कार्यशैली के बारे में बहुत कुछ कह दिया, इसलिए मैं उन बातों का जिक्र नहीं करूंगा कि सरकार ने पिछले सवा साल के अंदर कैसा कार्य किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज वास्तविकता के अंदर ..(व्यवधान) राजकुमार जी, आप मेरे मित्र भी हो, आप मेरे दोस्त भी हो और आपको मंत्री नहीं बनाया, इसका आपको जितना दु:ख है, उससे ज्यादा मुझे है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात जारी रखें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं चाहूंगा कि सरकार आने वाले समय के अंदर आपकी जरूर सुने। माननीय सभापति महोदय, जिस तंत्र के आधार पर शासन चलता है, यदि उसी शासन के तंत्र को आप तोड़ने का काम करोगे या उस शासन के तंत्र का संचालन करने वाले अधिकारी के मनोबल को तोड़ने का आप काम करोगे तो फिर शासन के तंत्र से ज्यादा बेहतरीन आप अपेक्षा नहीं कर सकते। मैं कई उदाहरण आपके माध्यम से इस बात के दूंगा। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य जब भाषण दे रहे थे तो कई घटनाओं का जिक्र कर रहे थे कि आपके शासनकाल के अंदर इतनी घटनाएं घटित हुईं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहूंगा कि इनका शासन काल, जो 2008-2013 तक रहा, उस शासन काल के अंदर विधायक के पुत्र की हत्या हो जाए, चेचट थाने की घटना किसी से छिपी हुई नहीं है। इनके विधायक को न्याय प्राप्त करने के लिये टावर के ऊपर चढ़ना पड़े तो मेरे खयाल से इनके शासन की यह बानगी काफी है। माननीय सभापति महोदय, इनकी सरकार जब-जब रही, इन्होंने एक मैसेज देने के लिये और अपने वोट बैंक को पुख्ता करने के लिये कि सरकार तुम्हारा भला करे या नहीं करे, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे हित की बात करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, गोपालगढ़ की घटना होती है और उस घटना के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की एवज में आप तत्कालीन समय के कलेक्टर और एस.पी. को हटाने का काम करते हैं। आप फूल मोहम्मद की घटना होती है, तत्कालीन समय के अधिकारियों को हटाने का काम करते हैं। नागौर की घटना होती है, आप आई.जी. को हटाने का काम

(श्री रामलाल शर्मा)

करते हो। बाड़मेर के अंदर एक रेसिंग शुरू होती है, रेसिंग की लापरवाही के अंदर कोई घटना घटित होती है तो आप तत्कालीन कलेक्टर को हटाने का काम करते हो। बाड़मेर के अंदर पुलिस की अभिरक्षा में मौत होती है तो आप एस.पी. को हटाने का काम करते हो।

माननीय सभापति महोदय, गुनहगारों के खिलाफ कार्यवाही करने का मन सरकार रखती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करो। डर उनके अंदर पैदा करने का काम करो ताकि वह अपराध करने से बचे। आप डर अधिकारियों के अंदर पैदा करके कैसा शासन देना चाहते हो? इसी शासन के आधार पर आप कहते हो कि हम जवाबदेही प्रशासन देने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जवाबदेही है। अगर शासन के इन अधिकारियों को आप डिमोरलाइज करने का काम करोगे तो मेरे खयाल से बेहतरीन शासन की अपेक्षा इस शासन से नहीं की जा सकती।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इतना निवेदन जरूर करूंगा। कुछ बातें ऐसी हैं, मैं उन बातों का जिक्र नहीं करूंगा कि आज पुलिस की स्थिति क्या है?

सभापति महोदय, मैं साइकोलोजी का स्टूडेंट रहा हूं, अगर वास्तविकता के अन्दर एक बात को दस-दस बार दोहरा दोगे तो व्यक्ति को लगने लगेगा कि वास्तव में जो यह कह रहे हैं वो ही सही है। अगर आप पुलिस की आलोचना करने लग गये, आप पुलिस को भ्रष्ट कहोगे, पुलिस को बेईमान कहोगे, आप पुलिस को कामचोर कहोगे, पुलिस को आप नाकारा कहोगे तो उस आदमी को लगने लगेगा कि आखिरकार मैं ऐसा हूं क्या। सभापति महोदय, जिन परिस्थितियों के अंदर पुलिस काम कर रही है, जिन परिस्थितियों के अंदर पुलिस के कांस्टेबल काम कर रहे हैं, जिन विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई भी सरकारी विभाग ऐसा नहीं है जिस विभाग के कर्मचारी अधिकारी इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर काम कर रहे होंगे लेकिन फिर भी अपेक्षा हम तो उनसे करते हैं।

सभापति महोदय, आज जितने भी माननीय सदस्य इस सदन के अंदर खड़े होकर जो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पुलिस वाले हमारी सुरक्षा के अंदर हैं। अगर पुलिस वाले सुरक्षा के अंदर नहीं रहेंगे उस दिन एक शब्द किसी के मुंह से निकाल नहीं पाएंगे।

(श्री रामलाल शर्मा)

इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से करबद्ध निवेदन है कि हो सकता है कि पुलिस का एक आदमी रामलाल गलत हो सकता है, मोहनलाल गलत हो सकता है, निर्मल गलत हो सकता है लेकिन आप पुलिस को गाली देकर बात करोगे और पुलिस से आप परिणाम चाहोगे तो मेरे खयाल से बेहतरीन परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करूंगा। मैं आलोचना की बजाय सुझाव देना ज्यादा पसंद करूंगा। सभापति महोदय, आज जिन चीजों की चुनौती हमारे सामने है, आज सबसे ज्यादा अगर अपराध हो रहे हैं, चाहे वो चोरी के अपराध हों, चाहे हत्या के अपराध हों, चाहे लूट के अपराध हों, सभापति महोदय, राजस्थान की हर मेडिकल की दुकान के ऊपर जो चाहे, जब चाहे, जैसी चाहे नशे की टैबलेट वो ले सकता है। सभापति महोदय, आप जांच करा लो जितने भी जेबकतरे या लूट करने वाले या अपराध को अंजाम देने वाले लोग अगर पकड़ में आते हैं तो नशे की टैबलेट के आधार पर उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसी मेडिकल की दुकानें जहां पर एक साधारण सा नाबालिग बच्चा भी जाकर टैबलेट लेकर आ सकता है, कम से कम उसके ऊपर रोक लगे।

सभापति महोदय, एक आपके माध्यम से निवेदन है कि कई संगठित गिरोह इस प्रकार के बन चुके हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। आज संगठित अपराध ऐसे हैं, वाहन चोर, अगर आपके 20 किलोमीटर गाड़ी चोरी करके उठाकर ले गये तो फिर उसके बाद में तो पुलिस भी यह कहेगी कि अब तो ये गाड़ी मुश्किल ही पकड़ में आयेगी, अब तो ये कटने के लिए जाएगी लेकिन, सभापति महोदय, सबको पता है कि वो कटने के लिए कहां जाती है, कौन से गिरोह हैं, मैं सरकार से चाहूंगा कि ऐसे गिरोहों के ऊपर भी अंकुश लगाने का काम करे।

सभापति महोदय, एक गिरोह ऐसा है जो पेय पदार्थ पिलाकर और फिर अपनी वारदात को अंजाम देने का काम करते हैं। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि ऐसे गिरोह को भी, और एक गिरोह और सक्रिय हुआ है, उस गिरोह का काम है कि छोटे बच्चों को साथ लेकर उस व्यक्ति के कपड़ों के ऊपर गंदगी लगाकर उसको कहते हैं कि तेरे कपड़े के ऊपर गंदगी लग रही है, वो गंदगी देखने का काम करता है उसी समय उसका बैग पार, उसकी गाड़ी की

(श्री रामलाल शर्मा)

डिग्गी में पैसे रखे हुए हैं वो पैसे पार। मैं चाहूंगा कि इस तरह से छोटेछोटे बच्चों को अपराध के अंदर धकेलने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही हो।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से इतना निवेदन करूंगा कि अभी खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी एक चिंता जाहिर की थी और चिंता इस बात की थी कि पुलिस के पास संसाधन नहीं हैं। सभापति महोदय, इस सदन के अंदर मैं यह घोषणा कर रहा हूं, आज दो प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता है, एक साइबर क्राइम के ऊपर अंकुश लगाने की नितांत आवश्यकता है और दूसरी एफ.एस.एल. के अंदर जो हमारे संसाधन हैं वो बहुत कम हैं। सभापति महोदय, मेरे ख्याल से कई माननीय सदस्य इस बात से सहमत भी होंगे कि जिस तरीके से माननीय विधायकों ने अपने कोष से स्वागत कक्ष बनाने के लिए सहयोग किया है उसी तरीके से, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से घोषणा करता हूं कि आप मेरे कोटे से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जितना पैसा लेना चाहते हो आप लेओ, लेकिन कम से कम साइबर क्राइम के लिए जो संसाधन आपको चाहिए, वो लें, आपको एफ.एस.एल. के अन्दर जो संसाधन चाहिए, वो आप लें लेकिन कम से कम जब तक ये दो चीज हमारी सुदृढ़ नहीं होंगी तो हम अपराध के ऊपर अंकुश लगाने में नाकाम रहेंगे। इसलिए, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में, आज जिले के अन्दर एक एस.एच.ओ. को आपने साइबर का इंचार्ज घोषित कर रखा है, पूरे जिले के अन्दर अगर 30 थाने हैं, 30 थानों के अन्दर एक एस.एच.ओ. साइबर क्राइम के ऊपर आप उनसे अपेक्षा करो कि वो रिजल्ट दें मेरे ख्याल से वो रिजल्ट नहीं दे पायेगा।

एक, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि फाइनेंस कंपनियों को अपन ने जितना स्वतंत्र कर दिया, मेरे ख्याल से यह नितांत आवश्यक है कि इनके ऊपर अंकुश लगना बहुत जरूरी है और फाइनेंस कंपनियां जो भी वाहन जिस भी कैंडिडेट का उठाने का काम करे तो कम से कम सम्बन्धित थाने को सूचना जरूर दें। आज फाइनेंस कंपनियों की स्थिति क्या है, बाउंसर रखते हैं, गाड़ी को पकड़ते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं, महिलाएं अगर बैठे रहती हैं तो उनके साथ अभद्रता करते हैं, गाली-गलौज से पेश आते हैं और फिर वाहनों को उठाकर ले जाते हैं। अगर कोई भी कार्यवाही करें तो सम्बन्धित थाने के अन्दर सूचना देकर वो कार्यवाही करें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, इसी तरीके से मैं एक इस बात का जिक्र करूंगा कि मेरे ही चौमूं थाने के अन्दर घटना घटित होती है, उसकी एफ.आई.आर. भी दर्ज होती है और उस एफ.आई.आर. के अन्दर जो फाइनेंस कंपनी है उसने कहा कि आपकी इंस्टालमेंट जीरो, कोई पैसा बाकी नहीं है, उसके बावजूद भी गाड़ी उठाई जाती है और गाड़ी उठाने के बाद में एक एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है और उस एफ.आई.आर. के अंदर भी पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती। सभापति महोदय, जो परिवादी मेरे पास आया, उस परिवादी का कहना है कि साहब, पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा कि पुलिस ऐसी तो नहीं होनी चाहिए लेकिन पुलिस कार्यवाही को क्यों नहीं कर रही है? सभापति महोदय, उसका कहना है कि पुलिस के फेसबुक अकाउंट के ऊपर, ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उसके इंस्टाग्राम के ऊपर उस फाइनेंस कंपनी का मोनोग्राम लगा हुआ है। अब जब किसी फाइनेंस कंपनी का मोनोग्राम पुलिस के इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लगा हुआ हो तो पुलिस क्यों कार्यवाही करेगी? मैं चाहूंगा कि जो एफआई.आर. दर्ज है एफ.आई.आर. के आधार पर पुलिस कार्यवाही करे। यह 18.02.2013 की घटना है और उसकी एफ.आई.आर. भी चौमूं थाने के अंदर दर्ज है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि पुलिस उसके अन्दर भी कार्यवाही करे।

सभापति महोदय, एक मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जिस तरीके से सभी माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की और गिर्राज जी ने तो यहां तक कह दिया कि डकैत मुझे धमकी देने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, आज भी राजस्थान के अन्दर मुख्य मंत्री जी के जिले के अन्दर सोशल मीडिया के ऊपर आधुनिक हथियारों को लहराते हुए फेसबुक के ऊपर वीडियो वायरल करते हैं और पुलिस उनके खिलाफ भी कार्यवाही नहीं करे। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर आम आदमी में ये विश्वास पैदा करें कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। कम से कम जो ऐसे संगठित गिरोह हैं, जो अवैध हथियार बनाने वाले लोग हैं या सप्लाई करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आज होमगार्ड की क्या स्थिति है? आज होमगार्ड को 365 दिन रोजगार देने की स्थिति में भी सरकार नहीं है। मैं चाहूंगा कि होमगार्ड में काम करने वाले सभी लोगों को 365 दिन रोजगार देने का काम करें।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि 1998 की जो भर्ती हुई है और 1999 की जो भर्ती हुई है उसमें इतनी वेतन विसंगतियां हैं, कम से कम उन वेतन विसंगतियों को भी दूर करने का काम करें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक अंतिम निवेदन और करूंगा कि जिस तरीके से आज सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो आपदा के समय काम करने वाली टीम है, आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो आपने बना रखी है लेकिन आज इतनी आपदा की घटनाएं घटित हो रही हैं, मैं चाहूंगा कि राजस्थान के जितने भी उपखण्ड हैं, कम से कम उन सारे के सारे उपखण्ड स्तर पर सिविल डिफेंस की टीम का गठन हो। सभापति महोदय, इतना जरूर निवेदन है कि आज जो सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण देने वाला केंद्र है उसके ऊपर होमगार्ड वालों ने कब्जा कर रखा है, मैं चाहूंगा कि उन होमगार्ड्स को आप अलग जगह उपलब्ध करा दें लेकिन सिविल डिफेंस का जो केंद्र है उसको कम से कम उनको सुपुर्द करने का काम करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): एक अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभापति महोदय, सरकार अगर चाहे तो हर चीज के ऊपर अंकुश लगाने का काम कर सकती है लेकिन सरकार अगर यह सोच ले कि हम हाथ के ऊपर हाथ धरे बैठेंगे, अपराध पर सिर्फ मैसेज देने का काम करेंगे, अधिकारियों के मनोबल को तोड़ने का काम करेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर परिणाम आने की संभावना नहीं है...

श्री सभापति: विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): और जिस तरीके से सरकार के नुमाइंदे ही उकसा कर लोगों को सड़कों पर लाने का काम करें, उनसे धरना दिलाने का काम करें और उनसे प्रदर्शन कराने का काम करें और माहौल खराब करने का काम करें...

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): तो मैं कहूंगा की शायद सरकार की इच्छा शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी है कि ये बैसाखियों का सहारा लेने का काम करें।

श्री सभापति: विराजिये। श्री चेतन सिंह चौधरी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं चाहूंगा कि शहीद स्मारक पर लगे हुए धरने को सरकार तत्काल हटाये, जो वहां पर असामाजिक तत्व जिस तरीके के भाषण देकर जाते हैं उनके ऊपर रोक लगाने का काम करे। आपने अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 व 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय, किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध की जांच करने व जनसाधारण को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा पुलिस का होता है। कानून व्यवस्था स्टेट सब्जैक्ट है और राज्य सरकार द्वारा बजट का लगभग 3 प्रतिशत पुलिस पर खर्च होता है। राजस्थान जैसे बड़े भूभाग और आबादी वाले राज्य के लिए जरूरी है कि पुलिस के पास जरूरत के सारे हथियार, फोरेंसिक जांच, संचार के साधन और परिवहन के तमाम साधन उपलब्ध हो ताकि पुलिस अपना काम अच्छे से कर सके।

जनवरी, 2016 के आंकड़ों के मुताबिक पुलिस विभाग में 24 प्रतिशत पद रिक्त हैं। एक लाख व्यक्तियों पर 181 पुलिसकर्मियों का होना होता है, स्वीकृत है लेकिन अभी एक लाख व्यक्तियों पर 137 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के मानकों के हिसाब से एक लाख व्यक्तियों पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। सभापति महोदय, सी.ए.जी. की रिपोर्ट ये बोलती है कि हथियारों की पूरे के पूरे भारत में, सम्पूर्ण भारत में पुलिसकर्मियों के पास, पुलिस के पास कमी है और राजस्थान के अन्दर ये कमी 75 प्रतिशत बताती है। यही सी.ए.जी. की रिपोर्ट एक और आंकड़ा देती है और ये बताती है कि 30.5 प्रतिशत वाहन की कमी है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2005 से 2015 के बीच में काग्निजेबल क्राइम की रेट में 28 प्रतिशत की वृद्धि बताती है।

सभापति महोदय, उपरोक्त जितनी भी कमियां मेरे द्वारा बतायी गयीं उन सबकी पूर्ति होनी चाहिए ताकि हमारी पुलिस अच्छा काम कर सके और लोगों को जो सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए वो कर सके।

मैं इतिहास के पन्नों से आपको बताना चाहूंगा कि दिसम्बर, 1928 में शहीदे आजम भगत सिंह, राजगुरु एक अंग्रेज पुलिसकर्मी जिसका नाम जॉन सांडर्स था, उसको लाहौर में 8 गोलियों से छलनी करके उसका मर्डर करते हैं। उसको मौत के घाट उतारते हैं और लाला लाजपतराय की मौत का बदला लेते

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

हैं। उनको तब यह लगा था कि जिस कर्मचारी ने, जिस पुलिसकर्मी ने जिसका नाम जेम्स स्कॉट था, उसको मारने जा रहे हैं, लेकिन सांडर्स मारा गया। उसी के बाद हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने एक भारतीय मूल के कांस्टेबल जिसका नाम चनन सिंह था, उसको गोली से मौत के घाट उतारा। उसके पीछे कारण यह रहा कि वह भगत सिंह और राजगुरु का जो जॉन सांडर्स कांड था, उसका पीछा कर रहा था। उपरोक्त दोनों ही उदाहरण मैंने आपके समक्ष इसलिए रखे कि जिन कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, वह दोनों ही पुलिस के कर्मचारी रहे। मेरी समझ से उनकी हत्या उस दौरान इसलिए की गई थी क्योंकि उनकी प्रणाली या उनका काम करने का तरीका न्यायोचित नहीं था।

भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर या जितने भी आजादी के दीवाने रहे, मुझे लगता है कि उनमें मानवता की कहीं कमी नहीं थी। मानवता की पराकाष्ठा पर वह लोग रहे। उन लोगों की मानवता हम लोग इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने उस दौरान हम लोग आजाद हों, हम अच्छी खुली हवा में सांस ले सकें, इसके लिए उस टाइम कुर्बानियां दीं।

सभापति महोदय, तमाम कमियां हो सकती हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी हम यह उम्मीद और अपेक्षा करते हैं जिन लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप साधारण व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करेंगे। आप अपराध की निष्पक्ष जांच करेंगे। अपना जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे। सभापति महोदय, लगातार मेरे द्वारा सदन में यह बात उठाई जाती है कि पुलिस अपना काम ठीक से करे। अगर ठीक से नहीं करे तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ तुरंत प्रभावशाली कार्यवाही होनी चाहिए।

मैंने पहले भी सदन में एक बात रखी कि एफआईआर संख्या 58/17, पुलिस थाना गोटन, पुलिस कर्मचारियों द्वारा महेन्द्र नाम के एक व्यक्ति से 3 लाख रुपये की रिश्वत मांगी जाती है। उसका माइनिंग का अच्छा काम था। जब उसने रिश्वत देने से मना कर दिया तो पुलिस महेन्द्र और उसके अन्य साथियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। उन्हें अवैध हिरासत में रखा जाता है।

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

जब इन नागरिकों, महेन्द्र तथा अन्य के द्वारा पुलिस में शिकायत की जाती है तो कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सतर्कता, राजस्थान, जयपुर जांच करता है। मेरे ही द्वारा विधान सभा में एक क्वेश्चन लगाने पर वह रिपोर्ट मेरे पास आती है। मैं आपके सामने अपराध संख्या 58/17 की जो जांच हुई है, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने की है, उसका निष्कर्ष पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं। उसका निष्कर्ष यह है पृष्ठ संख्या 19, खंड 10, पहला बिन्दु यह बोलता है, अपराध संख्या 58/17 थाना गोटन के अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी +++, उप निरीक्षक, थानाधिकारी थाना गोटन द्वारा परिवादी महेन्द्र जाट, अशोक बांता व मुकेश जाट को 01.04.2017 से दिनांक 03.04.2017 तक अवैध हिरासत में रखना प्रमाणित पाया गया।

इसका ही बिन्दु 2 यह बोलता है, गिरफ्तारी दिखाने के लिए रोजनामचे में फर्जी रवानगी व आमद दर्शाई गयी, जिसके लिए थानाधिकारी गोटन +++ व हमराही जाब्ता दोषी है।

इसी का बिन्दु संख्या 3, यह बोलता है, प्रकरण में वृत्ताधिकारी मेड़ता सिटी श्री राजेन्द्र दिवाकर द्वारा दिनांक 01.04.2018 को थाना मेड़ता सिटी पर परिवादी महेन्द्र जाट, अशोक बांता व मुकेश जाट से पूछताछ की गई थी। सुपरवाइजरी अधिकारी होने के नाते उनको भली-भांति ज्ञान था कि थानाधिकारी, गोटन +++ द्वारा उक्त तीनों को 01.04.2017 से 03.04.2017 तक अवैध हिरासत में रखा गया। फिर भी उनके द्वारा कार्यवाही नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त परिवादी महेन्द्र द्वारा पेश परिवाद की पुलिस अधीक्षक, नागौर को प्रेषित जांच रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा नहीं किया जाकर तथ्य छिपाए गए। जिसके लिए +++, वृत्ताधिकारी, मेड़ता सिटी दोषी है। यह जांच पुलिस द्वारा की गई है। लगातार चार दफे उठा ली गई लेकिन +++ को अगर कुछ मिला तो पदोन्नति मिली है। अगर साधारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए और उसके एवज में पुलिस डिपार्टमेंट उसको पदोन्नति देता है, यह मानने के बाद कि वह दोषी है, तो हम सब इससे सहमत होंगे कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। यह 2017 का है।

सभापति महोदय, हाल ही में 16 फरवरी को पांचौड़ी थाने के अंतर्गत एक ऐसा घिनौना कृत्य किया गया जो कि तमाम मानव संवेदनाओं को ध्वस्त करते हुए अंजाम दिया गया। उसके खिलाफ जब पीड़ित व्यक्ति थाने जाता है

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

तो थानेदार पीड़ित के पिता को यह कहता है कि 40 हजार में राजीनामा कर ले, बेटे का इलाज करवा लो, यह बड़े लोग हैं। आप गरीब हो। कुछ नहीं होगा।

सभापति महोदय, यह थानेदार जी वही हैं, जो मई, 2019 में एस.पी. को एक चिट्ठी लिखते हैं और बोलते हैं कि मैं अवसाद में हूं। मुझे लाइन में लगवा दो। मुझसे राजनीतिक लोगों की गुलामी नहीं होती है। मुझे समझ में नहीं आता कि यह थानेदार जी यहां पर अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं या किसी के कहने पर पीड़ित के पिता को यह बोल रहे हैं कि 40 हजार रुपये ले लो और राजीनामा कर लो और इलाज करवा लो। एक चीज समझ आती है कि कम से कम थानेदार जी गुलामी किसकी कर रहे हैं, यह तो पता नहीं लेकिन यह चीज स्पष्ट है कि वह अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे थे।

सभापति महोदय, नागौर पुलिस का सिलसिला यहीं नहीं रुकता है। अभी 2-3 रोज पहले कुचेरे का एक व्यक्ति, जिसका नाम अब्दुल रज्जाक है, वह कुचेरा थाने से लेकर के पुलिस अधीक्षक नागौर तक गुहार लगाता है और इस्तगासे के द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाता है। फिर भी कार्यवाही नहीं होती है तो सोशल मीडिया पर यह व्यक्ति एक वीडियो वायरल करता है, जिसमें यह लिखता है कि मेरी और मेरे परिवार की पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि मुझे और मेरे परिवार को इस पीड़ा से मुक्ति लेने के लिए आत्महत्या करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, उपरोक्त तमाम उदाहरण मैंने सिर्फ इस मंशा से रखे हैं कि जिन लोगों को दायित्व दिया गया है कि आप न्यायोचित जांच करें और वही लोग अगर गलत काम को अंजाम देते हैं तो जो बड़े अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

सभापति महोदय, यह व्यवस्था बदलनी चाहिए जिसमें कि आनंदपाल और पपला गैंग को पकड़ने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच हो। यह व्यवस्था बदलनी चाहिए कि +++ जैसे लोग, जिनको कि पदोन्नति दी जाती है इस जांच के बावजूद कि वह दोषी हैं, यह व्यवस्था बदलनी चाहिए कि थाने में कुछ भी गड़बड़ हो तो एक या दो कांस्टेबल को सस्पैंड या लाइन हाजिर कर दो। वह कांस्टेबल जो उन अधिकारियों के कहने से रात और दिन उनके आदेशों की पालना करते हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ कुछ न हो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुलिस चौकी छोटी खाटू, खाटू खुर्द है, उसको थाने के रूप में स्वीकृत करें। गांव मौलासर जो कि हाई वे पर पड़ता है, मेगा हाईवे है, लगातार जाम रहता है। वहां पर ट्रैफिक पुलिस की समुचित व्यवस्था की जाए।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आजादी से पहले जब हिन्दुस्तान की सड़कों पर नारे लग रहे थे साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, तो लाला लाजपतराय को पुलिस ने इतना पीटा कि वह शहीद हो गए। भगत सिंह को फांसी के फंदे तक ले जाने में पुलिस की बेड़ियां और जो रस्सी थी, वह हिन्दुस्तान के जेहन में आज भी मंढी हुई है।

सभापति महोदय, ऐसे कितने ही लोग थे, जिनको आजादी से पहले पुलिस ने अंग्रेजों के कहने से पीटा। पीटने वाले हमारे ही लोग थे तथा पिटने वाले भी हमारे ही लोग थे। आज भी हिन्दुस्तान की जनता उस पुलिस फोबिया से बाहर नहीं निकली है।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बजट पेश हुआ तो बजट का यह कागज और उसकी 15 लाइनें, यह बात बता रही हैं कि हम बाहर निकालना भी नहीं चाहते। पुलिस के लिए जो बजट आबंटन हुआ है, वह इतना नाकाफी है कि हम सारे दिन से साथियों के जो भाषण सुन रहे हैं कि वहां कमीशन लेते हैं और वहां भ्रष्टाचार करते हैं, वहां रिश्वत लेते हैं, वहां पुलिस यह करती है, वहां पुलिस यह करती है, यहां बैठे 200 लोग, पूरे राजस्थान के नेतृत्वकारी लोग हैं, ये अगर न चाहे तो पुलिस किसी से कमीशन नहीं ले सकती। न पुलिस पर्ची लिखवा सकती, न पुलिस जुए वालों को छोड़ सकती, न पुलिस दारू वालों को छोड़ सकती। हम ही गड़बड़ करते हैं। पहले चल करके, थानेदार को फोन करते हैं, मेरा आदमी है छोड़ दे, लकड़ी ले जा रहा है तो ले जाने दे। फिर हम खुद ही कहते हैं कि मेरा आदमी है, इसका यह एक ट्रक तो छोड़ दे और दूसरा ट्रक आये तो पकड़ लीयो। जुए में हम ही

(श्री बलवान पूनियां)

छुड़ाते हैं, पर फिर लगे हाथ ये भी हाथ धो लेते हैं। इनको भी ऊपर तक भेजना होता है। मैं एक अफसर के पास चला गया कि थानेदार बदल दो, वह बोला दूसरा थानेदार बताओ, मैंने कहा कि मेरी रिश्तेदारी में तो कोई थानेदार ही नहीं है, मैं किसको बताऊं, बोले तो एमएलए साहब, थानेदार आपके पास है नहीं तो लगेगा कौन, मैं थानेदार कहां से लाऊं मंत्री महोदय।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा था प्रशासनिक व्यवस्था वाले दिन थानेदार उस इलाके में किस टाइप का क्राइम है और कौनसा थानेदार उसको कंट्रोल कर सकता है, ये तो पूरे हिन्दुस्तान की पुलिसिंग करने के लिये अफसरों को ही तय करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, पुलिस के जवान के लिये यह तय करना पड़ेगा कि पुलिस सुधार कमेटी की जो रिपोर्ट आयी उसमें सात सिफारिशें थीं, वे सात सिफारिशें भी यही बात कहती हैं। दिल्ली से कंट्रोल हो और राज्य पुलिस में दो तरह की पुलिस हो, एक पुलिस वह जो जांच करती है और एक पुलिस वह जो लॉ एण्ड आर्डर देखती है। वही आदमी तो जांच करता है और वही आदमी लॉ एण्ड आर्डर के लिये चला गया, मैं धरना-प्रदर्शन भी कर रहा हूं, वहां तो मैंने पुलिस को खूब छकाया, थोड़ी देर में चला गया सिफारिश करने के लिये, ये मेरे आदमी छोड़ो। वह थानेदार जबर्दस्त दबाव में रहता है, वे बड़े वाले अफसर मुझे खुश करना चाहते हैं। ये सारी व्यवस्था में गड़बड़ है।

माननीय सभापति महोदय, जब घर के पड़ोसी, नजदीक, मित्र रिश्तेदार, सिपाही, 1999 के सिपाही आज मांग करेंगे कि हमारे वेतन की विसंगति आज तक है। अफसर नहीं सुन रहे, मास्टरों के संगठन हैं, किसानों के संगठन हैं, जनता के संगठन हैं। पुलिस का तो कोई संगठन नहीं। ज्योति बसु जो 34 साल मुख्य मंत्री रहे पश्चिम बंगाल के, एक बात और कह गये, वे यह कह गये कि राज नहीं चाहे, शासन नहीं चाहे तो दंगा नहीं हो सकता। प्रमाण दिये, 1984 में दंगे हुए, वहां बंगाल में सीएम थे ज्योति बसु, बंगाल में दंगा नहीं हुआ, दिल्ली में दंगे हुए। 2002 में गोधरा में दंगे हुए, हिन्दुस्तान भर में चिंगारियां फैलीं, लेकिन बंगाल में दंगा नहीं हुआ। जो बंगाल आज सुलग रहा है, उस समय दंगा नहीं हुआ, इसका मतलब शासन नहीं चाहता था, शासन नहीं चाहता तो दंगे नहीं होते।

माननीय सभापति महोदय, लोग कह रहे हैं कि सीएए और एनआरसी

(श्री बलवान पूनियां)

पर आप बोल गये, दंगे वहीं हुए जहां सीएए और एनआरसी लागू करने वाले हैं। ये व्यवस्था कहीं न कहीं शासन से प्रभावित है। पुलिस तो शासन का ही डण्डा है। लाला लाजपतराय को जनरल डायर के कहने से गड़बड़ की थी, ये सारी की सारी बात हमें समझने की जरूरत है। पुलिस को संचालित पूरा का पूरा सिस्टम शासन करता है।

माननीय सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि शासन तय करे कि जनता की सेवा बेहतर तरीके से कैसे हो? नारा तो चाहे आप दे दो कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में खौफ, अपराधियों से पैसे ले-लेकर थाने सुधार रहे हैं, अपराधियों से पैसे लेकर गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के लिये तेल नहीं, गाड़ी हम दे नहीं सकते जांच के लिये जो सिपाही के लिये स्टेशनरी और भत्ता लागू किया था पिछली गहलोत सरकार ने, पीछे वाली सरकार ने बंद कर दिया। अब इनसे कहो कि आप तो चालू कर दो वापस। कागज नहीं है सिपाही के पास, हवलदार के पास कागज नहीं है, सिपाही के पास मोटर साइकिल का तेल नहीं है तो बताओ जो आदमी आयेगा उससे पैसे मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? किस पर चढ़ कर जाये? इसलिये मंत्री महोदय, आप यह घोषणा तो करो ही करो, नहीं तो हम फिर कैसे जीरो टालरेंस वाली बात करेंगे? सारी घटनाओं में दोषी है पुलिस, इसमें कोई दो राय नहीं, पर सारी घटनाओं में दोषी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कुछ मांग करना चाहता हूं कि सिपाही की, पुलिस की, जनता की मांग आपस में जुड़ी हुई है सरकार तत्काल इनको पूरी करे। गहलोत सरकार ने जो मानदेय आरएसी और अन्य कार्मिकों के बढ़ाये थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, वोल्यूम थोड़ा धीमा कर लो।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, इससे स्लो हो नहीं सकता।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, थोड़ा गियर चेंज कर लो। (व्यवधान)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): धीरे बोलने पर बात दो मिनट में पूरी हो जाती है, क्या बतायें? (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलो। बोलो।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ...(व्यवधान) टेबल मैं ही हो जाऊं? मांग कर दूं? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, पिछली गहलोत सरकार ने जो मानदेय आरएसी और अन्य कार्मिकों के बढ़ाये थे जो कि वसुन्धराजी की सरकार ने कम कर दिये थे, वर्तमान सरकार भी उनको लीपापोती करके घटा ही रही है इसलिये हाईकोर्ट उन जवानों को जाना पड़ा, हाईकोर्ट ने स्टे किया लेकिन आज भी उनके वसूली के आदेश निकालने की कोशिश की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 2013 से 2017 के बीच मिले पैसे लोगों ने बरत लिये, अब कौनसी वसूली होगी इसलिये बढ़े हुए 2013 के हिसाब से मानदेय दिया जाये यह सरकार आदेश जारी करे।

माननीय सभापति महोदय, यात्रा भत्ता 200 रुपये प्रति महीना एक सिपाही का कर दिया है इसे बढ़ायें नहीं तो रोडवेज में यात्रा फ्री करें, नहीं तो फिर वह कण्डक्टर को कहता है कि मैं तो जवान हूं, कण्डक्टर अड़ियल हो तो कह दे कि जवान होगा तो होगा, पैसे दे, फिर झगड़ा हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, इसलिये मेरी मांग है कि आप फौरन 200 रुपये जवान के काटकर रोडवेज में यात्रा पास फ्री करो।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस का संगठन भी बने। संगठन बनना किसी का कोई बुरी बात नहीं है। हम किसी मुद्दे पर दो सौ के दो सौ लोग इकट्ठे हों, बार-बार उप मुख्य मंत्रीजी भी कह रहे थे, मुख्य मंत्रीजी भी कह रहे थे, यह भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं। हम यहां दो मुद्दों पर अलगअलग पार्टियों के अलग-अलग हैं तो फिर भी संगठित हो सकते हैं तो पुलिस संगठित क्यों नहीं हो सकती? माननीय सभापति महोदय, फण्डामेंटल राइट है आदमी का। जब हम हिन्दुस्तान के संविधान की ओथ खिलाते हैं, तो यह भी फण्डामेंटल राइट उनको होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, 1999 की बैच भर्ती के जवानों की वेतन विसंगति दूर करो, पुलिस को भारत पाक सीमा रेखा की कुल लम्बाई 1070 किलोमीटर है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, जिप्सम, ईंट भट्टे, तेल, गैस, आयल ब्लाक्स, रिफाइनरी का कार्य, सोलर प्लांट्स, पवन ऊर्जा, कृषि आधारित उद्योग व भारतमाला के बनने के बाद, यात्री दबाव और वाहनों की संख्या बढ़ने के बाद, यहां वीआईपी चौकियां और बढ़ायी जायें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री नरेन्द्र नागर।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, जो पुरानी जेलें हैं, उनको ठीक किया जाये। साइबर क्राइम की अलग से ब्रांच स्थापित की जाये। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लोगों को जल्दी मिले।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो हैलमेट की बात चल रही थी। यह बात घूम फिरकर हम पर ही आती है। मुझे तो कोई आदमी फोन करता है कि पुलिस ने मेरी मोटर साइकिल रोक रखी है। मैं पूछता हूं कि तेरे पास क्या नहीं है? वह कहता है कि हैलमेट नहीं है। सिपाही कहता है नहीं है, मैं तो कहता हूं कि इसका चालान कर चाहे वोट टूटे तो टूटे आदमी तो बचे इसलिये हैलमेट तो हम दो सौ के दो सौ लोग ही अनिवार्य करें। पुलिस तो कर देगी हम चाहें तो कर देगी, पुलिस कैसे नहीं कर दे?

माननीय सभापति महोदय, 2012 में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, मैं बच गया, अवैध शराब के खिलाफ लड़ रहा था। जो साथी कह रहे थे कि डाकू गाली निकाल ले, फलाने ढीमके, मेरी राय भिन्न है, एमएलए हैं हम सब लोग, कुछ नहीं बिगाड़ सकते डाकू इकू। हम संविधान की आत्मा को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बहादुरी से मुकाबला करेंगे, क्या डाकू, क्या डकैत, क्या लुटेरे, उनको पीछे धकेल देंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार पर लम्बे समय से आज चर्चा हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस की डिमाण्ड पर लम्बे समय से बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अलग-अलग बात रखी कि अलग-अलग प्रकार से पुलिस की सुविधा किस प्रकार से बढ़ायी जाये, इस पर अलग-अलग चर्चा हुई है।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस का जवान 24 घण्टे जिस प्रकार से काम करता है और जिस प्रकार की सुविधा उसको दी जाती है, हम भी यदि 24 घण्टे काम कर लेते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति किस प्रकार की हो जाती है। हमेशा कांस्टेबल के द्वारा, पुलिस के जवानों की मांग रही है, उनको

(श्री नरेन्द्र नागर)

साप्ताहिक अवकाश निश्चित रूप से मिले। ड्यूटी का उनका कुछ समय फिक्स हो, इस प्रकार की सुविधा पुलिस के जवानों को दी जानी चाहिये। उनको जो यात्रा भत्ता मिलता है वह दो-दो, तीन-तीन साल तक जवानों को नहीं मिलता है। यह बहुत बड़ी खामी है, जब अधिकारियों का टीए बिल तुरंत पास हो जाता है तो कांस्टेबलों का यात्रा भत्ता भी निश्चित समय में उनको मिलना चाहिये। साथ ही पुलिस को किस प्रकार से मोडिफाई करना चाहते हैं और आज पुलिस के पास किस प्रकार के संसाधन हैं। आज अपराधियों के पास किस प्रकार की लग्जरी गाड़ियां हैं, आज पुलिस के पास किस प्रकार की गाड़ियां हैं। पुलिस वाले अपराधियों को नहीं पकड़ सकते क्योंकि उनकी गाड़ियों का पीछा नहीं कर सकते और जिस प्रकार की बात बार-बार सदन में आयी है कि पुलिस का डीजल भी थाने के हिसाब से तय होता है कि कितना डीजल इस थाने को मिलेगा। पुलिस को अपने काम के अलावा कितने दूसरे काम करने पड़ते हैं। प्रोटोकाल के हिसाब से उनको ड्यूटी निभानी पड़ती है। बहुत सारे काम उनको अलग से करने पड़ते हैं तो इसमें कहीं न कहीं जितनी गाड़ी चले, उसके हिसाब से उनको डीजल निश्चित रूप से मिलना चाहिये।

साथ ही पुलिस में एक सामंत कमेटी बनी है, मुझे जहां तक जानकारी है, उसने जिस प्रकार की सुविधा देने की बात की है, उसे कहीं न कहीं हमें लागू करना चाहिए। पुलिस मुख्यालय पर जितने भी थाने उस जिले में आते हैं, सब थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर पुलिस मुख्यालय पर किसी कर्मचारी या अधिकारी को लगाकर उस पर निगरानी रखी जाए कि पुलिस थाने में कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है, विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।

स्वागत कक्ष के लिए मुख्य मंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा की थी, पर चूंकि बजट में कोई प्रावधान नहीं था, सरकार ने प्रयास किया, अधिकारियों ने प्रयास किया अपने निजी व्यवहार के माध्यम से, एमएलए लैड-एमपी लैड से लेने का प्रयास किया, पर निश्चित रूप से यदि सरकार इसके लिए बजट का प्रावधान करती है तो एक साल में सब जगह स्वागत कक्ष निश्चित रूप से बन चुके होते।

साथ ही मैं कहना चाहता हूं, मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र में गोविन्द रानीपुरा जी एमएलए हैं, उनका जो गनमैन था, वह 14.10.2019 को एमएलए

(श्री नरेन्द्र नागर)

साहब की ड्यूटी करके जब घर जा रहा था, रास्ते में उसे रोककर लुटेरों ने उसकी गन लूट ली, उसके साथ मारपीट की। मैं पुलिस की बुराई नहीं करना चाहता। जो स्थानीय पुलिस अधीक्षक महोदय हैं झालावाड़ के, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। इसके बावजूद भी आज तक मुल्जिमों का पता नहीं चला। मैं चाहता हूं, उसकी जांच सीआईडी अथवा सीबीआई से करवायी जाए।

साथ ही एक और निवेदन मैं अकलेरा मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र का करना चाहता हूं। 220/2016 में 302 में एक मुकदमा दर्ज हुआ अकलेरा में। उसमें पांच मुलजिम थे। उसमें पुलिस के द्वारा तीन मुलिजमों को बरी कर दिया गया। जब मामला कोर्ट में गया तो एडीजी के द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए तीन मुलजिमों, जिन्हें पुलिस ने बरी कर दिया था, उनके लिए गिरफ्तारी के वारंट जारी किये, उन्हें मुलजिम बनाया। उन्हें लगभग एक महीना हो गया। पुलिस उन्हें जल्दी गिरफ्तार करे ताकि फरियादी को न्याय मिल सके।

सभापति महोदय, एक चौमूं का मामला है, मुकेश कानूनगो, जो इन्स्पैक्टर था, 2018 में उसकी हत्या हुई। न तो उसकी पत्नी को कोई पैकेज मिला, न ही उसे कोई अनुकम्पा नियुक्ति मिली। वह आज दिन तक दर-दर की ठोकरें खा रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस पुलिस इन्स्पैक्टर की पत्नी को न्याय दिया जाए। साथ ही पुलिस के इतने सारे काम होते हैं, सबसे ज्यादा अपराध जो मैं मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है यह, अपराध जो बढ़े हैं, वे शराब की वजह से बढ़े हैं। जितनी भी घटनाएं होती हैं, वे शराब की वजह से ज्यादा होती हैं। सरकार चाहती है कि उसकी आमदनी बढ़े। वह रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाने की बात करती है। दबाव होता है विभाग का और उसी वजह से शराब की जितनी दुकानें होती हैं, वे गांव-गांव किराने की दुकान पर भी शराब मिलती है। चूंकि शराब और कहीं नहीं बिक सकती है, शराब की जो दुकानें होती हैं, शराब वहीं मिलनी चाहिए और वहीं बिकनी चाहिए, पर इसमें भी मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस भी कहीं न कहीं मिली होती है। वह उनसे कहीं न कहीं मंथली लेकर हर जगह उनको बेचने के लिए फ्री कर देती है। हर गांव में, ढाणी में शराब मिलती है, देर रात तक लोग शराब पीते रहते हैं और इसी वजह से आज अपराधियों की संख्या बढ़ी है। सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर बहुत अच्छा डिस्कशन हो चुका है। हमारे बहुत वरिष्ठ पूर्व मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह जी ने, हमारे वरिष्ठ और पूर्व मंत्री श्री भरत सिंह जी कुन्दनपुर ने और हमारे साथी श्री हरीश मीनाजी ने काफी अच्छा प्रकाश डाला और हमारे अन्य साथीगण ने भी प्रकाश डाला। पहले तो मैं यह बता दूं कि इंडिपेंडेंस के बाद प्रिंसली स्टेट्स का जो कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फार्मली 1951 में राजस्थान पुलिस फोर्स का फाउण्डेशन हुआ। 'सेवार्थ कटिबद्धता', 'Committed to serve', जो कि उनका मोटो है, मेरे विचार से चाहे हम कितनी भी बुराई करें किसी भी संस्था, व्यक्ति, संगठन, सेवा की, लेकिन जो काम राजस्थान पुलिस कर रही है, उसकी हमें सराहना करनी होगी।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ महीनों पहले जयपुर में कांवड़ियों और दूसरे लोगों का कुछ झगड़ा हुआ। ईद आ गयी, यह झगड़ा कुछ और बढ़ गया। राजस्थान पुलिस गलता रोड और दिल्ली रोड पर पंद्रह दिन तक बैठी रही और जो झगड़ा बहुत बड़ा हो सकता था जयपुर जैसे शहर में, उसे बिना किसी प्रकार के खून-खराबे या बड़े नुकसान के राजस्थान पुलिस ने ही निपटाया। ऐसे काम करने वाली पुलिस की प्रशंसा हमें करनी चाहिए।

अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ चलती हैं। राजस्थान के कई जिलों का मैं कलेक्टर और डीएम रहा हूं। राजस्थान का होम सैक्रेटरी भी रहा हूं। पुलिस को करीब से देखा है, इसलिए मेरा यह मत है कि राजस्थान की पुलिस काफी मजबूत है। अभी दिल्ली में जो हुआ, अगर आप कम्पेयर करें तो हमारी राजस्थान पुलिस का काम सराहनीय है। होगी, कोई वीकनेस भी होगी, हर व्यक्ति में वीकनेस होती है, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रैंग्थ भी होती है। जो उसकी मजबूती होती है, उसे भी हमें कंसीडर करना चाहिए। आज की तारीख में राजस्थान पुलिस बड़ी अच्छी स्थिति में है।

मेरा समय पूरा हो, उसके पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र पिलानी से सम्बन्धित एक मुकदमा एफआईआर सं. 197/18 बगड़ थाने में दर्ज हुआ था, उसमें जो तथ्य हैं, वे हैं गौरव यात्रा के समय के। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कुछ साथियों ने डैमोक्रेटिक राइट्स के अंतर्गत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, और जो कमी उन्हें सामने नजर आयी तत्कालीन शासन की, उसके विरुद्ध शांतिपूर्ण ढंग से नारे लगाये। उस

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

रूप में तो मुकदमा दर्ज हो ही नहीं सकता था। उन पर मुकदमा दर्ज किया गया कि ये 50-60 पशुओं को लेकर आये और उनके घूंसा मारा और घूंसा मारने का जुर्म बताकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आज भी वह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

मैंने पहले भी निवेदन किया, फिर से करता हूं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया और मुझे खुशी है कि उस पर विचार किया गया और 25 फरवरी को उस केस विड्रावल कमेटी की मीटिंग की बात आई है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से यह बात शासन तक जाए कि गलत ढंग से कुछ युवाओं के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो उसको हमें विड्रा करना चाहिए। बाकी सारी बातें आ गयीं। कुछ मुख्य बातें हैं, वे नहीं आयीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था 2006 में। उन्होंने लगभग छह बिन्दुओं के डायरेक्शंस दिये थे। उनमें यह था कि एक अलग से पुलिस एक्ट बनाया जाए और उसके इम्प्लीमेंटेशन में 30 अक्टूबर, 2007 को पुलिस एक्ट, 2007 हमारे यहां बना। अगर उस पुलिस एक्ट की विभिन्न धाराओं का, उसमें दी गयी व्यवस्थाओं का अगर पुलिस पूरी तरह से पालना कर ले तो मेरे विचार से कहीं कोई अव्यवस्था है ही नहीं। बहुत शानदार पुलिस एक्ट बना, लेकिन उसके प्रोविजन्स की अनुपालना करने के लिए पुलिस बल को ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। सारी बातें कान्सटेबल से लेकर ऊंचे पदों तक बतायी जानी चाहिए ताकि उसकी अनुपालना हो जाए।

टैन्योर फिक्स होने का सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडिकेशन दिया था एसएचओ का, डीवाईएसपी का, एसपी का, आईजी का और डीजी का, सभी का टैन्योर फिक्स हो, उसकी अनुपालना होनी चाहिए। यथासम्भव हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसकी अनुपालना हो ताकि अधिकारी वहां भयरहित होकर काम कर सकें।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले में आया था कि एक State Security Commission बनाया जाए। State Security Commission के अंतर्गत उसमें मैम्बर थे Leader of Opposition, CM, Home Minister और तीन सोशल वर्कर्स का प्रावधान उसमें रखा,

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

जिसमें एक एससी/एसटी का होगा और वह प्रावधान इतना मजबूत था कि वे तीन सोशल वर्कर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से affilliated नहीं होने चाहिए। अगर वह कमीशन बन जाता है तो मेरे विचार से बाकी सारी की सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी।

अपराध पर आता हूं। सभापति महोदय के माध्यम से, मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सब लोग कह रहे हैं अपराध बढ़े हैं, अपराध बढ़े हैं। मैं कहता हूं कि अपराध बढ़े नहीं हैं, FIR करने के कम्पेरेटिव स्टेटमेंट को एनेलाइज करिये। 2017 से 2019 तक की जो कहानी है उसमें 2017 से 2019 को अगर आप कम्पेयर करते हैं तो महिलाओं के बारे में 61 परसेंट हुए, जबकि 2018-19 में 49.14 परसेंट अपराध हुए। शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में 2017 से 2019 में 60.31 परसेंट अपराध थे जबकि 2018-19 में 47.47 है। एससी के बारे में 2017-2019 के बीच में 82.62 परसेंट अपराध बढ़े थे जबकि अब खाली 64.11 है। जनरल अगर आप देखें, एससी, एसटी, महिला की बात छोड़ें, सबको अमैल्गमेट करके जनरल अपराध कितने बढ़े तो वह 2017 से 2019 के बीच 32.58 थे जबकि अभी 2018-19 का अगर आंकड़ा लो तो 31.08 है। वह उस स्थिति में है जबकि एफआईआर की पूरी तरह छूट है, किसी को भी यह तकलीफ नहीं है कि उसकी एफआईआर लॉज नहीं होगी। इसलिए एक सुशासन के रूप में हमारी वर्तमान सरकार काम कर रही है और उसमें बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट, बहुत बड़ा जो सहायक है वह पुलिस तंत्र है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांव बगड़ थाने में लगते हैं। बगड़ थाना झुन्झुनूं विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। मैं निवेदन करता हूं कि जिस थाने के गांवों की जो पंचायत समिति लगती है या जो तहसील लगती है उसी थाने के अन्तर्गत वे गांव होने चाहिए ताकि को-टर्मिनस हो जाए पंचायत समिति और थाना या तहसील और थाना। यह बगड़ थाने के सन्दर्भ में मैं निवेदन कर रहा हूं।

समय की सीमा को देखते हुए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि चाहे इसको थ्योरिटिकल मान लें लेकिन एज फोर एज पोसिबल, थानों में और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पोलिटिकल इंटरफियरेंस कम होना चाहिए। पुलिस का व्यवहार ठीक होना चाहिए, इसके लिए वही ट्रेनिंग वाली बात है और इसको नीचे से लेकर विशेषकर कांस्टेबुलरी, एएसआई, एसआई तथा

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

एसएचओज की समय-समय पर इन-सर्विस ट्रेनिंग होनी चाहिए। अनुसंधान फेयर हो, इस बात की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्ट्रेंथ तो थानों की बहुत अच्छी तय कर रखी है कि इतनी कांस्टेबुलरी होगी, इतनी महिला पुलिस होगी, इतने पुरुष पुलिस होंगे, इतने एएसआई होंगे, इतने हैड कांस्टेबल होंगे, इतने एसआई होंगे, लेकिन वास्तव में लगभग सभी थानों में वैकेंसीज हैं और इन वैकेंसीज को भरने की आवश्यकता है।

एक बात, चाहे कड़वी हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी घटना हो जाती है तो अकाउंटेबिलिटी कांस्टेबल तक, एएसआई तक, एसआई तक या एसएचओ तक ही की जाती है। सभापति महोदय, मैं इस ऑगस्ट हाउस के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई बड़ी घटना हो जाए तो अकाउंटेबिलिटी बड़े-बड़े अफसरों की भी होनी चाहिए। जो भी अफसर हो, जिसकी डायरेक्ट रेस्पोंसिबिलिटी हो या इन-डायरेक्ट रेस्पोंसिबिलिटी हो, वहां तक भी रेस्पोंसिबिलिटी कायम करनी चाहिए ताकि ऊपर से नीचे तक जो डिसीप्लिन है, जो एनफोर्समेंट है वह बहुत अच्छा हो जाए।

एक बात और कहता हूं, एससी, एसटी एट्रोसिटी एक्ट, 1989 के सैक्शन 4 में प्रावधान है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का जो एट्रोसिटी एक्ट है इसके अन्तर्गत किसी भी पुलिस के अधिकारी ने अनुसंधान किया और अगर वह अधिकारी एससी, एसटी का नहीं है तो शासन को अगर यह लगता हो या पुलिस के बड़े अधिकारियों को, जो उसके अनुसंधान की समीक्षा करता है और प्रोसीक्यूशन के लिए सैंक्शन देता है या कोर्ट में चालान करने के लिए निर्णय करते समय अगर उसके व्यवहार में ऐसी गलती नजर आए तो सैक्शन 4 में उस अधिकारी के विरुद्ध काम करने का प्रावधान है, उसका संज्ञान लेने का प्रावधान है। आज तक मैंने नहीं सुना कि अगर किसी अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन करने में गलती कर दी हो तो उसके खिलाफ कोई संज्ञान लिया गया हो। ये सब बातें हैं जो नहीं आई थीं और जो मैंने आपके माध्यम से कह दिया। आपने इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वैरी मच।

श्री सभापति: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की अनुदान की मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार के पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

समय के अभाव को देखते हुए और आपके आदेश की पालना पर मैं बिना भूमिका बनाये मेरे कुछ सुझाव और मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें आपके माध्यम से सरकार और यहां पर उपस्थित अधिकारियों के सामने रखना चाहूंगा।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जिलों में कलेक्टर रात्रि चौपाल का आयोजन करते हैं, उसी तरीके से उसी तर्ज पर अगर जिलों में पुलिस अधीक्षक भी, कम से कम थानों पर, मैं यह नहीं कहूंगा गांवों के अन्दर जाकर, कम से कम थानों पर सीएलजी की जब मीटिंग होती है तो उस समय रात्रि चौपाल का आयोजन करें और उसका प्रचार-प्रसार भी करें जिससे उस क्षेत्र की जनता उस दिन वहां पर एसपी साहब के सामने आ सके और अपनी परिवेदनाएं, जो उनको थाने से सम्बन्धित तकलीफ हैं या क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वह एसपी साहब के सामने रख सकें और उनका समाधान भी एसपी साहब कर सकें। जब वह अगली मीटिंग हो तो एसपी साहब उसके फीडबैक लें कि पिछले समय में क्या-क्या समस्याएं आईं और उनका क्या-क्या समाधान हुआ तो मेरा मानना है कि उस तरीके से काफी समस्याएं हल होंगी।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरीके से सरकारी विभागों में कम से कम एक दिन का अवकाश होता है और अभी बजट के अन्दर सरकार ने सरकारी विद्यालयों के अन्दर 'नो बैग डे' की घोषणा की है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस विभाग के अन्दर भी हफ्ते में कम से कम एक बार नो ड्यूटी डे लेकर आएं जिससे पुलिसकर्मी मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत हो सकें।

आदरणीय सभापति महोदय, आज के समय में बढ़ते नशे को देखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि एसओजी, एटीएस की तर्ज पर एक विशेष टीम का गठन किया जाए ताकि इस नशे पर कम से कम अंकुश लगाया जा सके।

आज के समय को देखते हुए और मेरे से पूर्व में बोले बहुत सारे वक्ताओं ने साइबर क्राइम का जिक्र किया। मैं भी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको कंट्रोल करने के लिए विभाग में कम्प्यूटर प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की अलग से भर्ती करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिसकर्मियों को रोडवेज बस के पास का जो मामला सरकार के पास पैण्डिंग है, उसे भी लागू किया जाए। होमगार्ड के जवानों के कार्य दिवस भी बढ़ाये जाएं।

अगर मैं पुलिस जिले भिवाड़ी की बात करूं जिसके अंतर्गत मेरा विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर आता है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस जिला भिवाड़ी हरियाणा की सीमा से लगता हुआ है और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश की सीमा इससे बहुत दूर नहीं है। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मेरे मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर थानों में नफरी बढ़ाई जाए। नफरी के साथ-साथ थानों में पदों में भी बढ़ोतरी की जाए। भीड़ नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक तकनीक वाले उपकरण भी दिए जाएं। सीमावर्ती जिला होने के कारण एक विशेष टीम का गठन किया जाए जिसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट हो, अत्याधुनिक हथियार हो, विशेष प्रशिक्षण हो और साथ ही साथ उन्हें कार्यवाही करने की विशेष छूट भी हो। थानों को आधुनिक गाड़ियां दी जाएं। जैसा कि पूर्व में बोले वक्ताओं ने भी कहा कि अपराधी बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आता है और हमारे थानों के अन्दर 20-20, 25-25 साल पुरानी गाड़ियां हैं और वह साइकिल का पीछा नहीं कर सकती तो आधुनिक गाड़ियों का कहां से करेंगी इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

बोर्डर इलाका होने की वजह से थानों को आधुनिक गाड़ियां दी जाएं जिससे अपराधों पर रोकथाम की जाए।

जिस तरीके से मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के अन्दर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसे देखते हुए मैं आपके माध्यम से, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मुण्डावर उप खण्ड पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोला जाना अति आवश्यक है। साथ ही साथ निवेदन भी करना चाहूंगा कि सोडावास चौकी और अजरका चौकी, जो हरियाणा की सीमा के लगती हुई है वहां भी पुलिस थाना खोला जाना चाहिए। अलीपुर सांचोत गांव में, सीलगा गांव में, रामसिंहपुरा गांव में और कांकर गांव में, ये सभी गांव हरियाणा की सीमा के लगते हुए हैं तो यहां पर भी चौकियां खोली जानी चाहिए।

अंत में, आपके माध्यम से, मेरी एक पीड़ा सदन के सामने रखना चाहूंगा। जिस तरीके से बाड़ी से आने वाले विधायक भयभीत हैं, मैं भी उसी तरीके से भयभीत हूं। वे भयभीत हैं डकैतों की धमकी से और मैं भयभीत हूं पुलिस महकमे से। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि समय को देखते हुए और जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उसको देखते हुए चौकियां खोली जाना अति आवश्यक है, पर क्या चौकी खोलने के लिए आप किसी की जमीन पर कब्जा करेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पूर्व हमारे आईजी साहब ने, एसपी साहब ने, हमारे एडिशनल साहब ने, डिप्टी साहब ने और एसएचओ साहब ने गूगल कोटा में नेशनल हाईवे पर चौकी खोली। वह जमीन मेरी खुद की है। मेरी परमिशन के बिना, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की परमिशन के बिना वहां पर पुलिस महकमे ने चौकी खोल दी और उद्घाटन आईजी साहब से करवाया। उसकी जानकारी मुझे अख़बार के माध्यम से मिली और जब मैंने थानेदार से पूछना चाहा कि आपने किसकी परमिशन से वहां पर चौकी खोली तो उनका कहना था कि साहब परमिशन देकर गये थे। मेरे पिताजी को गये हुए करीब दो वर्ष हो गये और थानेदार साहब वहां अभी कुछ समय पूर्व लगे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि दो साल पहले वे पिता से परमिशन कैसे लेकर आये? मैं आपके माध्यम से, आपका संरक्षण भी चाहूंगा और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस मेन हाईवे पर जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है उसे तुरन्त प्रभाव से खाली करवाकर आप मुझे राहत प्रदान करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(20.00 बजे)

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, आपसे संरक्षण चाह रहे हैं, आपकी जमीन पर जबरन चौकी बनाई गई है। आईजी खुद उसका उद्घाटन करके आये हैं..

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, प्लीज सहयोग करें। श्री राकेश पारीक। माननीय सदस्य विराजिए, अंकित नहीं होगा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री सभापति: ये हाउस है। क्या हो रहा है? क्यों इस तरह से हाईजैक कर रहे हो? विराजिए आप, अंकित नहीं होगा। श्री राकेश पारीक।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): हमें भी बोलने दो। आप ले लेना संरक्षण।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): सभापति महोदय, मेरी खुद की जमीन है। मेन हाईवे पर लगती जमीन है, करोड़ों की जमीन है। पुलिस महकमे ने जबर्दस्ती उस पर कब्जा किया हुआ है। आपसे संरक्षण चाह रहा हूं। मेरे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की अनुमति के बिना वहां पर चौकी खोली गई है। जब थानेदार से पूछा किस की परमिशन से खोली।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): पांइट आफ आर्डर, सर।

श्री सभापति: श्री राकेश पारीक। किसी का अंकित नहीं होगा। विराजिए, विराजिए। श्री राकेश पारीक बोलिए आप अपनी बात।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000 (व्यवधान)

श्री राकेश पारीक (मसूदा): सभापति महोदय,... बैठ जाओ, जब आप बोलते हो, तो हम भी सुनते हैं, थोड़ा बैठिए।

श्री सभापति: आप अपनी बात कहें।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप इस पर कोई न कोई संज्ञान लें, वास्तव में उनके स्वयं के अधिकार की जमीन है तो उस पर विभाग को ...(व्यवधान) अगर उनके अधिकार की जमीन है।

श्री सभापति: मेरी बात सुनिए, उन्होंने अपनी बात कह दी, सरकार ने भी सुन ली, विशेष बात हो तो जाकर मंत्री महोदय से मिल लें। मैं उस पर क्या फैसला करवाऊंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पता कर लें, यहां बैठे हैं अभी, इतना तो पता, ये लोग यहां क्यों बैठते हैं? ऐसी अगर कोई समस्या आ गई तो इनका धर्म बनता है कि पता करके अपने मंत्री को फीड करें कि क्या सही है, क्या गलत है। इनको करना चाहिए। क्यों आते हैं यहां पर?

श्री सभापति: मंत्री महोदय से मिल लेंगे, आपको भी अपनी बात बोलनी है। मैं अभी आसन से यह डायरेक्शन से नहीं दे सकता। विराजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हमने नोट कर लिया है, मंत्री जी के ध्यान में ले आएंगे।

श्री सभापति: आप भी रहे हैं मंत्री। आप विराजिए, विराजिए। मंत्री जी ने सुन लिया, कोई विशेष बात होगी तो जाकर मिल लेंगे। श्री राकेश पारीक।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का जो मुझे मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पुलिस के बारे में काफी ज्ञानवर्धन हुआ, 40 साल के राजनीतिक जीवन में इतना आज पुलिस के बारे में सोचने और समझने का मौका मिला। मैं मांग करूंगा, भाषण नहीं दूंगा, आप घंटी बजा दोगे। इसलिए, मैं मेरे इलाके में तीन डीवाई.एसपी, मेरे मसूदा का कोई डीवाई.एसपी नहीं है। विजयनगर का डीवाई.एसपी नसीराबाद में लगता है। भिनाय का डीवाई.एसपी केकड़ी में लगता है और मसूदा का डीवाई.एसपी ब्यावर में लगता है।

मैं सरकार से मांग करूंगा कि मेरे विजयनगर में सीओ कार्यालय खोला जाए। मेरा इलाका गांवों का इलाका है, मगरे का इलाका है, किसानों का इलाका है, मजदूरों का इलाका है, औद्योगिक इलाका है। श्रीसीमेंट जैसी बहुत बड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री भी मेरे इलाके में है। मैं मांग करूंगा, सराणा थाने में मेरा गांव है कुम्हारिया पंचायत, पूरी पंचायत समिति भिनाय, भिनाय थाने में लगती है लेकिन, गई बार भाजपा की गवर्नमेंट ने जब सराणा थाना खोला, गांव कम पड़ गये तो मेरे इलाके की एक कुम्हारिया ग्राम पंचायत को सराणा थाने में लगा दिया गया, इसलिए मैं मांग करूंगा सरकार से कि मेरे कुम्हारिया ग्राम पंचायत को भिनाय में जोड़ा जाए।

माननीय सभापति महोदय, बिलकुल सही बात है। हम लोग बिलकुल नीचे से गांव से आते हैं। उन लोगों के बारे में, वे लोग क्या करते हैं। उसके बारे में पूरा आज सदन अवगत हुआ लेकिन, उस सिपाही की सोचिए जो होली और दीवाली को भी वह अपने त्यौहार पर घर नहीं आ सकता। उन लोगों को

(श्री राकेश पारीक)

इतनी तनख्वाह दी जाए कि वे मांगना ही बंद कर दे। आप देखेंगे, जो बलवान पूनियां साहब बता रहे थे, उन लोगों को तेल हम नहीं दे रहे हैं, उन लोगों की व्यवस्था हम नहीं कर रहे हैं तो फिर व्यवस्था तो ऐसे ही की जाती है।

उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। आज पुरानी पुलिस की छवि में और नई पुलिस की छवि में बहुत फर्क है। नौजवान पढ़े-लिखे लड़के पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। सिपाही से लगाकर आईपीएस तक, फ्रेश पढ़ा लिखा नौजवान आ रहा है, किसान वर्ग का आदमी आ रहा है, एससी/एसटी वर्ग का आदमी आ रहा है। पुलिस का वह देश की आजादी के समय वाला रोल और आज जो रोल है, उसमें बहुत परिवर्तन है। आज जो अच्छा काम करते हैं। उन लोगों को शाबाशी भी देनी पड़ेगी और जो बुरा कर्म करते हैं। जैसा बिधुरी जी ने बताया, उन लोगों के साथ आप, देखिए एक कौवा मारकर खेत के बाहर टांग देते हैं तो सारे डरने लग जाते हैं तो थोड़ा राज का भय भी दिखाइएं। जो गंदा काम करता है उस आदमी को सज़ा दीजिए जिससे दूसरा आदमी बिगड़े नहीं।

मैं मांग करूंगा मेरे थाने में हालत ऐसी है, अपराधियों के पास तो स्कार्पियो, फार्चूनर बड़ी-बड़ी गाड़ियां और मेरे भिनाय थाने की गाड़ी अगर आप देख लें तो 20 की स्पीड में चलती है, इसलिए नई गाड़ी दी जाए। मेरे मसूदा थाने की गाड़ी की भी स्थिति यही हैं। मेरे वहां देवनारायण भगवान का मेला लगता है, बड़े-बड़े धार्मिक स्थान है, मगरे की धरती है और माइनिंग का इलाका है तो, वहां पर मेरे चारों थानों में नई गाड़ी दी जाए। ये मैं सदन में मांग करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, पुलिस और जेल पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। साथ में, यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बीच में इशारा कर देना, टोकना मत। सभापति महोदय, विधान सभा के अंदर बोर्ड पर लिखा हुआ या तो विधान सभा में आओ मत और आओ तो फिर सत्य कथन कहो और विधान सभा में आकर के गलत बात बोलोगे तो पाप के भागीदार होंगे, बड़ी विचित्र स्थिति है सभापति महोदय।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आपके मानव अधिकार, हर बात पर, कोई चोर है, अगर किसी सिपाही ने डंडा ही मार दिया तो मानव अधिकार का उल्लंघन हो गया। ये क्या तरीका है? चोर, डाकू, उच्चका या तो आपके पास आधुनिक यंत्र होने चाहिए। आप बहस तो करते हो, इंग्लैण्ड, अमेरिका के बराबर और हमारे पास थानों में गाड़ियां ही नहीं हैं, हथियार नहीं है तो फिर पुलिस क्या करेगी।

सभापति महोदय, एक इस मोबाइल ने मनुष्य की आजादी छीन ली। पुलिस में इतना भय है, इस मोबाइल के कारण कि किसी मुलजिम से ऊंची आवाज में, जांच नहीं कर सकते। एक तरफ मानव अधिकार, एक तरफ पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है। कैसी कार्यवाही, मुलजिम को कोई कहे, काका बता दे तो नहीं बताएगा, या तो कोई यंत्र उपलब्ध करवाओ, जो उसके शरीर के चिपकाते ही स्वत: ही पता लग जाए, अन्यथा पूछताछ करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

श्री सभापति: वहां तो आप वाली बीड़ी ही काम आ सकती है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आन मिलो सजना के बिना काम नहीं चलता। सभापति महोदय...

श्री सभापति: आप जिस यंत्र की बात कर रहे हो न, उसमें तो आप वाली बीड़ी ही काम आ सकती है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): वह तो और भी ज्यादा खतरनाक है। सभापति महोदय, हम सब कहते हैं थाने के अंदर गाड़ियां होनी चाहिए, डीजल के पैसे होने चाहिए, सब साधन मुहैया होने चाहिए, हथियार भी अच्छे होने चाहिए, पर आए कहां से? इसके बारे में चिंता है, इधर वाले सरकार में थे तो उधर वाले बोलते थे। अब इधर वाले विपक्ष में हैं तो ये बोलने लग गये। अब इसका तरीका तो जो शासन में बैठे हैं उनको ही निकालना है, चाहे किधर से भी किसी विभाग से कटौती करो, चाहे कुछ भी करो, इस राजस्थान को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए पुलिस को सुदृढ़ करना चाहिए। सभापति महोदय कौन करेगा जांच?

श्री सभापति: हर एक एमएलए को कहो दो-दो गाड़ी देगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): कांस्टेबल्स की तो हालत यह है कि उनके रहने के लिए क्वार्टर नहीं है, वह अपने परिवार के साथ रह नहीं

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सकते और आप चाहते हो कि 24 घंटे सेवा दे। अब उसको थाने में अच्छे क्वार्टर मिले, अच्छी सुविधा मिले और दूसरा, मैं पुलिस से भी कहना चाहता हूं कि आपके पास बीट का जो सिपाही है वह सबसे बड़ा आधुनिक यंत्र है बशर्ते वह व्यक्ति कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि बीट का सिपाही अगर अच्छा व्यक्ति होगा तो थाने में जांच में हर चीज में वह बहुत सहयोग करेगा। बढ़िया आदमी को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी ईमानदारी का उसको वजीफा मिलना चाहिए किसी न किसी रूप में, तब जाकर के कोई, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम नेता जो हैं, 200 का हाउस है, यह बीमारी कहां से पैदा होती है कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, जब हम अपने चहेते के कहने से सीआई लगाएंगे, डीवाईएसपी लगाएंगे तो फिर वह एसपी की भी परवाह नहीं करेगा।

सभापति महोदय, गांवों में ठेके इसलिए चल रहे हैं कि शराब के ठेकेदार सीआई का आर्डर करवाकर ले जाते हैं। हम भी बैठे देखते रहते हैं। यह भी व्यवस्था मैंने यहां देखी है तो वहां तो ठेके एक की जगह 4-4 चलेंगे और इस तरह के अधिकारी को लगाने से, उसको भी कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, नेताओं को खुश करना और बड़े-बड़े लोगों को खुश करना है तो उसको 50 तरह के अवैध धंधे खोजने पड़ेंगे। जुआ है, सट्टा है सब तरह की बीमारी यहां से पैदा होती है। अगर हम यह तय कर लें कि गलत दबाव पुलिस पर गलत काम के लिए नहीं देंगे तो बिलकुल पुलिस में सुधार आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम कोई व्यक्ति मर्डर करके आ जाए और 4 एमएलए इकट्ठे होकर कहें कि नहीं साहब, इसको तो 69 की रिहाई दो, अरैस्ट कर लिया और रिहाई दो तो इस तरह की बात नहीं चलेगी।

सभापति महोदय, मैं पुलिस से भी कहना चाहता हूं कि इस बजट में तो आपको 1682 वाहन खरीदने के लिए सरकार ने पैसा दिया है, और तो बजट में मुझे कुछ दिखाई दिया नहीं है सभापति महोदय, अब उदाहरण के तौर पर थानों के अंदर स्वागत कक्ष बनाने के लिए घोषणा कर दी। खूब मेज थपथपा ली और जब मैं गया क्षेत्र में तो एसपी, डीवाईएसपी, मैंने सोचा कि आज क्या राज गया, इस तरह से कैसे पूछ रहे हैं यह क्यों याद कर रहे हैं? कभी पुलिस का तो सिपाही ही नहीं आया तो मैं मन ही मन में सोचने लगा कि ऐसी क्या बात हो गई। पता लगा कि आप अपने कोटे से पैसा दो स्वागत कक्ष के लिए और मैं ईमानदारी के साथ बताता हूं कि एसपी साहब ने कहा तो मैंने सोचा कि आए दिन माथाफोड़ी करेंगे, अगर मना करेंगे तो यह बिलकुल

(श्री रामप्रताप कासनियां)

ही काम नहीं करेंगे। दबाव में, मैंने दबाव में पैसे दिए हैं क्योंकि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है सभापति महोदय कि ईमानदार आदमी को और ईमानदार अधिकारी को अगर जनता भी प्रोत्साहित करे कि आप हमारे इलाके में रहे, बहुत अच्छा काम किया। जब वह वहां से विदा हो तो उसको यह महसूस हो कि यहां की जनता ने मेरा बहुत-बड़ा सम्मान किया है और जनता भी इसमें दोषी है। मैं यह भी मानकर चलता हूं। मैं भी कोई बेदाग नहीं हूं। अभी कह रहा हूं न कि दबाव में दिए हैं पैसे, कह रहा हूं न तो सबसे बड़ी बीमारी पुलिस में अगर सुधार करना है तो तरीका यह 200 का हाउस है। इसी के हाथ में है अन्यथा भाषण ठोकते जाओ, आप इनकी आलोचना करो, ये आपकी आलोचना करेंगे और 5 वर्ष समय निकल जाएगा, कुछ हाथ नहीं आना है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस में भी मैंने एक प्रथा देखी है मैं इतना पढ़ा-लिखा विद्वान तो नहीं हूं पर जांच करने का जो तरीका है सभापति महोदय, मर्डर की और 307, 26 की तफ्तीश इस तरह से करते हैं जैसे 107, 51 की। कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम पुलिस भूल गई। नीचे जो कांस्टेबल बैठे हैं वह एक रात में फाइल तैयार करके और जांच अधिकारी के हस्ताक्षर करके चालान करवा देंगे। मेरे कहने का भावार्थ यह है कि अगर कोई दोषी है, मुलजिम है तो उसकी सजा हर हालत में होनी चाहिए और वह सजा तब होगी जब कड़ी से कड़ी जोड़ करके चालान करोगे। बिना सही जांच किए आजकल तो एक परिपाटी हो गई, महीने की आखिरी तारीख आ रही है चालान कर दो। अब फाइल अधिकारी पढ़ ही नहीं पाता, कांस्टेबल पर भरोसा करके हस्ताक्षर ठोक दिए जाते हैं तो पुलिस में कुछ सुधारने का प्रयास करें।

श्री सभापति: विराजिये। श्री वेद प्रकाश सोलंकी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति जी, एक ही बात और। सभापति महोदय, मैंने इस हाउस में कहा था, धर्मेंद्र जी पीलीबंगा वाले विधायक कानून-व्यवस्था पर बोले थे तो दूसरे दिन इनके घर पर चोरी हो गई और उसके अगले दिन बलवीर जी लूथरा ने कहा मैं विषय हाउस में उठाऊंगा तो रात के 8-9 बजे उनका मोबाइल छीन लिया सिविल लाइन में। कहीं मेरे साथ भी ऐसा नहीं हो जाए सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वेद प्रकाश सोलंकी।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सभापति जी। धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सभापति जी को कि मुझे मांग संख्या-16 और 17 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, अगर जयपुर जिले में विशेषकर मैं बात करना चाहता हूं मेरे चाकसू क्षेत्र की तरफ, अगर सबसे बड़े वहां पर क्राइम के अड्डे बनते जा रहे हैं तो बजरी के माफिया हैं, उससे विकास सबसे बड़ा अवरुद्ध हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन पुलिस वालों के सिर फूट गए हो, बजरी माफिया वालों ने जिनके हाथ पैर तोड़ दिए हो, उसके बाद उन पर तो कार्रवाई आज तक नहीं हुई लेकिन वह सिर पर पट्टी बंधाने के बाद भी वह कांस्टेबल वहीं के वहीं लगना चाहते हैं और यह कहीं आवाज नहीं उठाना चाहते कि जो दोषी थे जिन्होंने उनके साथ मारपीट की, जिन माफियाओं ने उनके साथ में गुंडागर्दी की, उनको गिरफ्तारी की बात नहीं करते, सिर्फ बात वही करते हैं कि हमारी बंधी और मंथली नहीं चल जाए, इस तरह की बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, वहां पर जो छोटी-छोटी रोड्स हैं 40-40, 100-100 टन के वहां पर डंपर जाते हैं, पूरी की पूरी रोड तोड़कर रख दी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वागत कक्ष के लिए पैसा दिलाया। आपको बता देना चाहता हूं कि जब लैटर नहीं आया, उसके पहले-पहले तो तमाम एसएचओ साहब, एसपी साहब उसके लिए पैसा लेकर चले गए। हमने कहा था कि जहां से अवैध घुसपैठ होती है, जहां से अवैध बजरी जाती है वहां पर कैमरे लगाओ जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए परंतु अभी तक वहां पर एक भी कैमरे नहीं लगाए गए। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कभी बोला नहीं था लेकिन आज बोल रहा हूं कि एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता 4 दिन पूर्व वहां निवाई से आ रहा था। प्रदेश का महामंत्री था। जब रात को वहां से आ रहा था, 40 किलो वजन था उस कार्यकर्ता का, उसने आकर देखा कि पुलिस की जीप अलग खड़ी हुई है और सेंट्रो गाड़ी प्राइवेट के अंदर जीप का चालक और साथ में एक पुलिस का अधिकारी वहां अवैध वसूली कर रहे हैं। उस कार्यकर्ता की गलती सिर्फ इतनी हो गई कि उस कार्यकर्ता ने उन पुलिस वालों को पूछ लिया कि यह सही काम चल रहा है। उसको ले जाकर पुलिस ने इतना बुरा मारा जैसे 100 साल पहले मुजरिमों को मारते थे। उसके बाद यह सच्चाई उजागर नहीं हो जाए, पुलिस के आला अधिकारियों ने उनको तो पुलिस लाइन भेज दिया लेकिन माननीय सभापति महोदय, कागज

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

आज तक नहीं निकाला क्योंकि यह चाहते हैं कि जो भू माफियाओं से मिले हुए हैं, जो बजरी माफियाओं से मिले हैं, जब यह मुद्दा दो दिन बाद ठंडा हो जाएगा तो वापस वह कांस्टेबल और चालक वहीं आ जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी हमारे मलिंगा साहब ने कहा था कि जहां से बजरी का परिवहन होता है, जहां से खुदाई होती है, अगर वहीं पर बजरी पर लगाम लगा दी जाये तो अन्य थानों में यह बजरी नहीं आ पायेगी और जो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, यह अड्डे खतम हो जायेंगे क्योंकि इसकी जांच तमाम नेताओं तक आ रही है। लोग कहने लग गये कि एमपी भी पैसे लेता है, एमएलए भी पैसे लेता है, प्रधान भी पैसे लेता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन पर रोक लगाई जाये और जहां जहां से यह बजरी आ रही है, जहां निकल रही है, वहीं की वहीं रोक लगा दी जाये।

माननीय, अभी मैंने कहा कि पुलिस अपने डिपार्टमेंट का सहयोग करती है, यह मैंने आज तक सुना है। अभी माननीय सदस्य ने एक बात उठाई थी, मुकेश की बेवा मेरे यहां की है, उसके पिताश्री लगातार चार बार सरपंच रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, परंतु अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। वह बेवा चंदलाई में अपने पिता के पास रह रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनको पैकेज दिलाया जाये, उनको सहयोग किया जाये। जो पुलिस इंस्पैक्टर गुंडों के हाथों मारे गये हैं, उनको आज तक न्याय नहीं मिला है।

माननीय सभापति महोदय, यह 28 जून का दैनिक भास्कर अख़बार है, इसमें लिखा हुआ है आईजी दौरे पर गये और एक बदमाश पुलिस की वर्दी पहन कर आईजी साहब को सैल्यूट मारते हुए पाया गया। यह दूसरा अख़बार है, एक एमएलए कैंडिडेट फर्जी पुलिस बनकर पकड़ा गया। एक यह दूसरा अख़बार है, चार अवैध फर्जी पुलिस वाले बजरी वसूली करते हुए पकड़े गये।

पुलिस विभाग में जो पिछली बार वर्दी भत्ता दिलाया है, न तो अभी तक पुलिस वालों को वर्दी भत्ता मिला और बड़े शर्म की बात है कि अभी तक न स्टोर में एक भी वर्दी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वर्दी भत्ता देना अच्छी बात है, हमारी पुलिस 7x7 दिन काम करती है, उनकी सैलरी बढ़ाई जाये, मैस भत्ता बढ़ाया जाये। आज सिर्फ पुलिस पर ही विश्वास नहीं है, पुलिस की वर्दी पर विश्वास है। एक एसपी, चाहे थानेदार अगर सिविल ड्रेस में चला जायेगा तो एक आटो भी उनसे रुकने वाला

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)
नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जो वर्दी भत्ते की बात की है, उस वर्दी भत्ते पर पुनर्विचार करें। वर्दी भत्ते में इन्होंने बताया था कि 42 करोड़ रुपये है। 42 करोड़ रुपये जो हम पुलिस को देते थे, 1 लाख 1 हजार जवान अभी हैं, तो 70 करोड़ रुपये हमें पुलिस को देने पड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वर्दी का मतलब सिर्फ पैंट और शर्ट नहीं है, वर्दी में और भी आर्टिकल आयेंगे, वह आइटम कहां मिलेंगे। क्या यह फर्जी पुलिस वालों को और भर्ती करना चाह रहे हैं? क्या वहां पर और नयी-नयी पुलिस को खड़ा करना चाह रहे हैं? जब मार्केट में वर्दियां नहीं मिल रहीं, उसके बाद भी इतने फर्जी पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं। अगर यह वर्दियां और अन्य स्थान पर मिलने लग जाएंगी तो फर्जी पुलिस कर्मियों की और भर्ती हो जायेगी।

मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जो स्टोर आर्टिकल हैं इसमें सरकार को भी लगभग 40 करोड़ का एक्स्ट्रा वित्तीय भार पड़ रहा है। पुलिस ने स्टोर आर्टिकल के लिये पैसा मांगा, फाइनेंस ने यह कहकर वापस लौटा दिया कि हमने आपको भत्ता दे दिया। न तो अभी तक भत्ता दिया गया है और न ही स्टोर आर्टिकल के सामान दिये गये हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि स्टोर आर्टिकल में कौन्कौनसे हमारे उपयोगी सामान हैं, जो पुलिस कांस्टेबल की पहचान होती है, माननीय सभापति महोदय, वह बैल्ट नंबर से होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे 70 और आइटम हैं, वह आइटम कहां मिलेंगे? इनकी आज तक जो जांच करते थे वह आईजी स्तर के अधिकारी करते थे। अब यह कहना चाहते हैं कि हमारी कैंटीन को खरीदने का ठेका दे रहे हैं। बात वहीं घूम फिर कर आती है, वहां इंस्पैक्टर चैक करेगा कि वर्दी सही है या गलत है और यहां आईजी स्तर का अधिकारी चैक कर रहा था। वरिष्ठ अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिये छोटों पर डालना चाह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि वर्दी भत्ते के प्लान को कैंसिल करके इनके वर्दी भत्ते की जगह सैलेरी बढ़ा दीजिए, मैस भत्ता बढ़ा दीजिए। 7 हजार आप दे रहे हैं, 7 हजार की जगह आप सैलरी में बढ़ोतरी कर दीजिए क्योंकि काम काफी किया है।

एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी होम गार्ड की विज्ञप्ति निकाली है, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हम होम गार्ड में केवल 20 परसेंट लोगों को ही काम दे पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, उन लोगों

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

को अभी तक काम पूरा नहीं दे पा रहे हैं और माननीय अधिकारियों ने उसकी विज्ञप्ति निकाल दी कि हम होम गार्ड को और काम देंगे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पहले पुराने होम गार्ड के लोगों को काम देना सुनिश्चित करो, पहले उनको रोजगार देने का सुनिश्चित करो, उसके बाद नई भर्तियां निकालने का काम करो।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): एक बात कहकर अपनी बात को खतम करना चाहता हूं। माननीय गाड़ी वाली बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए अब।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): हमारे एमएलए लैड से ऐसी व्यवस्था करें कि जिस तरह से स्वागत कक्ष में गाड़ियां दी हैं, उस तरह से हम अपने फंड से गाड़ियां दे सकें।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्रीमती इन्द्रा।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): 000

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मुझे मौका दिया, आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। आज पुलिस की डिमांड है, इस मुद्दे पर हम आपसे कहना चाहेंगे, सुबह से इस सदन में सुनते आ रहे हैं कोई बड़ाई कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है लेकिन सच पूछा जाये तो कहीं न कहीं पुलिस में कई सारी कमियां भी हैं और छोटे अधिकारियों में कहीं न कहीं सच्चाई भी है, ईमानदारी भी है। इस सदन के माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे, पूरे राजस्थान की मैं बात नहीं करना चाहूंगी, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगी कि मेरा विधान सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही लंबा चौड़ा इलाका है। बौंली तहसील में एक थाना और एक चौकी आती है। पहाड़ के पीछे का एक एरिया पड़ता है जो टोंक, लालसोट और दौसा से सटा हुआ है और उस चौकी में तीन कांस्टेबल, एक थानेदार से काम चलाया जा रहा है। इस सदन के माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि डूंगर पिछवाड़ का बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया पड़ता है, उस चौकी को थाने में कन्वर्ट किया जाये ताकि स्टाफ बढ़े, व्यवस्थाएं बढ़ें। वहां न गाड़ी मिल पाती है और जैसे कि अभी कई सारे माननीय सदस्यों ने डिमांड की है, सरकार को हमने पहले भी लिखा है कि गाड़ियां बहुत पुरानी हो चुकी हैं,

(श्रीमती इन्द्रा)

अगर यहां से व्यवस्था नहीं हो पा रही तो सभी माननीय सदस्य तैयार हैं अपने-अपने बजट से, अपने-अपने कोटे से गाड़ियां उपलब्ध करा सकते हैं। आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि यह प्रावधान लागू किया जाये कि अपने बजट से गाड़ियां थानों में उपलब्ध कराई जायें। इससे आम जनता को, पुलिस विभाग को और सभी को काफी परेशानी होती है।

इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बजरी की रोकथाम के लिये दो अस्थाई चौकियां लगा रखी हैं लेकिन वह अस्थाई चौकियां कभी उड़ जाती हैं, कभी बैठ जाती हैं तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि उन अस्थाई चौकियों को स्थाई किया जाये। एक छिछोला में चौकी बनाई जाये। दूसरी जसठाण्या में चौकी बनाई जाये ताकि व्यवस्थाएं ठीक हो सकें।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): सभापति महोदय, धन्यवाद आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मांग संख्या 16 व 17 पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि पुलिस यही है और यही रहेगी। हम लोगों में से कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग बदल जाएंगे। जो हैं, उनसे अच्छा काम कैसे लिया जाए और इसमें सुधार का क्या प्रयत्न किया जाए? अगर इस दिशा में कुछ सोचने का मन बनाएंगे तब तो कुछ सुधार की गुंजाइश बनेगी, बाकी यह भाषण यहां पर रिकार्ड हो जाए और आप और हम सब इस भाषण को सुन लेंगे क्योंकि मुझे भी लगभग इस सदन में 34 साल पक्ष और विपक्ष में बोलते हुए हो गये और उधर से जवाब देते हुए मैंने भी अपना समय गुजारा है। मैं सोचता हूं कि आज की जो प्रोसिडिंग होती है, इस प्रोसिडिंग को भी कोई निकालकर भला आदमी उस पर आंख भी नहीं घुमाता है कि वास्तव में किस आदमी ने क्या कहा? यह मैं सच्चाई कह रहा हूं, यह अपने साथ भी है, जब मंत्री भी, मैं कहने को तैयार हूं। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि कम से कम किसी न किसी व्यक्ति को इस बात की जिम्मेदारी पर जरूर लगाएं। प्रत्येक विधायक ने यहां पर जो कुछ भी बोला है, वह सही भी हो सकता है, वह गलत हो सकता है, जो किया जा सकता है, जो नहीं किया जा सकता है और छोटी-छोटी बातों को भी अगर सुधार कर इस विभाग में कुछ और तरक्की दी जा सकती है तो प्रयत्न करना चाहिए।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हम सब लोग पुलिस से बहुत उम्मीद करते हैं कि यह भी करना चाहिए, यह भी करना चाहिए, लेकिन हकीकत को देखने का प्रयास करना चाहिए। राजस्थान में आज की तारीख में अगर एक लाख की पापूलेशन पर देखते हैं तो राजस्थान में 686 लोगों पर एक पुलिस का आदमी आता है। मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान में जो हमारी स्थिति है, वह पंजाब में 335 पर है, हरियाणा में 442, महाराष्ट्र से हम पीछे हैं, उत्तर प्रदेश से पीछे हैं, कर्नाटक से पीछे हैं, तमिलनाडु से पीछे हैं, गुजरात से पीछे हैं, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल से पीछे हैं, 686 लोगों पर एक पुलिस का आदमी राजस्थान में है। फिर भी वह जितना संभव हो सकता है, करने का प्रयास करता है। कोशिश करें कि अगर हम इस संख्या को बढ़ा सकते हों तो हमें जरूर प्रयत्न करना चाहिए, ताकि हम वास्तव में उसके काम की गुणवत्ता को और अच्छा सुधार सकें।

मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान में हम सबसे नीचे हैं। लगभग 3.1 किलोमीटर में हमारा एक पुलिस का आदमी आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल लंबा-चौड़ा है, अगर उस क्षेत्रफल के अनुपात में हम चलें तो हमारी बाकी सब जगह पर, कहीं 0.5 किलोमीटर पर है, कहीं 0.6 किलोमीटर पर है, कहीं 0.58 पर है, कहीं एक किलोमीटर पर है। हम राजस्थान में इतने सालों के प्रयत्न के बाद तीन किलोमीटर पर एक पुलिस का आदमी दे पाये हैं। मैं इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि आखिर पुलिस और पुलिस का काम बजट पर डिपेंड करेगा। जब तक हम इसको बढ़ाने की स्थिति में नहीं आते हैं, तो हम उम्मीद तो बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन उम्मीद करने के लिए, उसको स्ट्रेन्थन करने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं।

आपने देखा होगा कि 2004-05 में जब हमने काम संभाला था तब राजस्थान पुलिस का बजट 450 करोड़ रुपये था। उसके बाद जब हमने इसको छोड़ा था तो हम इसको 1556 करोड़ रुपये पर ले गये थे। इसका मतलब हमने 83 परसेंट उस समय में पुलिस के बजट को बढ़ाया। उसके बाद आप आये तो 1988 करोड़ रुपये से शुरू किया और आपने 3152 करोड़ रुपये पर छोड़ा, आपकी बढ़ोतरी 58 परसेंट है। उसके बाद फिर हमने वापस संभाला तो हमने 3785 करोड़ रुपये पुलिस को दिये थे और 6378 करोड़ रुपये पर छोड़ा था, लगभग 68 परसेंट। अब की बार, मैं आपको हकीकत कह रहा हूं कि पुलिस को अपने बजट में इतनी दुर्गति शायद किसी भी साल में देखनी नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पड़ी होगी, जो इस समय देखनी पड़ रही है। आपने देखा होगा कि 2019-20 जब हमने बजट एस्टीमेट दिया तो 6499 करोड़ रुपये दिया। इसको हमने रिवाइज एस्टीमेट किया तो 6604 करोड़ कर दिया। इस साल हमारा जो बजट बढ़ रहा है, जो बजट हम पुलिस को दे रहे हैं, वह 7005 करोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब 7.8 परसेंट की बढ़ोतरी है, 7.8 परसेंट की बढ़ोतरी देकर हम उम्मीद बहुत पालें तो उनकी भी अपनी लिमिट है।

जेल में भी ऐसा ही हुआ है। जेल में भी हमने उस समय आपसे 35 करोड़ रुपये पर ली थी और हमने 55 करोड़ रुपये पर छोड़ा था। उसके बाद वापस आपने इसको 62 करोड़ रुपये से शुरू किया, 108 करोड़ रुपये पर ले गये। हमने 142 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी, 189 करोड़ रुपये पर छोड़ा था। अभी आपने जेल के लिए जो पैसा बढ़ाया है, पिछली बार 194 करोड़ था, अबकी बार 199 करोड़ रुपये है। हम सब लोग उम्मीद बहुत पालें, बहुत बड़ी बातें करें, लेकिन बिना बजट के कोई भी संस्था बहुत कुछ काम कर सकेगी, ऐसा नहीं है।

ऐसे ही अभियोजन में भी यही स्थिति है। यह जो हमारी सुरक्षा पुलिस है, इसी तरह से सारे होम डिपार्टमेंट का भी जो बजट बढ़ा, इन सारे विभागों को मिला लें तो 7.9 परसेंट की बढ़ोतरी है। 7.9 परसेंट की बढ़ोतरी के आधार पर हम, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य इतने पढ़े-लिखे हैं, मैं ये आंकड़े अपने घर से नहीं लाया हूं। मैं सोचता हूं कि ये आंकड़े न तो मैं छिपा सकता हूं, न आप छिपा सकते हो। मेरे कार्यकाल में क्या रहा होगा, वह भी यही है, अब का भी यही है। आप में से कई लोग कहते हैं कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया। मैं समझता हूं कि फ्री कर दिया। फ्री का उपयोग कहां करेगा? कोई आदमी मर गया, उसकी एफ.आई.आर. के लिए क्या ना कर देंगे? कोई बलात्कार हो गया, क्या कोई एफ.आई.आर. के लिए न कर सकेगा? कोई डकैती हो गयी, क्या उसको न कर सकते हैं? कोई लूट हो गयी, उसको न कर सकते हैं क्या? कोई चोरी हो गयी, उसको ना कर सकते हैं क्या? यह असंभव है। यह जो बहुत हीनियस आफेंस होते हैं, इसमें कोई मना नहीं कर सकता और जो मना करे न, तो उसकी बाद में जो दुर्गति होती है, उस पर आप और हम रोजाना चर्चा करते हैं। अगर किसी ने गलती भी कर दी और उसका जब पता लगता है, उसकी मार जो उस पर पड़ती है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे आंकड़े आप उठाकर देख लेना, मैं आपको बहुत अभिमान से नहीं कह रहा हूं। आज मंत्री महोदय ने मेरे खिलाफ क्या-क्या कागज हो सकते हैं, वे सवेरे बांट दिये हैं। अभी बता दें, कोई चिंता नहीं। मैं आपको इस बात के लिए दाद देता हूं कि अगर मैंने पांच साल में अपने विभाग में मैंने किसी प्रकार की कोई बेइमानी और गलती की हो तो आप फाइलों को उठाकर जो सज़ा देना चाहें, वह सज़ा मैं लेने के लिए तैयार खड़ा हूं, लेकिन मैं इस प्रकार स्वभाव और इस प्रकार की बातों पर न मैं विश्वास करता हूं, न उस पर कभी यकीन करता हूं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा यह जो हत्या का है। 2017 से लेकर 2019 तक में जो अपराध बढ़ा है, वह 12 परसेंट बढ़ा है, 2018 से 2019 में 10 परसेंट बढ़ा है। हत्या के प्रयास में 19 परसेंट। फिर 14 परसेंट, डकैती 127 परसेंट बढ़ी है। 2017 से लेकर 2019 तक डकैती 127 परसेंट बढ़ी है और 2018 से 2019 में 42 परसेंट बढ़ी है, अगर इन दोनों सालों को मिलाएं तो आपको लगेगा। 2017 से 2019 में लूट 46 परसेंट बढ़ी है।

पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि एक बार सरकार के और विशेषकर पुलिस विभाग के साल भर के जनवरी से लेकर दिसम्बर तक जो फीगर निकलते हैं, उनको एक बार देख लें और देखने के बाद इस बात को कहें कि अपराध बढ़ा है, बढ़ सकता है, मैं यह कहता हूं कि अपराध घटाना/बढ़ाना, यह न आप कर सकते हो, न मैं कर सकता हूं। जो भी अपराध घटित हो गया, उसको अपने को लिखना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। इसके कारण से यदि पुलिस की छवि खराब है, मैं उस पर भी विश्वास नहीं करता हूं, पर मैं इस बात पर जरूर विश्वास करता हूं कि इस पर कंट्रोल के लिए हमारे तरीके हैं, प्रयास हैं, जिनसे हम इनको कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं।

आपने देखा होगा, बलात्कार। बलात्कार में रिकार्ड टूट रहा है। आपने देखा 2017 में 3305 बलात्कार थे। इस बार 2019 में 5997, मतलब छह हजार। क्या इसमें कोई एफ.आई.आर. लिखने से न कर सकता है? हो गया, जिसने अपराध किया, उसे सज़ा दिलाएं। केवल आंकड़ों के आधार पर यह कहें कि इससे कम हो गया। प्रयत्न से कुछ करना चाहें तो कम कर सकते हैं। न

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई नकबजनी को छिपा सकता, न कोई चोरी छिपा सकता है। ये राजस्थान में पहले दो साल हैं, जिनमें अपराध की ग्रोथ 32 परसेंट और 31 परसेंट है। 32 परसेंट एक साल का और 31 परसेंट एक साल का, सारा मिलाकर 62 परसेंट अपराध में वृद्धि होना, यह कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है।

केवल यही नहीं, महिला अपराध के बारे में राजस्थान हिंदुस्तान में कई वर्षों तक नंबर दो पर चल रहा था। हमारे ऊपर हमेशा ही एक काला धब्बा लगता था कि महिला अपराध में हिंदुस्तान में टाप राज्यों में से राजस्थान भी एक है। पिछली बार प्रयत्न किया, तीन सालों में 17-18 परसेंट अपराध घटाया और उसके कारण हम दूसरे पायदान से चौथे पायदान पर आ गये, लेकिन अब की बार के अपराध में वापस वही स्थिति आयी है। महिला उत्पीड़न भी छोड़ दें क्योंकि कई बार 498 का जो केस है, वह आपस में एक-दूसरे परिवार की रंजिश के कारण से भी कम और ज्यादा हो सकते हैं लेकिन बलात्कार तो ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कोई, ये महिला बलात्कार में 2017 से लेकर 2019 तक में 81 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है और 2018 से लेकर 2019 तक में हुई है 38 परसेंट। छेड़छाड़ में भी इसी तरह से 80 परसेंट 2017 से 2019 में और 2018 से 2019 में 67 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। आपने देखा होगा कि ये सारा मिलाकर महिला अपराध में 2017 से लेकर 2019 तक अपराध बढ़ा है, 60 परसेंट और 2018 से 2019 में बढ़ा है 49 परसेंट। इसका मतलब अपराध का ग्राफ निश्चित तौर पर आपके ही आंकड़ों के द्वारा यह है कि बढ़ा है।

इसी तरह से आप जो कह रहे थे, आप स्वयं बोले शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में, मैं तो लॉबी में सुन रहा था। बलात्कार, ये जो अनुसूचित जाति का बलात्कार बढ़ा है 2017 से 2019 में 82.24 परसेंट और 2018 से 2019 में बढ़ा है 46.17 परसेंट। कम कहां से हो गया और टोटल, सारे जोड़ लें। ये तो मैंने केवल एक हैड बताया, अगर सारे के सारे अपराध को जोड़ लें तो पहले साल में अर्थात् 2017 से 2019 के बीच में शिड्यूल्ड कास्ट पर अपराध बढ़ा है 60.3 और 2018 से 2019 में बढ़ा है 47.4 परसेंट, इसी तरह से आप शिड्यूल्ड ट्राइब में देखिए। शिड्यूल्ड ट्राइब में टोटल अपराध, आश्चर्यजनक है, अब तक कभी नहीं बढ़ा होगा, आप कितने ही साल का रिकार्ड टटोल कर देख लो लेकिन अबकी बार 2017 से लेकर 2019 के बीच में 82.6 परसेंट, 82.6 परसेंट 2017 से लेकर 2019 तक के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है और 2018 से 2019 में 64 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। यह कोई सामान्य बढ़ोतरी नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि उसका कारण है। अभी तो हमारे पास जो पद रिक्त है, उसकी भी हम इनको पूर्ति करने की ताकत नहीं दे रहे हैं। आपने बजट में घोषणा की थी पिछले साल कि हम 5 हजार कांस्टेबल को भर्ती करेंगे। अभी आपकी विज्ञप्ति इसी महीने में निकली है। जो बजट में घोषणा की थी 2019-20 में, उसकी विज्ञप्ति अभी निकली है और ये प्रोसेस होते-होते अगले साल चला जाएगा। आज की तारीख में भी हमारे पास 15324 पोस्ट रिक्त हैं। हमारे पास 1 लाख 10 हजार की कुल स्ट्रैन्थ है, उसमें से हमारे को 15324 कम है, उसमें 6345 कांस्टेबल और उसके बाद 3741 हैड कांस्टेबल, ये सभी हैड में है। मैं सोचता हूं कि सभी में मिलाकर इस प्रकार आप लोगों को लगेगा कि हमने कोई प्रयत्न नहीं किया। मैं आज भी अभिमान के साथ कहता हूं मेरे विभाग के अधिकारी और स्टाफ ने, कुछ दागिले हैं लेकिन कुछ इतने अच्छे लोग हैं, जो मैं यह कह सकता हूं कि हर बात में हिन्दुस्तान में हमारा यहां का अधिकारी मुकाबले के अधिकारी के रूप में है। दुर्भाग्य ये है कि हम उसका सही जगह पर, सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण जो रिजल्ट आना चाहिए, वह रिजल्ट नहीं आ पा रहा है।

मैं सोचता हूं कि जो पिछली बार हमने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की। एक बार हमारी भर्ती निकली, उसमें पेपर में कुछ गड़बड़ हो गई। फिर हमको दोनों साल की भर्ती को एक साथ मिलाकर भर्ती करनी पड़ी और 18912 पुलिस की भर्ती की हमने, 18912 आपको मैं बता रहा हूं हमने विज्ञप्ति जारी की थी 25.05.2018 को और हमने अपाइंटमेंट दे दिया था 30.09.2018 को। पांचवें महीने में विज्ञप्ति निकाली, प्रोसेस पूरा किया। उनका फिजिकल टैस्ट किया, उनका सारा काम करने के बाद में इनको लगा दिया। ऐसा नहीं है कि विभाग के लोग काम नहीं करते हैं, विभाग की मशीनरी काम नहीं करती है। यह कोई भर्ती मैंने थोड़े ही की। मैं आज बहुत अभिमान के साथ कहता हूं.

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): केवल पुलिस की भर्ती ऐसी है कि 18900 भर्ती होने के बाद भी एक सिंगल शिकायत किसी की भी यह दर्ज नहीं हुई कि इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता हुई। इतनी साइंटिफिक भर्ती करने का प्रयास किया है कि कोई सीना भी नापेगा तो वह कम्प्यूटर से नापेगा, हाइट भी नापेगा तो उसके आधार पर नापेगा। अगर वह दौड़ेगा तो चिप लगी होगी कि कितने समय में उसने कवर किया। हमने हर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बात की कोशिश की कि जो वास्तव में एलिजिबल है, उसका हक नहीं मारा जाए। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि पांच साल में मेरा एसपी छोड़कर के गुलाब चंद कटारिया, गृह मंत्री भी एक कांस्टेबल को भर्ती कराने की दावत नहीं कर सकता है, हिम्मत नहीं कर सकता। इतना परफेक्ट सिस्टम इस पुलिस ने जो कायम किया, यह किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। इसे धन्यवाद देना तो कहीं गया, इसको छीलने का काम करते हैं। इतनी ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद भी हमारे मन में किसी प्रकार की श्रद्धा और सम्मान नहीं है जबकि इससे पहले आप और मैं भी जानता था कि पुलिस की भर्ती में क्या होता था और क्या नहीं होता था? जहां का एसपी रहता था, जहां की वो पैदाइश था, वहां के सब लोग आकर उस जिले में भर्ती हो जाते थे और शाम को सब दुकानें लगती थीं कि नहीं लगती थीं, लेकिन किस प्रयत्नपूर्वक इस डिपार्टमेंट ने इस बुराई का अंत करके एक सिंगल शिकायत 18900 कांस्टेबल भर्ती होने पर भी सिंगल शिकायत दर्ज न होना, इसका मतलब इस पुलिस डिपार्टमेंट की जो छवि है, उसको आप आगे बढ़ाने का प्रयास करिए।

मैं सोचता हूं कि अभी आपने, हमने बहुत प्रयत्न किया। हमारे अधिकारी भी नहीं मानते थे, बहुत कोशिश की मैंने, बहुत बार, पिछले टर्म में लड़ता रहा कि आखिर इस कांस्टेबल का क्या पाप है कि 22 साल, 28 साल तक ये केवल कांस्टेबल की फीती लगाकर रहे? एसपी साहब का अगर प्रमोशन नहीं होता तो आपको और मेरे को फोन आता है कि मेरी क्या बात हुई? फाइल नहीं निकल रही है, फलां की फाइल नहीं निकल रही है। बड़े अधिकारी को पांच दिन अगर पदोन्नति लेट हो जाए तो तकलीफ होती है लेकिन वो 22 साल, 28 साल तक कांस्टेबल के पद पर बैठा है, उसका बच्चा जब फार्म भरता है तो लिखता है मेरा बाप कांस्टेबल है। उसको भी दो फीती मिल सकती है, उसको भी तीन फीती मिल सकती है। आखिर प्रमोशन उसको क्यों नहीं? हर बार उसी का टैस्ट होगा। ये तो जब भर्ती हो जाएंगे तब तक तो ये सब सर्वगुण सम्पन्न हो गये। इनको कोई टैस्ट देने की जरूरत नहीं है, इनको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इनकी फाइल देखने की जरूरत नहीं और इधर-उधर से जोड़-तोड़ करके सब आकर, मैं आज भी यह कहना चाहता हूं कि जितने पुलिस के लोगों को राष्ट्रपति पदक मिला है, इनको ईमानदारी से लाइन में खड़ा करो और उस जनता में जहां ये रहकर आए हैं, उनसे पूछो इनके क्या

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हाल है लेकिन वे राष्ट्रपति पदक प्राप्त हैं, यहां लगा हुआ रहता है। ये है हमारा तरीका। हम हर आदमी को आब्लाइज करते हैं, अबकी बार तू चला जा, अबकी बार ये हो जायेगा। आपको फीती लगाने का ये अधिकार है और सारी मार उस कांस्टेबल पर निकालते हैं। मैंने बड़ा प्रयत्न करके, बड़ी मशक्कत से, मैं यह कह सकता हूं कि पिछली बार डीजी साहब ने मेहनत की और मेरे सैक्रेटरी ने मेहनत की इसलिए पहली बार 6000 कांस्टेबल, उनकी सर्विस बुक के आधार पर उनको मैंने कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल बनाया। आज मैं फिर मंत्री महोदय, आपसे आग्रह करता हूं चाहे इसके बाद फिर एएसआई की हो, चाहे एसआई की हो और चाहे सीआई की हो, ये कम से कम 50 परसेंट, जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिनकी सर्विस बुक अच्छी हैं, जिनका रिकार्ड अच्छा है, उन लोगों को उसके आधार पर कोई छोटी-मोटी स्क्रीनिंग करना है तो आप कर लें लेकिन उनको भी प्रमोशन देने का प्रयास करो ताकि उस आदमी के मन में भी काम करने के प्रति थोड़ी जिज्ञासा पैदा हो।

अब ये सारे साल जो पूछते हैं हम टैस्ट लेंगे, आपका टैस्ट कौन ले? एसपी साहब अगर आपको चार किलोमीटर दौडाएं तो आधे घनचक्कर खाकर गिर जाएंगे। मेरा दावा है, मैं आपको सही कह रहा हूं। कारण क्या है कि फिजिकल कोई चिंता ही नहीं करता है और सारा उस कांस्टेबल पर निकालते हैं। चार किलोमीटर दौड़ो, दस किलोमीटर दौड़ो और दौड़ते हुए गिर जाता है, हार्ट अटैक होकर मर जाता है। कौन उसकी चिंता करेगा? ऐसे केसेज भी हुए हैं कि जिनको फिजिकल टैस्ट करते समय हार्ट अटैक हुआ और मर गया। उसके बच्चे जानते होंगे कि उनको क्या पीड़ा होती है। अगर नियम करो तो सब जगह एक-सा करो, कोई हर्ज नहीं है। अगर वास्तव में टैस्ट से होता है तो इन सबका भी टैस्ट से कराइए प्रमोशन ताकि पता लगे। केवल और केवल उन्हीं पर मार करने का प्रयास करते हैं, यह ठीक नहीं है।

मैं सोचता हूं जो आप लोग पिछली बार 11000 की भर्ती करके हमें दे गये थे। हमारे यहां ऐसा नियम है कि जब तक भर्ती के बाद उसकी एक साल की ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक वह नौकरी पर नहीं लग सकेगा। उसकी तनख्वाह तो चालू हो जाती है, लेकिन वह नौकरी नहीं लग सकता है। इसीलिए 11000 लोगों का आप सलेक्शन करके गये थे, उनको बिना ट्रेनिंग के मैं काम कहां लूं। वह तो कांस्टेबल बनता ही नहीं है। मैं सोचता हूं मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने तरीका निकाला। इस तरीके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में उन्होंने बीएसएफ, जोधपुर में 836 बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजा, बीएसएफ, इन्दौर को 505 लड़कों को भेजा, बीएसएफ, टेकनपुर को 499 बच्चों की ट्रेनिंग कराई, सीआरपीएफ, नीमच में 499 बच्चों की ट्रेनिंग कराई और सीआईएसएफ, बहरोड़ में 955 लड़कों को कराई, पंचकुला में 527 की कराई, भोपाल में 527, गोरखपुर में 635, ऐसे मिलाकर 4900 जो बच्चे थे, जो सलेक्ट हो गए लेकिन नौकरी तब तक नहीं लग सकती जब तक उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो तो हमने यहां सब जगह भेजकर इनकी ट्रेनिंग कराकर के इनको नौकरी पर लगाने का प्रयास किया। अभी भी आपने, जैसा मैंने कहा 18000 लोगों का सलेक्शन तो हमने कर लिया। लेकिन जब तक इनके सलेक्शन की ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक ये उस पोस्ट पर काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए इनकी ट्रेनिंग के लिए जहां से भी व्यवस्था हो सकती है, वह करिए।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने कुछ मुक़दमे बेईमानीपूर्वक लिए। मैं आपको रिक्वैस्ट करता हूं कि मेरी फाइल में कहीं भी यह लग जाए कि मैंने कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट से किसी आदमी का केस उठाया हो तो आपका जो केस मेरे खिलाफ बन सकता है उसको चालू रखो ताकि एक माडल बन सके कि गृह मंत्री लेवल का आदमी भी अगर गलती करता है तो कानून उसको भी दंड दे सकता है। मैं सोचता हूं कि पालिटिकली जो आंदोलन, धरने-प्रदर्शन होते हैं, उसमें बनने वाले केस को पहले आपने भी निकाला। मैं आपकी फेहरिस्त लेकर नहीं आया हूं। आपने कितने उठाये, वह भी लेकर आ सकता था लेकिन मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता। मैंने गलत उठा लिया, किसी को गलत एडवांटेज दिया है तो आप बताएं। बताएं ही नहीं, आप मेरे खिलाफ केस दर्ज कराओ ताकि कार्यवाही होकर रिकार्ड बने कि वास्तव में किसी आदमी ने बेईमानीपूर्वक काम किया या किसी कानून के अंदर रहते हुए किया। मैं क्या करूं विथड्रा, जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देता, कोई विथड्रा नहीं कर सकता। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक कोर्ट की मुहर नहीं लगती है तब तक केस विथड्रा ही नहीं हो सकता। जज की स्वीकृति के बाद केस विथड्रा होता है।

इसमें एक बहुत ही दुखद प्रश्न है, वह है सड़क दुर्घटना। हम लोगों ने भी प्रयास किया, आप लोग भी प्रयास कर रहे हो लेकिन अभी हमको कोई सफलता नहीं मिली है। रोज सुबह अख़बार देखते हो यही कि आज 5 मर गए,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

10 मर गए, 15 मर गए, इस समस्या का निदान करने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार करना ही पड़ेगा। इन एक्सीडेंट में एकमात्र कारण शराब है, हमने सबको ब्रेथ एनलाइजर दे रखा है, हरेक पुलिस वाले को, जहां खड़ा रहे उसको पता कर सकता है, लेकिन कौन पता करे, सब वसूली करने में लगे रहते हैं। सड़क पर खड़े ही वो होते हैं जिनको काम कम वसूली ज्यादा। दुर्भाग्य देखो, कि क्या व्यवस्था है, घूम फिरकर वही आते हैं उस जगह। इतने काबिल लोग हैं कि उनकी जगह वह ही तय रहती है। यह कब हो सकता है, जब तक ऊपर वालों का आश्रय व आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो, तब तक इस प्रकार की चौथ वसूली का काम कोई नाके पर नहीं कर सकता। एक दिन कोई गलती से कर जाए समझ में आ सकता है पर रोज वही लगता है, इसका मतलब समझ में आता है कि क्या होता है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने भी प्रयत्न किया पर मुझे सफलता नहीं मिली। हम जितने भी चालान बनाते हैं, तो यह कोई सामान्य नहीं है हमने 2017 में 28 लाख 38 हजार 717 चालान बनाए थे, उससे राज के खजाने में 46 करोड़ रुपये, दूसरे साल 2018 में 29 लाख 81 हजार किया और फिर 49 करोड़ रुपये हमने जमा कराए। अभी 2019 में भी दिसम्बर तक 31 लाख 07 हजार चालान बने हैं और 48 करोड़ रुपये तक जमा कराए। आप इसमें से कुछ शेयर ट्रैफिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, चौराहे पर इनको ऐसे कैमरे दे दो, ताकि जिसने भी कानून की अवहेलना की है ऑटोमेटिक उनके पास चिट्ठी पहुंच जाए इतना तो कर सकते हैं। हमको शहरों में उपलब्ध है, इस पैसे में से भी कुछ पैसा डिपार्टमेंट को निश्चित रूप से पुलिस को मिलना चाहिए, ताकि हम यातायात व्यवस्था को अच्छी प्रकार से कर सकें।

आपकी स्थिति क्या है, मैं कहता हूं तो आपको बड़ी नाराजगी होती है। पुलिस आधुनीकरण योजना में, जो पैसा हमारे टाइम मिला था, वह 56 करोड़ 38 लाख रुपये मिला था। उसके बाद पूरक प्रस्ताव में हमको 11 करोड़ मिला था। अबकी बार आपका घटा है। राज्यांश 20 करोड़ हो गया, हमारे टाइम 22 करोड़ था। अभी योग था उसमें भी कुल 52 करोड़ रुपया हुआ था। अबकी बार भी घट कर 11 करोड़ की जगह 10 करोड़ हुआ। आधुनीकरण में केवल पैसा बुक करो और खर्च करो। अगर आप भी इसका सर्टिफिकेट भेज दो यूसी का, तो आपको अगला पैसा मिल जाता है, जो आपके शेयर का है लेकिन हम समय पर इसका उपयोग नहीं करते, इसके कारण हमें अगले पैसे में कटौती हो जाती है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अब मैं आपको बताता हूं, आप सब लोग नाराज होते हैं, लेकिन आपका कोई सिस्टम नहीं है, कोई मोनिटरिंग नहीं करता है कि हमने जो घोषणा की, उसका गया कहां। कम से कम डिपार्टमेंट से भी साल में चार बार पूछना चाहिए कि जो पैसा आधुनीकरण में आपको, आपने 2019-20 में राजस्थान की पुलिस को पांच करोड़ रुपये दिए, आपने उसमें से कितना खर्च किया? आपको और मुझे शर्म आती है कुल 6 लाख 23 हजार खर्च किया, 6 लाख 23 हजार, उससे पूछो तो सही जिसके जिम्मे यह था कि आपने यह क्या किया? समय पर फाइल चलकर इसका उपयोग होता तो इस पैसे का उपयोग हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ।

मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा भी ठीक करने का प्रयत्न करें, तो मैं सोचता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट का रीओर्गेनाइजेशन करना चाहिए। कितने मुक़दमे हैं, कितना स्टाफ चाहिए, किस प्रकार की वहां के अपराध की स्थिति है, उसके आधार पर उसको स्टाफ देना चाहिए। हमने एक सैट पैटर्न बना दिया गांव में 45 होगा, शहर में होगा। अब जहां 102 मुक़दमे हैं वहां भी 45 हैं और जहां 1000 से ऊपर है वहां भी 45 हैं, यह तरीका नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैन पावर का सही उपयोग हो। इसलिए ऊपर से नीचे तक, डीजी से लेकर नीचे तक, एक बार इस सारी हायरार्की को कैसे सैटअप करें, जो अपने पास उपलब्ध है उसका बैस्ट उपयोग करते हुए, इस मशीनरी का उपयोग हम कैसे करें, जिससे हम लॉ एंड आर्डर को संभाल सकें।

मेरा निवेदन है, मेरी बात भी आगे नहीं बढ़ी पर मैं आज भी प्रयत्न नहीं छोड़ रहा हूं। संभागीय केन्द्र हैं, सात संभागीय केन्द्र हैं, इस पर आप एसपी की जगह डीआईजी, आखिर 10-12 साल का अनुभव होगा, मैं आपको कह रहा हूं यह डिपार्टमेंट दो मिनट में सुधर सकता है, अगर हम सबका मानस हो तो। एस पी और कलेक्टर दो अगर सही आदमी लग जाएं तो उस ज़िले के सुधार का 50 परसेंट अपने आप रास्ता बन जाता है। जब भी अच्छा कलेक्टर आता है, अच्छा एसपी आता है, सारा का सारा जिला सही प्रकार से संभल जाता है। जहां थाने बिकते हैं, थानों से वसूली होती है, जब थाने से वसूली होगी तो चाहे आप करो, मैं करूं, चाहे कोई भी करे तो फिर थाने से सुधार की उम्मीद करना बेकार है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मेरे माननीय सदस्यों ने कहा, मैं इस बात को मानता हूं अगर ईमानदारी से हम भगवान और देश की सौगंध खाकर कहें, अगर यह 200 लोग ईमानदारी से इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए छूट दे दे दो साल, दो साल इसका रिजल्ट देखो, अगर रिजल्ट ठीक नहीं आता है तो फिर आपको इसको कंट्रोल करो, कोई बात नहीं लेकिन हमें भरोसा करना पड़ेगा, हमने जिनको काम दिया है, उनको काम लेना है। अब एसपी के यहां कांस्टेबल भी मैं ही लगाऊंगा, एसपी बापड़ा बैठे-बैठे देखेगा तो वह क्या प्रशासन चलाएगा, कैसे चलाएगा? बिना एसपी को कान्फिडेंस में लिए उसके यहां मैन पावर किस तरह से लगे, अगर इतना भी अधिकार, अगर वह गलत करता है तो उसको ही हटा दो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन सिस्टम को सुधारने के लिए करना पड़ेगा।

मैं सोचता हूं कि वर्ष में दो बार, जितने भी ज़िले में इंचार्ज मंत्री आपने बनाया वह और एक डीजी को आप लगाइये। वह साल में कम से कम दो बार ज़िले के जन प्रतिनिधियों के साथ वह स्वयं बैठे और एक-एक थाने का विश्लेषण करे कि कहां कमजोर पड़ रहे हैं, कहां अपराध काबू में आ रहा है, कौनसा नहीं आ रहा है, मैं सोचता हूं कि केवल जाने मात्र से सुधार होगा।

पिछली बार मुझे अपराध घटाने में सफलता मिली तो इस कारण से मिली कि वहां से मैंने जन प्रतिनिधियों को भी अपने साथ, पहले मेरे पुलिस के सब अधिकारी कहते थे कि आपस में लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे की छींटाकशी करेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, कोई दो शब्द कठोर कह देगा तो सुन लेंगे, लेकिन सुधार का रास्ता अगर कोई दिखाता है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। कम से कम वर्ष में दो बार, 6 महीने में एक बार, ज़िले का मंत्री इंचार्ज है वह और एडीजी दो मिलकर अगर हर थाने की मॉनिटरिंग करने का प्रयास करें तो कुछ न कुछ सुधार होगा।

मैंने एक सिस्टम चालू किया, अब आप उसको कहां तक ले गए पता नहीं। मैंने हर थाने को, हर डीवाईएसपी को, हर एस पी को महीने में एक बार उसकी वर्किंग की रैकिंग देना प्रारम्भ किया। अगर राजस्थान में 44 एसपी हैं तो कौनसा नम्बर एक पर है और कौनसा नम्बर 43 व 44 पर है ताकि जब हर महीने वह लिस्ट देखता है तो उस एसपी के माथे पर भी करंट आता है कि मैं 6 नम्बर पर हूं, मैं 40 नम्बर, मैं 43 नम्बर पर हूं। थाने के इंचार्ज को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी लगेगा, राजस्थान के 900 थाने हैं, आज की तारीख में कितने पर स्टैण्ड कर रहा हूं। हर महीने की रैंकिंग के कारण हमारी इस पद्धति को देश के प्रधान मंत्री ने गुजरात की बैठक में एप्रिशिएट किया। उन्होंने बाकी राज्यों को भी अपनी ओर से सुझाव भेजा कि रैकिंग सिस्टम बनाया जाए तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा।

कौनसा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें अच्छे लोग नहीं हैं? मैं आज भी कह सकता हूं, आज डीजी है, मेरे साथ भी काम किया है, इससे ज्यादा दयालु आदमी कौन हो सकता है। हर बात को समझने का प्रयास करता है, हर आदमी को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। आपके पास इतना बढ़िया स्टाफ बैठा है, कोई कमी नहीं है। केवल और केवल इनको खुश करने की जरूरत है अच्छे लोगों को। जो थोड़े बहुत गंदे लोग आ गए, उनको साइड में निकालने का प्रयास करो तो आपका दो साल में सिस्टम सुधर जाएगा।

मैंने प्रयत्न किया था, पुलिस में एसपी लेवल तक लोगों को मैंने अनिवार्य सेवा देकर मुक्त किया था। मुझे यहां से दिल्ली फाइल भेजनी पड़ी, उसके बाद भी जो डिपार्टमेंट के लिए गंदगी है, डिपार्टमेंट में चाहे जिस प्रकार से वर्चस्व देता है, चाहे जिस प्रकार से मीडिया में जाकर बातें करता है उसको अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो डिपार्टमेंट कैसे चलेगा। दिल्ली का, वहां के प्रधान मंत्री का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एस पी रैंक तक के लोगों को घर दिखाया।

(21.00 बजे)

यदि यह सिस्टम हर साल अपने को ऐसे दागी, जिनकी नौकरी इतनी दागीली है, जिनके इतने रिमार्क लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को घर भेजने का प्रयास करें। मेरी एक प्रार्थना है कि हर जिले में कम से कम साल में एक बार अच्छे काम करने वाले कांस्टेबल से लेकर के ठेठ एस.पी. तक या डीवाई.एस.पी. तक लोगों को सम्मान दिया जाए। वह भी पब्लिक प्लेस पर दिया जाए। कार्यक्रम को, कोशिश करें पब्लिक आर्गनाइज करे, हम तो उसमें केवल पार्टिसिपेट करें। हम जिस हाइरार्की से उसका निकालना चाहते हैं, अच्छे लोगों का, उसका अगर देने का प्रयास करें तो कुछ लोग अच्छा काम करने के लिये और प्रेरित होंगे। मैं सोचता हूं कि अच्छे कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को अच्छी सेवा के लिये, उनको कोई न कोई गैलेन्ट्री प्रमोशन हम देते हैं, लेकिन गैलेन्ट्री प्रमोशन में जो क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, उस पर और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
चिंता करने की जरूरत है कि वास्तव में हम गैलेन्ट्री प्रमोशन दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं।

मैं सोचता हूं कि हमारी एसओ.जी. ने और ए.टी.एस. ने बहुत अच्छा काम किया है। हिन्दुस्तान में रिकार्ड बनाया है कि इतने बड़े अधिकारियों पर भी हाथ डाल सकता है और अपनी कार्यवाही को करने के लिये जिस हिम्मत से करता है, कौन नाराज होगा, कौन खुश होगा, इसकी बिना चिंता किये एक से एक अवैध शराब के तस्करों को पकड़ा है, मादक द्रव्यों को पकड़ा है। हथियार, ठेठ जम्मू कश्मीर में केस बना और इतने लोगों को, हजारों की तादाद में लाइसैंस दे करके वहां से आये, उस सारे केस को भी पकड़ करके हमने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।

वास्तव में ये को-आपरेटिव सोसायटियां जितनी भी हैं, चाहे वह आदर्श हो, चाहे संजीवनी हो, चाहे आपकी नवजीवन हो, जिन्होंने लाखों गरीबों को लूट करके उनका पैसा, उनका भी मन का दोष था कि अधिक ब्याज के चक्कर में जा करके फंसे और रिटायरमेंट का सारा पैसा वहां डाल करके बर्बाद हुए। वे तो जेल में पड़े हैं, वे तो जेल में रह जाएंगे, लेकिन उस गरीब को क्या मिलेगा। मैं चाहता हूं कि उनको हर महीने जो प्रोपर्टी सीज होती है, उसको बेचते जाओ, और जिस प्रकार से लोगों की उधारी हो, उस परसेंटेज के हिसाब से उसको हर महीने, जितना उसके हिस्से में आता है, बीस रुपया आता है तो बीस दो, पांच सौ आता है तो पांच सौ दो, ताकि उसको यह तो लगे कि आखिर मेरा कुछ न कुछ तो होगा, मेरी कोई न कोई रखवाली तो इसमें करेगा।

अभी आपने परिवहन विभाग का मामला देखा। मैं सोचता हूं यह ए.सी.बी. की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। चार महीने तक कोशिश की, एक-दो दिन नहीं, चार महीने तक लगातार 30-35 टेलीफोन ट्रैक में डाल करके उनको सुनने के बाद आइडेंटिफाई किया कि इसमें कौन-कौन, कहां-कहां डीलिंग करता है। अगर इसको और आगे बढ़ाया जाए न तो मैं सोचता हूं यह डिपार्टमेंट का भी भला करेगा। इस ए.सी.बी. को विधान सभा की तरफ से धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम इस बात की उस आदमी ने हिम्मत तो की जिसके कारण से उन दागियों तक पहुंचने की कोशिश की।

मैं तो चाहता हूं कि आप और मैं, सब मिल करके भी, जिस डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, जनता जिसको चिल्लाती रहती है, जिसमें आपका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

माइन्स डिपार्टमेंट नम्बर-एक पर चलता है। माइन्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कुछ अभी भी जेल में हैं, कुछ पहले जा करके आ गये। ऐसे लोगों को ट्रैकिंग में डालना चाहिए, ताकि उनके कन्वर्सेशन सुनें, समझें कि क्या-क्या होता है और कैसे होता है, तब जा करके वास्तव में किसी प्रकार से ठीक प्रकार से हम कर पाएंगे।

इस बजरी ने तो आपको, हमको, सबको जनता की निगाह से इतना गिरा दिया है। ईमानदारी से बजरी का जब कभी भी ट्रक पकड़ा जाता है, कोई केस बनता है न, तो निगाह केवल पुलिस वालों पर ही नहीं जाती, हमारी तरफ भी उसकी सूई घूमती है कि कोई न कोई प्रोटेक्ट करता है, जिसके कारण से इतना प्रयत्न करने के बाद, पुलिस के आदमी को मार जाए, उस पर गोली चला दे, सड़क पर चलने वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, पुलिस का कांस्टेबल रोके, उस पर गाड़ी चढ़ा दे, ऐसा तमाशा हो रहा है कि जैसे कोई सारा का सारा इन्होंने ही कब्जा कर लिया और हम सब लोग निहत्थे व अपने आपको इतना कमजोर महसूस करते हैं कि उन पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। इस बजरी ने इस राजस्थान को सब जगह इतना दागदार बनाया कि मैं सोचता हूं कि इसके बारे में सीरियसली अपने को कुछ न कुछ सोचना चाहिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, उस टाइम आप राज में थे तो आपको उस टाइम एक्शन लेना चाहिए था न।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) विराजिये, प्लीज, सहयोग करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जितना मेरे से हो सकता था, वह मैंने किया। अगर गलती हुई है तो मैं आज भी दावत देता हूं ये सब अधिकारी बैठे हैं, मेरी फाइलें निकाल दें। निकालने के बाद, कहीं खराब मन से कोई काम किया है तो निश्चित रूप से मैं दण्ड का भागी बनने के लिये तैयार हूं। पर सिस्टम सुधरे, पुलिस सुधरे और पुलिस अच्छी प्रकार से काम कर सके, यह मेरे मन की इच्छा है, जिसके बारे में मैं आपको निवेदन कर रहा हूं।

यह जो फोरेंसिंक लैबोरेट्री है न, बहुत प्रयत्न के बाद राजस्थान में इतनी प्रभावी बनी। वास्तव में भविष्य में पुलिस को अपराधी को ढूंढने में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अगर वैज्ञानिक तरीके के आधार पर सज़ा दिलाने का है, तो यही सिस्टम है। इस सिस्टम के कारण से आपने देखा कि हैड क्वार्टर पर फोरेंसिक लैब्स बनी हैं। छहों ही सम्भाग केन्द्रों पर आज की तारीख में बन गई हैं। हमने कई प्रकार की जांचों के लिये उनको सारे इंस्ट्रूमेंट और जो भी देना है, वह हमने दिया है। हमने 34, हर जिले में एक मोबाइल यूनिट दी है। लेकिन अब देखना यह है कि उस मोबाइल यूनिट के पास काम कितना है। जो मोबाइल यूनिट बांसवाड़ा में चल रही है, वह महीने के दो केस भी करती है कि नहीं करती है, तीन केस भी करती है कि नहीं करती है। उस जिले में जितने केस बने, उसमें वह कहां-कहां पहुंची है, कहां-कहां नहीं पहुंची। इसकी मोनिटरिंग करके इस काम को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हमने इस यूनिट को पावरफुल बनाने का प्रयास किया लेकिन इसकी दुर्गति है। दुर्गति क्यों है कि जब तक उसमें जांच करने वाला साइंटिस्ट नहीं होगा, फिर आप और मैं उसमें प्रयत्न करेंगे भी सही तो उतनी सफलता नहीं मिल सकती। इतनी कोई कमजोर स्थिति नहीं है। अब आपने देखा होगा, पहले तकनीकी अधिकारी के पद 126, आज की तारीख में केवल 60 काम कर रहे हैं, 66 खाली हैं। अब इतना अच्छा सिस्टम है, इस सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। आपके केस में सज़ा दिलाने में कोई पक्षद्रोही भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर एफ.एस.एल. की आपके पास सही एविडेंस है तो उसको सज़ा मिलेगी। कई केसेज में वह सज़ा हुई है। सब पक्षद्रोह होने के बाद भी केवल बाल उनके पकड़ में आ गया, उस बाल के वेरिफिकेशन से भी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ। ऐसा नहीं है, इतना अच्छा तरीका है। अब आपके तकनीकी कर्मचारी 296 हैं, उसमें 148 काम कर रहे हैं, 148 खाली हैं। सारे मिला करके एस.एफ.एल. में 448 कुल पद हैं। उसमें से 214 खाली हैं। इसको भरने का प्रयास करें, ताकि यह यूनिट अच्छी प्रकार से काम करके, एक प्रकार से लोगों को न्याय दिखे।

अब यह जो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, इसमें जो बजट है, वह मैं आपको बता रहा हूं। मैं आलोचना करने के लिये, मैं आपको यह बताने के लिये कि आपके विभाग के अधिकारी की भी कोई जिम्मेदारी है कि जो बजट उसे प्राप्त हो गया, उसका व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर चीज, मेरे पास भी अगर कोई फाइल नहीं आये तो मैं गृह मंत्री रहते हुए भी सब चीजें देख लूं, सम्भव नहीं है लेकिन यह उसकी ड्यूटी है कि वह समय पर हमको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इस बात के लिये बताये। अब आपने देखा होगा, यह 2019-20 का बजट बता रहा हूं। वृहत निर्माण, अजमेर, बीकानेर तथा भरतपुर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माण, मरम्मत कार्य, प्रयोगशाला जयपुर और क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर के लिये हमको पैसा मिला, वह 7 करोड़ 25 लाख रुपया है। खर्च हुआ है, 3 करोड़ 51 लाख रुपया। यह दिसम्बर तक के आंकड़े हैं, मतलब उसमें से 3 करोड़ 73 लाख रुपया आज की तारीख तक पड़ा हुआ है। इसी तरह से मशीनी उपकरण, अब मशीनरी उपकरण में तो कोई इतनी समस्या नहीं आती है। केवल टेंडर का प्रोसेस जरूर करना पड़ता है। उसमें आपको 5 करोड़ 69 लाख रुपये मिले। आपने खर्च कितने किये, 5 लाख 99 हजार, पैसा आपके पास है। सरकार ने किस तरीके से पैसा निकाल करके आपके इस विभाग को बजट दिया और इस फोरेंसिक लैब को दिया, लेकिन आप उपकरण नहीं खरीद पाये। केवल 5 लाख 99 हजार भी जो खर्च किया होगा, वह शायद प्रोसेस में ही खर्च हो गया होगा, कुछ साधन नहीं आया होगा।

निर्भया फण्ड में आपको मिला था 6 करोड़ 28 लाख मिला, उस 6 करोड़ 28 लाख में से एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ। आप इस डिपार्टमेंट की दिशा देखो। 19 करोड़ 22 लाख तो कुल आबंटित हुआ और खर्चा केवल 3 करोड़ 57 लाख रुपया हुआ है। अब यह कौन देखेगा। बड़ी मुश्किल से पैसे का अरेंजमेंट होता है। उसके बाद भी समय पर उसका उपयोग नहीं करने के कारण से वह सारा का सारा ही रह जाता है। मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूं। आलोचना नहीं कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, जब 2013-14 में मुझे आप सुपुर्द करके गये थे, यह सारे उस समय मेरे पास पैंडिंग केस 13772 थे। आप मुझे 13772 पैंडिंग केस छोड़कर गये थे। मैंने हर महीने मोनिटरिंग करने के बाद, जो मैंने लास्ट आपको बैलेंस छोड़ा था, वह 9947 केस छोड़ा था। आज की तारीख में आपके पास 14141 केस की पैंडेंसी हो गई। 14141 केस, 9947, मतलब 10 हजार मान लो, 4000 केसेज बढ़ गये, जिनको मैंने 13 हजार से घटा करके 9 हजार तक लाने का प्रयत्न किया, वह वापस उसी पुराने पायदान पर पहुंच गया, जहां हमने छोड़ा था।

यह जो आपका गृह रक्षा दल है, मैं सोचता हूं कि इसके बारे में आपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक आदेश निकाला है, वह भी मैं आपको पढ़ूंगा। एक तरफ आप ढाई हजार की वैकेंसी निकालते हो और दूसरी तरफ एक आदेश निकालते हो। क्यों लोगों को, क्यों बच्चों को, उनका पैसा लगा करके उनको क्यों फांसना चाहते हो। अगर आपके जगह नहीं है तो कम से कम उस बच्चे को एप्लाई करने के लिये हजार रुपये का तो चूना न लगने दो, जिस आशा से लगाता है। यह तो गृह रक्षा दल में मैं कह सकता हूं कि प्रयत्न किया, 2004 में इस होमगार्ड वाले को 75 रुपये पर-डे मिलता था। हमने प्रयास करके 2018 तक लेकर आये तब 350 रुपये पर-डे किया और उसके बाद आज की तारीख में हमारे होमगार्ड को मिलता है, जो वर्दी नहीं पहनता है उसको प्रति दिन 590 रुपये मिलते हैं और वर्दी पहनता है उसको 693 रुपये मिलते हैं। आखिर इसके लिये पीछे पड़ना होगा। हमको कोर्ट का भी सहारा मिला और फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी बार-बार आग्रह करके, मीटिंग करके उसको बढ़ाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं एक आदेश निकाला इन्होंने, यह 28.02.2020 को निकाला। पुलिस विभाग में रिक्तियों के विरुद्ध रात्रि गश्त एवं पंचायत व्यवस्था हेतु। उपरोक्त विषय में पत्र है, नियमानुसार निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत 3,250 गृह रक्षा स्वयंसेवकों में से प्रशिक्षित पुलिस कांस्टेबल उपलब्ध होने से, अभी उपलब्ध कहां हो गये, कहां से आ गये? 2250 स्वयंसेवकों की कमी कर दी गयी है। 2,250, यह आपका 28 तारीख का है। 28 को तो आप निकालते हो कि आपने इतने पद होमगार्ड के कम कर दिये और उधर आप निकालते हो 2500 की भर्ती करेंगे। यह क्या है, क्या मजाक हो रहा है? क्यों उस बच्चे के साथ छलावा कर रहे हो इस तरह का, जिसके कारण से उस बच्चे को लगता है, मैं बता रहा हूं कि कोई पैसे का उपयोग नहीं, मेरे पास एक-एक विषय का है। मैं कुछ विषय आपको बता रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभियोजन के बारे में भी ऐसा ही है। सज़ा का प्रतिशत घट रहा है। बड़ी मुश्किल से सज़ा के प्रतिशत को बढ़ाकर जो आई.पी.सी. अपराध है, उसमें तो हमारा सज़ा का प्रतिशत है, पर बाकी वाले में 90-91 प्रतिशत था, आज 89 प्रतिशत आ गया और यह जो भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हैं, इनमें सज़ा का प्रतिशत 68 है, 65 है, 62 है, 60 है और अब आ गया 57 प्रतिशत। आपका प्रतिशत घट रहा है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आप जो बार-बार कह रहे हो आपदा राहत मंत्रीजी, विराजे हुए हो। मैंने आपको उस दिन भी कहा कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है। हम लोग आपको पर्याप्त बजट सुपुर्द करके गये हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई दिवाला निकालकर गये हैं। आपके पास हमने बैलेंस छोड़ा था 670 करोड़ रुपया और उसके बाद केन्द्र से राज्य का अंश मिलकर आपके पास 1164 करोड़ रुपया हो गया और टोटल आज की तारीख में आपके पास अवेलेबल फण्ड है 2,702 करोड़ रुपया। आपके पास आपदा राहत में आज की तारीख में सरकार के खजाने में है। किसान बार-बार मांग रहा है और फिर उसके लिये इधर-उधर ताकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?

यही नहीं, आपने देखा होगा न, आप सब लोगों ने हमारे खिलाफ खूब भाषण ठोके कि हम तो गौ-रक्षक नहीं हैं, हम तो गाय के नाम से चुनाव जीतकर आये हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया कि हम लोगों ने जितना इस आपदा राहत से पैदा दे सकते थे, पशु शिविर और गौशाला के लिये हमने 2016-17 में 128 करोड़ रुपया दिया, उसके बाद 2017-18 में 131 करोड़ दिया, उसके बाद 2018-19 में 243 करोड़ दिया और अभी तक आपने दिया है 30 करोड़।

श्री सभापति: माननीय समाप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड, मैं समाप्त कर रहा हूं। कृषि आदान अनुदान में भी इसी प्रकार से आपने केवल 73 करोड़ दिया। हमने 175, 114, 150 करोड़ दिया जबकि आपने इसको घटाया है। मैं जिस बारे में आपसे कहना चाहता हूं विशेषकर, यह प्रहरियों का मुझे भी लगातार, मैं दो बार होम मिनिस्टर रहा लेकिन मेरे मन में इस बात का दु:ख था कि आखिर प्रहरी और कांस्टेबल चौथे वित्त आयोग के पहले बराबर उनकी सैलेरी थी, लेकिन पांचवां वित्त आयोग आया। उसने पुलिस कांस्टेबल और प्रहरी के बीच में बहुत बड़ा अंतर कर दिया। लगातार इसको लेकर लड़ते रहे। कितनी कमेटियां बनीं, कोर्ट से फैसले आये, हमारी कमेटियों ने रिकमंड किया, लेकिन फाइनेंस ने इसको एग्री नहीं किया। बार-बार टर्न डाउन, लेकिन पिछली बार हम लोगों के प्रयत्न से, और हमारे सैक्रेटरी और डी.जी. की मेहनत के कारण से, और विशेषकर अभी भी जो डी.जी. हैं, उन्होंने जिस मन से, वास्तव में मैं बहुत दुखी मन से कहता था कि आखिर इस प्रहरी का दोष क्या है, जिसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कारण से आज जेल में कोई नौकरी चाहता ही नहीं है। कब छूटे और कब यहां से भागे, क्योंकि जेल में 17 तरह के चैलेंजेज हैं। कब कौन मोबाइल लेकर घुस जाए, कब कौनसी बात हो जाए तो सीधे उस पर गाज गिरती है और उसके कारण से, लेकिन आपने देखा जेल प्रहरी को भी हमने वापस कांस्टेबल के बराबर लाने के लिये स्वीकृत करा दिया और पहले उसको एल-वन की तरह 1900 का वेतनमान मिलेगा और फिर उसके बाद 2400 का वेतनमान मिलेगा ताकि उसका अच्छा जीवन गुजर सके।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय। दो मंत्रियों को जवाब देना है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा आपसे विशेषकर निवेदन है कि जेल की जो हमारी कैपेसिटी है..(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय नेता, प्रतिपक्ष प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): दो मिनट में पूरी बात खतम कर रहा हूं। जेल की जो आपकी कैपेसिटी है, कई जगह इतनी ओवर लोडेड है कि आदमी करवट नहीं बदल सकता। इस पीड़ा को मैंने स्वयं ने भी देखा है। डूंगरपुर की जेल में भी देखा, राजसमंद की जेल में भी देखा। कम से कम आपके पास जगह उपलब्ध है। आप उस जगह को अच्छा बनाकर कम से कम, क्योंकि वह जेल तो आ गये, जो उनके भाग्य में लिखा था, वह आ गये पर वह रात को आराम से सो तो सकें। उसकी आवश्यक जीवन की जो क्रिया है, वह उनको तो कर सके इसलिए जेल का परिसर बने। पैसा आपके पास है, लेकिन आप उस पैसे का उपयोग नहीं कर रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, हमने 40 बैरक बनाकर संख्या बढ़ाने का प्रयास किया। 36 हमने आपको बनाकर दे दिया है, बाकी 4 अभी निर्माणाधीन हैं। अभी आपके पास डूंगरपुर की और एक और, दो जगह की जेल बन रही है। जेल में आपने और हमने 20 करोड़ का जैमर दिया। चाहे वह गलती मेरी हो, चाहे मेरे डिपार्टमेंट की हो, जांच कराइए। एक भी काम नहीं कर रहा है और 20 करोड़ रुपया बेकार लग गया और आज मोबाइल जेल के अंदर चल रहा है। हमारा जैमर लगाने का जो उद्देश्य था, जिसके कारण से हमने 20 करोड़ रुपया दिया, लेकिन आज की तारीख में जेल में काम नहीं कर रहा है। इसके लिये जांच बिठाइये कि आखिर किस कारण से इतना बड़ा सरकार को चूना लग गया कि 20 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट कहीं भी काम नहीं कर रहा और जेल को संभालने की स्थिति नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

माननीय सभापति महोदय, जेल में आज भी आप जो राशन लेते हो, उसके लिये आप टेंडर करते हो। कम-से-कम आपकी कोई अन्नपूर्णा से कर लो। एक स्टैण्डर्ड का सामान तो उसको मिलेगा। हेर-फेर का सामान देकर क्या चाहते हो? वह जेल में आ तो गया, पर वह रोटी तो आराम से खाये, ठीक तरह से खाये। उसकी सुविधाओं को भी देखना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि हिन्दुस्तान में हमारी पहली जेल है, जहां ओपन जेल है। 49 ओपन जेल हिन्दुस्तान में अगर कहीं पर चल रही हैं तो वह केवल और केवल राजस्थान में चल रही हैं, जहां वह काम पर जाकर भी अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकता है। मैं सोचता हूं जेल में भी, जहां-जहां भी आप इसमें सुधार कर सकते हो, सुधार करने का प्रयत्न करिये। मैं सोचता हूं कि हमारे पास जिस प्रकार का आज भी अधिकारी वर्ग है, मैं आलोचना नहीं कर रहा। बुरे लोग भी होंगे लेकिन अच्छे लोगों की भी कमी नहीं हे। अच्छे लोगों को अच्छी जगह लगाकर दो साल का धैर्य रखिए बिना दखलंदाजी किये और उनको दीजिये कि हमें आपसे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट नहीं ला सकता तो उसे जरूर हटाइए। वह न आपका, न मेरा है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का भला इन दोनों डिपार्टमेंट के माध्यम से किस प्रकार से हो, उसके लिये मेरा आग्रह है और अगर आपको पत्थर ही फेंकना है तो आप प्रेम से फेंको, मैं झेलने के लिये तैयार हूं। मैं पूरे मन से तैयार हूं। अगर मेरे द्वारा कोई इंटेशनली गलती हो गयी तो जो सज़ा यह सदन देगा, वह मैं भुगतने के लिये तैयार हूं। इस बात के लिये मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि यह कागज बांटकर पत्थर फेंकने का काम बंद करो।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16, जो गृह विभाग से संबंधित है। इसमें गृह रक्षा विभाग एवं नागरिक सुरक्षा भी शामिल है। इस संबंध में आज दिन भर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव के साथ-साथ कार्य-प्रणाली एवं आवश्यक सुधारों पर ध्यान आकर्षित किया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा जो सुझाव विभाग के बारे में ध्यान में लाये गये हैं, वह मेरे लिये प्रेरणादायी एवं विभाग की प्रगति के लिये सार्थक होंगे। माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों के जवाब जल्दी ही उपलब्ध करा दिये जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, तमाम माननीय सदस्यों ने गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के ऊपर अपने सुझाव दिये। उनके बहुत ही अमूल्य सुझाव हैं।

(श्री भजनलाल जाटव)

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, अशोक लाहोटी जी ने कहा कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को पूरा वेतन दिया जाए। अजमेर से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने भी यही बात रखी थी। आदरणीय माननीय सदस्य खुशवीरसिंहजी ने 365 दिन नियमित रोजगार की बात कही। हमारे चित्तौड़गढ़ से आने वाले आदरणीय माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात रखी। तमाम सदस्यों ने जो अपनी मांग रखी, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अथक प्रयासों से और हमारी सरकार की मेहनत से और हम सब लोगों ने मिलकर, चाहे हमारे अधिकारी हों, चाहे विभाग का मैं मंत्री हूं, चाहे माननीय मुख्य मंत्रीजी के आदेश हों, हमने अथक प्रयासों से गृह रक्षा विभाग को आगे ले जाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, जब गत सरकार में इसका नियोजन था तो तमाम माननीय सदस्यों ने जो बात रखी थी, यह मात्र 35 प्रतिशत था। हम लोगों ने कड़ी मेहनत की। हमारे विभाग के अधिकारियों ने मेहनत की और तमाम एजेन्सियों को हमने चिट्ठी लिखी। उसी का नतीजा है कि आज हमारे विभाग के अंदर पूरे राजस्थान में, जो गृह रक्षा दल है, उसको बढ़ाकर 43 प्रतिशत आज हम एक साल के अंदर लेकर आये हैं। यह हमारे विभाग की उपलब्धि है।

माननीय सभापति महोदय, यह विभाग तीन गृह रक्षा दलों में बंटा हुआ है, एक ग्रामीण, एक शहरी और एक सीमा सुरक्षा गृह रक्षा दल है, जो बार्डर होमगार्ड होता है जो सीमा पर रहकर हमारे देश की रक्षा करता है। सर्दी, गर्मी, बरसात में रहकर वो हमारे देश को सेवाएं प्रदान करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम लोगों ने काफी प्रयास किया और तमाम जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जैसे सुपर थर्मल पावर एवं सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, छबड़ा, कालीसिंध थर्मल, झालावाड़ एवं केयर्न एनर्जी जो हमारी बाड़मेर की रिफाइनरी है और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब जो हमारा गृह रक्षा दल है, जो इंडियन रेलवे है, वहां पर भी हमारी सेवाएं देना प्रारम्भ कर दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे गृह रक्षा दल का आज तक स्वयं का कोई भवन ही नहीं है, किराये पर भवन है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा और उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूंगा कि उनके अथक प्रयासों से, हमारे अथक प्रयासों से माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा विद्याधर नगर में 1250 वर्ग मीटर भूमि निदेशालय के लिए निःशुल्क आबंटित कर दी गई है। राशि 10

(श्री भजनलाल जाटव)

करोड़ 97 लाख 48 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्त वर्ष 2019-20 में भवन की शुरुआत हो जायेगी। मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमें निःशुल्क जमीन आबंटित की है। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतना पुराना विभाग है और हमारे खुद के वहां हैडक्वार्टर की जमीन ही नहीं है तो ये हमारे विभाग और हमारे अधिकारियों की बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है।

अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे और उन्होंने तमाम जो कहा था कि गृह रक्षा दल के अन्दर आपने जिस लैटर का हवाला दिया कि 28.02.2020 को लैटर निकाला, माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो लैटर निकाला है यह जो हमारे होमगार्ड के जवान, स्वयंसेवक होते हैं ये कई बार जो तमाम एजेंसीज होती हैं, जो उनकी रिकमेंडेशन करते हैं उस रिकमेंडेशन के आधार पर हम उनको स्वयंसेवक प्रदान करते हैं। जैसे पुलिस है और जो तमाम एजेंसी हैं उनको हम देते हैं। जब वो हमसे लेना बंद कर देते हैं तो वो संख्या बल बढ़ जाती है इसीलिए उस लैटर का जो उन्होंने जिक्र किया वो लैटर है।

उन्होंने भर्ती का जिक्र किया, मैं कहना चाहूंगा कि भर्ती जो नामांकन है ये हम लोगों ने नहीं निकाली, जब यहां पर ये तत्कालीन गृह मंत्री थे और यह विभाग इनके पास था तो इन्होंने 2500 का नामांकन चलते-चलते निकालकर चले गये और वित्तीय प्रावधान नहीं किये और उनका नामांकन नहीं हुआ। हम लोगों के अथक प्रयासों से, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा और धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि इन 2500 नामांकन के लिए सरकार चाहे आज हमारी है, चाहे गत में सरकार आपकी थी पर फैसले को नहीं पलटा और फैसले को नहीं पलटने के कारण 2500 जो हमारे नामांकन होने हैं, जो हमारे होमगार्ड के जवान हैं, उनकी हम लोगों को वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान हो गई है और इनका हम लोगों ने लैटर, जो विज्ञप्ति है वो भी जारी कर दी गई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि गृह रक्षा दल इतना पुराना विभाग है और मैं आभार भी प्रकट करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय का कि जिन्होंने इस गरीब, शोषित, दलित, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. हैं इनके बारे में सोचा और ई.डब्ल्यू.एस. के बारे में भी सोचा, एम.बी.सी. के बारे में भी सोचा। इसी के तहत जो हमारे 2500

(श्री भजनलाल जाटव)

के नामांकन होंगे। इसमें पहली बार आरक्षण की व्यवस्था होगी जिसमें जो हमारे एस.सी., एस.टी., के हैं उनको हमारे यहां पर नामांकन में जगह मिलेगी, उसके बाद ओ.बी.सी. के हैं उनको भी संख्या बल के आधार पर इसमें आरक्षण का प्रावधान होगा। उसमें जो ई.डब्ल्यू.एस. है उसमें भी हमने प्रावधान रखा है। इसमें हमने एम.बी.सी. का भी प्रावधान रखा है और जो हमारी महिलाएं हैं उनका भी हम लोगों ने इसमें आरक्षण का प्रावधान रखा है। बहुत ही अथक प्रयासों से, समय जरूर लगा, इन्होंने जो घोषणा की थी, हम लोग उसको पूरी करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारे परमानेंट चाहे वो आरक्षी हैं, चाहे मुख्य आरक्षी हैं, चाहे प्लाटून कमांडर हैं, चाहे कंपनी कमांडर हैं इनके आज तक 1998 के बाद नियम ही नहीं हैं। अब बताओ जब नियम ही नहीं हैं तो भर्ती कैसे होगी? अब 20 वर्षों बाद इन नियमों को तैयार करने का कार्य चल रहा है, 20 वर्षों बाद हमने राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, 2020 का प्रारूप तैयार कर कार्मिक विभाग से इसका परीक्षण करवा लिया गया है और वित्त एवं विधि विभाग द्वारा परीक्षण के उपरांत शीघ्र ही उन्हें सूचित कर कार्यवाही की जायेगी। जो हमारे रिक्त पद हैं, जो हमारे वैकेंट पद हैं उनको शीघ्र भरा जाएगा। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विभाग के जो हैडक्वार्टर हैं वो अभी भी जिले के अन्दर हैडक्वार्टर्स नहीं हैं। हमारे प्रयासों से, जो 6 जिले हैं उनमें आज तक भी भवन नहीं है, अभी धौलपुर के अन्दर हमें भूमि आबंटित हो गई और निश्चित तौर पर वहां भवन का निर्माण भी होगा।

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार हम लोगों ने होमगार्ड की जो हमारे घोषणा पत्र में है कि होमगार्ड के समाधान के लिए हम जिला स्तर पर कमेटी बनायेंगे, प्रदेश स्तर पर कमेटी बनायेंगे। उस कमेटी का हम लोगों ने गठन कर दिया है और जो हमारे होमगार्ड के वालेंटियर्स हैं, उनको भी हम लोगों ने उसमें रखा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्वयंसेवक की मृत्यु हो जाने के पश्चात् स्वयंसेवक के रूप में उसकी सदस्यता प्रदान की जायेगी। यह व्यवस्था पूर्व में नहीं थी। यदि कोई वालिंटियर एक्सपायर हो जाता है, वो आन ड्यूटी खतम हो जाता है तो उसका

(श्री भजनलाल जाटव)

जो आश्रित है उसको उसके नामांकन का प्रावधान नहीं था, यह हमारे विभाग ने उपलब्ध की है और विभाग का जो कल्याण कोष है उसमें पहले जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था थी एक बच्चे को छात्रवृत्ति दी जाती थी, अब हमारे विभाग में यह एक से बढ़ाकर दो कर दी गई है। उसके जो दो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, 55 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो रिटायरमेंट हो जाता है उस रिटायरमेंट के बाद उसके जीवन यापन के लिए पहले पिछली सरकार ने भी उनकी व्यवस्था नहीं की थी। हम लोगों ने उनके दु:ख दर्द को समझा, उनकी पीड़ा को समझा, 55 साल बाद वो व्यक्ति कहां जायेगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लाई होता है उसको पेंशन भी मिल जाती है और राशि भी बहुत मिल जाती है, हम लोगों ने प्रयास से 50 हजार रुपये की राशि देने का निर्णय किया है।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा निर्णय जो निरोगी राजस्थान की तर्ज पर पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे स्वयंसेवक हैं, जो हमारे वालिंटियर हैं उनको हम लोग कैसे मानसिक तनाव से दूर करें, राज्य में पहली बार प्रदेश स्तर पर एक कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिससे हमारे वालिंटियर का शरीर स्वस्थ रहे और जो उसके मानसिक तनाव रहता है उससे भी वो दूर रहे।

जो निजी सुरक्षा एजेंसी हैं उनको हमने, लाइसेंस के बारे में जो तमाम चक्कर लगाने पड़ते थे और उसकी पारदर्शिता को देखते हुए तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे...

श्री सभापति: समाप्त करें, मंत्री महोदय।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय सभापति महोदय, अभी तो सिविल डिफेंस का भी है।

श्री सभापति: 10 बजे मैं वाइंडअप कर दूंगा 10 बजे। दो मिनट में समाप्त करें।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय सभापति महोदय, जो एजेंसीज हैं उनको हम लोगों ने ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन से हम लोग भ्रष्टाचार पर काबू पायेंगे जिससे ऑनलाइन की प्रक्रिया कर दी गई है।

(श्री भजनलाल जाटव)

माननीय सभापति महोदय, तमाम उपलब्धियां हैं, आप लोग कह रहे हैं, समय कम हैं। जो हमारे डिप्टी कमांडेंट थे उनकी पदोन्नति पूरे 3 साल से रुकी हुई थी, इनके राज में जो हुई थी 2 से 5 साल में 238 पदोन्नति हुई थी, हम लोगों ने 108 कर्मियों की पदोन्नति की है।

मुझे सदन को बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारा जो प्लाटून कमांडर था, चाहे वह कंपनी कमांडेंट था उसको प्रमोशन का लाभ हमारी सरकार ने दिया है। माननीय सभापति महोदय, गत सरकार में रक्षा विभाग को पुलिस आधुनीकरण योजना से पृथक् कर दिया गया था, तो पृथक् करने के कारण उनको जो राशि आधुनिकीकरण की है वो राशि नहीं मिल पाती थी। हम लोगों ने प्रयास करके वित्त वर्ष के अन्दर 2019-20 में दो करोड़ 25 लाख रुपये की राशि इस डिपार्टमेंट को स्वीकृत कर दी है।

माननीय सभापति महोदय, लंबे समय से डिप्टी कमांडेंट के पद खाली पड़े हुए थे। इनके राज में इन्होंने जगह तो निकाली परंतु मात्र दो पद भर पाये। अब हम लोगों ने फैसला लिया है और विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है, जो हमारे 13 पद रिक्त थे उनमें अब तक 1500 आवेदन तो आ चुके हैं, सभापति महोदय, तो हम लोग शीघ्र उनको भी भरने का प्रयास करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, होमगार्ड का हमारा जो स्थापना दिवस है यह 6 दिसम्बर को मनाया जाता है। पहली बार माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पधारे। निश्चित रूप से हमारे विभाग का उत्साहवर्धन उन्होंने किया। वहां पर उन्होंने परेड की सलामी ली।

सभापति महोदय, मैं थोड़ी सी बात सिविल डिफेंस की और कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें हमारी जो तमाम एजेंसियां हैं, वालेंटियर्स हैं, खुद जाकर के अपनी सेवा देते हैं। यह विभाग 2009 में पूर्व सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यह पहले दूसरे विभाग में था।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सांभर झील के अंदर पक्षियों की जो त्रासदी हुई है, उसमें हमारे सिविल डिफेंस विभाग ने आगे बढ़कर के काम किया। लगातार 18 दिवस तक नि:शुल्क बचाव कार्य किए हैं। फोरेस्ट विभाग ने हमारे विभाग को सम्मानित किया है।

सभापति महोदय, आपदा प्रबंधन में जिले में नागरिक सुरक्षा, बचाव

(श्री भजनलाल जाटव)

उपकरणों के लिए 10 करोड़ की राशि राज्य के 12 बाढ़ पीड़ित जिलों के लिए एक-एक बचाव नौका, 40 अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान हुई है। समस्त जिलों में जिला इमरजेंसी आपरेशन केन्द्रों पर बचाव वाहन के साथ ही नागरिक सुरक्षा वाहन भी उपलब्ध हो सकेंगे। संभावित आगजनी की स्थिति में प्रशासन त्वरित गति से उपयोग में ले सकेगा।

सभापति महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सिविल डिफेंस में इतना अच्छा कार्य किया है कि भारत सरकार द्वारा जयपुर और अजमेर जिले को देश के सर्वश्रेष्ठ जिलों का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पूरे देश के अंदर जयपुर और अजमेर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जो कंट्रोलर होता है, जो नियंत्रक होता है, उसके तौर पर झालावाड़ को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है।

सभापति महोदय, सिविल डिफेंस का भी भवन नहीं है। मैं स्वयं हैडक्वार्टर पर गया था। किराये के भवन में यह चल रहा था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दरियादिली दिखाई और इस विभाग को भी जमीन अलाट कर दी है। उसके लिए 2 करोड़ 86 लाख की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है।

राज्य में नागरिक सुरक्षा हेतु सुदृढ़ीकरण, राज्य सरकार से लगभग 10 करोड़ का बजट आबंटित कर जिलों में तैनात नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, अब समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): सभापति महोदय, उपलब्धियां हैं, इनको तो गिना दूं। घोषणा तो कर दूं।

श्री सभापति: काहे की घोषणा कर दूं?

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): घोषणा नहीं करूं?

सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष के अंदर हमारे विभाग द्वारा पूरे राज्य में 5 हजार नए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के मनोनयन का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य की पूर्ति प्रक्रियाधीन है। 2019 में 94 स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय स्तर पर एवं 200 स्वयंसेवकों को राज्य स्तर पर नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण जयपुर में प्रशिक्षित किया जाएगा।

(श्री भजनलाल जाटव)

सभापति महोदय, हमारे 12 जिलों बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, सिरोही, जालौर, भरतपुर, कोटा नागरिक सुरक्षा बचाव दलों के लिए प्रत्येक जिले हेतु एक-एक बचाव नौकाएं क्रय की जाएंगी। जिला कलेक्टर को 54 लाख रुपये का बजट हमने हस्तांतरित कर दिया है। नागरिक सुरक्षा में आपदा से निपटने के लिए एसडीआईएम मद से बचाव राहत भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय मंत्री महोदय। टेबल कर दीजिए।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): सभापति महोदय, अब यह घोषणा है। गृह रक्षा एवं प्रशिक्षण भत्ते की, जिसके बारे में तमाम माननीय सदस्य मांग उठा रहे थे। इनको प्रशिक्षण में 100 रुपया मिलता था। आज के दिन में 100 रुपये में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है। मैं घोषणा करता हूं कि जो 100 रुपये था, उसको 200 रुपये किया जाता है। अगर उनको ड्यूटी नहीं मिल पाएगी तो कम से कम उनको लाभ मिल पाएगा।

सभापति महोदय, जो 5 जिले हैं, उनमें हम स्वयं की भूमि भी आबंटित कराएंगे। वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपये की नागरिक सुरक्षा की घोषणा हैं। वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपये के नागरिक सुरक्षा के सामान उपलब्ध कराने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई थी। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।

श्री सभापति: अब आप टेबल कर दीजिए।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): केवल 2 घोषणाएं रह गई हैं। 100 अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। जो हमारे वालिंटियर्स हैं, उनको प्रशिक्षित करके रीको और जो तमाम एजेंसियां हैं, उनको दिए जाएंगे।

सभापति महोदय, अब 2-3 चीजें और हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि इसको आप बंद करें तो मैं छोड़ देता हूं। मैं टेबल कर दूंगा।

श्री सभापति: हां, आप टेबल कर दीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): हां, अब सुन लो। मंजिल उनको मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय। आप टेबल कर दीजिए।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद।

(श्री भजनलाल जाटव, राज्य मंत्री के सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री सभापति: सारा इनसे ही बुलवा देते आप। मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं उन सभी 40 माननीय सदस्यों को अपनी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और खास तौर पर पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने 10 साल के पीरियड में जो भी अनुभव थे, उनके पुलिस को सुधारने के और जनता को राहत दिलाने के, वह बताने का कष्ट किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले कारागार पर बोलता हूं। जेल की बाबत यह सही है कि हार्डकोर बंदियों और नियोजित अपराध करने वाले बंदियों के द्वारा जेल के अंदर ही कभी-कभी आपराधिक घटनाएं कराई जाती हैं। जैसे वसूली करना, वसूली की धमकी देना, नशीले पदार्थ पहुंचा देना, झगड़ा करना और यहां तक होता है कि मोबाइल से चुनाव के दिनों में चुनाव प्रचार भी करते हैं। ऐसा भी देखा गया है। आपराधिक घटनाओ को अंजाम भी दिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा होने पर बंदियों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है। बंदी अगर सज़ायाफ्ता है तो उसको मिलने वाली सुविधाएं भी बंद करके दंड दिया जाता है। कारागार, विशेषकर उच्च सुरक्षा वाले कारागार में उसका स्थानान्तरण भी कर दिया जाता है।

सभापति महोदय, स्टाफ के रिक्त पदों को भरा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह समस्या कम होती जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि इसी एक साल में सब कुछ कम हो गया होगा। आपके प्रयत्न भी थे। आपने भी अच्छे प्रयत्न किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। करने की खूब कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं, कुछ न कुछ शिकायतें आती रहती हैं।

आप मादक पदार्थों को ले लें। 2013 से लेकर के 2018 तक 61 घटनाएं हुई लेकिन जनवरी, 2019 से लेकर आज तक सिर्फ 9 घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में कमी आई है। मादक पदार्थों की बरामदगी की भी बात है तो एनडीपीएस के उनके खिलाफ केस भी दर्ज किए जाते हैं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सभापति महोदय, कैदियों के पास हथियार मिलते हैं। खास तौर पर जिस जिले से मैं आता हूं, वहां तो मध्य प्रदेश के इतने हथियार मिलते हैं कि बस पूछो मत आप। किसकी वजह से मिलते हैं, इसमें मुझे कोई झिझक नहीं है कि पुलिस के भी कुछ लोग उन अपराधियों से मिले हुए रहते हैं। जब हमारी जानकारी में यह बात आती है तो हम निश्चित रूप से उसको सज़ा दिलाने का प्रयत्न करते हैं। कइयों को कम्पलसरी रिटायरमेंट भी करते हैं। कइयों को सस्पैंड करते हैं। कइयों को कुछ करते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर के फीगर।

सभापति महोदय, 2013 से लेकर के 2018 तक हथियारों की 20 घटनाएं हुईं जिनके पास हथियार पाए गए। लेकिन यह जानकर के भी आपको खुशी होगी कि 2019 से लेकर के 2020 तक सिर्फ एक घटना पकड़ी गई है चाकू की, वह भी थाली को काटकर के उसने वहीं चाकू बना लिया। उसको घिसकर के बना लिया। कोशिश होती है लेकिन कई बार कोशिश भी फेल हो जाती है। अधिकारी जाते हैं। चैक करते हैं। सब कुछ करते हैं, लेकिन अधिकारी जेल के निरीक्षण के लिए कब तक रुकेंगे? एक समय होता है।

सभापति महोदय, जेल में मोबाइल बरामदगी की बात, हैंड मैटल डिटैक्टर लगा हुआ है। डोर फ्रेम मैटल डिक्टेटर लगा हुआ है। रूम लीनियर जंक्शन डिटैक्टर लगा हुआ है। सबसे तलाशी ली जाती है लेकिन पहली बार, पहली बार चार डाग्स, कुत्ते इसके लिये, जो सूंघने से फौरन पता लगा लेते हैं, आदमी तलाश नहीं कर पाता, वो सूंघ कर ही बता देता है कि इसके पास कुछ न कुछ हथियार है या इसके पास कोई न कोई मादक पदार्थ है या इसके पास कोई न कोई अवांछित चीज इसकी जेब में रखी है या कोई चीज छुपा रखी है। चार डाग्स का पहली बार ट्राई किया है, चार कुत्ते लिये हैं, आगे भी लेंगे।

माननीय सभापति महोदय, 2013-18 में 1987 मोबाइल आपने बरामद किये और जनवरी, 2019 से लेकर 2020 तक अभी तक 263 मोबाइल बरामद हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने जैमर की बात की, कि जैमर पर इतना पैसा खर्च कर दिया, ये जैमर बिलकुल फेल है। बिलकुल फेल है क्योंकि जेलें ज्यादातर रेजिडेंशियल कालोनीज के बीच बनी हुई हैं। क्या जाता है और उसकी वजह से जगह-जगह टावर लगे हुए हैं और टावर भी ऐसे लगे हुए हैं जो कभी टूजी के बाद में थ्रीजी आ गया, थ्रीजी के बाद में फोरजी आ गया, वो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कब काम करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी आती नहीं है तो ये जैमर का तो मामला खतम है, ये जैमर से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये पैसा पानी में गया, मान लिया आपका।

माननीय सभापति महोदय, निगरानी के लिये सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं, तलाशी हेतु बैगेज स्कैनर, हैंडहैल्ड मैटल डिटैक्टर, डीप सर्च डिटेक्टर वगैरह-वगैरह, सब उपकरण लगाये हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, कैदियों के भोजन के लिये आपने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, भोजन की क्वालिटी में सुधार हुआ है और मैं समझता हूं कि कुछ और होने जा रहा है, उससे और कुछ सुधार जेलों में होगा।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक सवाल इस बात का है चालानी गार्ड की वृद्धि की जाए तो पुलिस विभाग के द्वारा नये पद सृजित किये जा रहे हैं। बंदियों को पेशी पर लाने के लिये, पेश करने के लिये कांफ्रेंसिंग 25 कारागारों पर हो चुकी है, 25 जेलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था हो चुकी है और शेष जेलों में भी वीडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था की स्थापना की जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, गम्भीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं कैदी, उनके लिये अलग ही इन्तजाम किये हैं, संख्या बढ़ायी है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ायी है, पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ायी है, दवाइयों की संख्या बढ़ायी है। ये सब काम इन डेढ़ सालों में भी हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये भी कार्यवाही की गयी है। देश में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा ओपन जेल है, 39 हैं। 39 किसी प्रदेश में नहीं हैं, ओपन जेल 39 यहां पर हैं, और भी खुल सकती हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने कहा कि जेलों में कैदियों के बाबत जगह कम है, तो उसके लिये मैं बताऊं कि 8 नयी बंदी बैरकों का निर्माण किया गया है। साथ ही उप कारागृह अकलेरा और जिला कारागृह डूंगरपुर हेतु नये कारागृह भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, बंदियों की सुरक्षा का जहां तक सवाल है, वर्तमान में राज्य के संभाग मुख्यालय भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर पर सौ-सौ बंदी क्षमता तथा उदयपुर में पचास बंदी क्षमता के महिला बंदी सुधार गृह का निर्माण करवाया जाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये तो पहले से बने हुए थे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं कब कह रहा हूं कि हमने शुरू किये हैं। जो चल रहा है उसका चला रहे हैं, क्योंकि आप तो अधूरे छोड़ने में माहिर हो। जाते-जाते आप काम चालू कर देते हो, भुगतना हमको पड़ता है। (व्यवधान) भुगतना हमें पड़ता है। आप भी देख लो। (व्यवधान) यह सोडाला की पुलिया, यह द्रव्यवती नदी, जगह-जगह, हर जगह देख लो आप। आपकी तरकीब यही रहती है कि आप देख लेते हो कि हमारी सरकार जाने वाली है तो कह देते हैं कि काम चालू कर दो। (व्यवधान) करते ही नहीं, आने वाला करता रहेगा, भुगतता रहेगा, भुगतते तो हम ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।

माननीय सभापति महोदय, कारागृहों में महिला बंदियों को पृथक् से वार्ड में रखा जाता है तथा सुरक्षा व्यवस्था महिला प्रहरी ड्यूटी पर लगायी जाती है। कारागार विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बता रहा हूं आपको, ज्यादा नहीं है चार-पांच हैं लेकिन ये भी काफी अच्छी हैं।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस के अवसर पर 120 बंदियों को समय पूर्व रिहा किया गया है। पांच नवीन महिला बंदी सुधार गृहों एवं नवीन जिला कारागृह बीकानेर और विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह सेलावास, दौसा में प्रारम्भ किया गया है। कारागृहों में संचालित उद्योग शालाओं के इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनीकरण और बंदियों के पुनर्वास और कल्याण के प्रबन्ध हेतु जेल विकास बोर्ड का भी गठन किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, एक नयी बात हुई है। ई-प्रिजन, मतलब पूरे देश में अगर मान लीजिये बिहार में कोई रामलाल बंद हुआ है 1 जनवरी को, आप तलाश करना चाहते हैं जयपुर में बैठकर कि रामलाल कहां है तो आपको फौरन पता लग जायेगा कि यह रामलाल बिहार के फलाने-फलाने जिले में फलाने-फलाने कारागृह में, जेल में बंद है और कौनसी तारीख को बंद हुआ, किन केसेज में बंद हुआ, यह पता लग जायेगा। यह एक नयी प्रणाली चालू की गयी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान) क्या आदत हो गयी? माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा किसी व्यक्ति विशेष से आशय नहीं था। (व्यवधान) रामलाल एक नाम लिया है। (व्यवधान) ये नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वह आपका रामलाल होगा, हमारा रामलाल शर्मा नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, कई बार आता है, 'सूरज की किरण', तो आप अपने लिये मत समझ जाना।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रणाली में बंदी की सभी जानकारियां ऑनलाइन होंगी। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसमें राज्य के सभी कारागृह ई-प्रिजन प्रणाली से जुडेंगे और प्रणाली के माध्यम से तुरंत किसी भी बंदी की जानकारी प्राप्त हो सकती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं।

माननीय सभापति महोदय, 105 स्थायी कुकों के पदों की भी सरकार ने स्वीकृति दी है। अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमान में सरकार द्वारा संशोधन किया गया है, बल्कि एक नयी चीज और की है, यदि शहर के बीच में जेल है और जेल में कोई जमीन उपलब्ध है तो वहां पर पैट्रोल पम्प के लिये भी एप्लाई किया गया है ताकि पैट्रोल पम्प पर काम करने वाले कुछ कैदी भी वहां लग जाएं और वहां की जो आमदनी है वह जेल के उत्थान के लिये और कैदियों की सुरक्षा के लिये और कैदियों के अच्छे भोजन के लिये खर्च हो जाए। यह एक नयी चीज पैदा की गयी है। चार जगह हो गया, आगे भी अगर जहां-जहां जगह मिलेगी, निश्चित तौर पर करने की कोशिश करेंगे। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, आपका जो बोलने का स्टेज था, मोटे तौर पर यह था कि एक तो जगह कम है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जहां-जहां पर भी जगह मिलेगी वहां-वहां पर करने का काम करेंगे। दूसरा आपका जैमर का था तो मैं एग्री करता हूं जैमर की बात को कि जैमर तो फेल हैं, वह पैसा पानी में गया।

माननीय सभापति महोदय, एसीबी की बाबत मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि एसीबी के काम को आपने एप्रिशिएट किया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पर एसीबी के द्वारा जो काम किये गये हैं, काम किये जा रहे हैं, पहले भी किये हैं, अभी भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मानननीय सभापति महोदय, आपने बजरी के बाबत बात कही तो यह तो बीमारी ही आपके द्वारा लगायी गयी है। (व्यवधान) हमारे टाइम की तो।

श्री सभापति: सुन भी लिया करो कभी-कभार तो...(व्यवधान) बैठ ही नहीं सकते आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप जयपुर को ही देख लो। 1998 से पहले यहां पर 4 मंजिल से ज्यादा की कोई बिल्डिंग नहीं थी लेकिन 1998 के बाद में हमने बिल्डिंग इण्डस्ट्री को प्रमोट करने के लिये इतना बड़ा काम किया कि जिससे आज 36-36, 40-40 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी हो गयी हैं बजरी से, कोई रोक नहीं है। लेकिन आपने बजरी में पता नहीं क्या-क्या किया, मुख्य मंत्रीजी अपने मुंह से जो बोल गये, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। (व्यवधान) किसको कितना मिलता था, किसको क्या होता था। (व्यवधान) क्यों साहब? अब बार-बार उस बात को कहने से क्या होगा? (व्यवधान) मैं टेस्ट खराब नहीं करना चाहता आज। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दें। हर बात पर बीच में बोलना जरूरी है आपका?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ये हमें आमंत्रित करते हैं बोलने के लिए।

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बजरी के मामले में भी एसीबी ने बहुत अच्छा काम किया है, जहां-जहां पर भी इनका बस चला। बजरी के इस व्यापार में किस तरह के अफसर इन्वॉल्व्ड हैं और किस तरह से पैसा कमाया जा रहा है तो सैकड़ों आदमी इसमें पकडाई में आये हैं।

अजमेर जेल में अवैध वसूली की कार्यवाही, कैदियों से जबरन अवैध वसूली कर आपस में बंटवारा करते हुए पांच जेल कर्मियों को, कुल-मिलाकर 13 आदमियों को गिरफ्तार भी किया और चालान भी पेश किया। नारकोटिक्स विभाग को दे, नारकोटिक्स विभाग तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन वहां पर भी एसीबी पहुंची और एसीबी यहीं नहीं पहुंची, सहीराम मीणा जो एडिशनल

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कमिश्नर की पोस्ट पर था कोटा में, उसे गिरफ्तार किया। तीन अभियोग उसके खिलाफ लगाये और कमिश्नर ही नहीं, बल्कि अधीक्षक स्तर के अधिकारी को भी उसमें सम्मिलित करके उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की।

वाणिज्यिक कर विभाग में भी व्याप्त भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की। जीएसटी में वैट ज्यादा कट जाने पर रिफण्ड दिलाने की एवज में कमीशन के तौर पर रिश्वत मांगी जा रही थी। सहायक आयुक्त, वर्क्स कान्ट्रेक्टर, लीजिंग टैक्स, वाणिज्यिक कर संग्रहण (तृतीय) और जयपुर के विरुद्ध भी जो है अभियोग दर्ज किया और उसका अनुसंधान जारी है। परिवहन विभाग के लिए तो आपने बोला ही है कि साहब, अच्छी कार्यवाही की गयी है।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि 2019 के दौरान, अब खुशी होगी कि नहीं होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया तो खुशी होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको अच्छी बात सुनने का शौक तो है लेकिन अपनी गलत बात कहने का भी शौक है। वर्ष 2019 के दौरान एसीबी द्वारा कुल 424 मुकदमे दर्ज किये गये तथा 347 मुकदमों का निस्तारण कर दिया गया। आउट आफ 424, 347 मुकदमों का निस्तारण कर दिया गया, जिनमें 61 प्रकरण 2019 के थे और बाकी के प्रकरण आपके टाइम के थे, जिनका आप कुछ नहीं कर पाये, 286, मैं कह रहा हूं न आपसे, कर तो आप जाते हैं, भुगतना हमें पड़ता है। 286 केसेज आपके टाइम के जो पुराने थे, उन पर भी हमारी सरकार आने के बाद एसीबी ने चालान प्रस्तुत किया है। भ्रष्टाचार पर रोक हेतु टोल फ्री नम्बर 1064 की स्थापना की गयी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने देशभर में ट्रैप के अभियोग पंजीकरण में दूसरा और चालान पेश करने में तीसरा स्थान प्राप्त किया। देश में जो तीन-चार टॉप एसीबी हैं, उनमें राजस्थान का कभी दूसरा, कभी तीसरा स्थान रहता है। टैक्स से सम्बन्धित मामलों में 2019 में सजायाबी प्रतिशत 54.19 रहा है। वर्तमान सरकार के गठन से 29.02.2020 तक 499 अभियोग दर्ज किये गये, जिसमें से ट्रैप के 356 थे। आय से अधिक सम्पत्ति के 29 थे, पद के दुरुपयोग के 114 अभियोग दर्ज थे। साल में 365 दिन होते हैं। अगर एसीबी प्रतिदिन एक केस भी बनाये तो 365 ही बनाएगी न, लेकिन कुल-मिलाकर के एसीबी ने बनाये 424 केसेज। यह कितनी क्रेडिटेबल बात है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने रिक्त पदों की स्थिति की समीक्षा की है

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

और रिक्त पदों पर भर्ती करने के पूरे निर्देश दिये हैं। भ्रष्टाचार से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण, चार-पांच प्रकरण हैं, मैं उन पर भी बताना चाहता हूं। एएसपी आस मोहम्मद, उसके लिए बत्तु खां एक लाख रुपये की रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया और आस मोहम्मद भी पकड़ा गया।

भरतपुर के कान्स्टेबल संजय सिंह द्वारा बीएड कालेज की मान्यता के सम्बन्ध में शिकायत का भय दिखाकर 45 लाख रुपये की रिश्वत मांगकर पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए वह पकड़ा गया। मांगे 45 थे, 5 मिल रहे थे। चेजा पत्थर की माइनिंग लीज, जिसमें संयुक्त सचिव, खान विभाग, शासन सचिवालय विभाग के द्वारा चार लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसे भी एसीबी ने पकड़ा। सीबीआई तक के आदमी को पकड़ लिया एसीबी ने। (व्यवधान) क्या आपके वक्त में किसी ने कभी सीबीआई के ऊपर हाथ डाला? नहीं डाला। सीबीआई तो वही बात है न, सुप्रीम कोर्ट ने तोता बता दिया था सीबीआई को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा नहीं है। टाप अधिकारी को पकड़ा है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पकड़ा होगा, सीबीआई वाले को तो नहीं पकड़ा आपने। सीबीआई में कार्यरत प्रकाशचंद, निरीक्षक व शांति लाल आचलिया, प्राइवेट व्यक्ति जो दलाल था, द्वारा मिलीभगत करके 3 लाख रुपये की रिश्वत और 4 लाख 50 हजार रुपये सैल्फ चैक रिश्वत राशि प्राप्त करने पर दोनों को गिरफ्तार किया। आय से अधिक सम्पत्ति बाबत ले लें आप। रघुनाथ प्रसाद मीणा, अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग को ले लें आप। संजय बोथरा को ले लें जो पुलिस निरीक्षक था जोधपुर में। सहीराम मीणा को ले लें जो एडिशनल कमिश्नर था नार्कोटिक्स का। रमेश चंद बावरी को ले लें जो वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर विकास न्यास, उदयपुर में ही था आपके यहां। भारती राज, अशोक कुमार गर्ग, उपनिदेशक कृषि विपणन बोर्ड, दीवान सिंह मेवाड़ा, अधीक्षक खनिज अभियंता और कुलदीप यादव, एनालिस्ट, वगैरह वगैरह, इन सबको पकड़ा है। एसीबी के काम के लिए आपने तारीफ की, उसके लिए पुन: धन्यवाद देता हूं। इसमें कोई दोराय नहीं है कि अच्छा काम कर रहे हैं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सभापति महोदय, मैं कानून व्यवस्था की बात करता हूं। यह वर्ष पुलिस के लिए नवाचारों और बोल्ड निर्णय लेने के लिए बना हुआ है। इस वर्ष में पूरे बोल्ड निर्णय भी लिए गये और नवाचार भी किये गये। सबसे बड़ा कदम जो इस बात के लिए सरकार ने उठाया, यह अवधारणा खतम करने के लिए कि एफआईआर की संख्या ही अपराध को मापने का एक मापदण्ड है। आप जो फरमाते हैं कि साहब, 31 परसेंट बढ़ गये, हम भी मानते हैं कि 31 परसेंट बढ़ गये, पर आप मापदण्ड क्या अपनाते हैं, मापदण्ड तो वही अपनाते हैं न कि एफआईआर कितनी दर्ज हुईं। यह नहीं देखते आप कि 107, 151 का मामला है या 323 का मामला है या 324 का है, यह नहीं देखते आप। आप तो एफआईआर देखते हैं कि एफआईआर कितनी कटी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने हीनियस क्राइम के लिए बोला है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उस पर भी आऊंगा सर, उस पर भी बोलूंगा। यह जो मापदण्ड की अवधारणा थी, हमने इसे खतम करने का प्रयास किया है। देश की लगभग सभी सरकारें इसी मापदण्ड को मानती हैं। इसी कारण पंजीकरण की स्वतंत्रता में कोई ठोस कदम नहीं उठाता। उन्होंने कहा, नहीं, ज्यादा केस रजिस्टर न करें, वर्ना जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इतना क्राइम बढ़ गया। एफआईआर के आंकड़े बताकर गम्भीर अपराध और विपरीत स्थिति बनाने का दावा किया जाता है। यह अवधारणा हमने खतम की है। एफआईआर लिखाएं, कैसी भी हो, एक बार लिखाएं। अब उससे 31 परसेंट बढ़ गया।

आप कहते हैं कि क्राइम बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया। मैं मना नहीं करता हूं इस बात के लिए, लेकिन कम से कम मापदण्ड की फीगर सिर्फ यही देखते हैं आप कि एफआईआर कितनी कटी। यह देखने के साथ-साथ यह भी तो देखें कि किस-किस सैक्शन में कटी है। आईपीसी में ऐसे कौन-कौन से सैक्शन थे, जिनमें कटी हैं। पंजीकरण की बात हुई। इस आलोचना का हमें पहले से पूरा आभास था कि अगर हम फ्री कर देंगे और यह कह देंगे कि अगर थाना दर्ज नहीं करता है तो एसपी दर्ज करेगा और अगर कोई दर्ज नहीं करेगा तो उनके खिलाफ फौरन कार्यवाही की जाएगी। हमें पूरा आभास था कि इस बात की आलोचना होगी अगर एफआईआर की संख्या बढ़ जाएगी तो, तब

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

भी हमने काम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने उसे रोका नहीं, बल्कि एसपी और सीआई को हमने निर्बाध रूप से Assured Registration Policy पर काम करने के लिए लाचार किया। हमने पुनर्विचार नहीं किया इस बात पर कि बढ़ रहे हैं तो इन्हें घटा दें, बल्कि एक पहल में पहली बार एसएचओ और एसपी यह मानते हैं कि सरकार बढ़े हुए पंजीकरण को कम से कम यह समझने लगी है कि जनता की सुनवाई हो रही है।

(22.00 बजे)

जनता की सुनवाई हो रही है, यह तो मानते हैं कम से कम। पंजीकरण में 31 परसेंट की आपने वृद्धि बताई, हम भी स्वीकार करते हैं कि 31 परसेंट की पंजीकरण में वृद्धि हुई है। क्राइम में हुई या नहीं हुई पंजीकरण में वृद्धि हुई है। थानों में एफआईआर दर्ज हो रही है या नहीं, इसके लिए डीजीपी ने डिकाय आपरेशन का, यह हिम्मत का काम किया है डिकॉय आपरेशन करवाने का। अचानक किसी को भेज देना कि देखें होता है या नहीं होता, वहां से क्या शिकायत आती है। अपनी कमियों को पहचानने का प्रयास करना और उनमें सुधारने की, यह भी हिम्मत का काम था पर अपनी कमियों के आंकड़ों को मकड़जाल के पीछे छिपाने वालों के समझ में यह बात आएगी या नहीं आएगी, मुझे पता नहीं क्योंकि हमने प्रदेश में निर्बाध पंजीकरण की नीति लागू की। मुख्य मंत्री के जेहन में वही गांधीवादी विचार था, वही गांधीवादी विचार था उनकी आंखों के सामने, वही न्याय के लिए भूखा और लालसा रखने वाले पीड़ित व्यक्ति का चेहरा था जिसे आपने पिछले पांच साल तक यह कहकर लौटा दिया था कि अपराध का आंकड़ा हमें करना है। पांच साल तक आपने लौटाया है उसको जिसका हमने पंजीकरण किया। उस वक्त भी थानों में यही कहा जाता था कि ज्यादा रजिस्टर मत करो, ज्यादा रजिस्टर करोगे तो संख्या बढ़ जाएगी।

थाने पर स्वागत कक्ष के पीछे भी भावना यही है। यही भावना है कि आने वाला व्यक्ति तनाव मुक्त होकर फ्रैंडली वातावरण में खुद थाने पर जाए, सम्मानजनक उसके साथ व्यवहार हो, वह किसी प्रकार से हिचकिचाए नहीं, इसलिए 203 थानों में स्वागत कक्ष के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि वे खुले मन से विधायक कोष से इसमें सहयोग करें। क्या गलत है क्या? आप बताओ, स्वागत कक्ष आज तक बने हैं क्या? हम स्वागत कक्ष बना रहे हैं, आप भी उसमें कुछ पैसा देना। जिला कंट्रोल रूम पर व्हाट्सएप हैल्प लाइन भी प्रारम्भ की गई है। कोई भी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

व्यक्ति किसी अपराध की फोटो या वीडियो भेज सकता है। यह पहली बार हुआ है, आपके वक्त में नहीं था। आप फ्री रजिस्ट्रेशन का जवाब हमसे मांगते हो, क्या हुआ था? कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, प्रकाश वर्मा, जो हेट स्पीच देते रहे, वह हेट स्पीच दिल्ली की पुलिस के बड़े-बड़े अफसर अपने-अपने दफ्तरों में बैठे-बैठे सुनते रहे, लेकिन कुछ नहीं किया। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि कोर्ट के द्वारा फटकार दी गई और फटकार देने वाले जज का तबादला कर दिया।

आपने दिसम्बर, 2018 तक 31 परसेंट हत्यारों, बलात्कारियों, दंगाइयों और चोर-नकबजनों को, 31 परसेंट, जब आप कहते हो कि 31 परसेंट क्राइम बढ़ गया तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 2018 तक आपने इन लोगों को कहां छिपा रखा था जो 2019 में हमारी सरकार आते ही ये सामने आ गये? कहां छिपाया था इनको? आपने आंकड़े बताये, मैं उन आंकड़ों के विवाद में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप पूर्व गृह मंत्री हो, मंथली क्राइम रिपोर्ट देखना आपको खूब आता है। पांच साल तक आप जिलों और पीएचक्यू में जाकर एमसीआर का विश्लेषण भी करते रहे हो पर मुझे यह अच्छा लगता कि आपको अगर यह दिख जाता कि 2018 की तुलना में 28 परसेंट अधिक प्रकरणों का निस्तारण हमारे द्वारा किया गया है। अच्छा लगता मुझे अगर आप आलोचना के साथ-साथ यह भी कह देते। पुलिसकर्मी के निजी जीवन और पारिवारिक उत्तरदायित्वों के ऊपर रखकर उसने ये उपलब्धियां हासिल की हैं, 28 परसेंट अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया। मुझे यह भी अच्छा लगता कि आप यह कहते कि एसपी आफिस से सीधे एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा देकर पुलिस थानों के विकल्प को आपने खतम नहीं किया। यह तो कम से कम कहते कि थाने का विकल्प तो खतम नहीं किया, थाने में भी जा सकता है, वहां पर भी जा सकता है, एसपी आफिस में भी जा सकता है। मुझे यह भी बात पसन्द आती कि आप मानते कि हत्या और हत्या का प्रयास और अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में चालान प्रतिशत 96-97 परसेंट हुआ है। ये आंकड़े हैं साहब, आप देख लो न। ये आंकड़े मेरे घर से तो मैं लाया नहीं हूं। मैं तो 97-98 की गिनती ही नहीं जानता। आप कम से कम यह तो बताते कि 156 (3) सीआरपीसी में दर्ज प्रकरणों का 24 परसेंट से घटकर 18 परसेंट इसकी वजह से रह गया। मोटे तौर पर प्राइवेट इस्तगासा आदमी 156 (3) में? जब थाने पर उसको दर्ज नहीं की जाती थी और फिर वह जांच के लिए थाने

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पर आता था और फिर मजिस्ट्रेट आर्डर करता था कि एफआईआर दर्ज की जाए। यह कमी भी उसी वजह से आई है कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एफआईआर लिखी जा रही है। मुझे अच्छा लगता कि महिलाओं और कमजोर वर्गों में जो विश्वास बढ़ा है उसकी सुनवाई हो रही है। जघन्य अपराधों में बहुत कम समय में 300 से अधिक सनसनीखेज प्रकरणों का सफलतापूर्वक खुलासा हुआ है, 300 से अधिक बडे-बड़े प्रकरणों का। परफार्मेन्स मेजरमेंट सिस्टम सुदृढ़ किया गया है। नई प्राथमिकताओं को इस माह के अन्त तक रैंक में बदली जा रही है।

यहां पर किसी माननीय सदस्य द्वारा यह भी पूछा गया, मैं नाम तो भूल रहा हूं क्योंकि कागज इतने सारे इकट्ठे हो गये कि क्या देखें यह बताएं कि एसपी आफिस से सीधे दर्ज एफआईआर, जून से दिसम्बर, 2019 तक 187 प्रकरण ऐसे थे जो एसपी आफिस में सीधे दर्ज हुए। जो भी एसपी आफिस में गया, उसने कहा कि उसकी रिपोर्ट थाने पर दर्ज नहीं हो रही है, उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई भले ही वह वास्तव में पहले थाने पर नहीं गया हो। साथ में हमने इस बात की भी जांच की कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है या नहीं, वह थाने पर गया था या नहीं, उसने वहां पर रिपोर्ट भी दी थी या नहीं दी तो उसका परीक्षण किया गया। केवल 10 प्रकरण ऐसे मिले जिसमें परिवादी थाने पर गया था, सिर्फ दस आउट आफ 187, उसने रिपोर्ट दी कि रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई इसलिए उसे एसपी आफिस में दर्ज करानी पड़ी और सिर्फ 10 प्रकरण ऐसे मिले, बाकी 184 में से वे आदमी सीधे के सीधे एसपी आफिस में गये, उनको थाने पर मना भी नहीं किया गया था।

सभापति महोदय, अपराध नियंत्रण की बाबत मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ऐसी अवैध गतिविधियां हैं जो अपने आपमें अपराध हैं जघन्य अपराधों को जन्म भी देती हैं। 2019 के आरम्भ में अवैध फायर आर्म्स के विरुद्ध लगातार विशेष अभियान चलाया गया। 2019 में अवैध फायर आर्म्स के 1519 प्रकरण दर्ज किये गये जो 2018 की तुलना में 14 परसेंट ज्यादा थे। हथियार तो अपराधी देशी भी खरीद लेता है लेकिन कारतूस कहां से लाएगा? कारतूस तो मिलेंगे नहीं। गोलियां तो असली ही चाहिए न? आर्म्स एक्ट के कुल 7595 अपराधी गिरफ्तार किये गये, 1757 आग्नेय शस्त्र, 17 हजार कारतूस और 5337 अन्य धारदार हथियार जब्त किये गये।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अवैध शराब के विरुद्ध 2018 से 3 परसेंट ज्यादा प्रकरण दर्ज किये गये हैं। 8 लाख अंग्रेजी बोतल और 4 लाख देशी बोतल भी जब्त की गईं। युवाओं का भविष्य बिगाड़ने और अवैध मादक पदार्थ के लिए बेहतरीन आसूचना संकलन के लिए वर्ष 2019 में 2018 की तुलना में 39 परसेंट अधिक कार्यवाही हुई है। आपने तो धड़ल्ले से हुक्का बार खुलवा दिये थे, धड़ाधड़ हर शहर में हुक्का बार चल रहे थे उनको हमने बन्द किया। जहां-जहां मिल रहे हैं, अभी भी बन्द कर रहे हैं।

आपने गौ-तस्करी की बात की कि गौ-तस्करी के अपराध को रोकने की आड़ में माब लिंचिंग के अपराध को जन्म दिया गया। यह माब लिंचिंग की बात ही तब पैदा हुई है, इसका कानून ही जब बना है, जब इस तरीके की हरकतें हुईं। हमने 2019 में 398 गो-तस्करों को गिरफ्तार किया और जिससे 2018 की तुलना में ऐसे अपराधों में कमी आई है। माब लिंचिंग और आनर किलिंग कानून, ये कानून हमने बनाया, सबने मिलकर बनाया लेकिन, अभी तक स्वीकृति नहीं मिली, इसमें तो आप मदद करना। 2019 में 3 हजार से ज्यादा अपराधी, जो टाप 10 स्कीम में थे, उनको गिरफ्तार किया गया। साल भर में 450 से ज्यादा इनामी अपराधी पकड़े गये और लगभग 300 नई हिस्ट्रीशीट्स खोली गई हैं। तीन वर्षों में बजरी माफिया को आपने बढ़ाया है। मैं पहले भी कह चुका हूं। यह मेरा आरोप ही रहेगा। अवैध बजरी के विरुद्ध सबसे प्रभावी कार्यवाही पुलिस ने की और 2019 में 2606 प्रकरणों में 3304 अपराधियों को गिरफ्तार किया।

सभापति महोदय, कानून व्यवस्था की बात करता हूं। असल में आज हो क्या रहा है। देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है। कुछ कमजोर तबके के लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है। आपके सामने कोई आवाज उठाये तो उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। आजकल सेडिशन के प्रकरणों की देश भर में बारिश हो रही है, और मुद्दे की बात यह है कि अवाम कष्ट भोग रहा है। देश में कई शहर उस तंदूर की तरह हैं, जो बुझ तो गये परंतु उसकी राख के भीतर कुछ शोले अभी भी जल रहे हैं। आम आदमी तमाशे देखता है, कभी जुलूस निकलता है, कभी जुनून पैदा होता है जिसे सबको झेलना पड़ रहा है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं। हुआ क्या था कुरुक्षेत्र में, सभापति महोदय, महाभारत की बात कर रहा हूं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात् काफी लम्बे समय के बाद वेदव्यास को इस बात की चिंता सता रही थी। उनको कारण समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये युद्ध हुआ तो क्यों हुआ? ये सोचते-सोचते वे जब आगे जा रहे थे तो उनको अश्वत्थामा मिला। अश्वत्थामा की हालत ऐसी थी कि उससे बोला नहीं जा रहा था क्योंकि उसको द्रोपदी ने यह श्राप दे दिया था। अश्वत्थामा ने द्रोपदी के भाई को मार दिया था और द्रोपदी के परिवार वालों को भी मार दिया था। द्रोपदी ने उसको यह श्राप दे दिया था कि तू ताजिंदगी जिंदा ही रहेगा, जिंदा रहेगा, तू मरेगा नहीं। लेकिन, उम्र तो अपना असर दिखाती है, उसका शरीर जर्जर हो चुका था, उससे बोला नहीं गया। उन्होंने पूछा उससे, लेकिन उससे बोला नहीं गया। वेदव्यास आगे बढ़ गये, वेदव्यास जब आगे बढ़ गये, तो वेदव्यास ने सोचा कि गंगा के तट पर चलो, गंगा से प्रार्थना करेंगे। वे गंगा के तट पर गये और गंगा माता के सामने हाथ जोड़कर के खड़े हुए। हे गंगा माता, तू उन दोनों को एक दिन के लिए कम से कम मेरे पास भेज दे, ताकि मैं उनसे पूछ तो सकूं कि तुम लड़े तो क्यों लड़े, झगड़ा हुआ तो क्यों हुआ, यह युद्ध हुआ तो क्यों हुआ?गंगा माता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कौरवों और पाण्डवों को उनके पास में भेज दिया। जब वे पहुंचे तो पहुंचते ही वेदव्यास ने सवाल किया कि तुममें युद्ध क्यों हुआ? तो वे तो सवाल का जवाब देने के पहले ही लड़ने लग गये। वे लड़ने लग गये, तो वेदव्यास ने सोचा कि कोई फायदा नहीं है इनसे बात करने का। वेदव्यास वापस वहां पर गंगा तट पर गये और गंगा माता से प्रार्थना की कि इन दोनों को उठा लो, इनको उठा लो, माता इनको उठा लो। जब वे लौटकर वापस आ रहे थे तो उनको गणेश जी महाराज मिले। गणेश जी महाराज से उन्होंने पूछा कि महाराज आप ही बता दो, मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल रहा कि कौरव और पाण्डव आपस में क्यों लड़े। तो गणेश जी महाराज ने कहा कि देखो वेद जी, भावना की धुरी पर जीवन चक्र घूमता है और संकीर्णता के पक्षधर भावना भड़काते हैं और भावनाओं का प्रत्यारोपण भी किया जाता है। तमाम झगड़े भावनाओं को उकसाकर कराये जाते हैं और भीड़ में भावनाओं का मनोविज्ञान ही काम करता है। इसलिए, उन्होंने आखिरी में कहा कि देखिए, तर्क पर भावना को जब प्राथमिकता दी जाती है तो भावनाओं के आवेश में लहर पर सवार होकर के मनुष्य गलत फैसले लेता है। यह युद्ध इसलिए हुआ।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जमाना इस तरीके का है। आप कहते हो कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है? बढ़ेगा और बढ़ेगा, अगर इसी तरीके से देश के नागरिकों की भावनाएं भड़काई जाएंगी तो निश्चित तौर पर बढ़ेगा।

एक ओर, क्योंकि माइथोलॉजी और मिथ मैकर्स का शासन चल रहा है। सभापति महोदय, झूठ प्रचारित करना एक शस्त्र बन गया है। जितना झूठ बोलो, साहब मैं माफी चाहता हूं, आपको अगर मेरी बात नहीं समझ में आए, तो अलग से बात कर लेंगे लेकिन, गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। हो सकता है आपके समझ में नहीं आए और इस बात का इतना असर होता है कि आदमी भूख और बेरोजगारी की चिंता नहीं करता भावनाओं में, भावनाओं में बह जाता है।

मैं एक दूसरा निवेदन करना चाहता हूं। एक मुस्लिम आतंकवादी युवक था, पुलिस ने उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर रखा था। वह तो मिला नहीं, उसके परिवार के उसके पिता मिल गये और उसके ताऊ मिल गये। पुलिस पकड़कर ले आई, अंदर कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया, हमारे बाप-दादाओं ने दो सौ साल पहले यहां पर मकान बनाया है। हमें 1946-47 में लोगों ने कहा था कि, चलो, उधर चल चलें। हम नहीं गये, क्योंकि हमारे पूर्वजों की हड्डियां इसी जमीन में मौजूद थीं। हम आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन उस लड़के की पत्नी को उस युवक पर शक था। पत्नी हिन्दू थी, युवक मुसलमान था। पत्नी को उस पर शक था, पत्नी बार-बार उसको टोका करती थी कि तुम्हारी सोहबत अच्छी नहीं है, तुम सुधरो, लेकिन वह सुनकर चल देता था। इसी बीच में क्या हुआ कि पत्नी गर्भवती हो गई। पत्नी जब गर्भवती हो गई तो उस युवक ने उससे पूछा पत्नी से कि ये होने वाले बच्चे का मजहब क्या होगा? पत्नी ने जवाब दिया जब तुम्हारी और मेरी शादी हो रही थी, जब तो मजहब आड़े नहीं आया। आज मुझसे क्यों यह सवाल पूछ रहे हो, मुझसे मजहब की बात क्यों पूछ रहे हो? उस वक्त ही पूछ लेते। नतीजा क्या निकला कि युवक ने गुस्से में यह कहा कि तुम वाकई में मुझसे प्रेम करती हो या नहीं करती तो उसने कहा मैं तुमसे प्रेम करती हूं तो, कहा कि प्रेम को जाहिर करो, उसने कहा कि जाहिर नहीं होता है, प्रेम किया जाता है। किस तरीके से साबित करूं कि मैं तुमसे प्रेम करूंगी, इसका कोई सबूत नहीं होता। जैसे मैं मेरे देश से प्रेम करती हूं, लेकिन साबित नहीं कर सकती, साबित नहीं कर सकती।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इस प्रकरण की तहक़ीक़ात एक पुलिस अफसर कर रहा था और उस पुलिस अफसर पर यह दबाव था कि तुम्हें देशभक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि तुम इस देश से प्रेम करते हों। उसके पास कोई चारा नहीं था। वह उस युवक के पास गया, युवक बैठा मिला, उसको वह चाहता तो आराम से पकड़ सकता था लेकिन, उसने उसको गोली मार दी। केस चला। जज साहब ने अपने फैसले में लिखा कि इन पिता और ताऊ को तो छोड़ो और पुलिस अधिकारी को खूब जमकर डांटा, इस बात के लिए अगर तुम उसको जिंदा पकड़ लेते तो कम से कम साजिश का तो पता लगता। उसके जाल का तो पता लगता लेकिन तुमने जानकर उसको मारा। ये खुद लिखा उन्होंने और आखिरी में उन्होंने ये लिखा कि कोई सरकार, कर्मचारी जन्म व धर्म को लेकर बनाये गये दबाव में न आकर के विवेक और निष्पक्षता से काम करे। और आजकल जिद क्या है कि देश प्रेम को सिद्ध करिए, अपना जन्म स्थान बताइए और पूर्वजों का अस्तित्व सिद्ध करिए। मैं इस बात को यहीं दो बात कहकर खतम करता हूं कि देखिए विचारधारा परस्पर विरोधी हो सकती है परंतु साथ-साथ रहकर भी जीवन शांति से जिया जा सकता है। आपको आचार्य कृपलानी का मालूम होगा, आचार्य कृपलानी अलग विचारधारा के थे और उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी जो यूपी की चीफ मिनिस्टर थीं, वह अलग विचारधारा की थीं। शौकत आजमी वह सामंती परिवार की लड़की थी लेकिन उसने विवाह किससे किया? एक वामपंथी कैफी आजमी से विवाह किया था तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर इस तरीके की भावनाएं भड़काई जाएंगी तो क्राइम और बढ़ेगा। मेरा निवेदन यह है।

खैर, आगे आते हैं, बेरोजगारी और आर्थिक व्यवस्था ने राजस्थान में भी युवा वर्ग को बिगाड़ दिया है। अवैध शराब, हथियार, ड्रग्स, बजरी, भूमाफिया, ऑनलाइन फ्राड यह सब विकराल रूप ले रहे हैं। अपराध भी अब संगठित पेशेवर तरीके से होने लगा है। पिछले वर्ष सीरियस फ्राड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट और हीनियस क्राइम मोनिटरिंग यूनिट का गठन किया गया है। पहली बार प्रत्येक जिले में एसपी के पास डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम का गठन किया गया है। इसमें स्टाफ भी दिया है। प्रशिक्षण भी करवाया गया है। अलग से वाहन भी दिए हैं, संसाधन भी दिए हैं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

और 2 महीने में सभापति महोदय, इस टीम ने संगठित अपराधों में लिप्त 849 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नैटवर्क एंड सिस्टम्स के माध्यम से अधिक से अधिक पुलिस अनुसंधान कार्य सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है, जिससे पुलिस की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। क्रांतिकारी नवाचार, जो क्रांतिकारी नवाचार हुए हैं, मैं आपका ध्यान चाहूंगा साहब, नवाचारों को तो सुन लो आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप की कथा सुनते-सुनते तंग आ गए हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ऑनलाइन केस डायरी माड्यूल, गवाहों के बयानों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिकार्डिंग की सुविधा, ऑनलाइन सिस्टम रजिस्टर, ऑनलाइन परिवाद एनालिस्टिक डैशबोर्ड का विस्तार यह सब कुछ काम हुआ है। विशेष प्रकरणों की बात है, उनमें की गई कार्यवाही बताना चाहता हूं। आपने 2019 की प्रमुख घटनाएं गिनाईं। कुछ घटनाओं ने हमें भी परेशान किया। इसमें कोई दो राय नहीं है। कई घटनाओं ने हमें परेशान किया। इसमें सिस्टम की जो कमियां थीं, वह भी उजागर हुईं और उनको ठीक करने का हमें मौका भी मिला। थानागाजी में एसपी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आप कह रहे थे न कि रिपोर्ट कैसे दर्ज नहीं करता, रिपोर्ट दर्ज करता है कोई भी जाएगा तो दर्ज करेंगे। यह तो बलात्कार का केस था थानागाजी वाला लेकिन एसपी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एसपी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, फिर एसपी को सस्पैंड किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वह चुनाव की तारीख का इंतजार कर रहा था बापड़ा, उसका कोई दोष नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब आप उसको चुनाव से क्यों जोड़ते हो। एफआईआर दर्ज नहीं हुई, हमने किसी चीज पर पर्दा नहीं डाला। हम साफ स्वीकार करते हैं इस बात के लिए कि उस एसपी ने दर्ज नहीं की। उस एसपी को हटाया लेकिन एसपी ने जाते-जाते उन मुलजिमों को गिरफ्तार तो किया। पपला को बहरोड़ के थाने में पुलिस ने पकड़ा। उपलब्धि थी और जो कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही की वजह से शर्मिंदगी में भी बदल गई और पुलिस वालों के अपराधियों के साथ गठजोड़ के तथ्य भी सामने आए। उन पर भी हमने पर्दा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नहीं डाला। पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की, नौकरी तक से निकाल दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिए आप। अंकित नहीं होगा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ...(व्यवधान) पपला नहीं पकड़ा गया? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, मांग पास कराओ आप तो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पपला नहीं पकड़ा गया? (व्यवधान) पकड़ा गया था, लेकिन थाने से फरार हो गया। आप गलत कह रहे हो। गलत कह रहे हो आप, पकड़ा गया था वह थाने से फरार हो गया। (व्यवधान)

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। अंकित नहीं होगा। बैठिए आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पुलिस वालों के अपराधियों से गठजोड़ के तथ्य भी सामने आए। हमने उस पर भी पर्दा नहीं डाला। पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की और नौकरी तक से निकाला।

श्री सभापति: मांग पास कराइए, माननीय मंत्री महोदय। मांग पास कराइए अब तो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पपला की गैंग के 27 सदस्य आज भी हरियाणा में घूम रहे हैं। आप हरियाणा की सरकार से तो कहो क्यों उनको घुमाए-घुमाए फिरते हैं वे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: शांति से सुन लो। ऐसा क्यों करते हो। मांग पास कराओ, मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हमने किसी भी आदमी को डिस्टर्ब नहीं किया। किसी को भी नहीं किया हमने। मेहरबानी करिए जरा सुनने का माद्दा भी रखिए। वैसे ही

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आप लोगों के खिलाफ इनटोलरेंस का आरोप तो लगता ही है। यह लगता ही है आप पर इनटोलरेंस का तो। सभापति महोदय, 10 मिनट चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, शास्त्री नगर दो छोटी बच्चियों के अपहरण और बलात्कार की एक गंभीर चुनौती थी। मुलजिम पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रोफेशनली तरीके से इन दोनों प्रकरणों के जीवाणु को गिरफ्तार किया गया। 14.7.2019 को लूटी गई वर्ना कार और लूट में प्रयुक्त स्कार्पियो कार शंकरा रेजिडेंसी से बरामद की गई और तीन अन्य व्यक्तियों को, जिनका अपहरण करके फिरौती के लिए बंधक बनाया गया था उनको रेस्क्यू किया गया। अपहरण की और बंधक बनाने की तो एफआईआर तक दर्ज नहीं थी तो भी पुलिस ने कार्यवाही की। बड़ी-बड़ी कंपनियों का जैसे अभी बताया न जैसे आदर्श को-ऑपरेटिव सोसाइटी संयम लोढ़ा जी बोले। पहले आदर्श को-ऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रकरण में बड़े-बड़े नाम आए। एसओजी ने आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नवजीवन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निवेशकों से हजारों करोड़ रुपए की जो धोखाधड़ी की, उसमें 21 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपने दलित की बात की है, दलित और कमजोर वर्ग ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य। विराजिये आप। थोड़ा बहुत भी लिहाज है तो समझ लें। सारी सीमाएं पार कर दीं। बैठिए आप। सब देख रहे हैं आपको। अंकित नहीं हो रहा है। इतने पुराने आदमी हो, सीनियर आदमी हो बैठिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको कौन बोलने देगा, आपकी शक्ल ही +++ जैसी लगती है। डांगावास मेड़ता में दलितों का दिनदहाड़े दबंगों ने नरसंहार किया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय, कोई नहीं सुनना चाह रहा है, पास कराओ न आप भी। कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): करता हूं, आगे करता हूं। दलितों पर बोल लेता हूं। दबंगों ने नरसंहार किया दलितों का, लेकिन उस वक्त की मुख्य मंत्री जी एक बार भी वहां पर नहीं गई, एक बार भी नहीं गई वहां पर। झालावाड़ में जावर दलित परिवार की 12 साल की बच्ची का अपहरण हुआ, गैंगरेप हुआ। पुलिस प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए और मोटी रकम लेकर मामला दबाने का आरोप लगा। इसमें कोई दोराय नहीं 2018 में एससी के विरुद्ध अत्याचार 8.27 परसेंट बढ़े और एसटी के अत्याचार 11 परसेंट बढ़े हैं जिनमें हत्याएं बढ़ीं, गंभीर चोट, माल की क्षति बढ़ी। 2019 ...(व्यवधान) विराज जाओ।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। बैठिए आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य। नेता महोदय, कहिए आप इनको। विराजिये आप। सब देख रहे हैं आपको। बैठिए आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठ जाइए आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 2019 में फ्री रजिस्ट्रेशन की वजह से एससी, एसटी एक्ट के प्रकरण भी ज्यादा दर्ज हुए। हत्याओं में 8 से लेकर 20 परसेंट तक की कमी आई है और गंभीर चोट में 14 से लेकर 18 परसेंट तक की कमी आई है। साधारण तौर के अपराध के रजिस्ट्रेशन जरूर बढ़े हैं। दलितों के प्रति जो आपका अचानक प्रेम उमड़ा है, दलितों को लेकर कल भी आपने हंगामा किया क्योंकि मिलने तो वह आये थे किसी से और जैसे +++ लपकते हैं वैसे उस मामले को आपने लपक लिया, लपक कर यहां हंगामा कर दिया।

खुमार बाराबंकवी ने सियासत पर चार लाइन लिखीं हैं, वह मैं आपको सुनाता हूं। इसमें दो वर्ड हैं एक तो मखतन ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, कुछ भी अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, यह तो खाई पीई में हैं, आप तो नये-नये आये हो, कुछ सीख लो।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): खुमार बाराबंकवी का शेर है, जिसमें दो वर्ड हैं एक तो मखतन, मखतन स्लोटर हाउस को, और मखतून, मखतून मतलब बकरा।

मखतन का वो मंजर भी अब तक है निगाहों में

कि कातिल लिये फिरता था मखतून को बांहों में।

दलितों को आप बगल में लिये तो घूमते हो लेकिन काटते उन्हीं को हो।

महिलाओं के बाबत आपने बोला। इस बात के लिये मैं आपसे दावे से कहता हूं, भारत सरकार ने 2015 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के अनुसंधान के लिये प्रत्येक जिले के लिये एक इकाई SIUCAW स्थापित करने के लिये बजट उपलब्ध कराने की पेशकश की थी। यह तो आपको मालूम होगा कि पेशकश की थी, आपने ब-मुश्किल सिर्फ 7 जिलों में यह यूनिट खोली और हमने सिर्फ 6 माह में बिना केन्द्रीय सरकार की वित्तीय मदद के समस्त जिलों में यह यूनिट स्थापित कर दी। आज 40 जिलों में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फोर क्राइम अगेंस्ट द वूमन संचालित हैं। (व्यवधान) बजट का भी बता दूंगा आपको, अगर आप बजट के बाबत पूछ रहे हैं तो वह भी मैं आपको बता दूंगा। बजट के लिये आपने कहा कि इतना कम खर्चा हुआ है। सब प्रोसेस में है, पेमेंट होना बाकी है। जनवरी से लेकर मार्च तक का पेमेंट हो जायेगा तो पूरा बजट खतम हो जायेगा। आप बेफिक्र रहें, कहीं दिक्कत की बात नहीं है।

आपने ट्रेनिंग की बात की, आपके पास ट्रेनिंग करवाने की पांच हजार की तो कैपेसिटी थी और आपने कर ली 10900 आदमियों की भर्ती। क्या हुआ? अब हमने क्या किया है, हमने किया है लगातार चलती रहेगी, एक साथ नहीं करेंगे, लगातार भर्तियां चलती रहेंगी ताकि ट्रेनिंग अपने आप होती रहे।

मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा आप पर और मोटे तौर पर आरोप हैं भी नहीं, लेकिन काम करते-करते कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। आपने बीकानेर की नाबालिग से बलात्कार के मामले में परिजनों पर संदेह जाहिर कर दिया। आपको राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस दिया गया। भरतपुर के एक नाबालिग से बलात्कार के प्रकरण में आपने एन वक्त पर इन्वेस्टिगेशन आफिसर बदल दिया, हाई कोर्ट ने वापस उसको स्टे कर दिया। यह आरोप नहीं है, होता है, हो जाता है गलती से, इसमें कोई दोराय नहीं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

वैशाली नगर में घर में डकैती डालते समय दरिंदे ने एक विवाहिता के साथ बलात्कार किया। उसके मुलज़िमों को पकड़ने के लिये आपने पुलिस नहीं लगाई, पुलिस कहां लगाई। राठौड़ साहब के पालतू कुत्ते चार्ली को ढूंढने में पुलिस लगा दी। महिलाओं की बात है, तो 4 लाख 5 हजार महिलाओं को शैक्षणिक संस्थानों में आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। महिला चाहे वह नौकरी में हो, गृहिणी हो, छात्रा हो, प्रशिक्षण नि:शुल्क प्राप्त कर सकती है। गैलेंट्री प्रमोशन के लिये आपने कहा, गैलेंट्री प्रमोशन उत्कृष्ट कार्य करने वाले 74 जवानों को दिया गया है, जो अब तक के किसी भी वर्ष में सबसे ज्यादा हैं। (व्यवधान)

टाइम लगेगा साहब मुझे, करीब 15 मिनट और चाहिये। पुलिसकर्मी सदैव सतर्क रहकर जनता की सेवा करें। आप भी चाहते थे कि पुलिसकर्मी सदैव सतर्क रहकर जनता की सेवा करें। आप चाहते थे, हम भी चाहते हैं क्योंकि यह पुलिस न मेरी है, न तेरी है, पुलिस तो पुलिस की ही है। पुलिस महानिदेशक ने अपने कर्मियों पर 300 से ज्यादा डिकाय आपरेशन करवाये हैं। पहलू खां के माब लिंचिंग अनुसंधान में इतनी खामियां आप लोगों ने छोड़ीं जिससे अपराधी को सज़ा नहीं हो पाई। इस प्रकरण में मुलजिम बरी हो गये। बरी होने पर एसआईटी का गठन किया गया। प्राथमिक जांच करवाई गई और खामियों का पता लगाया गया ताकि प्रभावी अपील की जा सके। गलती करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोटेक्ट नहीं किया। जरूरत लगी तो अलवर, चूरू, बाड़मेर जिला एसपी को फौरन एपीओ किया। 2019 में 161 को मेजर पेनल्टी दी गई। 57 पुलिसकर्मियों को सर्विस से बाहर कर वापस घर पर भेज दिया। कस्टोडियल डैथ के बाबत बात कीजिए, तो कस्टोडियल डैथ में एसएचओ को सस्पैंड किया गया और बिना किसी जांच और अनुसंधान के पूरा थाना लाइन हाजिर हो जाता है।

आपने बाड़मेर का मामला उठाया, बाड़मेर के बाबत मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसको मारा, उसको पीटा और वह मर गया। यह बात खूब ज़ोरों से आपने यहां पर उठाई, वहां आंदोलन भी हुआ। आपमें से कई वहां गये भी सही, नतीजा क्या निकला? यह उसकी मेडिकल बोर्ड की मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें सब जगह उसको हैल्दी, हैल्दी लिखा है। इसकी नकल मैं आपको दे दूंगा। सब जगह हैल्दी, हैल्दी लिखा है। उसका वज़न ही कुल मिलाकर 48 किलो था।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह रिपोर्ट मैं दे दूंगा, आप भी किसी डाक्टर से दिखवा लेना कि क्या इस रिपोर्ट के अनुसार उस व्यक्ति के कोई एक थप्पड़ भी लगाया हो जिससे डैथ हो गई हो। यह देख लेना आप। गलत तथ्य रखकर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य, आपके नेता बोल रहे थे तब किसी ने बीच में इंटरवीन किया क्या? बोलने दें उनको अपनी बात। विराजिए, विराजिए। मेरा आग्रह है आपसे, विराजिए, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ग़लतबयानी करके यहां पर सनसनी पैदा कर देना, यह काम बन गया है। मैं आपको चार लाइन की बात सुनना चाहता हूं। अभिनेत्री नरगिस थीं, राज्य सभा की मैम्बर थीं। राज्य सभा में जब सत्यजीत रे को देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के इनाम मिले थे तो उसको धन्यवाद का प्रस्ताव पारित किया जा रहा था। उस वक्त नरगिस ने खड़े होकर यह कहा कि सत्यजीत रे ने क्या किया है, सत्यजीत रे ने देश की गरीबी ही तो दिखाई है और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई। उस पर तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी खड़ी हुईं और इंदिरा गांधी ने कहा कि मानवीय कल्याण और गरीब के उत्थान को दिखाया है उन्होंने, तुम्हें माफी मांगनी चाहिये। नरगिस ने फौरन मांफी मांगी और वह बैठ गईं। बाड़मेर के मामले में मेरा भी आपसे निवेदन है कि माफी मांगिए, आपने गलत तथ्य रखे हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, विराजिए। हाथ जोड़कर विनती है विराज जाइए अब आप।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कई माननीय सदस्यों ने पुलिसकर्मियों के सशक्तीकरण, उनके उत्साहवर्धन, उनके प्रोत्साहन, आधुनीकरण और कल्याण की बात उठायी है। कइयों ने कहा, वह बात बिलकुल सही थी, क्योंकि वाकई पुलिसकर्मी पर 14-

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

15 घंटे काम का वजन रहता है। यह इस तरह का रहता है कि जिससे वह हर तरह से परेशान हो जाता है। दु:ख झेलता है। पुलिस को और व्यवस्थित, पेशेवर, व्यवहार कुशल और प्रभावशाली बनाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। 2019 में पुलिस अकादमी राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। राजपत्रित कर्मियों के प्रशिक्षण की श्रेणी में राजस्थान को उत्तर भारत में प्रथम घोषित किया गया। पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में 10 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट पुलिस प्रशिक्षणों के लिए 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री ने मैडल भी प्रदान किये हैं।

मुख्य मंत्री महोदय ने पुलिस ट्रेनिंग कैम्प स्कूल, किशनगढ़ को क्रमोन्नत करके पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दर्जा प्रदान किया है। लंबे समय से रिक्त पदों को भरने के लिए कई सालों तक भर्ती नहीं करते हैं। बाद में एक साथ भर्ती करने की परिपाटी को बदलते हुए नियमित रूप से भर्ती की जाएगी और उनके प्रशिक्षण पर भी उचित ध्यान दिया जाएगा। यह नहीं कि एक साथ 10900 की भर्ती कर दी। नियमित रूप से भर्ती चलती रहेगी ताकि वे और लोग प्रशिक्षण भी प्राप्त करते रहेंगे।

अत्यधिक वर्क लोड होने की वजह से 60 परसेंट से ज्यादा पुलिसकर्मियों के परिजन यह मानते हैं कि अन्य व्यक्तियों के मुकाबले पुलिसकर्मी ज्यादा गुस्सैल होता है, चिड़चिड़े होते हैं और उनको मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं। पुलिसकर्मियों के कल्याण और तनाव मुक्त वातावरण के लिए कई चीजें की गईं, खेल कूद का भी किया, कुश्ती का भी किया। समय पर पदोन्नति मिलना एक पुलिसकर्मी के लिए हाइली मोटिवेटिंग होता है। 2019 में 170 कांस्टेबलों से, 111 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा (Outstanding Performance) के लिए आउट आफ टर्न विशेष पदोन्नति दी गयी, जिसके लिए आपने बोला था। स्टेट बजट से जो वाहन मिले हैं, उन पर लंबी चौड़ी बात बोलने से कोई लाभ नहीं है। ख्वामख्वाह आप बोलेंगे, आप कहें तो पढ़ दूं।

सड़क सुरक्षा की बात कर लेते हैं। साहब, बस अभी खतम कर रहा हूं। सड़क सुरक्षा की बात करता हूं। 2019 में 23,468 सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरण दर्ज हुए। 2008 की तुलना में वे 8 परसेंट ज्यादा थे। पुलिस को Bureau of Police Research and Development के मापदंडों के अनुसार.. यह Status

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

of Policing in India Report, उसी में लिखा हुआ है। उसी में लिखा होगा कि विभिन्न सरकारी एजेंसी जैसे एनसीआईबी, डीआरपीडी के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। पुलिस की नफरी, उसके संसाधन, कार्यस्थल की परिस्थितियां, अनुसंधान की प्रणाली, पुलिस में जनता की भागीदारी और सहभागिता एवं महिलाओं की पुलिस में भागीदारी, ये सब चीजें इसमें हैं। यह 2012 और 2016 की में, जिसमें कमियां बतायी गयी हैं। वह वक्त आपका था। ट्रेनिंग की स्थिति बहुत कमजोर है। मानव संसाधनों की कमी है। पुलिसकर्मियों के तनाव और कार्य भार के लिए सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया है।

पिछले कुछ समय में जो सड़क दुर्घटना के बाबत प्रयास किये गये, माह जनवरी में सड़क दुर्घटनाओं में 11 परसेंट, मृतकों में 9 परसेंट और घायलों में 17 परसेंट की कमी आयी है। यह हमारे प्रयास का नतीजा है, जिसकी वजह से जनवरी माह में कमी आयी है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

मैं आखिर में आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि बंदी खुराक भत्ता 30 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर सरकार द्वारा 70 रुपये प्रतिदिन किया गया है, जिसके लिए कुल 25 लाख रुपये का प्रावधान किया जाएगा। पुलिस कल्याण निधि में 50 लाख रुपये दिये जाएंगे। पुलिस स्पोर्ट्स फंड में एक करोड़ रुपये दिये जाएंगे और पुलिस उत्सव फंड में 50 लाख रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, आखिर में मैं चार लाइन बोलता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार प्रदेश में संवदेनशील, पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदारी पुलिस विभाग भी इस कार्यवाही का अहम हिस्सा है और यह पुलिस न तो सरकार की है, न कांग्रेस की है, न भाजपा की है। आपने कई पुलिसकर्मियों और पुलिस अफसरों की प्रशंसा की, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूं। पुलिसकर्मी कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न बन जाए, वह जनता का सेवक होता है। राजस्थान की पुलिस की ओर से पुन: यही आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान और देश की जनता की सेवा में राजस्थान की पुलिस हमेशा समर्पित रहेगी। जय हिन्द। (व्यवधान)

श्री सभापति: मांग पास कराने का प्रस्ताव करें।

अनुदान की मांग का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 16-पुलिस व मांग संख्या 17-कारागार को पारित किया जाए।

मांग संख्या 16 पुलिस

श्री सभापति: प्रश्न यह कि मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 70,46,87,15,000/- (सत्तर अरब छियालीस करोड़ सत्तासी लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17 कारागार

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17-कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,99,35,11,000/- (एक अरब निन्यानवे करोड़ पैंतीस लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 07 मार्च 2020 के प्रात: 11.00 बजे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.47 बजे शनिवार, दिनांक 07 मार्च 2020 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

मकराना के खनन प्रभावित क्षेत्रों में खालसा के रूप में दर्ज खानें

335. श्री रूपा राम (मकराना): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खनन प्रभावित क्षेत्र मकराना, बोरावड़, बिडियाद में रजिस्ट्रेशन शुदा खानों का श्रेणीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खनन प्रभावित क्षेत्र में कुल कितनी रजिस्ट्रेशन शुदा माइन्स (खानें) हैं? संख्या, रेंजवार, रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं लाइसेंस धारक के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खनन प्रभावित क्षेत्र में कितने खानधारियों ने निर्धारित मानदण्डों (पर्यावरण की पालना) में ई.सी. प्रमाण पत्र ले रखा है? खान संख्या व लाइसेंस धारक के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त खनन प्रभावित क्षेत्र में कितनी खानें बापी माइन्स के रूप में दर्ज हैं? संख्या व नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त खनन प्रभावित क्षेत्र में कितनी खानें खालसा के रूप में दर्ज हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खनन क्षेत्र मकराना, बोरावड़, बिडियाद में कुल 720 क्वारी लाइसेंस प्रभावशील हैं, जिनकी श्रेणीवार संख्या परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त क्षेत्र में 720 क्वारी लाइसेंस प्रभावशील हैं। रेंजवार प्रभावशील क्वारी लाइसेंसों की संख्या परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। क्वारी लाईसेन्स संख्या, रेंज एवं लाइसेंस धारक के नाम सहित विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) उक्त क्षेत्र में 695 क्वारी लाइसेन्स धारकों द्वारा पर्यावरण नियमों की पालना में पर्यावरण क्लीयरेन्स (ई.सी.) ले रखा है। ई.सी. प्राप्त करने वाले क्वारी लाइसेन्स धारक का नाम एवं संख्या का विवरण परिशिष्ट-3 में अंकित है।

(4) उक्त क्षेत्र में कुल 37 खानें बापी माइन्स के रूप में दर्ज हैं। उक्त बापी खानों की संख्या एवं नाम सहित विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(5) उक्त क्षेत्र में कुल 38 खानें खालसा/निरस्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सरदारशहर रोडवेज डिपो मैनेजर का अन्यत्र पदस्थापन

337. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकारी पद का दुरुपयोग करने वाले राजस्थान पथ परिवहन निगम के डिपो मैनेजर सरदारशहर, जिला चूरू एवं परिचालक विगत पन्द्रह वर्षो से स्थानीय प्रभारी का काम नियम विरुद्ध कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरदारशहर डिपो की आय अन्य डिपो से कम रहती है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आय कम रहने वाले डिपो में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को अन्यत्र लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त डिपो मैनेजर व अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन के सरदारशहर आगार में श्री परमेश्वर लाल सैनी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, मुख्य प्रबन्धक का कार्य दिनांक 21.08.2019 से लगातार कर रहे हैं तथा इनके विरुद्ध पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध कार्य करने से सम्बंधित कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

सरदारशहर आगार के वरिष्ठतम परिचालक श्री रामेश्वरलाल भास्कर को आदेश दिनांक 15.10.2018 द्वारा सरदारशहर स्थान प्रभारी से हटाया जाकर बुकिंग घर रतनगढ़ पर बुकिंग कार्य हेतु लगाया जा चुका है।

(2) सरदारशहर आगार द्वारा उपरोक्त अवधि में 2720.09 लाख रुपये का संचालन राजस्व अर्जित किया है। लक्ष्य की तुलना के अनुसार

(परिवहन मंत्री)

सरदारशहर आगार अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 तक निगम में 8वें स्थान पर है।

निगम के आगारों के माह अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 तक का संचयी आय का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के आगारों द्वारा अर्जित राजस्व प्रत्येक डिपो की भौगोलिक स्थिति, विशेष आयोजन, संचालन हेतु आबंटित मार्ग, आगार में उपलब्ध संसाधन एवं अन्य बिन्दुओं के अनुरूप पृथक-पृथक होता है।

(3) निगम में कम आय लाने वाले कार्मिकों से संवाद किया जाता है, मार्ग परिवर्तन किया जाता है। उसके उपरान्त भी सुधार नहीं होने पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही भी सम्पादित की जाती है।

(4) अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच एवं कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगढ़ में संचालित मदरसों को अनुदान

338. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के कौन-कौनसे गांवों में मदरसे संचालित हैं? उक्त में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? मदरसेवार विद्यार्थियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कौन-कौनसे मदरसों को सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला अलवर में मदरसा पैराटीचर्स के कितने पद कहां-कहां पर रिक्त हैं?

(4) क्या सरकार मदरसा पैराटीचर्स का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत 37 मदरसों की ग्रामवार सूची तथा अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में मदरसों में सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाओं हेतु राशि रुपये 24 लाख 47 हजार का व्यय किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) मदरसा शिक्षा सहयोगी का नियमित पद नहीं है। मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में संविदा के आधार पर शिक्षा सहयोगी लगाए जाते हैं। वर्तमान में अलवर जिले में 255 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं।

(4) मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प.5(1)मम/2019 दिनांक 01.01.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु श्री बुलाकीदास कल्ला, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया है। मदरसा शिक्षा सहयोगियों के संबंध में प्रकरण उक्त समिति के समक्ष विचाराधीन है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

सिवाना में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में देय सुविधाएं

339. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में आगंनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के नवसृजित तहसील मुख्यालय समदड़ी में नवीन महिला एवं बाल विकास अधिकारी का कार्यालय

(श्री हमीर सिंह भायल)

खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना के अन्तर्गत 2 परियोजनाएं क्रमशः सिवाना एवं सिणधरी संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत सिवाना में 281 एवं सिणधरी में 108 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलगन है।

(2) सरकार द्वारा वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है।

(4) विभाग के आदेश क्रमांक 101447 दिनांक 07.06.2018 के द्वारा बाल विकास परियोजनाओं का पुनर्निर्धारण किया गया, जिसके अनुसार सिवाना विधान सभा क्षेत्र में सिवाना-समदड़ी परियोजना संयुक्त नाम से सृजित हुई है, जिसका मुख्यालय सिवाना है। विभागीय स्तर पर नवसृजित तहसील समदड़ी के अनुसार नवीन बाल विकास परियोजना कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नवीन परियोजना कार्यालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के दृष्टिगत भारत सरकार की स्वीकृति के तहत ही खोले जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा संभाग में हानिकारक पौधों से पर्यावरण को नुकसान

340. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा संभाग में बड़ी संख्या में विलायती बबूल और जूलीफ्लोरा जैसे हानिकारक पौधों से भूमि और पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में प्रदेश में कितनी भूमि पर उक्त पौधे लगाये गये हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार को विगत पांच वर्षों में उक्त पौधों से आमजन के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप शर्मा)

(4) वर्तमान में कोटा संभाग में कितनी भूमि पर विलायती बबूल, जूलीफ्लोरा जैसे हानिकारक पौधे लगे हुए हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा संभाग में विलायती बबूल (Prosopis juliflora) से भूमि और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने की जानकारी अथवा ऐसा कोई विधिवत अध्ययन आधारित निष्कर्ष की सूचना वन विभाग को नहीं है।

(2) विगत 5 वर्षों में वन विभाग द्वारा प्रदेश में विलायती बबूल (Prosopis juliflora) के पौधे नहीं लगाये गये हैं।

(3) जी नहीं। विलायती बबूल (Prosopis juliflora) के पौधों से आमजन के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने के क्रम में विगत 5 वर्षों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) वर्तमान में कोटा संभाग में विलायती बबूल के पौधे लगी हुई जिलेवार भूमि का अनुमानित आकलन की स्थिति परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(5) जी नहीं। विगत वर्षों में वन विभाग द्वारा प्रदेश में विलायती बबूल के पौधों का रोपण नहीं किया गया है, किन्तु इस अवधि से काफी वर्षों पूर्व विभाग द्वारा मुख्य रूप से बंजर भूमि, वन भूमि, नंगी पहाड़ियों, दुर्दम्य (Refractory) जगहों पर भी विलायती बबूल अच्छी तरह से उग जाने की क्षमता होने के कारण, हरियाली बढ़ाने एवं स्थानीय लोगों की जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विलायती बबूल का पौधारोपण एवं बीजों का छिड़काव कराया गया था जिसके परिणाम सफल रहे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नदबई व उच्चैन में खेल स्टेडियम की स्थापना

341. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

क्या सरकार प्रदेश मे खेलों को बढ़ावा देने हेतु विधान सभा क्षेत्र नदबई एवं उच्चैन में खेल स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र नदबई एवं उच्चैन में खेल स्टेडियम बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाता है।

जायल में सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त श्रमिकों को मुआवजा

342. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल में विगत पांच वर्षों में कितने श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी हुई तथा कितने श्रमिकों को उपचार हेतु सहायता व मृत्यु उपरान्त मुआवजे का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त बीमारी की रोकथाम के लिए क्या-क्या उपाय किये गये व कितने श्रमिकों को डस्ट मास्क वितरित किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत ''निर्माण श्रमिक'' अथवा ''निर्माण कार्यों में नियोजित'' पंजीकृत हिताधिकारियों हेतु चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में ही एक योजना ''सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना'' है, जिसका क्रियान्वयन भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा किया जाता है। उक्त योजना में स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार के ''न्यूकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड'' द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक को सिलिकोसिस से पीड़ित होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त मण्डल द्वारा पीड़ित होने पर 2 लाख रुपये तथा पीड़ित की मृत्यु होने पर आश्रितों को 3 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

''न्यूकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड'' द्वारा विधान सभा क्षेत्र जायल में विगत 5 वर्षों में श्रमिकों को उक्त बीमारी से प्रमाणित किया है, की सूचना मण्डल द्वारा संधारित नहीं की जाती है। मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा मृत्यु होने की दशा में उसके आश्रितों द्वारा सहायता आवेदन प्रस्तुत करने पर सहायता राशि दी जाती है।

विधान सभा क्षेत्र जायल में विगत 5 वर्षों में कुल 160 पंजीकृत हिताधिकारियों को उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। उक्त में से 157 हिताधिकारियों को सिलिकोसिस से ग्रसित होने पर 2.31 करोड़ रुपये राशि से लाभान्वित किया है तथा 3 हिताधिकारियों की सिलिकोसिस से मृत्यु उपरान्त आश्रितों को 9 लाख रुपये राशि से लाभान्वित किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) श्रम विभाग के अंतर्गत गठित मण्डल द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों के सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित श्रमिकों के चिन्हीकरण करने तथा इसकी रोकथाम हेतु श्रमिकों व नियोजकों को जागरूक करने के उद्देश्य से संविदा पर एक व्यवसायजन्य बीमारियों के विशेषज्ञ की सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई है। अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में 107 शिविर आयोजित कर 5898 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा 2695 श्रमिकों के सिलिकोसिस से पीड़ित पाये गये श्रमिकों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित की जा चुकी है जिससे ''न्यूकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड'' द्वारा यथाशीघ्र प्रमाणित किया जा सके एवं सहायता राशि के माध्यम से मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके आश्रितों को लाभान्वित किया जा सके।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर में पशुओं में बीमारी की रोकथाम की कार्ययोजना

343. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के राजकीय पशु चिकित्सालयों, पशु उप केन्द्रों में गलघोंटू, मुआव, फिडकिया आदि

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

बीमारियों की दवाई, वैक्सीन आदि उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों एवं कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी पशु चिकित्सालयों एवं उप केन्द्रों में चिकित्सकों एवं पशुधन सहायकों के स्वीकृत पद रिक्त है? यदि हां, तो कब से? चिकित्सालयवार, उपकेन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में बीमारियों की दवाइयां, वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराने एवं रिक्त पदों को नहीं भरने से पालतू एवं दुधारू पशुओं की विगत तीन वर्षों से मृत्युदर में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के पालतू एवं दुधारू पशुओं की जीवन रक्षा एवं पर्याप्त दूध उत्पादन हेतु सभी पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने तथा पर्याप्त दवाइयां, वैक्सीन आदि उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की समस्त पशु चिकित्सा संस्थाओं में पर्याप्त मात्रा में टीके एवं जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध हैं।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की पशु चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

पशु चिकित्सा संस्थाओं से प्राप्त मांग एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार आवश्यक दवाइयों एवं वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर में नंदीशाला व कांजी हाउस को देय अनुदान

344. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मेवाराम जैन)

(1) नंदी गौशाला एवं कांजी हाउस बाड़मेर की स्थापना कब हुई? इनका लोकार्पण किनके द्वारा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नंदी गौशाला एवं कांजी हाउस बाड़मेर को 50 लाख की अनुदान की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब? सरकार द्वारा उक्त अनुदान राशि दिये जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नंदी गौशाला, नगर परिषद्, बाड़मेर का लोकार्पण दिनांक 29.08.2019 को हुआ।

नंदी गौशाला, नगर परिषद् बाड़मेर का लोकार्पण माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा किया गया।

(2) जी हां। दिनांक 29.08.2019 को उक्त नंदी गौशाला एवं कांजी हाउस बाड़मेर को 50 लाख की अनुदान की घोषणा की गई थी।

घोषणा की अनुपालना में दिनांक 03.03.2020 को नंदी गौशाला, नगर परिषद्, बाड़मेर को सहायता राशि रु. 50 लाख का आबंटन किया जा चुका है।

सहाड़ा की बंद स्पिनफैड गंगापुर मिल को पुनः प्रारम्भ करने की योजना

345. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में स्थित स्पिनफैड गंगापुर मील को किस दिनांक से बंद किया गया है? क्या सरकार उक्त मील को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त स्पिनफैड मील को बंद करते समय कर्मचारी व मजदूरों की कुल कितनी संख्या थी? किस-किस पद पर कौन-कौन कर्मचारी क्या कार्य कर रहे थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में किन-किन कर्मचारियों व मजदूरों को किस-किस विभाग में समायोजित किया गया? शेष श्रमिकों के संबंध में सरकार क्या विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्पिनफैड की गंगापुर इकाई की उत्पादन प्रक्रिया दिनांक 18.06.2016 को स्थगित की गई थी।

राज्य सरकार द्वारा स्पिनफैड को कई बार राशि उपलब्ध कराकर चलाने की कोशिश की गई परन्तु बाजार की स्थिति के मध्यनजर संस्था में निरन्तर हानि होती रही। तत्पश्चात् तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं ली गई उन्होंने इसको वाईबल नही माना। तदुपरांत मंत्रिमण्डलीय कमेटी में निर्णय लिया जाकर मंत्रिमण्डलीय आज्ञा सं. 131/2016 दिनांक 21.11.2016 से विधिक रूप से बंन्द करने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत स्पिनफैड का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाकर संस्था का क्लोजर कर दिया गया है। अत: स्पिनफैड को पुन: चलाया जाना सम्भव नही है।

(2) स्पिनफैड इकाई गंगापुर को बंद करते समय मील में कुल 33 अधिकारी/कर्मचारी एवं 875 श्रमिक कार्यरत थे। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) गंगापुर इकाई के 14 अधिकारी/कर्मचारियों एवं 72 श्रमिकों का विभिन्न विभागों में समायोजन किया जा चुका है। 14 अधिकारी/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किया जा चुका है एवं 5 अधिकारी/ कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। 875 श्रमिकों में से 458 श्रमिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गये एवं 7 श्रमिक सेवानिवृत्त/मृतक हैं। 205 श्रमिक विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। 109 अस्थाई श्रमिक जिन्होंने 240 दिन का कार्यकाल पूर्ण नही किया था, उनकी सेवाएं समाप्त हो गई थीं। 11 श्रमिक मील की सुरक्षा इत्यादि कार्यो हेतु इकाई में कार्यरत हैं। 23 श्रमिकों की शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के कारण उनका प्रतिनियुक्ति/ समायोजन नहीं हो सका है। योग्यताधारी कर्मचारियों/श्रमिकों के समायोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कोटा संभाग में स्कूली वाहनों का निरीक्षण

346. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने निजी विद्यालयों में बच्चों को लाने व ले जाने

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

वाले वाहनों के लिए और समस्त बाल वाहिनियों और एम्बुलेन्स के लिये कोई दिशा-निर्देश जारी कर रखे है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के निजी विद्यालयों में बच्चों को लाने व ले जाने के काम में लगे हुए वाहन, बालवाहिनी और कई एम्बुलेन्स चालक उक्त नियमों की पूरी तरह से पालना नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है?

(4) कोटा संभाग में विगत पांच वर्षों में विभाग द्वारा स्कूली वाहनों और बाल वाहिनियों और एम्बुलेन्स का निरीक्षण कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विगत पांच वर्षों में ओवरलोडेड वाहनों और स्कूली वाहनों की दुर्घटना के कुल कितने मामले सामने आये? उक्त में से कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा कितने लोग घायल हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) विगत तीन वर्षों में सरकार को एनजीटी से कोई दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त की पूरी तरह से पालना कर दी है?

उत्तर

(1) जी हां। निजी स्कूलों में बच्चों को लाने और ले जाने वाले वाहनों और समस्त बाल वाहिनियों के लिए परिवहन विभाग एवं उच्चतम न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

एम्बुलेंस वाहनों के पंजीयन एवं फिटनेस के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर रखे हैं। प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रदेश के निजी विद्यालयों में बच्चों को लाने और ले जाने के काम में लगे हुए वाहन, बाल वाहिनी और एम्बुलेन्स के कुछ चालक इन नियमों की पूरी तरह से पालना नहीं कर रहे हैं।

ऐसे चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है। उड़नदस्तों द्वारा उक्त श्रेणी के वाहनों की औचक चैकिंग की जाकर प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

बाल वाहिनी योजना के सुचारु एवं सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में संयोजक समिति का गठन किया गया है जो बाल वाहिनियों की नियमित समीक्षा करती है।

(परिवहन मंत्री)

(3) जी हां। स्कूली वाहनों, बाल वाहिनियों एवं एम्बुलेन्सों का विभाग के उड़नदस्तों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है।

(4) कोटा संभाग में विगत 5 वर्षों में परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहनों, बालवाहिनी एवं एम्बुलेन्स के निरीक्षण किये जाने का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) विगत 5 वर्षों में ओवरलोडेड वाहनों के 252 और स्कूली वाहनों की दुर्घटना के 142 मामले सामने आये। इन दुर्घटनाओं में कुल 394 लोगों की मृत्यु तथा 1080 लोग घायल हुए। विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(6) जी हां। सरकार द्वारा एनजीटी से प्राप्त दिशा-निर्देशों की पालना रिपोर्ट परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

पाली जिले में संचालित मदरसे

347. श्री अविनाश (जैतारण): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में कुल कितने मदरसे हैं? इनमें कितने सरकारी व कितने निजी स्तर पर संचालित हैं तथा कितने छात्र व छात्राएं अध्ययनरत हैं? स्थानवार व संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मदरसों पर प्रतिवर्ष वेतन व अन्य मद पर वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक कितना व्यय किया गया? वर्षवार मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में सरकारी मदरसों में कितने पद स्वीकृत हैं व कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कुल कितने मदरसे संचालित हैं? ग्रामवार, संचालन प्रारम्भ होने का वर्ष, छात्रों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने मदरसे पंजीकृत हैं और कितने अपंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत 72 मदरसे हैं। निजी स्तर पर संचालित मदरसों की सूचना मदरसा बोर्ड द्वारा संधारित नहीं की जाती है। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में कुल 1511 छात्र एवं 1191 छात्राएं अध्ययनरत हैं। स्थान एवं कक्षानुसार संख्या का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त मदरसों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को वर्ष 2015 से अब तक मानदेय पर कुल व्यय राशि रुपये 2 करोड़ 62 लाख तथा सुविधाओं पर कुल व्यय राशि रुपये 74 लाख 20 हजार है।

वर्षवार मदरसावार मानदेय एवं सुविधाओं पर किये गये व्यय का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-2 एवं परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) मदरसा शिक्षा सहयोगी का नियमित पद नहीं है। मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में संविदा के आधार पर शिक्षा सहयोगी लगाए जाते हैं। वर्तमान में पाली जिले में 69 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं।

(4) वर्तमान में जैतारण विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत 25 मदरसे हैं।

ग्रामवार संख्यावार पंजीकृत मदरसों का नाम, संचालन प्रारम्भ होने का वर्ष, छात्रों की संख्या सहित सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) जैतारण विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा 25 मदरसे पंजीकृत हैं। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा अपंजीकृत मदरसों की सूचना संधारित नहीं की जाती है। विवरण परिशिष्ट "4" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली की औद्योगिक इकाइयों में जल परिशोधन संयंत्र की स्थापना

348. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में पाली की किस-किस औद्योगिक इकाई के जल परिशोधन संयंत्र (ई.टी.पी.) लगाने एवं प्रारम्भ करने के आवेदन कितने-कितने समय से, किन-किन कारणों से लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत एक वर्ष में पाली में किस-किस औद्योगिक इकाई को किस-किस तकनीक का जल परिशोधन संयंत्र लगाने की स्वीकृति जारी की गई?

(श्री ज्ञानचंद पारख)

(3) क्या सरकार लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में पाली स्थित 02 इकाइयों के जल परिशोधन संयंत्र की स्थापना एवं संचालन सम्मति के आवेदन पत्र लम्बित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) विगत एक वर्ष में पाली में निम्न 04 औद्योगिक इकाइयों को मैकेनिकल वैपर रिकम्प्रेसर (एमवीआर) तकनीक का शून्य निस्त्राव संयंत्र लगाने की स्थापना हेतु सम्मति जारी की गई:-

1. मै. ज्योति टेक्सटाइल मिल्स, एफ-31, पुनायता औद्योगिक क्षेत्र, पाली
2. मै. श्री पदमावती डाइंग, एफ-72, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, पाली
3. मै. शुभम फैब्रिक्स, एफ-73-76, रीको औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, पाली
4. मै. ताड़केश्वर रामेश्वर, ई-236, रीको औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, पाली

(3) जी हां। लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण उद्योग से चाही गई पूर्ण सूचना/दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र कर दिया जायेगा।

आवेदन प्राप्ति की दिनांक	**लम्बित रहने का कारण**
25.04.2019	उद्योग को पत्र दिनांक 24.01.2020 द्वारा आवेदन में पायी गयी कमियों की पूर्ति हेतु लिखा गया था जिसका जवाब दिनांक 17.02.2020 को प्राप्त हुआ है जो कि विचाराधीन है।
23.01.2020	उद्योग को पत्र दिनांक 18.02.2020 द्वारा आवेदन में पायी गयी कमियों की पूर्ति हेतु लिखा गया था जिसका जवाब अपेक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्र व छात्राओं का ड्राप आउट प्रतिशत

349. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के राजकीय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष छात्र व छात्राओं को अनेक व्यवसायों में प्रवेश दिया जाता है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में कितनों को प्रवेश दिया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अनेक छात्र व छात्राएं ड्राप आउट हुए हैं? यदि हां, तो कितने प्रतिशत? क्या ड्राप आउट के आंकड़े कम करने हेतु सरकार द्वारा प्रयास किये गये? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विगत दो वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दस्तकार प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश दिया जाता है। विगत 02 वर्षों का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) राज्य में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गत 02 वर्षों में ड्राप आउट हुए प्रशिक्षणार्थियों का विवरण मय ड्राप आउट प्रतिशत परिशिष्ट-01 में निहित है।

राज्य सरकार द्वारा संस्थानों में ड्राप आउट की संख्या कम करने हेतु संस्थानों में नियमित रूप से अभिभावक-अनुदेशक बैठक के आयोजन को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर में श्रम कल्याण की योजनाओं की क्रियान्विति

350. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नागौर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर विगत एक वर्ष से उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि हां, तो कितने आवेदन लम्बित हैं? अब कब तक उक्त के निस्तारण की कार्यवाही कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। मण्डल द्वारा नियमित रूप से योजना आवेदनों का नियमानुसार ''पहले आओ पहले पाओ'' पद्धति से निस्तारण किया जा रहा है। नागौर जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 65,998 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 19,102 आवेदन स्वीकृत, 13,061 आवेदन निरस्त, 23,534 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर आक्षेप पूर्ति हेतु लंबित हैं तथा 10,301 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रासंगिक है कि नागौर जिले मे गत एक वर्ष में 6762 आवेदन स्वीकृत, 8081 आवेदन निरस्त, 21,039 हिताधिकारी के स्तर पर आक्षेप पूर्ति हेतु लंबित है तथा 3,333 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपकर राशि का प्रयोग अधिनियम की धारा 22 (ए) से (जी) तक उल्लेखित विषयों पर बनाई गई योजनाओं में लाभ अन्य कल्याणकारी योजना की अपेक्षा प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में सीमित फण्ड उपलब्धता तथा संवेदनशीलता की दृष्टि से सिलिकोसिस सहायता, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता, शिक्षा सहायता एवं टूलकिट सहायता के आवेदनों को वरीयता देते हुए निस्तारित किया जा रहा है। शुभशक्ति योजना के 2016-17 में प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त पात्र श्रमिकों को हितलाभ देने का निर्णय लिया गया है। लंबित आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण फीफो (पहले आओ, पहले पाओ) पद्धति से नियमित रूप से किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सवाई माधोपुर में पशु मेलों का आयोजन

392. श्री दानिश अबरार (सवाई माधोपुर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सवाई माधोपुर में कहां-कहां पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में विगत पांच वर्ष में कब-कब एवं कौन-कौनसे पशु मेलों का आयोजन किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में कोई पशु मेले का आयोजन नहीं किया जाता है।

(2) प्रदेश में गत पांच वर्षों में आयोजित किये गये राज्य स्तरीय पशु मेलों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित किसान

393. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2017 से वर्ष 2019 तक कितने किसानों का बीमा करवाया गया? बीमित किसानों की पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बड़ी संख्या में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल सका है? वंचित किसानों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2017 से 2019 तक 17 लाख 49 हजार 617 कृषक फसल बीमा पालिसियां सृजित की गईं, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय संस्थानों से कृषि ऋण लेने वाले कृषकों का फसल बीमा अनिवार्य

(कृषि मंत्री)

आधार पर किया जा रहा है। गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान के अनुसार पात्र बीमित कृषकों को योजना का लाभ मिल रहा है।

योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया गया है, जिसके फलस्वरूप राज्य में वर्ष 2018-19 में कुल फसल बीमा पालिसियां 71.80 लाख एवं 2019-20 में 82.73 लाख पालिसियां सृजित की गई हैं। वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 15.22 प्रतिशत अधिक फसल बीमा पालिसियां सृजित की गई हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ में राजकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना

394. श्री विनोद कुमार (हनुमानगढ़): क्या तकनीकी शिक्षा [कृषि] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधीन एक कृषि अनुसंधान केन्द्र संचालित है? क्या सरकार उक्त जिला मुख्यालय पर राजकीय कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। स्वामी केशवानन्द विश्वविद्यालय, बीकानेर के अन्तर्गत हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर एक कृषि अनुसंधान उप-केन्द्र संचालित है। वित्तीय बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन एक डेयरी प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी संकाय की स्थापना करने की घोषणा की गयी है।

चौधरी गिरधारी राम ढाका शिक्षा समिति हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ मुख्यालय पर वर्ष 2019-20 से कृषि महाविद्यालय संचालित किया जा रहा है। हनुमानगढ़ मुख्यालय पर भविष्य में आवश्यकता, औचित्य तथा उपलब्ध संसाधनों के विवेचन अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। कृषि महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

उपखण्ड स्तर पर नवीन पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

395. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान कहां-कहां संचालित हैं?

(2) क्या उप खण्ड स्तर पर भी पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है? यदि हां, तो कहां-कहां पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष उप खण्ड स्तरों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में संचालित पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उपखण्ड स्तर पर संचालित पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) निजी क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा संस्थान के संबंध में विभागीय नीति 2020 तैयार की गई है।

पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान आवश्यकता अनुसार खोले जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

फेल्सपार खनिज के अवैध निर्यात पर रोक

396. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या फेल्सपार खनिज के प्रदेश के बाहर निर्यात पर सरकार ने रोक लगा रखी है? यदि हां तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान एवं विगत तीन वर्षों में फेल्सपार खनिज का प्रदेश के बाहर निर्यात की मात्रा एवं मूल्य क्या है? वर्तमान एवं विगत चार वर्षों में

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

प्रदेश में फेल्सपार खनिज का कितनी मात्रा में खनन हुआ एवं प्रदेश को कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

(3) फेल्सपार खनिज के प्रदेश के बाहर अवैध परिवहन के कितने प्रकरण वर्तमान एवं विगत तीन वर्षों में पकड़े गए हैं एवं उक्त में कितनी मात्रा व मूल्य का खनिज पकड़ा गया?

(4) फेल्सपार खनिज के प्रदेश के बाहर अवैध निर्यात रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राज्य की फेल्सपार ग्राइंडिंग इकाइयों को संरक्षण प्रदान करने, नवीन खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने, रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने, खनिज फेल्सपार संपदा के मूल्य संर्वधन से अधिक राजस्व प्राप्ति तथा उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से जनहित में अधिसूचना दिनांक 05.10.2018 से खनिज फेल्सपार लम्प्स तथा अधिसूचना दिनांक 10.03.2019 से खनिज फेल्सपार ग्रेन्स, चिप्स एवं गिट्टी के राज्य के बाहर निर्गमन पर दिनांक 04.10.2021 तक के लिए रोक लगाई गई है।

(2) खनिज के राज्य के बाहर निर्गमन एवं उसके मूल्य के संबंध में विभाग द्वारा पृथक से अभिलेख संधारित नहीं किया जाता है। वर्तमान एवं विगत चार वर्षों में राज्य में खनिज फेल्सपार के खनन तथा उससे प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	**वर्ष**	**खनन (मैट्रिक टन में)**	**राजस्व (लाख में)**
1	2015-16 से 2018-19	20400872.61	13492.00
2	2019-20 (31.01.20 तक)	7233348.38	3860.60

(3) वर्तमान एवं विगत तीन वर्षों में राज्य के बाहर खनिज फेल्सपार लम्प्स, ग्रेन्स, चिप्स एवं गिट्टी के अवैध परिवहन के पाये गये प्रकरण, खनिज की मात्रा एवं उसका अनुमानित मूल्य (रायल्टी राशि का 10 गुना) का विवरण निम्नानुसार है:-

(खान मंत्री)

क्र. स.	वर्ष	प्रकरण	मात्रा (मैट्रिक टन में)	अनुमानित मूल्य (लाख में)
1	2016-17	शून्य	शून्य	शून्य
2	2017-18	शून्य	शून्य	शून्य
3	2018-19	827	47731.13	276.96
4	2019-20 (31.01.20 तक)	193	7542.96	139.82

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा अधिसूचना दिनांक 05.10.2018 एवं 10.03.2019 के क्रम में दिनांक 05.10.2018 से 20.04.2019 तक की अवधि के ई-रवन्ना व ई-टी.पी. के ऑनलाइन डेटा का विश्लेषण किया गया जिसके अनुसार 1069 ई-रवन्ना एवं 3583 ई-टी.पी. से उक्त अधिसूचना के उल्लंघन में खनिज फेल्सपार, लम्प्स, ग्रेन्स, चिप्स एवं गिट्टी, मात्रा 181430 मैट्रिक टन का निर्गमन किया जाना बताया गया।

(4) राज्य में अधिसूचना दिनांक 05.10.2018 एवं 10.03.2019 से लगाई गई रोक के पश्चात् राज्य के बाहर प्रतिबंधित खनिज की रोकथाम बाबत विभाग द्वारा आकस्मिक एवं लगातार चैकिंग/निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। खनिज फेल्सपार के सर्वाधिक खपत वाले राज्य गुजरात की रतनपुर सीमा (जिला-डूंगरपुर) एवं मंडार रेवदर, मालव आबू रोड सीमा (जिला-सिरोही) पर चैकिंग हेतु चैक पोस्ट लगाई हुई है। खनिज के अवैध निर्गमन रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही हेतु नियम बने हुए हैं, जिसके तहत विभाग द्वारा नियमानुसार समुचित कार्यवाही की जा रही है।

दौसा जिले में दुग्ध सहकारी समितियों में अपमिश्रित दूध की शिकायतें

397. श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2019-20 में जिला दौसा में संचालित किन-किन दुग्ध सहकारी समितियों में अपमिश्रण की शिकायतें प्राप्त हुई तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गजराज खटाणा)

(2) उक्त अपमिश्रण दूध की रोकथाम के लिए सरकार व डेयरी द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दौसा जिले में माह अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 तक अपमिश्रण की शिकायतें प्राप्त होने वाली दुग्ध सहकारी समितियों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**समिति का नाम**	**कोड नं.**
1	खोहरा	1383
2	गोपालपुरा	2124
3	चहर वाली ढाणी	2482
4	गढ़ी	308
5	चौधरी की ढाणी	2355
6	खैरपुर	2409
7	ढाणी बगडेडा	2420
8	हीगी	2285
9	खौन्द की ढाणी	2391
10	वीर तेजाजी की ढाणी	2343
11	भटटपुरा	2184
12	टीकरी जाफरान	577

संचालक मण्डल के निर्णय अनुसार अपमिश्रण वाली दुग्ध समितियों का दुग्ध परिवहन बन्द कर दिया गया।

(2) मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए समिति स्तर पर समिति सचिव द्वारा दुग्ध संकलन करते समय दूध को सूंघकर, चखकर एवं जांच कर ही प्राप्त किया जाता है।

मिलावटी दूध की जांच करने के लिए समिति स्तर पर एडल्ट्रेशन जांच किट दिये हुए हैं।

समिति स्तर पर समय-समय पर दुग्ध उत्पादकों को स्वच्छ एवं शुद्ध दुग्ध उत्पादन करने हेतु जागरूक किया जाता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर समिति के दूध का सैम्पल लेकर जांच की जाती है।

(गोपालन मंत्री)

दुग्ध अवशीतन केन्द्र/जयपुर डेयरी संयंत्र पर दुग्ध समितियों से प्राप्त दूध की जांच सूंघकर, चखकर एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से विभिन्न प्रकार की मिलावटी की जांच कर शुद्ध दूध का ही संकलन किया जाता है।

गोवंश की तस्करी रोकने की कार्ययोजना

398. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गौवंश पालन तस्करी से बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

(2) वर्तमान सरकार द्वारा गौवंश के संबंध में घोषित नीति के संबंध में अब तक क्या-क्या लक्ष्य प्राप्त किये गये एवं किन-किन लक्ष्यों की क्रियान्वित शेष है?

(3) सरकार द्वारा सेस से संबंधित कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु आबंटित की गई व अब तक उक्त राशि का कितना-कितना उपयोग हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में गौवंश पालन तस्करी से बचाने व सेवा हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास निम्नानुसार हैं -

1. राजस्थान गौ वंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम संशोधन अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है जो परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।
2. सरकार द्वारा गौवंश पालन तस्करी की रोकथाम हेतु पृथक से 12 पुलिस चौकियों की स्थापना की गयी है जो परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।
3. गौ तस्करी की रोकथाम हेतु महानिरीक्षक पुलिस अपराध शाखा राजस्थान जयपुर को राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। जिला स्तर पर भी संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक/ उपायुक्त पुलिस को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त आदेश की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।
4. गौ तस्करी की रोकथाम हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं। परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(गोपालन मंत्री)

(2) गौवंश के संबंध में वर्तमान में कोई स्पष्ट नीति घोषित नहीं है।

(3) गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि में स्टाम्प ड्यूटी एवं मदिरा की बिक्री के वैट पर लगाये गये अधिभार से प्राप्त राजस्व में से वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निदेशालय गोपालन को आबंटित बजट एवं व्यय की सूचना निम्नानुसार है -

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	**कार्य**	**बजट आबंटन**	**व्यय**
1	गौशालाओं को अनुदान	47200.00	45854.00
2	गौशालाओं/नंदी गौशालाओं में आधारभूत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु	1696.45	00.00
3	आरक्षित कोष	1850.00	1067.39

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा जिले में डी.एम.एफ.टी. योजना में स्वीकृत राशि

399. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला दौसा में डी. एम. एफ. टी. के अन्तर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में कितनी-कितनी राशि जमा हुई एवं उक्त वर्षों में किस-किस मद में, किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त जिले में डी. एम. एफ. टी. के अन्तर्गत कितनी राशि जमा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दौसा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट में वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 115.84 लाख, वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 81.08 लाख एवं वर्ष 2019-20 (दिनांक 31.01.2020 तक) में राशि रुपये 113.61 लाख जमा हुई है। उक्त राशि में से वर्ष 2017-18 में कुल 06 विकास कार्यों पर राशि रुपये 17.60 लाख व्यय हुई है। विधान सभावार, कार्यवार विवरण परिशिष्ट-1 पर

(खान मंत्री)

उपलब्ध हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त डीएमएफटी खाते की वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के अंकेक्षण में राशि रुपये 0.27 लाख व्यय हुई है।

(2) वर्तमान में दौसा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट के अन्तर्गत राशि रुपये 292.66 लाख (दिनांक 31.01.2020 तक) जमा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरजगढ़ में पंजीकृत गोशालाओं में देय अनुदान

400. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में कौन-कौनसे स्थानों पर पंजीकृत गौशालाएं हैं? उक्त गौशालाओं में कितना-कितना गौधन है? गौशालावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित गौशालाओं को दिये गये अनुदान राशि का विवरण गौशालावार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गौशालाओं में मांग के अनुसार उन्नत नस्ल के सांड उपलब्ध कराये जाते हैं? यदि हां, तो उक्त अवधि में कौन-कौनसी गौशालाओं में उन्नत नस्ल के सांड उपलब्ध कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पंजीकृत गौशालाएं एवं उसमें संधारित गौधन की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 में उल्लेखित प्रावधानों को पूर्ण करने वाली गौशालाओं को उनमें आवासित गौवंश के भरण पोषण हेतु सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्थित गौशालाओं को दिये गये अनुदान की राशि के विवरण की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूचनाएं पुस्तकालय में रखी गयीं)

बामनवास में ग्राम सहकारी समितियों में मिनी बैंक खोलने की योजना

401. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सहकारी समितियों के रूप में मिनी बैंक खोलने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्तमान में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियां मिनी बैंक के रूप में संचालित हैं तथा कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में अब तक सहकारी समितियां मिनी बैंक के रूप में नहीं हैं? ग्राम पंचायत का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शेष रही ग्राम पंचायतों में कब तक सहकारी समितियों के रूप में मिनी बैंक खोल दिए जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग के पत्र क्रमांक फा.97(29) सविरा/बैंक-3/08/ दिनांक 02.08.2010 से सहकारी समितियों में मिनी बैंक स्थापित करने हेतु संचय योजना संशोधित कर जारी की गई। योजना की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में 39 ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियां मिनी बैंक के रूप में संचालित हैं। ग्राम पंचायतवार सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा योजना के अनुसार मापदण्ड पूर्ण किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(प्रति व सूचना पुस्तकालय में रखी गयीं)

जोधपुर संभाग में बीमित किसानों को दुर्घटना बीमा क्लेम राशि का भुगतान

402. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 की अवधि के दौरान दुर्घटनाग्रस्त जोधपुर संभाग के जिलों के बीमित किसानों को बीमा

(श्री जगसी राम)

कम्पनियों द्वारा दुर्घटना क्लेम का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि उक्त बीमित किसान सहकारी बैंकों से ऋण आहरित करने के उपरांत राशि रुपये 10 लाख तक के दुर्घटना बीमा क्लेम प्राप्त करने के पात्र रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार अब कब तक उक्त किसानों को दुर्घटना बीमा क्लेम दिलाने का विचार रखती है? बीमा कम्पनीवार लंबित प्रकरणों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2019 से जनवरी 2020 की अवधि के दौरान दुर्घटनाग्रस्त जोधपुर संभाग के 6 जिलों के बीमित किसानों के बीमा कम्पनी को कुल 102 दावे राशि रुपये 1015.00 लाख के प्रेषित किये गये, जिसमें से बीमा कम्पनी द्वारा 23 क्लेम राशि रुपये 230.00 लाख का भुगतान किया गया है। बीमा कम्पनी से बकाया दावों के भुगतान के संबंध में निरन्तर पत्राचार किया जा रहा हैं एवं बैठकों के माध्यम से भी दावों के निष्पादन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

(2) पात्र बीमा क्लेम दिलाने हेतु रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर एवं प्रबंध निदेशक, शीर्ष सहकारी बैंक के स्तर पर विभिन्न बैठकों, पत्रों व दूरभाष के माध्यम से बीमा कम्पनियों को दावा निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया है। जोधपुर संभाग के लम्बित प्रकरणों की विगत परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कारगिल शहीदों के आश्रितों को देय मानदेय में वृद्धि

403. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कारगिल शहीदों के माता-पिता को कारगिल पैकेज में से 2000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है?

(2) क्या सरकार उक्त का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अविवाहित शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने का

(श्री गिरधारीलाल)

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सरकार द्वारा कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। अत: बढ़ाने का प्रश्न नहीं है।

(3) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झालावाड़ में रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लम्बित पेंशन प्रकरण

404. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण लंबित चल रहे हैं? यदि हां, तो झालावाड़ आगार में कितने कर्मचारियों के कितने प्रकरण कब से लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निगम में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण कर उन्हें पेंशन व अन्य परिलाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के झालावाड़ आगार से सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनके पेंशन के प्रकरण लम्बित चल रहे हैं, उनका विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। झालावाड़ आगार के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनके पेंशन हेतु प्रकरण लम्बित हैं, उनका शीघ्र ही निस्तारण कर पेंशन से सम्बन्धित कार्यवाही कर दी जाएगी। अन्य परिलाभों का भुगतान निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल होने एवं वित्तीय साध्यता होने पर किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांसवाड़ा जिले में बंद बसों का पुन: संचालन

405. श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती रमीला खड़िया)

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बांसवाड़ा-कुशलगढ़, कुशलगढ़-दाहोद, कुशलगढ़-थान्दला, कुशलगढ़-वापी गुजरात, डूंगरपुर-इन्दौर वाया सज्जनगढ़ कुशलगढ़ झाबुआ बसें बंद कर दी गई हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बांसवाड़ा-कुशलगढ़ मार्ग पर वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित हैं।

अन्य प्रश्नगत सेवाओं का संचालन कम आय/यात्रीभार प्राप्त नहीं होने तथा निगम के सीमित संसाधनों के कारण बन्द किया गया है। फिलहाल उक्त सेवाओं के संचालन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मसूदा की ग्राम पंचायतों को रोडवेज बस सेवा से जोड़ने की योजना

406. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को शहरों व कस्बों से जोड़ने की क्या–क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मसूदा की सभी ग्राम पंचायतों को मसूदा, ब्यावर, भिनाय, विजयनगर, अजमेर से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां तो किस–किस ग्राम पंचायत को किस–किस कस्बे से रोडवेज बस सेवा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की संचालित वाहनों से जुड़ी एवं वंचित ग्राम पंचायतों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है एवं निजी श्रेणी मार्गों से जुड़ी ग्राम पंचायतों की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

ग्राम पंचायतों को जोड़ने हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु वर्तमान में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

आमेर के ग्रामों में बसों का संचालन

407. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर के छापराड़ी ग्राम से जयपुर शहर तक परिवहन व्यवस्था नहीं है?

(2) क्या सरकार जनहित में जलेबी चौक से कूकस होते हुए छापराड़ी तक ग्रामीण परिवहन बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आमेर के छापराड़ी ग्राम से जयपुर शहर तक कोई बस सेवा वर्तमान में संचालित नहीं है।

(2) सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

डूंगरपुर जिले में संचालित मदरसे

408. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर में संचालित मदरसों में पोषाहार देने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितने मदरसे पंजीकृत हैं व कितने अपंजीकृत हैं? संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में मदरसा बोर्ड द्वारा कुल 09 मदरसे पंजीकृत हैं, जिनमें से 05 मदरसों में पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। शेष मदरसों में

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

पोषाहार नियमित रूप से दिए जाने हेतु जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को समय-समय पर उप आयुक्त, मिड-डे-मील तथा सचिव मदरसा बोर्ड द्वारा पत्र लिखे गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है।

(2) जिला डूंगरपुर में कुल 09 मदरसे पंजीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**मदरसे का नाम**	**पंजीयन क्रमांक**
1	मदरसा निसार ए हाली, मोहल्ला घाटी, डूंगरपुर	919
2	मदरसा गरीब नवाज तालिमुल इस्लाम, मोहल्ला पातेला, डूंगरपुर	923
3	मदरसा चिश्तिया उच्च प्राथमिक विद्यालय, मोहल्ला लालपुरा, डूंगरपुर	924
4	मदरसा गुलशने मुस्तफा, नई आबादी, सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर	2478
5	मदरसा दारूल उलूम अशरफिया शाहबजिया, मौहल्ला घाटी, डूंगरपुर	2479
6	मदरसा दारूल उलूम गुलशने मुस्तफा, मौहल्ला शेखवाड़ा, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर	2863
7	मदरसा गरीब नवाज ग्राम ओबरी नई बस्ती तह. सागवाड़ा जिला डूंगरपुर	3198
8	मदरसा गौसिया पीठ तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर	3665
9	मदरसा गुलशने मुस्तफा, आसपुर	3891

राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा अपंजीकृत मदरसों से संबंधित सूचना का संधारण नहीं किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले के मदरसों में व्यय राशि

409. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री धर्मनारायण जोशी)

(1) जिला उदयपुर में कितने मदरसे हैं? इनमें कितने सरकारी व कितने निजी स्तर पर संचालित हैं? उक्त में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? मदरसा व कक्षानुसार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मदरसों पर प्रतिवर्ष वेतन व सुविधा मद पर विगत छह वर्षों में कितना व्यय किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कितने पद स्वीकृत हैं व कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत 46 मदरसे हैं। निजी स्तर पर संचालित मदरसों की सूचना मदरसा बोर्ड द्वारा संधारित नहीं की जाती है। राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में कुल 506 छात्र एवं 456 छात्राएं अध्ययनरत हैं। मदरसा एवं कक्षानुसार संख्या का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) उक्त मदरसों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा सहयोगियों को विगत 06 वर्षों में मानदेय पर कुल व्यय राशि रुपये 2 करोड़ 45 लाख तथा सुविधाओं पर कुल व्यय राशि रुपये 50 लाख 93 हजार है।

वर्षवार मानदेय एवं सुविधा पर किये गये व्यय का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-"2" एवं परिशिष्ट-"3" पर संलग्न है।

(3) मदरसा शिक्षा सहयोगी का नियमित पद नहीं है। मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में संविदा के आधार पर शिक्षा सहयोगी लगाए जाते हैं। वर्तमान में उदयपुर जिले में 60 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मालपुरा में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

410. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन निजी भवनों में किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को सरकारी भवनों में संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में परियोजना टोडारायसिंह के 19 एवं परियोजना मालपुरा के 54, इस प्रकार कुल 73 आंगनबाड़ी केन्द्र निजी भवनों में संचालित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली व सीकर जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन-पत्र

411. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रधानमंत्री मातृत्व योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से जिला पाली व सीकर हेतु कितनी राशि किस-किस मद में प्राप्त हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त राशि से उक्त जिलों में कितनी महिलाओं को सहायता प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में कई आवेदन जांच के कारण लंबित हैं? यदि हां, तो उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना (पीएमएमवीवाई) के अन्तर्गत राज्य के समस्त 33 जिलों के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दिनांक 01.01.2017 से लागू की गई है। उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नगद प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि प्रथम बच्चे के प्रसव से पूर्व एवं पश्चात् उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके तथा नगद प्रोत्साहन राशि रुपये 5000/- (तीन किश्तों राशि रु. 1000, 2000, 2000) के माध्यम से गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारों में सुधार एवं पोषण सम्बन्धी समस्याओं को कम

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

करने हेतु व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना (पीएमएमवीवाई) के अन्तर्गत राशि जिलों को हस्तान्तरित नहीं की जाती है, परन्तु सीडीपीओ कार्यालयों द्वारा आनलाइन किये गये लाभार्थियों के आवेदन प्रपत्रों के भुगतान की कार्यवाही पीएमएमवीवाई एस्क्रो खाते में जमा राशि से लाभार्थियों के व्यक्तिगत बैंक/ डाकघर खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) के माध्यम से भुगतान राज्य स्तर से किया जाता है, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर 60 प्रतिशत राशि सीधे ही एस्क्रो खाते में जमा करवायी जाती है तथा राज्य सरकार की अंश राशि 40 प्रतिशत कोष कार्यालय के माध्यम से एस्क्रो खाते में जमा करवायी जाती है।

(2) जिला पाली में 21389 महिलाओं को तथा जिला सीकर में 36978 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

(3) जी हां। उक्त योजना के अन्तर्गत पाली जिले में 10021 आवेदनों व सीकर जिले में 15486 आवेदनों का भुगतान जांच के कारण लम्बित है, जिनके भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ओसियां में आर.एस.सी.आई.टी. योजना से लाभान्वित महिलाएं

412. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में महिलाओं को कम्प्यूटर शिक्षा में दक्ष करने हेतु वर्तमान में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी (RS-CIT) एवं डिजिटल सहेली (ECEW) का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में उक्त योजनाओं का संचालन किन-किन केन्द्रों पर किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों के द्वारा कब-कब किया गया? क्या उक्त केन्द्र पर व्यवस्थाएं मानदण्डनुसार थीं? निरीक्षणों की निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

(4) उक्त केन्द्रों के माध्यम से उक्त विधान सभा क्षेत्र की कुल कितनी महिला अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में महिलाओं को कम्प्यूटर शिक्षा में दक्ष करने हेतु वर्तमान में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी (RS-CIT) का संचालन वर्ष 2011-12 से किया जा रहा है। डिजिटल सहेली (ECEW) अंतर्गत प्रशिक्षण वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 तक किए गए।

(2) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक RS-CIT प्रशिक्षण अंतर्गत 30 आई.टी. ज्ञान केन्द्रों पर 748 बालिकाओं/महिलाओं को लाभांवित किया गया (विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है) तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक डिजिटल सहेली (ECEW) प्रशिक्षण अंतर्गत 05 आई.टी. ज्ञान केन्द्रों पर 139 महिलाओं/बालिकाओं को लाभांवित किया गया। विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 34 केन्द्रों पर RS-CIT प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) उक्त आई.टी. ज्ञान केन्द्रों का निरीक्षण समय-समय पर कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, जोधपुर/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, जोधपुर तथा प्रचेता, औसियां द्वारा किया गया, जिसमें व्यवस्थाएं मापदण्ड अनुसार थीं। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट-द पर संलग्न हैं।

(4) उक्त केन्द्रों के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र ओसियां की डिजिटल सहेली (ECEW) प्रशिक्षण अंतर्गत 139 महिलाओं/बालिकाओं एवं RS-CIT प्रशिक्षण अंतर्गत 748 महिलाओं/बालिकाओं सहित कुल 887 महिला अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक ग्राम पंचायत वार लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

सरिस्का अभयारण्य में एनीकट का निर्माण

413. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरिस्का अभयारण्य व उपवन संरक्षक अलवर के क्षेत्र में वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक सुरक्षा दीवार व एनीकट हेतु कितना बजट आबंटन किया गया तथा उसमें से कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आबंटित बजट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है?

(3) सरिस्का अभयारण्य और उपवन संरक्षक अलवर में कितनी दीवार व एनीकट का निर्माण किया गया है? क्या मौके पर बनाई गई पक्की व कच्ची दीवार है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त अभयारण्य में भविष्य में भी कच्ची एवं पक्की दीवार, एनीकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरिस्का अभयारण्य व उपवन संरक्षक अलवर के क्षेत्र में वर्ष 2015 से 2019 तक सुरक्षा दीवार एवं एनीकट निर्माण कार्यों हेतु आबंटित राशि एवं व्यय राशि संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) जी हां। वर्ष 2015 से 2018 तक आबंटित बजट राशि से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा वर्ष 2019-20 हेतु आबंटित कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं।

(3) वर्ष 2015 से 2018 तक की अवधि में सरिस्का अभयारण्य में 23.363 कि.मी. पक्की दीवार एवं 2 एनीकट तथा उप वन संरक्षक अलवर अधीनस्थ क्षेत्र में 42.270 कि.मी. पक्की दीवार एवं 77 एनीकट का निर्माण किया गया है। उक्त दीवार एवं एनीकट मौके पर मौजूद हैं।

(4) जी हां। सरिस्का अभयारण्य में भविष्य में भी बजट उपलब्धतानुसार एनीकट निर्माण तथा पेरीफैरी पर पक्की दीवार निर्माण कार्य करवाये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोरसन गोडावन संरक्षण क्षेत्र में जल स्वावलम्बन के कराये गये कार्य

414. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बारां में सरकार द्वारा सोरसन गोडावन संरक्षण क्षेत्र में जल स्वावलम्बन के नाम पर कुल कितने कार्य करवाये गये व उक्त पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में जगह-जगह खुदाई कर जल संरक्षण के कार्य करवाने से पूर्व पक्षी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में गोडावन संरक्षण समिति के सहयोग से विभाग द्वारा करवाये गये कार्यों से वहां अभी भी पर्याप्त मात्रा में पानी है?

(4) क्या विभागीय अधिकारियों ने उपरोक्त जल संरक्षण का कार्य करने से पूर्व कथित समिति से चर्चा की थी? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत सोरसन क्षेत्र में कुल 26 कार्य करवाये गये हैं जिन पर कुल 37.31 लाख की राशि खर्च हुई हैं जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ए" अनुसार है। उल्लेखनीय है कि बारां जिले में सोरसन गोडावन संरक्षण क्षेत्र नाम से कोई क्षेत्र घोषित नहीं है।

(2) जी नहीं। बारां जिले में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत सोरसन क्षेत्र में जल विशेषज्ञों के सुझावों के अनुसार जल संरक्षण के कार्य वाटर शैड एवं जल बहाव को दृष्टिगत रखते हुए करवाये गये थे।

(3) जी हां। सोरसन ब्राह्मणी माता समिति के सहयोग से वन विभाग द्वारा करवाये गये पुनरुद्धार कार्यों में अभी पर्याप्त मात्रा में पानी है।

(4) जी नहीं। अपितु जल संरक्षण विशेषज्ञों के सुझाव अनुसार ही उपरोक्त जल संरक्षण कार्य करवाये गये थे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोगुन्दा में बेरोजगारों का पंजीयन

415. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 तक कितने बेरोजगार युवाओं का पंजीयन रोजगार कार्यालयों में हुआ? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने बेरोजगारों को निर्धारित राशि अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 तक 734 बेरोजगार युवाओं ने जिला रोजगार कार्यालय उदयपुर में पंजीयन करवाया है। विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में 734 पंजीकृत बेरोजगार आशार्थियों में से मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत पात्र कुल 114 स्नातक बेरोजगार आशार्थियों को निर्धारित राशि 3000 रुपये पुरुष वर्ग के आशार्थियों को एवं 3500 रुपये महिला, विशेष योग्यजन व ट्रांसजेण्डर वर्ग के आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन

416. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा गांवों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है? यदि हां, तो विगत एक वर्ष में जिला उदयपुर में ऐसी कितनी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गांवों से प्रतिभाओं को खोजने के लिए तहसील स्तर पर खेलकूद कैंप लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री फूल सिंह मीणा)

(3) क्या सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त बजट आबंटन किया जाता है? यदि हां, तो विगत एक वर्ष में सरकार द्वारा उक्त जिले में कितना बजट आबंटन किया गया व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा गांवों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाता है।

(2) वर्तमान में गांवों में प्रतिभाओं को खोजने के लिये तहसील स्तर पर खेलकूद कैम्प आयोजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बजट की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(3) जी नहीं। विगत एक वर्ष में उक्त जिले में सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त बजट आबंटित नहीं किया गया।

विशेष मांग पर सरकार द्वारा बजट की उपलब्धता, विशेष परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के मध्यनजर निर्णय किया जाता है।

देवली-उनियारा के खेल मैदानों के लिये भूमि का आबंटन

417. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के किस-किस गांव में खेल मैदान के लिए कितनी भूमि आबंटित है? किस-किस गांव में खेल मैदान की भूमि पर अतिक्रमण है और किन-किनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के किस-किस गांव में खेल मैदान नही है? उसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सभी गांवों में खेल मैदान के लिए भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में खेल मैदान के लिये युवा मामले एवं खेल विभाग के नाम कोई भूमि आवंटित नही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में विभाग के नाम से किसी भी गांव में खेल मैदान नही है।

गांव-गांव में खेल मैदान बनाने के लिए वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बजट की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खेल विभाग द्वारा भूमि आबंटन की कार्यवाही नहीं की जाती है।

करौली में छात्रों की छात्रवृत्ति के लम्बित प्रकरण

418. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला करौली में वर्ष 2018 से 31 जनवरी, 2020 तक कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई और कितनों की बकाया है? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण किस स्तर पर लम्बित है और क्यों? बकाया का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार छात्रवृत्ति रोकने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मण्डल द्वारा संचालित ''निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना'' के अंतर्गत करौली जिले में वर्ष 2018 से 31.01.2020 तक कुल 4,625 आवेदन स्वीकृत कर लाभान्वित किया गया है एवं 286 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) करौली जिले में ''निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना'' के अंतर्गत कुल 10,665 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर आक्षेप

(राज्य मंत्री, श्रम)

पूर्ति हेतु लंबित एवं 286 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित हैं। मुख्यत: निर्माण श्रमिकों द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना, कांट-छांट किये गये दस्तावेज अपलोड करना, वांछित दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना एवं उपयुक्त समय में उनके द्वारा आक्षेप पूर्ति नहीं किए जाने के कारण आवेदन लम्बित हैं। लम्बित आवेदनों का निस्तारण वरीयता के आधार पर ''पहले आओ पहले पाओ'' पद्धति से विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में विशेष प्रयास के रूप में मुख्यालय स्तर पर कण्ट्रोल रूम स्थापित कर 5.96 लाख आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

(3) लंबित आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण फीफो (पहले आओ पहले पाओ) पद्धति से नियमित रूप से किया जा रहा है। जानबूझ कर छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले में संनिर्माण श्रमिक योजना के लाभार्थी

419. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि संनिर्माण श्रमिक योजना संचालित है? यदि हां, तो उक्त योजना में कौन-कौनसे व्यक्ति पात्र हैं? उक्त योजना में क्या-क्या लाभ देय हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में जयपुर जिले के लाभार्थियों को उक्त योजना में लाभ दिया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या लाभ दिये गए? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पात्रता (लाभार्थी) रखने वाले आवेदकों को आवेदन करने के उपरान्त भी अब तक उक्त योजना का लाभ नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त विचाराधीन आवेदनों का कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) असंगठित क्षेत्र में ''भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित'' अथवा "निर्माण श्रमिकों" हेतु श्रम विभाग के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक

(राज्य मंत्री, श्रम)

कल्याण मण्डल द्वारा 8 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार देय लाभ एवं पात्रता का विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अंतर्गत राज्य के कल्याण मण्डल की योजनाओं का लाभ लेने के लिए हिताधिकारी के रूप में पंजीयन कराने के लिए ऐसे निर्माण श्रमिक पात्र होंगे - 1. जिनकी आयु 18 से 60 के मध्य हो तथा 2. पिछले 12 माह में 90 दिन या इससे अधिक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों की श्रेणियों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जयपुर जिले के पंजीकृत हिताधिकारियों के वर्ष 2018-19 में 12,523 आवेदन तथा वर्ष 2019-20 में 35,126 आवेदन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत हुए हैं जिनका तहसीलवार, योजनावार विवरण परिशिष्ट-3 एवं 4 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। मण्डल द्वारा नियमित रूप से योजना आवेदनों का नियमानुसार ''पहले आओ पहले पाओ'' पद्धति से निस्तारण किया जा रहा है। जयपुर जिले में वर्ष 2018-19 एव 2019-20 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 88,463 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 20,247 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित हैं। उक्त लंबित आवेदनों में से 11,739 आवेदन शुभशक्ति योजना एवं 8211 आवेदन छात्रवृत्ति योजना के हैं। शेष योजनाओं में लंबित आवेदनों की संख्या सामान्य अथवा नगण्य है। प्रासंगिक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपकर राशि का प्रयोग अधिनियम की धारा 22 (ए) से (जी) तक उल्लेखित विषयों पर बनाई गई योजनाओं में लाभ अन्य कल्याणकारी योजना की अपेक्षा प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में सीमित फण्ड उपलब्धता तथा संवेदनशीलता की दृष्टि से सिलिकोसिस सहायता, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता, शिक्षा सहायता एवं टूलकिट सहायता के आवेदनों को वरीयता देते हुए निस्तारित किया जा रहा है। शुभशक्ति योजना के 2016-17 में प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त पात्र श्रमिकों को हितलाभ देने का निर्णय लिया गया है। लंबित आवेदनों का ऑनलाइन निस्तारण फीफो (पहले आओ पहले पाओ) पद्धति से नियमित रूप से किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीगंगानगर में मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को देय सुविधाएं

420. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को श्रम मजदूरी से निषेद्ध किया हुआ है? यदि हां, तो श्रीगंगानगर जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कितने बाल श्रमिक पकड़े गये हैं और उन संस्थानों के विरुद्ध कब-कब कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त पकड़े गये बाल श्रमिकों को मुक्त करवाकर श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के तहत नि:शुल्क शिक्षा, मिड-डे मील योजना, चिकित्सा इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की गई हैं? यदि हां, तो मुक्त करवाये गये श्रमिकों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को हर प्रकार के श्रम/मजदूरी से निषेद्ध किया हुआ है। श्रीगंगानगर जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 39 व 2019-20 में 44 बाल श्रमिक मुक्त करवाये गये। संस्थानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना में न्यूनतम 15 मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों का क्लस्टर होना आवश्यक है क्योंकि उक्त मुक्त करवाए गए बाल श्रमिक अन्य राज्यों के थे। अत: उन्हें उनके पैतृक राज्य में भिजवाया गया था एवं 15 बालकों का क्लस्टर न होने के कारण श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं से नहीं जोड़ा गया। स्थानीय बालकों की सूची शिक्षा विभाग को भेजकर नियमानुसार शिक्षा से जुड़वाने की कार्यवाही की जाती है। मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की सूची परिशिष्ट-1 पर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

केशोरायपाटन में विद्युत शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं होने से आमजन को परेशानी

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र की लंबाई लगभग 150 किमी. है, जिसमें 60 ग्राम पंचायतें 4 नगरपालिकाएं केशोरायपाटन, कापरेन, लाखेरी व इन्द्रगढ़ में स्थित हैं। यह क्षेत्र आधे से ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ रामगढ़ अभयारण्य एवं रणथंभौर अभयारण्य क्षेत्र के अन्तर्गत भी आता है। संपूर्ण क्षेत्र में जनता द्वारा विद्युत विभाग की काफी शिकायत प्राप्त हो रही है, जिसमें समय सीमा में ट्रांसफार्मर नहीं बदलना, चोरी हुए ट्रांसफार्मर की रिपोर्ट उसी दिन दर्ज नहीं करना, टेढ़े व टूटे विद्युत पोलों को समय पर नहीं बदलवाना आदि। फ्यूज उड़ जाने पर समय पर लाइनमैन द्वारा ठीक नहीं करना, विद्युत लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं करना, लाइनमैन द्वारा लाइन ठीक करने व फ्यूज बांधने पर पैसे की मांग करना, झूली हुई विद्युत लाइनों को समय पर ठीक नहीं करना, वीसीआर भरने से पूर्व विद्युत चोरी करने वाले उपभोक्ता के लोड की जांच नहीं करके अनावश्यक क्षमता से अधिक चार्ज लगा देना, सहायक अभियंता कार्यालयों पर अधिशाषी अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा कई महीनों तक जन सुनवाई नहीं करना आदि, मुख्य समस्याएं प्रतिदिन प्राप्त होती हैं, जिनकी जांच करवाकर निस्तारण कराया जाना अति आवश्यक हैं। साथ ही वर्तमान में 8 दिन से जिन किसानों के बिल जमा नहीं है, उनके कनेक्शन लगातार काटने का कार्य चल रहा है। किसानों की खरीफ की फसल भी खराब हो गई एवं रबी की फसल अभी कटी भी नहीं, अतः किसानों को राहत प्रदान की जाये।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से उक्त जन हित के कार्य हेतु उक्त समस्याओं के निदान हेतु विद्युत विभाग को आवश्यक दिशा- निर्देश देने की कृपा करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल

(केशोरायपाटन)

आहोर के छीपरवाड़ा, साण्डन, गुडाराम, बागुन्दा व मालगढ़ विद्यालयों का क्रमोन्नयन

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आहोर विधान सभा में कई गांवों में विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की स्थिति में यह सबसे महती आवश्यकता है। इसलिए निम्न विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है:

1. छीपरवाड़ा के विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करें।
2. ग्राम साण्डन में प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करा जाये।
3. बागरा में बंद पड़े भवन में बालिका माध्यमिक विद्यालय खोला जाये।
4. गुडारामा विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये।
5. बागुन्दा गांव में माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक में बदला जाये।
6. नोसरा में बालिका माध्यमिक विद्यालय खोला जाये।
7. चांदराई में विज्ञान संकाय एवं हरजी में कृषि विज्ञान संकाय खोला जाये।
8. मालगढ़ उच्च प्रथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये।

अतः इन विद्यालयों की क्रमोन्नति के लिए विशेष उल्लेख प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत है।

सधन्यवाद।

छगनसिंह

(आहोर)

मुण्डावर के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं सहित श्मशान भूमि का आबंटन

महोदय,

निवेदन है कि मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में 72 राजस्व ग्रामों में श्मशान भूमि आबंटन नहीं हुई जिससे श्मशान भूमियों के विकास में बाधा आ

रही है। श्मशान भूमि नहीं होने के कारण आये दिन नये-नये विवाद उत्पन्न हो रहे हैं और इससे क्षेत्र में परेशानी बढ़ रही है। साथ ही, जहां श्मशान भूमि है वहां पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। श्मशान भूमि में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण भी क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से आग्रह है कि श्मशान भूमि रहित गांवों में मूलभूत सुविधाओं सहित श्मशान भूमि आबंटन शीघ्र से शीघ्र किया जाये जिससे आम जन को राहत मिले।

मंजीत धर्मपाल चौधरी

(मुण्डावर)

मकराना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों से आमजन को परेशानी

महोदय,

1. मकराना एक औद्योगिक क्षेत्र व विश्व प्रसिद्ध मार्बल मंडी के नाम से विख्यात है, परन्तु राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आज स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। यहां पर कुल स्वीकृत पद 78 हैं, उसमें से केवल 19 पदों पर ही कर्मचारी कार्यरत हैं। कुल 59 पद रिक्त हैं। यहां पर प्रतिदिन 750 की ओपीडी है।

2. साथ ही विधान सभा क्षेत्र में 3 (तीन) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। बोरावड़ में कुल पद 36 हैं, उसमें से केवल 21 पर कार्यरत हैं व आज दिनांक तक 15 पद रिक्त चल रहे हैं।

3. दूसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गच्छीपुरा है जिसमें कुल पद 31 हैं और स्टाफ 9 पदों पर कार्यरत है, 22 पद रिक्त हैं।

4. तीसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बुडसू की भी कमोबेश यही स्थिति है। यहां पर कुल स्वीकृत पद 21 में से केवल 5 पदों पर ही कार्यरत है। 16 पद रिक्त हैं।

अत: माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से मेरे विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मकराना विधान सभा क्षेत्र में समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति प्रदान की जाए जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि यही स्थिति रही तो आपके "निरोगी राजस्थान योजना का हौवा

झूठा है।" निरोगी राजस्थान तो तब होगा, जब हर अस्पताल में पर्याप्त स्टाफ कार्यरत रहेगा।

सधन्वाद।

रूपा राम

(मकराना)

महिला समूहों द्वारा संचालित उद्योगों को प्रोत्साहन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसमें महिलाओं के विकास के लिए नाम मात्र का बजट दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए यह बजट कम से कम पांच हजार करोड़ रुपये किया जाए और महिला रोजगार योजना लागू की जाए। इसमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि महिलाएं अपने घर में और गांव में रहकर कुछ ऐसे प्रोडक्टों का निर्माण कर सकें जो दैनिक इस्तेमाल के हों, जैसे मसाले, अचार, चाय, बिस्कुट, नमकीन, पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, छंटी हुई दालें, कटी हुई साफ सब्जियां, साबुन, देशी घी, अन्य भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जिनको महिलाएं आसानी से एक गांव लेवल पर बना सकें। सरकार के सहयोग से जिसमें उनको अपने उन प्रोडक्टों को कहीं सेल करने के लिए नहीं जाना पड़े और न ही उनको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़े, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि गांव में आज भी ज्यादातर महिलाएं अधिक पढ़ी-लिखी नहीं हैं और जो पढ़ी-लिखी भी हैं तो उनको व्यापारिक ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से सरकारी योजना के तहत गांव की भोली-भाली महिलाएं काम तो शुरू कर लेती हैं लेकिन व्यापारिक ज्ञान न होने की वजह से उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाते। मार्केट में उसी तरह के प्रोडक्ट कई ब्रांडेड कंपनियां भी बना रही होती हैं, जिनके पास में उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की अनुभवी टीम होती है जिसकी वजह से ब्रांडेड कंपनियां हर क्षेत्र में किसी भी प्रोडक्ट पर हावी रहती है। ऐसी स्थिति में उनसे गांव की महिलाएं बिना अनुभवी मैनेजमेन्ट के काम्पीटिशन नहीं कर पाती हैं।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए एक ऐसी विशेष रोजगार योजना बनाई जाए जिसमें सरकार पहले तो प्रदेश लेवल पर एक अनुभवी मैनेजमेन्ट की टीम गठित करें जो

स्किल डवलपमेन्ट और प्रोडक्ट की मार्केटिंग का काम सरकार की तरफ से स्वयं देखें। यही टीम जिला लेवल पर केवल महिलाओं के लिए स्किल डवलपमेन्ट कोर्स शुरू करें और काम सिखाने के बाद में विलेजवाइज या पंचायतवाइज महिलाओं का ग्रुप बनवाए, फिर उनको ग्रुपवाइज रोजगार की मशीनें दी जाएं जिससे महिलाओं का ग्रुप अपने गांव के अंदर ही सरकार द्वारा बताए गए प्रोडक्ट का निर्माण कर सके और सबसे महत्वपूर्ण जिन प्रोडक्टों का महिलाओं ने उत्पादन किया हो उनकी परचेजिंग सरकार जिला लेवल पर स्वयं करे। इसके लिए सरकार जिला लेवल पर जो रोजगार उद्योग केन्द्र खोले गए हैं उनके अधिकारियों को जिम्मेदारी दे और महिलाओं को उनकी मेहनत का पैसा उनके खाते में टाइम से पहुंचे जिससे प्रदेश की महिलाएं भी अपने परिवार में और समाज में सिर उठाकर जी सकें और अपने परिवार को खुशहाल बना सकें।

सधन्यवाद।

श्रीमती शोभारानी कुशवाह

(धौलपुर)

आमेर में सड़कों से वंचित स्थानों पर सड़कों का निर्माण

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर में निम्नानुसार सड़कों के अभाव में आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। यथा:-

1. कुण्डा से नांगल सुसावतान-चक न. 1 व 2
2. प्रतापपुरा मोड़ से रायथल तक सड़क।
3. नांगलपुरोहित से चौंप पुलिया तक की सड़क।
4. जालसू से नांगल लाड़ी तक घोषित विकास पथ जो अचलेश्वर महादेव मंदिर से एन.एच. तक प्रस्तावित है, तथा
5. खोराबीसल से रोजदा तक की सड़क को केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ) से स्वीकृत करवाने।

अतः उपरोक्त सड़कों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करवाकर सड़कों का निर्माण करवाया जाये। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः मैं प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सतीश पूनियां

(आमेर)

रावछ, पंचायत समिति सायरा (गोगुन्दा) के सीनियर सैकण्डरी विद्यालय के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में सायरा पं.स. के ग्राम पं. रावछ जहां पर सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय संचालित है। वर्तमान में इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं तथा मुख्य सड़क सायरा से रावछ लगभग 15 किमी. दूर पड़ता है तथा 100 प्रतिशत जनजाति परिवार निवास करते हैं, लेकिन यह विद्यालय भवन जर्जर हालत में है। जो भवन बना हुआ है, उसकी सारी दीवारें, खिड़की, किवाड़ सभी की हालत खराब है तथा यहां स्टाफ की भी कमी है। गत वर्ष बोर्ड का परिणाम भी 20 प्रतिशत रहा था जो काफी चिंता का विषय है। इस विद्यालय के पास ही एक जनजाति छात्रावास संचालित है। छात्रावास के सभी विद्यार्थी इसी विद्यालय में पढ़ते हैं तथा 20 प्रतिशत रिजल्ट होता है। छात्रावास का खर्चा सरकार वहन कर रही है तो सरकार को भी नुकसान हो रहा है तथा जनजाति परिवारों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस विद्यालय में जो भी रिक्त पद हैं, उन्हें तुरंत भरा जाये तथा भवन निर्माण भी करवाकर इस पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कष्ट कराएं।

सधन्यवाद।

प्रताप लाल भील (गमेती)

गोगुन्दा

अप्रधान खनिज फैल्सपार को राज्य से बाहर ले जाने से राजस्व हानि

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार द्वारा फैल्सपार के कच्चे माल की किसी भी रूप में राज्य से बाहर बिक्री पर रोक लगाई हुई है, परंतु माइनिंग विभाग एवं पुलिस की लापरवाही एवं मिलीभगत के कारण रोजाना लगभग 500 ट्रक ओवरलोड होकर बिना बिल के राज्य से बाहर जा रहे हैं। माइनिंग विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा टी. पी. एवं डिलीवरी सिस्टम के ऑनलाइन रोज-रोज परिवर्तन कर छोटे-छोटे ट्रैक्टर एवं डम्पर वाले व्यापारी जो कि अधिकांश रूप से किसान हैं, उन्हें परेशान किया

जा रहा है। कभी सर्वर डाउन होने के नाम पर, कभी धर्म कांटों को ऑनलाइन कराने के नाम पर, कभी ट्रैक्टर आर.सी. में सुधार कराने के नाम पर। कुल मिलाकर छोटे-छोटे किसानों के ट्रैक्टर तो चलना ही असंभव हो गया है, जिससे लगभग 5000 ट्रैक्टर बेकार हो गये हैं, जो माल परिवहन के काम में नहीं आ रहे हैं तथा मात्र 10 किलो वजन ज्यादा होने पर उन पर 22000 रुपये की पैनल्टी लगा देते हैं और जो ट्रक माल को बिना बिल के जी.एस.टी. की चोरी करके माल राज्य से बाहर ले जा रहे हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

ठेका पद्धति के कारण रायल्टी का संग्रह शुरू हो चुका है तो विभाग द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन रायल्टी एवं डी.पी. सिस्टम अप्रासंगिक होने के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, इसे बंद किया जाये। विभाग द्वारा आदेश होने के उपरांत भी फैल्सपार के Lumps एवं Grain राज्य से बाहर निर्गमन की रोकथाम हेतु चौकियां स्थापित नहीं की गयी हैं। अतः तुरंत चौकियां स्थापित कर रोक लगाई जाए और खनिज माफिया, जिन अफसरों की मिलीभगत से यह कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर भारी मात्रा में पैनल्टी लगाई जाये व कठोर सज़ा दिलाने संबंधी कार्यवाही की जाये।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करती हूं कि शीघ्रातिशीघ्र न्यायोचित कार्यवाही की जाए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी

(राजसमन्द)

दांतीवाड़ा-माणकलाव परियोजना से बिलाड़ा को पेयजल की आपूर्ति

महोदय जी,

माननीय अध्यक्ष महोदय, सादर निवदेन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा कस्बा में मीठे पानी की भयंकर समस्या है। दांतीवाड़ा माणकलाव परियोजना 10 वर्ष पहले शुरू हुई है परन्तु इसका पानी अभी तक कापरड़ा से आगे बिलाड़ा तक नहीं पहुंचा जबकि बिलाड़ा में 4 स्थानों पर बड़ी टंकियों का निर्माण कराये हुए दो वर्ष हो चुके हैं। इन टंकियों को अभी तक मीठे पानी की लाइनों से जोड़ा नहीं गया जिसके कारण बिलाड़ा की जनता मीठे पानी के लिए तरस रही है। वर्तमान में पिचियाक ग्राम के आस-पास ट्यूबवैलो से फ्लोराइडयुक्त खारा पानी सप्लाई किया जा रहा है। वह भी ट्यूबवैल का

स्तर नीचे चले जाने के कारण दो दिन में एक बार पानी की सप्लाई की जाती है, जो पर्याप्त नहीं है एवं खारे पानी के कारण लोगों में हड्डियों के दर्द, दांतों में दर्द एवं कब्ज जैसी शिकायत अधिक रहती है। साथ ही पीपाड़ शहर में पानी के कोटे की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है जिससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीपाड़ शहर के नगरपालिका के अन्दर पेरीफैरी के अन्दर जो भी ग्राम पंचायतें आती हैं, उन ग्रामीणों को पानी के कनेक्शन के लिए नगरपालिका एवं पीएचईडी विभाग में एन०ओ०सी० के लिए चक्कर लगाये जाते हैं। साथ ही मण्डोर पंचायत समिति की कुछ ग्राम पंचायतें मेरे विधान सभा के अन्तर्गत आती हैं, उन ग्राम पंचायतों में भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है।

अतः सभापति महोदय, बिलाड़ा कस्बा में चारों टंकियों को पानी की लाइन से जोड़कर नियमित पेयजल सप्लाई की जाए। पीपाड़ शहर में पानी के कोटे व पेरीफैरी ग्राम पंचायतों की समस्या का सामाधान कराए जिससे लोगों को राहत मिल सके।

हीराराम

(बिलाड़ा)

परिवार कल्याण कार्यक्रम के दौरान महिला एवं पुरुष नसबन्दी से शारीरिक रूप से प्रभावित पीड़ितों को मुआवजा

महोदय,

महिला एवं पुरुष नसबन्दी आपरेशन के पश्चात् होने वाली जटिलताओं के कारण आमजन में डर फैल जाता है। शारीरिक जटिलता एवं कमजोरी से प्रभावित पीड़ित के लिए समुचित क्षतिपूर्ति राशि एवं प्रोत्साहक उपायों का प्रावधान नाममात्र का होने के फलस्वरूप नसबन्दी के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं होने से जनसंख्या नियंत्रण अभियान वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर रहा है। नसबन्दी आपरेशन पश्चात् होने वाली शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए। पीड़ित अथवा उसके परिजन के लिए क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाई जाने तथा विशेष परिस्थिति में राजकीय नौकरी दिये जाने का भी प्रावधान होना आवश्यक है।

अन्ता (बारां) के एन.टी.पी.सी. चिकित्सालय में दिनांक 16.01.2009 को केस कार्ड संख्या 238 पर गरीब युवक श्री सुरेन्द्र आ. रामेश्वर जाति मीना निवासी पटपड़ा, तहसील मांगरोल, जिला बारां पुरुष नसबन्दी (एन.एस.वी.) आपरेशन के बाद से ही अत्यन्त कमजोर हो गया है तथा उसे कई शारीरिक

जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। कमजोर शारीरिक दशा को सुधारने के लिए उसने स्थानीय अस्पताल, जिला अस्पताल, कोटा मेडिकल कालेज, शाह सतनाम मोबाइल हास्पिटल, नवजीवन हास्पिटल आदि चिकित्सालयों में इलाज कराने पर भी शारीरिक जटिलताओं में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस स्थिति के चलते उसका एवं उसके परिवार का जीवनयापन करना एवं बालकों को अध्ययन कराना अत्यन्त कठिन हो गया है। इस स्थिति से उभरने के लिए उसने आर्थिक सहायता, स्वयं अथवा उसकी पत्नी को राजकीय नौकरी की मांग तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए जिला कलेक्टर, बारां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष नई दिल्ली एवं मुख्य मंत्री, राजस्थान को प्रार्थना पत्र पेश किये, किन्तु 10 वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के बाद भी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो सकी है।

अतः अनुरोध है कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए नसबन्दी आपरेशन से होने वाली जटिलताओं से फैलने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्षतिपूर्ति राशि बढ़ायी जाकर 5.00 लाख की जाये तथा विशेष परिस्थिति में पीड़ित एवं उसके परिजन को राजकीय नौकरी दी जाये। उक्त श्री सुरेन्द्र कुमार को भी सहायता राशि पांच लाख रुपये तथा राजकीय नौकरी देने का आदेश प्रदान किया जाए।

रामनारायण मीना

(पीपल्दा)

जयपुर डेयरी में दुग्ध टैंकरों के परिवहन कार्य में अनियमितता

महोदय,

निवेदन है कि जयपुर डेयरी में अनुबंध पर चल रहे दुग्ध टैंकरों के पश्चात् नियम विरुद्ध तरीके से बीएमसी/समितियों के माध्यम से बड़े टैंकर के स्थान पर छोटे टैंकर लगाए गए हैं। इन छोटे-छोटे टैंकरों की क्षमता भी कम है, जिससे समितियों/बीएमसी के टैंकर लगाने के बाद में संघ को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित बिन्दुओं की जांच कराई जाये-

1. बीएमसी/समितियों से लगाए गए टैंकर किस नियम के आधार पर लगाये गये तथा इनकी संख्या, क्षमता और धरोहर राशि/बैंक गारन्टी के प्रावधान के संबंध में जांच की जाये।

2. समितियों/बीएमसी के टैंकर लगाने के बाद में संघ को कितना

नुकसान हुआ और कुल कि.मी. का भुगतान कितना-कितना किया गया तथा बड़े टैंकर के स्थान पर छोटे टैंकर लगाए जाने का क्या उद्देश्य है?

3. अक्टूबर, 2019 तक के टैंकर बिलों के प्रतिमाह की राशि का भुगतान एवं समितियों के टैंकर लगाने के बाद किए गए दूध परिवहन की प्रतिमाह राशि के विवरण के संबंध में जांच की जाये।

राकेश पारीक

(मसूदा)

बयाना की गम्भीरी नदी में पांचना बांध से पानी की आपूर्ति

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन कर आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना से निकलने वाली गम्भीरी नदी की ओर करना चाहता हूं। करौली जिले के पांचना से गम्भीरी नदी के माध्यम से ही भरतपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध केवलादेव घना पक्षी विहार के लिए पानी जाता है, परन्तु दो-तीन साल में एक बार ही पानी छोड़े जाने के कारण गम्भीरी नदी के कैचमैन्ट एरिया में निवास करने वाले वन्य जीवों को पीने के पानी के अभाव में शहरी क्षेत्रों में आना पड़ता है, जिससे सड़कों पर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से ये निवेदन है कि पांचना बांध के केवल एक गेट को एक फीट ही अगर वर्ष भर खोला जाये तो गम्भीरी नदी के आस-पास का एरिया हरा भरा होने से आवारा पशुओं के लिए पर्याप्त चारा वर्ष भर उपलब्ध रहने से आवारा गायों की समस्या का समाधान हो जायेगा। पानी के कारण क्षेत्र का जलस्तर ऊपर उठ जायेगा जिससे सिंचाई की समस्या का भी समाधान हो जायेगा।

अतः मेरा आपसे फिर एक बार निवेदन है कि क्षेत्र के वन्य जीवों, आवारा पशुओं तथा क्षेत्र की जनता की समस्याओं को देखते हुए पांचना बांध को वर्ष भर एक फीट तक खोलने की कृपा करें।

धन्यवाद।

अमर सिंह

(बयाना)

जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती घोटाले में लिप्त लोगों की नियम विरुद्ध पदोन्नति

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मैं राज्य सरकार का ध्यान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में शिक्षक भर्ती घोटाले में लिप्त रहे शिक्षकों को नियम विरुद्ध पदोन्नति देने के प्रयासों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

1. 2012-13 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं कारित की गई थीं और हितबद्ध लोगों को मनमर्जी से नियुक्तियां बांटी गई थीं।
2. इसके विरुद्ध गंभीर जनआंदोलन किये गये थे। माननीय राजस्थान विधान सभा के सदन में खड़े होकर स्वयं मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया था कि उक्त अनियमितताओं की जांच कर कार्यवाही की जायेगी।
3. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय ने स्वयं जून 2018 में विवि प्रशासन को पत्र भेजकर शिक्षक भर्ती, 2012-13 में चयनित अयोग्य शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इस पत्र को सिण्डीकेट बैठक में रखना था, लेकिन विवि प्रशासन ने इसे न तो अब तक सिंडीकेट में रखा है और न ही खारिज किया है। कुलाधिपति महोदय के निर्देशों का अपमान और अवहेलना जान बूझकर केवल इसीलिए की जा रही है ताकि हितबद्ध अयोग्य शिक्षकों की अवैध नियुक्ति को बचाया जा सके।
4. उक्त अयोग्य और अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों को सीएएस के अंतर्गत पदोन्नति के लिए साक्षात्कार में एक्सपर्ट पैनल पर 31 में से 21 विभागों ने आपत्ति दर्ज की थी। इस आपत्ति का निस्तारण करने के बाद पैनल को एकेडमिक काउंसिल और सिडींकेट की मंजूरी मिलनी चाहिये थी। परन्तु ऐसा न किया जाकर सभी आपत्तियों और नियम प्रक्रियाओं को दरकिनार कर हितबद्ध अयोग्य एवं अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति देने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मेरी मांग है कि उक्त शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2012-13 में नियुक्त अयोग्य शिक्षकों को अविलम्ब नौकरी से बर्खास्त किया जाए, भर्ती प्रक्रिया में लिप्त दोषी अधिकारियों, कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए, वर्तमान में चालू की गई पदोन्नति की प्रक्रिया अविलम्ब रोकी जाए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास

(सूरसागर)

उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में HZL कम्पनी द्वारा टेलिंग डैम की चारदीवारी का निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में HZL जावर क्षेत्र में आबंटित खनन पट्टे अरावली पर्वत माला के परिभाषित श्रेणी में आती है या नहीं?

- खान विभाग के नियमानुसार कौन सी पहाड़ी कितनी मीटर ऊंची अरावली पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में आती है या नहीं?
- अगर जावर क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, तो किन नियमों के अन्तर्गत खान विभाग द्वारा खनन पट्टों का नवीनीकरण किया गया?
- HZL के आबंटित खनन पट्टों का एग्रीमेंट (समझौता) की शर्तों व नियमों की कापी उपलब्ध करवाये जाने से पता करें और जानकारी दें।
- HZL के आस पास स्थित स्थानीय ग्राम पंचायतों से स्थानीय स्थाई श्रमिकों की सूची उपलब्ध करवायें क्योंकि आज भी हमारे आदिवासी नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं।
- HZL में माइनिंग जो हो रही है, वह नई माइनिंग रामानाथ के पास नॉर्थ बरोई में प्राचीन सीसा जस्ता को पिघलाने की भट्टियों को बुरी तरह से नष्ट कर उस जगह नया प्लान्ट बना दिया गया है। इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा HZL के ऊपर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?
- HZL द्वारा खनन से टेलिंग निकलता है, उसका एक डैम बना रखा है, मगर उसकी कोई सेफ्टी नहीं है, क्योंकि वहां आबादी भी है और जंगल भी है, जिससे पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस व

बकरी और जंगली जानवर भी उस टेलिंग डैम में फंस जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस वजह से अब तक न जाने कितने ही जानवर जान भी गंवा चुके हैं। इस मुद्दे को मैंने पहले भी सदन में उठाया, मगर अभी तक इस टेलिंग डैम की सेफ्टी नहीं की गई है।

अतः मैं सदन में मांग करता हूं कि इस HZL कम्पनी पर सख्त कार्यवाही करके टेलिंग डैम के चारदीवारी बनवाकर आम जनता को राहत प्रदान करें।

सधन्यवाद।

फूल सिंह मीणा

(उदयपुर ग्रामीण)

फुलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नये भवन में स्थानान्तरण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत भाजपा सरकार ने "सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र" के नये भवन हेतु बजट स्वीकृत किया था और उसका निर्माण कार्य कराया था। जो पुराना भवन था वह बहुत ही पुराना था और उसमें जगह भी पर्याप्त नहीं थी तथा सुविधाएं भी नहीं थी। इसके कारण भाजपा सरकार ने जनता की परेशानियों को समझते हुए नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की और जनता की सुविधाओं के लिए उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नये भवन का निर्माण कराया। इस भवन को बने हुए छह माह हो गये हैं लेकिन अभी तक इस नये भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को शिफ्ट नहीं किया गया है, जिससे जनता को सुविधा नहीं मिल पा रही है तथा नये भवन की भी सार-संभाल नहीं हो रही है। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी भवन को जीर्ण-शीर्ण घोषित कर रखा है, जिससे कभी कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि सरकार इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को शीघ्रातिशीघ्र नये भवन में शिफ्ट कर संचालन प्रारम्भ करे ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

निर्मल कुमावत

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16–**पुलिस** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री अमीन खां (शिव):

1. राज्य में अल्पसंख्यकों को पुलिस कान्स्टेबल भर्ती में शिथिलता देने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

2. जिला बारां की पाली (छबड़ा) पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

3. जिला दौसा के बैजूपाड़ा में थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

4. प्रदेश की पुलिस को आधुनिक यन्त्रों से लैस करना तथा थानों को गाड़ियां उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. पुलिस कार्मिकों को यथा सिपाही, हवलदार व उपनिरीक्षकों को राजकीय आवासों की सुविधा एवं नये क्वार्टरों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. पुलिस में आम व्यक्ति के प्रति विश्वास कायम करने हेतु नफरी बढ़ा कर चोरों में भय व्याप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

7. अलवर शहर के वैशाली नगर में नया पुलिस थाना स्थापित करने तथा कानून व्यवस्था को ठीक करने के क्रम में स्वीकृत पदों में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

8. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के हाउसिंग बोर्ड के मकानों में आये दिन हो रही चोरियों की रोकथाम हेतु पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

9. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. प्रदेश की पुलिस में महिला पुलिसकर्मी को क्वार्टर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. प्रदेश की पुलिस को रोडवेज में आने-जाने के लिए हर महीने 200 रुपये लेकर बस का पास देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कुल चार थाने लगते हैं, बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के सभी थानों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

14. प्रदेश की पुलिस के सिपाही के लिए कागज, यात्रा भत्ता व नफरी बढ़ाने की कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. भिरानी, भादरा व गोगामेड़ी थानों में नफरी बढ़ाने की कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. सिपाहियों को जांच अधिकारी के रूप में भी तैयार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. भ्रष्टाचार में थाने का कोई कर्मचारी पकड़े जाने पर, एस.एच.ओ. को भी दण्डित करने की कार्यवाही पर चर्चा के लिये।

18. पोस्टमार्टम की एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आने की समय सीमा तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

19. डूंगरपुर जिले में एस.टी. के थानेदारों को जनसंख्या के आधार पर 14 थानों में से 8 थानों में एस.टी. के थानेदार लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

20. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के विभिन्न थानों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के विभिन्न थानों की नफरी बढ़ाने एवं रिक्त नफरी को पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

22. ए.सी.बी. द्वारा पकड़े गये प्रकरणों में समय पर चालान पेश करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
23. कोटा शहर की खस्ता ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने हेतु एस.पी. ट्रैफिक का पद स्वीकृत करने तथा अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
24. कोटा में पुलिस व अपराधियों की मिलीभगत से फैल रहे भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
25. कोटा में मादक पदार्थ के उपयोग के कारण बढ़ते अपराध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
26. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में परवन एक्वडिक्ट के यहां पुलिस चैक पोस्ट कायम करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

27. प्रदेश में घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
28. पुलिस विभाग को आधुनिक हथियार व वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
29. चूरू जिले में हरियाणा राज्य से आने वाली शराब व डीजल की तस्करी की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

30. विधान सभा क्षेत्र नोहर के गांव जसाना में 28 माह पूर्व हुए पवन व्यास हत्याकाण्ड में अब तक खुलासा न होने पर सी.बी.आई. से जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
31. बढ़ते क्राइम को रोकने के लिये जिला स्तर पर सायबर थानों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
32. मंजूरशुदा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय भादरा से नोहर (हनुमानगढ़) में स्थानान्तरण पर चर्चा के लिये।
33. फेफाना पुलिस चौकी तहसील नोहर को क्रमोन्नत कर थाना बनाने पर चर्चा के लिये।

34. नोहर थाना के अन्तर्गत फेफाना, खुईया, गोगामेड़ी चौकियों में नफरी की कमी को पूरा करना/आधुनिक नये वाहन उपलब्ध करवाना तथा पुलिस स्टाफ को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

35. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा कस्बे में यातायात पुलिस की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा/पचपदरा में बढ़ते औद्योगिकीकरण, अपराध एवं आबादी की दृष्टि से बालोतरा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा कस्बे में औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम्स को देखते हुए पुलिसकर्मियों को दक्ष करने एवं अत्याधुनिक संसाधनों के उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. प्रदेश में कौमी एकता बनाये रखने के लिए सोशल मीडिया पर भावनाओं को ठेस पहुंचाने एवं घृणात्मक गतिविधियों के रोकथाम हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

40. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के थानों का उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय कठूमर में खोलने तथा कठूमर व खेरली के थानों में बोलेरो गाड़ी देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

41. डेगाना मुख्यालय पर ट्रैफिक पुलिस की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. राज्य में पुलिसकर्मियों के रिक्त पदों को भरने के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने व पदों की संख्या बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

43. ग्राम पंचायत खटकड़ पंचायत समिति बून्दी पर पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

44. ग्राम पंचायत तालेड़ा पंचायत समिति तालेड़ा पर पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

45. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कालड़वास रीको एरिया में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जो बाहर से आने वाले किरायेदारों की वजह से अपराध बढ़ रहा है, के कारण किरायेदारों की तस्दीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के काटा तथा ग्राम पंचायत धार में पुलिस चौकी खोले जाने की अवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

48. सादुलशहर के गांव खेरूवाला व अबोहरिया में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश हुडला (महवा):

49. विधान सभा क्षेत्र महवा के थानों में नफरी बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र महवा के ग्राम खौहरा मुल्ला के खसरा नं. 765 एवं 815 पर बने अवैध हैलीपेडों को बन्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. राज्य में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना):

52. प्रदेश में राजनैतिक द्वेष से बनाये गये झूठे मुकदमे वापस लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. नागौर जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

54. पुलिस थाना दूदू, फागी, नरायना में सिपाहियों व अन्य पुलिसकर्मियों के स्वीकृत पदों की स्वीकृति कम होने तथा पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

55. जयपुर जिले का मौजमाबाद कस्बा तहसील व पंचायत समिति

मुख्यालय होने के बावजूद भी कस्बे में पुलिस थाना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

56. पुलिस द्वारा राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर लगाये गये झूठे मुकदमों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. सीकर में 28 अगस्त को पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा छात्रों को पीटे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

58. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के थानों में क्षतिग्रस्त/खटारा वाहनों को सुधारने व नवीन वाहनों को खरीदने के संबंध में चर्चा के लिये।

59. पुलिस थानों में नफरी की कमी से अनुसंधानों में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

60. श्रीगंगानगर जिले के पुलिस थानों में पारदर्शिता हेतु सी.सी.टी.वी. नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

61. अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के नाहरोवाली व रोडवेज बस अड्डे अनूपगढ़ में नई पुलिस चौकी स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. अनूपगढ़ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

63. करौली जिले में नये थाने खोले जाने एवं थानों में पुलिस की नफरी बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

64. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पुलिस थाना गिगला का भवन व पुलिस आवास हेतु क्वार्टर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नव सृजित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पुलिस थाना परसाद, सेमारी, गिगला, सराड़ा में सिपाहियों के लिए आवासीय क्वार्टर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नवीन पुलिस चौकी उथरदा, खैराड़, बलुआ, टोकर खोलना व सल्लाडा, ईटाली खेड़ा में अस्थाई पुलिस चौकियों को स्थाई रूप से सृजित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में नवीन ट्यूरिज्म थाना जयसमंद खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

69. अपराधों में बढ़ोतरी को देखते हुए जयपुर शहर के सभी थानों में 10-10 कांस्टेबलों के नये पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

70. प्रदेश भर के पुलिस थानों में क्षतिग्रस्त वाहनों को सुधारने व नवीन वाहनों को खरीदने के संबंध में चर्चा के लिये।

71. सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में नवीन मालपुरा गेट थाना हेतु जमीन व बजट का आबंटन करने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना):

72. 2 अप्रैल, 2017 की घटना पर दर्ज हुए मुकदमों की वापसी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

73. पुलिस में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास की सुविधा उपलब्ध कराने, आधुनिक तकनीकी यन्त्र, नफरी को बढ़ाना, समुचित वाहन व्यवस्था, आबादीनुसार पुलिस व्यवस्था में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में चोरियां, वाहन चोरी, नशीली दवाइयां, अफीम, चिट्ठा, ट्रैफिक व्यवस्था गैर कानूनी कार्यों की रोकथाम, शराब की तस्करी, गौ तस्करी, बलात्कार व दलित पर अत्याचार की घटना इत्यादि पर रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

75. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के थानों में क्षतिग्रस्त वाहनों को सुधारने व नवीन वाहनों को खरीदने के संबंध में चर्चा के लिये।

76. राजस्थान-हरियाणा सीमा पर रात्रि गश्त पैट्रोलिंग की नियमित व्यवस्था नहीं की जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. पुलिस थानों में नफरी की कमी से अनुसंधानों में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के पुलिस थानों में पारदर्शिता हेतु सी.सी.टी.वी. नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के पुलिस थानों में पब्लिक फ्रेंडली स्वागत कक्ष नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

80. पुलिसकर्मी की 8 घंटे प्रतिदिन वर्किंग हावर ड्यूटी के संबंध में चर्चा के लिये।

81. पुलिस थानों में परिवाद दर्ज करने की परम्परा को खतम कर हर पीड़ित की एफ.आई.आर. दर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

82. ग्राम पंचायत समिजा, वास, पडावली, मादडा आदि ग्राम पंचायत को थाना क्षेत्र गोगुन्दा में मिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. थाना सामरा, गोगुन्दा, बैकरीया में पुलिस निवास हेतु सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. थाना क्षेत्र गोगुन्दा में कठार में पुलिस चौकी खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

85. प्रदेश के थानों को अति आधुनिक वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. थाना क्षेत्रों में वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जवानों को प्रशिक्षित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

87. पुलिस थानों में नाबालिग को नहीं लाने तथा वर्दी में पूछताछ नहीं करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. दलितजनों की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने, लापरवाही बरतने, ढिलाई बरतने एवं गलत जांच करने पर अधिकारियों के खिलाफ एस.सी./एस.टी. एक्ट की धारा 3 में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

89. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में निष्पक्षता एवं कुशलता से कार्य संपादन की दृष्टि से पदस्थापित पुलिस कार्मिकों हेतु आवासीय भवनों की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. सी.ओ. वृत्त इटावा (कोटा) एवं क्षेत्र के पुलिस थानों में भलीभांति कम्प्यूटरीकरण व आधुनिकीकरण के कार्यो हेतु तकनीकी संसाधन एवं प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. इटावा (कोटा) पुलिस थाना के नवीन भवन निर्माण कराने में बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये।

92. सी.ओ. सर्किल इटावा (कोटा) क्षेत्र में महिला स्टाफ की कमी दूर करने में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

93. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में मण्डावर थाना क्षेत्र के तीनधार में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. मण्डावर थाना के नवीन भवन का उद्घाटन अधिकारियों द्वारा कर जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

95. पनवाड़ थाना भवन की वित्तीय स्वीकृति जारी कर तुरन्त भवन व स्टाफ क्वार्टर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. बकानी तहसील मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

97. पुलिस विभाग में भ्रष्ट व निकम्मे अधिकारियों व कर्मचारियों की छानबीन करके सेवानिवृत्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. प्रदेश में हो रहे अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को आधुनिक संसाधनों से लैस कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. प्रदेश के थानों में जब्त किये गये सामान जो मालखाने में पड़ा-पड़ा खराब हो रहा है, उसे नीलाम कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. थाना कपासन व थाना आकोला में नये भवन बनाने के लिए आवश्यक बजट स्वीकृत कराने पर चर्चा के लिये।

101. राशमी में पुलिस थाना भवन बनवाने के लिए स्वीकृत बजट को लगाने के लिए विभाग को पाबन्द कराने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

102. बारां जिले के कवाई कस्बे में फरवरी, 2020 में पुलिस स्टेशन के नजदीक ही दलितों कालबैलियों के घरों को जला/ढहा देने पर आरोपियों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

103. मावली में पुलिस अधीक्षक कार्यालय भवन का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. डबोक, फतहनगर, घासा, मावली, थानों में पर्याप्त स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. पुलिस थाना घासा के नवीन भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. मावली तहसील की इंटाली व ढूंढिया पंचायतों को वल्लभनगर के बजाय फतहनगर थाने के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. मावली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

108. नदबई हैडक्वार्टर पर वृत्ताधिकारी (C.O.) कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

109. पुलिसकर्मियों की वेतन विसंगति को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. जिला भरतपुर में पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बजट व पुलिस नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र नदबई में पिचूना, पिंगौरा, एचेरा, रौनिजा में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. नदबई हैडक्वार्टर पर A.S.P. (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

113. पुलिस थाना नागाणा बाड़मेर को पुलिस उप अधीक्षक सर्किल बाड़मेर में करने के संबंध में चर्चा के लिये।

114. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक थाना स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

115. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर चोरी, डकैती की रोकथाम हेतु विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने एवं उनकी उचित देखभाल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

116. पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण के नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

117. प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने हेतु कानून में कड़े प्रावधान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा):

118. पिण्डवाड़ा तहसील में स्थाई Dy.S.P. कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

119. पिण्डवाड़ा तहसील में ईसरा नई पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल):

120. कोटड़ा थाने में पुलिस कर्मियों के निवास हेतु भवन के निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदौरा):

121. भवानी मंडी उपखण्ड कार्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

122. प्रदेश की पुलिस को आधुनिक उपकरण एवं वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. प्रदेश में पुलिस की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति अपराधों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं की पुलिस चौकी सुलताना तथा चनाना को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. कोतवाली थाना झुंझुनूं में दर्ज प्रकरण F.I.R. 357/19 की जांच अति शीघ्र करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

127. अनुसूचित क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्र के लगे कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल व ASI को उनके गृह जिले में भेजने पर चर्चा के लिये।

128. पुलिस विभाग में अनुसूचित क्षेत्र में पदोन्नति में हो रही अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

129. जैतारण उपखण्ड मुख्यालय पर अतिरिक्त उप जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय (एडिशनल एस.पी. कार्यालय) की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

130. जैतारण क्षेत्र के निम्बोल चौकी के लिए भवन निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

131. जैतारण क्षेत्र में RAC जवानों के लिए स्थायी रूप से भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. जैतारण क्षेत्र के अंतर्गत सभी पुलिस थानों, पुलिस चौकियों में फरियादियों के लिए स्वागत कक्ष के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में भ्रष्ट व बजरी माफियाओं के साथ मिले हुए पुलिसकर्मियों को जैतारण सर्कल से बाहर तबादला किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

134. जिला धौलपुर के पुलिस थानों पर नए वाहन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

135. धनाऊ तहसील बाड़मेर में पुलिस थाना शीघ्र चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाडा):

136. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में स्वीकृत पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय

हेतु जनापुर चौराहा पर भूमि चयनित कर भवन निर्माण शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई):

137. विधान सभा क्षेत्र निवाई में बजरी माफिया से मिलकर अवैध आय करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही व सम्पत्ति की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

138. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर शहर में स्वामी विवेकानन्द बस स्टैण्ड पर संचालित अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई पुलिस चौकी में स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की गुन्दोज पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के चाणोद गांव में पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ढोला ग्राम में NH 62 पर पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस की नफरी 1-4 है, जो कम है। शहर के विस्तार के कारण ट्रैफिक नफरी 20 करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

143. विधान सभा क्षेत्र डग में गंगधार थाने के चौमहला में आये दिन जाम लगने व डग थाने में डग में जाम लगने से यातायात पुलिस लगाये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र डग में डग चौमहला, गंगधार, भवानी मंडी, पंगारीया, मिश्तोली सभी श्रेणी के थानों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र डग में डग थाने के अंतर्गत आने वाली मध्यप्रदेश सीमा पर चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. दुधालिया में चौकी निर्माण करने व रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

147. मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र की सोडावास चौकी को थाने में क्रमोन्नत किये जाने व सभी थानों में नफरी बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के मुण्डावर में Dy.S.P. कार्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के सभी थानों में अत्याधुनिक हथियार व उच्च संसाधन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के सभी थानों में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

152. विधान सभा क्षेत्र नगर की चौकी जालुकी को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

153. कोशीथल, झाडोल व आशाहोली में पुलिस चौकी खोलने तथा रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर):

154. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) में आये दिन चोरियां होने एवं FIR समय पर दर्ज नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

155. विधान सभा क्षेत्र महवा की ग्राम पंचायत बालाहेडी में पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र महवा में एडिशनल एस.पी. कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

157. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के पुलिस थाना बौंली में पुलिस निरीक्षक नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

158. पुलिस विभाग के आदेश क्रमांक 303-24 दिनांक 09-01-2020 की पालना नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

159. पुलिस थाना चौमूं, कालाडेरा, गोविन्दगढ़ तथा सामोद में लंबित प्रकरणों के निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र चौमूं और आमेर के थानों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. चौमूं शहर में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. पुलिस थाना चौमूं में नफरी बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

163. पुलिस थाना आबूरोड के तहत कार्यरत पुलिस चौकी गिरवर के पुलिस कर्मियों द्वारा आये दिन आदिवासी नागरिकों को प्रताड़ित करते हुए की जा रही अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

164. पुलिस थाना मण्डार के तहत कार्यरत पुलिस चौकी भट्टाणा के पुलिस कर्मियों द्वारा शराब माफियाओं एवं अपराधियों के साथ गठजोड़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रात्रि 8 बजे बाद पुलिस संरक्षण के चलते फल-फूल रहे अवैध शराब करोबार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आये दिन बढ़ रही चोरी के प्रकरणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

167. भीलवाड़ा शहर में प्रतापनगर थाना एरिया बहुत बड़ा होने से एक नया थाना बाबाधाम में स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

168. भीलवाड़ा जिले के धार्मिक स्थानों पर हुई चोरी की वारदातों का पता लगाने के लिए स्पेशल टीम गठित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

169. भीलवाड़ा शहर में ट्रैफिक के भारी दबाव और समस्या को देखते हुए शहर के हर व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

170. प्रतापगढ़ जिले की पुलिस की कार्यप्रणाली एवं डोडा चूरा तस्करी में संलिप्तता के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

171. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के कस्बा सकट में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द):

172. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के ग्राम पंचायत पाटन में स्थाई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के ग्राम पंचायत आमेसर में माताजी के मंदिर प्रांगण में स्थाई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

174. पाली जिले के रोहट थाने को उप निरीक्षक स्तर से वृत्त निरीक्षक स्तर के थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

175. पाली विधान सभा क्षेत्र के पुलिस थानों एवं पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों हेतु क्वार्टर निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

176. पाली जिले की रोहट थाने की जैतपुर चौकी को उप निरीक्षक स्तर के थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

177. पाली शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु रात्रि गश्त बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

178. पाली शहर में शहीद भगतसिंह बी.पी.एल. कालोनी, मंडिया रोड पर पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

179. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

180. किशनगढ़ (अजमेर) स्थित गांधीनगर थाना की उप निरीक्षक स्तर से निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नति के संबंध में चर्चा के लिये।

181. किशनगढ़ शहर में यातायात को व्यवस्थित करने हेतु यातायात निरीक्षक का पद सृजित करने तथा यातायात कर्मियों के अतिरिक्त स्टाफ को स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के शहर थाना क्षेत्र में पुराने थाना भवन में पुलिस चौकी की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ की नियुक्ति करने के संबंध में तथा पुलिस थानों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

184. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस चौकी अलसीगढ़ को मेन रोड बस स्टैण्ड अलसीगढ़ पर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

185. पुलिसकर्मियों की आठ घण्टे प्रतिदिन की ड्यूटी नियत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

186. पुलिस थाना विजयपुर के जीर्ण-शीर्ण भवन को नवीनीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

187. पुलिस कर्मचारियों का मैस भत्ता व टी.ए./डी.ए. बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

188. चित्तौड़गढ़ में पुलिस की नफरी बढ़ाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

189. पुलिस थाना भदेसर के जीर्ण-शीर्ण भवन को नवीनीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलशहर):

190. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर (चूरू) में नई चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

191. भीलवाड़ा शहर में नई पीढ़ी के विद्यार्थियों में नशे की लत स्मैक, क्रिकेट सट्टा एवं अन्य नशे की लत रोकने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. भीलवाड़ा शहर में ब्याज माफिया के अत्याचार को रोकने एवं नई पीढ़ी के विद्यार्थियों को ब्याज माफिया से बचाने हेतु विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

193. राजस्थान पुलिस विभाग के सभी कार्यालयों एवं पुलिस स्टेशनों पर डिजिटल मोनिटरिंग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

194. मुख्य मंत्री के निर्देश के बाद भी सिरोही थाने के रंगधाम हत्याकांड व बरलूट थाना की लाड़ू देवासी हत्याकांड में निर्दोष गिरफ्तार किए गए लोगों को पुलिस द्वारा न छोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

195. न्यायालय द्वारा सिरोही जिले में गत पांच वर्षों में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भेजे गए पत्रों पर कार्रवाई न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

196. सिरोही पुलिस थाने में गत 2 वर्षों में नागरिकों से मारपीट के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

197. आबू रोड कोतवाली पुलिस द्वारा कांतिलाल परिहार पर कातिलाना हमले के आरोपियों को गिरफ्तार न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

198. बरलूट थाना क्षेत्र के मनादर में चोरी की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकेश (गंगापुर):

199. पुलिस नफरी एवं नये पुलिस चौकी व थाने खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

200. प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी पुलिस थाना अधिकारियों व स्टाफ द्वारा अवैध वसूली कर बजरी (रैती) सप्लाई में सहयोग करने पर चर्चा के लिये।

201. प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में नियमानुसार थानों में पुलिसकर्मी व अन्य स्टाफ की नियुक्तियों पर चर्चा के लिये।

202. बून्दी के पुलिस थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों, महिला/पुरुषों पर होने वाले अत्याचारों पर तुरन्त कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

203. बून्दी व कोटा जिले में थानाधिकारियों के संरक्षण में अवैध रूप से संचालित शराब की अवैध ब्रांचों को रात्रि 8 बजे बाद भी चलाने से रोकने पर चर्चा के लिये।

204. पुलिसकर्मियों की मिलीभगत व संरक्षण में कोटा व बून्दी जिलों में अवैध रूप से चलाये जाने वाले सट्टे पर रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

205. पुलिस थाना कोटड़ी के मु.नं. 104/2010 व 145/2015 में गिरफ्तारियां करने के संबंध में चर्चा के लिये।

206. खजूरी ग्राम में नया पुलिस थाना खोला जाए तथा पुलिस चौकी हनुमान गेट जहाजपुर पर खोलकर भवन निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. ग्राम खोहरा कलां व ग्राम खोहरा खुर्द व ग्राम भुकर को पुलिस थाना जहाजपुर में शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. कुराडिया पर पुलिस चौकी खोलकर एवं भवन निर्माण कार्य हेतु बजट आबंटन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

209. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में पुलिस अपराधों की रोक के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह (मारवाड जंक्शन):

210. देसूरी थाना क्षेत्र में दिनांक 04.12.2019 को दलित महिला गवरा देवी की बलात्कार का प्रयास के बाद हत्या कर बेखौफ घूम रहे मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

211. प्रदेश में पुलिस की नफरी की कमी को देखते हुए होमगार्ड की अधिक भर्ती व होम गार्ड्स को वर्ष में कम से कम 300 दिन ड्यूटी प्रदान की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. प्रदेश की प्रत्येक पुलिस चौकी व थाने में पुलिसकर्मी को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर):

213. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के ग्राम बम्बोटा में पुलिस चौकी क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

215. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्थित पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार का पुनर्गठन करने तथा पुलिस थानों में मैस (भोजनशाला) एवं सफाई करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अपराधों की रोकथाम हेतु बांसखोह कस्बे में पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के पुलिस थानों के मालखानों में वर्षों से पड़ी वस्तुओं के शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के पुलिस थानों में पुलिसकर्मियों के लिये आवास गृहों के निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

219. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड टोडारायसिंह में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह उपखण्ड की ग्राम पंचायत मोर में नवीन पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड मालपुरा में RAC की अस्थायी चौकियों के लिये भवन निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड टोडारायसिंह की ग्राम पंचायत उनियारा खुर्द में नवीन पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के नगरपालिका क्षेत्रों में नवीन यातायात पुलिस चौकी की स्थापना हेतु बजट आबंटित कराने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

224. अजमेर शहर में प्रतिवर्ष होने वाले दो अन्तरराष्ट्रीय मेलों को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस हेतु स्वीकृत नफरी को बढ़ाने तथा रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. अजमेर शहर के सभी थानों में तीन वर्ष या इससे अधिक की अवधि

में कार्यरत कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, सहायक उप निरीक्षक तथा उप निरीक्षक को हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. रामगंज थाना पुलिस की मिलीभगत से शराब व माफिया एवं खान माफिया द्वारा अवैध शराब कारोबार तथा अवैध खनन व्यापक स्तर पर किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

227. अजमेर जिले में स्थित अलवरगेट थाना, रामगंज थाना, क्लाक टावर थाना एवं क्रिश्चयनगंज थाने में दर्ज मुकदमों के आधार पर पुलिस की नफरी बढ़ाने तथा रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. अजमेर स्थित अभय कमाण्ड सेंटर के अधीन विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में पर्याप्त सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने, लगे हुए कैमरों को दुरुस्त रखते हुए उनकी नियमित मोनिटरिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

229. पुलिस थाना ब्यावर सिटी, ब्यावर सदर व जवाजा में संसाधनों से लैस एक-एक नये वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के साकेत नगर में एक थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. पुलिस थाना ब्यावर सिटी, ब्यावर सदर, जवाजा, टाटगढ़ थानों में स्वागत कक्षों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. पुलिस थाना ब्यावर सिटी, पुलिस थाना ब्यावर सदर, टाटगढ़ थाना, जवाजा थाना में स्टाफ बढ़ाये जाने से ब्यावर शहर में ट्रैफिक पुलिस के 100 जवानों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

233. विधान सभा क्षेत्र नगर के गांव नागल, बुहापुर, बेगपहाड़ी, रसूलपुर, डाबक को केथवाड़ा थाना क्षेत्र से हटाकर सीकरी थाना क्षेत्र में जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

234. विधान सभा क्षेत्र आमेर में महिलाओं के उत्पीड़न/अपराधों की रोकथाम हेतु आमेर में महिला थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र आमेर में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए आमेर में साइबर सैल/थाने की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

236. विधान सभा क्षेत्र आमेर में बढ़ती आबादी एवं अपराधों की रोकथाम की दृष्टि से वर्तमान थानों की पुन: सीमांकन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

237. विधान सभा क्षेत्र आमेर के जालसू पंचायत समिति मुख्यालय पर थाने की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. विधान सभा क्षेत्र आमेर की दौलतपुरा पुलिस चौकी को बढ़ते आपराधिक मामलों को दृष्टिगत रखते हुए थाने में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

239. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में पड़िहारा में नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. प्रदेश में दलित उत्पीड़न, कानून व्यवस्था एवं चोरियों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में पुलिस पदों में वृद्धि, नफरी बढ़ाने, आधुनिक संसाधन एवं वाहन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

242. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में कानून व्यवस्था की दृष्टि से CCTV कैमरे सम्पूर्ण इलाके में लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में पुलिस को अत्याधुनिक हथियार व वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

244. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नवीन पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के विभिन्न थानों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. जिला टोंक एवं विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग द्वारा कारगर उपाय करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

247. नोखा आदर्श रेलवे स्टेशन पर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम हेतु जीआरपी चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. विधान सभा क्षेत्र नोखा के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थाना पांचू का क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से विशाल होने के कारण ग्राम पंचायत कक्कू में पुलिस चौकी की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. नोखा, नागौर, बीकानेर व श्रीडूंगरगढ़ किसानों की गतिविधियों को बड़ा क्षेत्र होने व इनमें नोखा केन्द्रीय स्थान पर स्थित होने के कारण आईबी की चौकी नोखा में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र नोखा के तीनों पुलिस थानों (नोखा, पांचू, जसरासर) में स्वीकृत श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. नोखा पुलिस थाने को निरीक्षक स्तर पर क्रमोन्नति करने एवं उसके अनुरूप नफरी लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

252. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम हरजी में पुलिस चौकी बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

253. विधान सभा क्षेत्र आहोर में C.I. सर्कल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

254. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के कई गांव विधान सभा क्षेत्र डेगाना के थांवला थाना के अन्तर्गत आते हैं, उनको विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के नजदीकी पादुकलां पुलिस थाने में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के समस्त पुलिस थानों में महिला बेरक बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

256. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के तहसील मुख्यालय रियां बड़ी में नवीन आधुनिक पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

257. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में स्वीकृत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का

कार्यालय भवन निर्माण व आवश्यक अधिकारी व स्टाफ लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

258. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के समस्त पुलिस थानों में सिपाहियों व अधिकारियों के लिए पर्याप्त आवासीय क्वार्टर बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा):

259. पुलिस थाना मनोहरपुर, शाहपुरा (जयपुर) को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

260. विधान सभा क्षेत्र आहोर में पुलिस थाना भाद्राजून के लिये भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

261. विधान सभा क्षेत्र आहोर में नोसरा थाना के भवन का पुन: निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र आहोर में उम्मेदपुर चौकी का भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

263. पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर क्षेत्राधिकार में अपराधों पर नियंत्रण और यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए सी.सी.टी.वी. लगाने की योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और मोनिटरिंग हेतु चर्चा के लिये।

264. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के पुलिस थाना देवनगर के लिए भूमि और भवन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

265. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के पुलिस थानों में सी.सी.टी.वी. लगाकर प्रभावी मोनिटरिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

266. सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में करालाना और गढडों की ढाणी में नई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

267. प्रदेश में बढ़ रहे घातक मादक पदार्थों के चलन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अभियान पूर्वक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

268. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पुलिस प्रशासन द्वारा आदिवासियों को प्रताड़ित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

269. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में फुलेरा शहर के रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड के बाहर तथा नरैना में बस स्टैण्ड के बाहर यातायात पुलिस कर्मियों को पदस्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

270. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल थानान्तर्गत मण्ढ़ा-भीमसिंह तथा सांभर थाने के अधीन नावां रोड पर भाटीपुरा में नई चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

271. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न थानों में पर्याप्त नफरी स्वीकृत कर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

272. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सांभर तथा फुलेरा थाने के भवन एवं क्वार्टर के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

273. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल थाने को सी.आई. स्तर में क्रमोन्नत कर साधन/संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

274. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के विभिन्न थानों में बैरक कम होने तथा भवन के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के अति संवेदनशील होने के कारण बहरोड़ में चेतक गाड़ी उपलब्ध कराकर तैनाती करने के संबंध में चर्चा के लिये।

276. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के समस्त पुलिस थानों में नये वाहन तथा अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

277. बहरोड़ थाने का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण एक नया थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

278. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के विभिन्न थानों में नफरी बढ़ाकर पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

279. आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न करने हेतु जनसंवाद अथवा चौपाल कार्यक्रम आयोजित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

280. पुलिसकर्मियों में ड्यूटी के प्रति बढ़ रही नीरसता से छुटकारा दिलाने के लिए मोटिवेशन कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

281. प्रदेश में बढ़ रहे बलात्कार, चोरी लूट, हत्या, साइबर क्राइम जैसे अपराधों की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

282. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के पुलिस थानों में सिपाहियों की कमी के कारण नफरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

283. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में संचालित अस्थाई पुलिस चौकी बडगांव व सांकड़ को स्थाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राकेश पारीक (मसूदा):

284. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में CO कार्यालय विजयनगर में खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

285. पुलिस थाना भिनाय व मसूदा में नये वाहन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

286. प्रदेश के पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त ड्यूटी का बोनस बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

287. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में पुलिसकर्मियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

288. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के मुख्यालय पर पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां):

289. प्रदेश के सभी पुलिस थानों पर जाने वाले परिवादियों से किये जाने वाले व्यवहार पर नजर रखने के लिए सभी थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

290. विधान सभा क्षेत्र कामां के सभी थानों को कामां उपाधीक्षक कार्यालय के अधीन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

291. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के थानों में नफरी की कमी एवं वाहनों की कमी को पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

292. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के दस्यु प्रभावित डांग क्षेत्र सोने का गुर्जा में नवीन थाना खोले जाने बाबत चर्चा के लिये।

293. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में ग्राम सूरोठी, कृषि उपज मंडी बाड़ी में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने बाबत चर्चा के लिये।

294. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में सदर थाने का नवीन कार्यालय भवन बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

295. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में उप अधीक्षक कार्यालय हेतु नवीन भवन एवं आवासीय भवन बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

296. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के पुलिस थाना गंज एवं क्रिश्चयनगंज का पुनर्सीमांकन कर एक नया थाना स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

297. अजमेर शहर के दरगाह गंज व अन्य थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने में पुलिस की असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

298. अजमेर शहर में बांगलादेशियों के प्रवेश पर निगरानी, उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस के विशेष दल के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

299. अजमेर शहर में यातायात व्यवस्थाओं के सुधार हेतु यातायात पुलिस का सुदृढ़ीकरण व 01 नया सर्किल- अजमेर उत्तर नाम से खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

300. अजमेर शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश के लिए पुलिस अधीक्षक का एक अतिरिक्त पद (शहर के लिए) सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

301. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में स्थित पुलिस स्टेशनों में दर्ज चोरी नकबजनी के प्रकरण, जो खुलासे से वंचित हैं, की जांच हेतु विशेष टीम गठित करवाकर खुलासा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

302. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय हेतु भूमि आबंटित करके आवश्यक संसाधन व भवन हेतु बजट उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

303. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में स्थित विभिन्न पुलिस स्टेशनों में क्षेत्र की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

304. पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के अधीन आने वाले थानों में पुलिस कार्मिकों को कमिश्नरेट प्रणाली के अनुसार 8 घण्टे से ज्यादा ड्यूटी करवाने पर अतिरिक्त भत्ता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना):

305. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के घाटोली पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी कोल्हु खेड़ी कलां, चुरेलिया तथा सरड़ा के जर्जर अवस्था के भवनों के स्थान पर नया भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

306. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में ग्राम चुरेलिया तथा सरड़ा पर नये थाने खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

307. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के ग्राम गुराड़ी चौराहा, ल्हांस तथा आमेठा में नई पुलिस चौकियां खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार):

308. जिलों में पुलिस को देय सुविधाओं में विस्तार करने एवं गैर जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़):

309. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के पुलिस विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति कर सरकारी आवास के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

310. प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती, 2017 में आरक्षण व्यवस्था को लागू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

311. प्रदेश की पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण कर ब्रिटिशकालीन पुलिस प्रशासन कार्यशैली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

312. बीकानेर जिले में पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार हेतु पुलिस सुविधाओं में आधारभूत सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

313. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के लूणकरणसर थाना व नापासर थाना पर यातायात कर्मियों को स्थायी रूप से लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

314. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के महाजन थाने के अर्जुनसर गांव व लूणकरणसर थाने के खिंमेरा गांव में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

315. यातायात पुलिस द्वारा राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती चालान बनाने से आमजन को होने वाली कठिनाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

316. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में नापासर पर वृत्ताधिकारी कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

317. जालौर जिले में 2018 में हुई पुलिस भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद भी नियुक्ति न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

318. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में स्थित विभिन्न थानों पर अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

319. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अधीन विभिन्न थानों पर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासीय भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

320. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्र के बड़े भू-भाग को देखते हुए चिन्हित बिंदुओं पर चौकी एवं घटनाओं की सूक्ष्म जांच के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

321. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में नई पुलिस चौकियां खोलने एवं पुलिस चौकी रोलसाहबसर को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

322. थाना बगड़ जिला झुन्झुनूं में दर्ज झूठा मुकदमा संख्या 197/18 को सरकार द्वारा वापस लेने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

323. प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन व ड्रेस व आधुनिक वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू):

324. बगरू मुख्यालय पर (DySP) उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

325. प्रदेश में बढ़ते अपराध के ग्राफ के बारे में नशामुक्त अभियान चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

326. जिला जयपुर के ग्राम जामडोली में अलग से पुलिस थाना खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

327. प्रदेश के सभी पुलिस थानों में महिला पुलिसकर्मी नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

328. प्रदेश के पुलिस थानों का विधान सभावार, ग्राम पंचायतवार, पंचायत समितिवार, तहसील क्षेत्रवार सीमांकन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

329. बालोतरा एडिशनल एस.पी. के अधीन आने वाले बड़े-बड़े कस्बों में अजीत, होड़, इन्द्राणा में नयी पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

330. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के समदड़ी एवं सिणधरी कस्बों में यातायात व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

331. प्रदेश के सभी कस्बों में अवैध हथियारों की खेप आने से समाज में बढ़ रहे अपराध से उत्पन्न समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

332. जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानून-व्यवस्था की स्थिति को

सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से पुलिस को दो वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

333. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विराटनगर उप खण्ड मुख्यालय पर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

334. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के भाभरू में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

335. प्रदेश की पुलिस को आधुनिक हथियार व आधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

336. प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल के वेतन व भत्ते में बढ़ोतरी कर उनकी सुविधाओं में विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

337. प्रदेश के सभी थानों को सीसीटीवी कैमरों से लैस कर इनकी मोनिटरिंग जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

338. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के थानों का परिसीमन करके नवीन थानों का गठन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

339. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के थानों में नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

340. प्रदेश के पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रत्येक 10 वर्ष बाद उसके सर्विस रिकार्ड के आधार पर पदोन्नति एवं सेवा के योग्य मानने के संबंध में चर्चा के लिए।

341. पुलिस जांच में एफएसएल को अत्याधुनिक एवं क्रियाशील बनाकर प्रभावशाली बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

342. प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

343. प्रदेश के पुलिस विभाग में स्थानान्तरण की कारगर प्रभावी नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

344. IAS एवं IPS की समयबद्ध पदोन्नति के अनुरूप ही पुलिस विभाग के अन्य कैडरों में भी स्वत: ही समयबद्ध पदोन्नति हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

345. विधान सभा क्षेत्र मकराना में कस्बा पुलिस चौकी मकराना व बोरावड़ पुलिस चौकी के भवन निर्माण के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

346. विधान सभा क्षेत्र मकराना में पुलिस थाना गच्छीपुरा के भवन को खंडहर घोषित कर जर्जर भवन के स्थान पर नवीन भवन बनाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

347. विधान सभा क्षेत्र मकराना में यातायात पुलिस को मजबूत व सशक्त करने व यातायात पुलिस में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

348. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम बुडसू में पुलिस चौकी की स्थापना एवं पुलिस चौकी बोरावड़ को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

349. प्रदेश में चालानी गार्ड द्वारा अपराधियों/कैदियों को पेशी पर लाने व ले जाने के वक्त उनके चाय-पानी, नाश्ता, खाने का बजट स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर):

350. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में उप अधीक्षक कार्यालय भवन बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

351. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम अड़सीसर में नया पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

352. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के थानों में पर्याप्त नफरी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

353. विधान सभा क्षेत्र मण्डलगढ़ में पुलिसकर्मियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

354. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के मोदरा पुलिस चौकी को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किसनाराम विश्नाई (लोहावट):

355. प्रदेश में पुलिस की रात्रि गश्त बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

356. विधान सभा क्षेत्र नगर के अन्तर्गत सभी थानों पर रिक्त पद भरने और महिला स्टाफ लगाने के संबंध में आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

357. विधान सभा क्षेत्र नगर की चौकी जालुकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

358. नागौर कोतवाली थाना से डोडा पोस्त चोरी प्रकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

359. विधायकों द्वारा उप खण्ड अधिकारी नागौर के विरुद्ध SC, ST एक्ट में दर्ज प्रकरण में सरकार द्वारा बरती गई उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिए।

360. नागौर जिले में दागी पुलिस अधिकारियों की फील्ड पोस्टिंग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

361. नागौर शहर के भू-माफियाओं के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में एस.ओ.जी. द्वारा बरती गई शिथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी):

362. प्रदेश में अन्य जिले से गृह जिले में कांस्टेबल के स्थानान्तरण की नीति में परिवर्तन कर पुरुष के लिए न्यूनतम 07 वर्ष व महिला के लिए 05 वर्ष किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

363. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के ग्राम नोखड़ा में पुलिस थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

364. प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले सभी लोगों की समान रूप से मदद किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

365. पुलिस कस्टडी में पुलिस की लापरवाही से मृत्यु होने पर सरकार द्वारा समान रूप से मदद नहीं किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

366. जिला बाड़मेर के पुलिस थाना पचपदरा के मु. नं. 196/2019 में

एफआईआर में नामजद मुल्जिमों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने व राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

367. नांगल राजावतान (दौसा) में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

368. बापड़दा (दौसा) में नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

369. प्रदेश के पुलिस थानों में नफरी (स्टाफ) बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

370. प्रदेश में पुलिस द्वारा अफीम, शराब, चिट्ठा (स्मैक) डोडा पोस्त, नशीली गोलियां के माफियाओं द्वारा अवैध कारोबार में पुलिस के साथ मिलीभगत पर चर्चा के लिये।

371. पुलिस थाना टिब्बी में स्थायी रूप से योग्य एवं ईमानदार अधिकारी का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

372. विधान सभा क्षेत्र सांगरिया में पुलिस थानों एवं चौकियों में लम्बे समय से लगे हुए SI, ASI, हैड कांस्टेबल, सिपाहियों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल):

373. प्रदेश व जयपुर शहर में आये दिन हो रही चेन स्नेचिंग, वाहन चोरी, जेब कटिंग, घरों में चोरी, लूट, डकैती, बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

374. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के थाना माणक चौक, कोतवाली, रामगंज, सुभाष चौक, संजय सर्किल, जालूपुरा, शास्त्रीनगर, नाहरगढ़ में नवीन चौकियां खोलने एवं पुलिस जाप्ता लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

375. जयपुर शहर में बढ़ते क्राइम को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम 02 और साइबर नये थाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

376. जयपुर शहर में ट्रैफिक पाइंटों पर ट्रैफिक बूथ लगवाने एवं उनमें लाइट, पंखा व पानी की समुचित व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई):

377. विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न थानों व चौकियों पर लगे पुलिसकर्मियों की सम्पत्ति में बजरी माफिया से मिलीभगत के बाद बेतहाशा वृद्धि/बेनामी सम्पत्ति की जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

378. प्रदेश में दलित उत्पीड़न में पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल जाट (माण्डल):

379. प्रत्येक पुलिसकर्मी को एक वर्ष में एक बार परिवार के साथ यात्रा करने हेतु दस दिन का अवकाश दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

380. विधान सभा क्षेत्र माण्डल में माण्डल पुलिस थाना के अधीन हरिपुरा अस्थायी चौकी को स्थायी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

381. जिला भीलवाड़ा के नेशनल हाईवे पर पुलिस थानों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

382. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के अरथुना, लोहारिया, सदर थाना में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में अब तक कितने मुकदमे ऑनलाइन प्रणाली से दर्ज हुए हैं, उन दर्ज मुकदमों पर की गई कार्यवाही तथा लम्बित प्रकरणों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

383. पुलिस विभाग से संबंधित आमजन के विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने की व्यवस्था को ऑनलाइन करके पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

384. पुलिस विभाग में कार्यरत महिला कर्मियों को सहज व सम्मानजनक माहौल उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

385. जिला मुख्यालय जालौर पर पुलिस विभाग के विभिन्न वर्ग के अधिकारियों के कार्यालयों में स्थान की कमी को देखते हुए एक बहुमंजिला भवन बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

386. लम्बी एवं तनावपूर्ण ड्यूटी करने के बाद पुलिस के जवानों को तनाव मुक्त करने हेतु प्रेरणा कक्षाओं का आयोजन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

387. सायला पुलिस थाने के विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए जीवाणा में नया थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमर सिंह (बयाना):

388. विधान सभा क्षेत्र बयाना में पुलिस को अत्याधुनिक हथियार व वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

389. विधान सभा क्षेत्र बयाना रूपवास के थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाकर मोनिटरिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल जाट (माण्डल):

390. पुलिस विभाग के अधिकारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, निरीक्षक स्तर के समकक्ष कार्मिकों को भी वर्दी (कंधे) पर अशोक स्तंभ (क्राउन) लगाने की व्यवस्था पर व्याप्त असंतोष के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट):

391. पुलिस विभाग के अधिकारी जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, निरीक्षक स्तर के समकक्ष कार्मिकों को भी वर्दी (कंधे) पर अशोक स्तंभ (क्राउन) लगाने की व्यवस्था पर व्याप्त असंतोष के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

392. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोजन की स्वीकृतियां देने में होने वाले विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

393. देश में ग्लोबल (Global) काउन्टर सेंटर पहले जयपुर में प्रस्तावित था, अधिकारियों की घोर लापरवाही से जयपुर में प्रस्तावित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

394. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के बनेड़ा के क्षेत्राधिकार को देखते हुए पुलिस कार्यों व क्राइम में बढ़ोतरी के कारण एक पुलिस उप अधीक्षक, 02 थानों व चार चौकियों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

395. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के बनेड़ा के अन्तर्गत स्थित लसाडिया चौकी जो कि पाण्डेर थाना के अधीन है, जो जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत है, को सुविधा की दृष्टि से शाहपुरा थाने के अधीन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

396. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के बनेड़ा में स्थित एडिशनल एस.पी., पुलिस उप अधीक्षक कार्यालयों व थानों व चौकियों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

397. पुलिस भर्ती 2017 में राज्यपाल की अधिसूचना की पालना नहीं करने से एसटी व एससी के अभ्यर्थी के साथ किये गये अन्याय के संबंध में चर्चा के लिए।

398. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में शिड्यूल्ड कास्ट एरिये में कार्यरत पुलिसकर्मी जो अनुसूचित क्षेत्र के बाहर से है, उन्हें उनके गृह जिले में भेजकर स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

399. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में उप खण्ड कार्यालय गढ़ी के द्वारा टोपीदार बन्दूक के फर्जी लाइसेन्स बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई):

400. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में सभी पुलिस थानों में नये वाहन उपलब्ध करवाया जाए, जिससे सभी प्रकार की समस्या का हल हो सके, के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-03

मांग संख्या 17 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 17–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

1. राज्य के कारागारों में संख्या से अधिक कैदी रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

2. अलवर शहर की सैन्ट्रल जेल को अलवर शहर से बाहर शीघ्र स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

3. राजसमंद कारागार में बंद बंदियों के लिये स्वच्छ जल एवं hygienic भोजन उपलब्ध करवाने तथा शौचालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. राजसमंद जिला मुख्यालय के कारागार का नया भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

5. प्रदेश के कारागारों में स्वयं रोजगारों में हस्तशिल्प हथकर्घा आदि के कैम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

6. जेलों में फोन पकड़े जाने पर जेलर व जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र भादरा की पुरानी जर्जर जेल का नये स्थान पर नया भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

8. प्रदेश की जेलों में कर्मचारियों की मिलीभगत से कैदियों द्वारा मोबाइल, सिम, घातक हथियार एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री के उपयोग किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

9. केन्द्रीय कारागार में मोबाइल का उपयोग रोकने हेतु जैमर लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

10. जेल में कैदियों को नियमित रूप से योग साधना करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. जेल प्रहरियों को विशेष भत्ता दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

12. जेल अभिरक्षा (ट्रायल) कैदियों को न्यायालय में उपस्थिति हेतु ले जाने वाले वाहन व्यवस्था के दुरुस्तीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

13. कैदियों को कारागृह अवधि में रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करने एवं रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी आय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. कैदियों को पौष्टिक व शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के उप कारागृह बालोतरा का आधुनिक सुविधाओं युक्त नवीन भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

16. कैदियों को जेल मैन्युअल के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

17. राज्य के कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

18. उदयपुर में कारागार हेतु आबंटित जमीन पर नया भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

19. श्रीगंगानगर में नया कारागार भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश हुड़ला (महवा):

20. प्रदेश की जेलों में जैमर लगाकर अवैध मोबाइल व नशीले पदार्थ एवं हथियारों की रोकथाम के उपायों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

21. जेल प्रहरियों का वेतन राजस्थान पुलिस के सिपाहियों से कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

22. कारागृहों में बंदियों को जेल मैन्युअल के अनुसार सुविधाएं नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. कैदियों की संख्या के अनुपात में कारागृह निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

24. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ जेल में CCTV कैमरे नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ जेल में रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ जेल में कैदियों को लाने-ले जाने एवं गम्भीर बीमारियों पर उनको उपचार उपलब्ध नहीं हो पाने के संबंध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ कारागार के जेल प्रहरियों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ जेल परिसर में चारदीवारी नहीं होने से सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप खण्ड सराड़ा में उप कारागृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में उप कारागृह को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र से हटाकर सुरक्षित क्षेत्र में स्थानान्तरित कर 200 कैदियों की क्षमता के अनुसार भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. राज्य की विभिन्न जेलों में बन्द कैदियों द्वारा मोबाइल फोन, सिम,

घातक हथियार, अवैध वस्तुएं एवं आपत्तिजनक सामग्री के उपयोग को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप कारागार में पुराने कैदियों तथा जेल के कर्मचारियों की मिलीभगत से नये कैदियों के साथ मारपीट करने तथा अवैध राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

33. राज्य की सभी जेलों में जेलकर्मियों की भर्ती करने एवं जेलकर्मियों को आधुनिक हथियार एवं उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

34. सांगानेर क्षेत्र में स्थित खुली जेल को अन्यत्र स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. जेलों में बढ़ते अपराधों को देखते हुए मोबाइल के उपयोग को बन्द करने के लिए अत्याधुनिक जैमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

36. कारागार में अपराधियों द्वारा मोबाइल व अन्य नियम विरुद्ध सुविधाओं के उपयोग पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

37. दूरस्थ क्षेत्र इटावा (कोटा) उप खण्ड मुख्यालय पर उप कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. केन्द्रीय कारागृह कोटा में बंदियों की सुरक्षा एवं देखरेख के अभाव में हुई मौतों को रोक पाने की विफलता के संबंध में चर्चा के लिये।

39. सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रशासनिक दृष्टि से जेलों में कार्यरत स्टाफ के स्थानान्तरण में विभागीय विफलता के संबंध में चर्चा के लिये।

40. केन्द्रीय कारागृह कोटा में आपूर्ति की जाने वाली खाद्य सामग्री की खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित जांच न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. केन्द्रीय कारागृह कोटा को भीड़-भाड़ युक्त क्षेत्र से हटाकर बाहर खुले स्थान पर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

42. कारागार में सजा काट रहे कैदियों की स्वास्थ्य की जांच समय-समय पर नहीं होने से कैदियों की आकस्मिक मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र कपासन में जेल के कैदियों के मनोरंजन के लिए टीवी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र कपासन उप कारागार के जेल भवन का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

45. प्रदेश के कारागारों में आधुनिक सुविधाएं जिनमें CCTV कैमरे, जैमर, बैरक आदि लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. कारागारों में नफरी की कमी को अविलम्ब दूर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

47. कारागारों में बंद अपराधियों द्वारा संगठित गिरोह का अवैध संचालन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

48. प्रदेश के कारागारों में अवैध गतिविधियों के संचालन को अविलम्ब रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

49. प्रदेश में स्थित कारागारों (जेलों) में व्यक्तित्व निर्माण, नैतिकता सहित अन्य सुधारात्मक कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. केन्द्रीय कारागार बाड़मेर में नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. प्रदेश में कारागारों में मिल रहे मोबाइल उपकरणों से सुरक्षा में हो रही लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

52. बंदियों द्वारा जेलों में मोबाइल फोन का उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

53. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के उप खण्ड मुख्यालय रानी में कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में पुलिस थाना सुमेरपुर में कैदियों व अपराधियों को बाली कारागार में ले जाने हेतु कैदी वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर में कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

56. विधान सभा क्षेत्र डग के चौमहला में कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. प्रदेश में विभिन्न कारागार में मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. भवानी मंडी में नया कारागार बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।.

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

59. प्रदेश के सभी जेलों में कर्मियों को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. अलवर जिले की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा):

61. भीलवाड़ा शहर के मध्य में स्थित जिला कारागार को पालड़ी के निकट स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

62. कारागार में 20-25 वर्ष से सजा काट रहे कैदियों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

63. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के जिला कारागृह में बंदियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कारागृह का विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. कारागृह में बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के जिला कारागृह व अन्य उप कारागृह

में बंदियों के भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. कारागृह में क्षमता से अधिक कैदी होने से उनकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु जेल प्रहरियों के पदों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

67. उदयपुर केन्द्रीय कारागृह के नवीन वृहद परिसर का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. उदयपुर जिले की जेलों में मोबाइलरोधी जैमर की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र मावली के उप कारागार में स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र मावली में उप कारागार का जीर्णोद्धार व भवन में नवनिर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

71. राज्य की जेलों में कैदियों की उचित खान-पान की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के कारागार में समिति की बैठक न बुलाए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. राज्य की समस्त जेलों में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र सिरोही जेल को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. राज्य की जेलों में कैदियों के लिए प्राणीक हीलिंग शिविर लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

76. कारागारों में बन्द कैदियों से अवैध कार्य न कराकर उनको शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. प्रदेश की जेलों (कारागारों) में क्षमता से अधिक बन्द कैदियों के अनुपात में जेलों के भवनों का विस्तार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. प्रदेश की कारागारों (जेलों) में अवैध रूप से मोबाइलों व अवैध वस्तुओं के संचालन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. बून्दी व कोटा जिलों की जेलों में आवश्यकतानुसार स्वीकृत रिक्त पुलिस स्टाफ की भर्ती कर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. जिला कोटा में कैदियों के अनुपात से स्वीकृत नयी सैन्ट्रल जेल का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

81. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर (भीलवाड़ा) के उप खण्ड मुख्यालय कोटड़ी में नवीन कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

82. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित कारागार में कैदियों व स्टाफ के लिए शुद्ध मीठा पानी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. कारागार में कैदियों द्वारा अपराध की रोकथाम पर निरन्तर सुधार कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. कैदियों के लिए उत्तम व पौष्टिक भोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. कारागार में कैदियों के पास मोबाइल, गुटखा, शराब, हथियार एवं अन्य वस्तुओं को न ले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

86. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में बढ़ रही गैर कानूनी गतिविधियों के कारण बढ़ रहे अपराधों के रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

87. अजमेर केन्दीय कारागार में बन्द अभियुक्तों को पेशी पर ले जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जाप्ता उपलब्ध नहीं होने पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. महिला कारागार में नवजात बच्चों की समुचित देखभाल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. अजमेर केन्द्रीय कारागार को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. अजमेर केन्द्रीय कारागृह में पुराने कैदियों एवं जेल कार्मिकों द्वारा मिलकर नये कैदियों से मारपीट करने, अवैध राशि वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. अजमेर केन्द्रीय कारागार के अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा कैदियों को अवैध तरीके से मोबाइल तथा अन्य सामान पहुंचाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

92. सेन्ट्रल जेल में कैदियों के खाने की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

93. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में बन्दियों के पास मोबाइल एवं मादक पदार्थ मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

94. जेल में बन्दियों को दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. महिला बंदियों की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में उप कारागृह में तैनात कर्मियों को प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हेतु जेल में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. जेलों में बंदियों से मिलने आने वाले परिवारजनों को हो रही असुविधा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

99. प्रदेश के कारागारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. प्रदेश में महिला कैदियों के लिए जिला स्तर पर पृथक-पृथक कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

101. विधान सभा क्षेत्र नोखा के कारागार में प्रतीक्षालय कक्ष को बड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र नोखा के कारागार में पर्याप्त स्टाफ का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र नोखा के कारागार भवन की मरम्मत उपरान्त पुन: कार्य शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र नोखा के कारागार में कैदियों को खाने की समुचित व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

105. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के कारागार मेड़ता सिटी में जेल प्रहरी के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के कारागार मेड़ता सिटी में सफाई व्यवस्था की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के कारागार मेड़ता सिटी में बिगड़ी हुई मैस व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के कारागार मेड़ता सिटी में जेल कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा कैदियों व कैदियों के परिजनों से अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

109. केन्द्रीय कारागार जोधपुर में जीर्णोद्धार-मरम्मत हेतु बजट में प्रावधान करने की प्रभावी समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. प्रदेश के सभी केन्द्रीय कारागारों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर केन्द्रीकृत मोनिटरिंग की प्रभावी समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर क्रियान्विति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. प्रदेश के सभी केन्द्रीय कारागारों में कैदियों के चरित्र सुधार हेतु नियमित योग, पुस्तकालय एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. प्रदेश के विभिन्न कारागारों से सजायाफ्ता अपराधियों द्वारा किये जा

रहे अपराधों के संचालन पर रोक लगाने हेतु प्रभावी समयबद्ध कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में सजायाफ्ता कैदियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के नाम पर चल रही अवैध वसूली के कारोबार को रोकने की प्रभावी समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

114. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभर जेल में वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभर कारागार में स्वागत कक्ष तथा चार दीवारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

116. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ (अलवर) के कारागार का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की कारागार में स्वागत कक्ष एवं आगन्तुकों के लिए समुचित व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

118. प्रदेश की जेलों में सुरक्षा इंतजामों को और अधिक प्रभावी बनाकर जेलों में हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. प्रदेश की जेलों में बन्द खूंखार अपराधियों, गैंगस्टर्स से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई जेल में ही करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उप खण्ड मुख्यालय पर उप कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

121. जिला कारागृह बांसवाड़ा में कैदियों को उचित व्यवस्था एवं स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

122. जिला जेल धौलपुर में कैदियों की संख्या को देखते हुए नवीन भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. जिला जेल धौलपुर में जेल प्रहरियों का पदस्थापन कराकर जेल सुरक्षा बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. जिला जेल धौलपुर में जैमर की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में उप कारागार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

126. प्रदेश के कारागारों में मोबाइल व अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं की उपलब्धता की रोकथाम में कारागार प्रशासन की विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. कारागारों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखे जाने पर पाबन्दी लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. कारागारों में बंदियों के लिए पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. कारागारों में बंदियों के चरित्र, व्यवहार व जीवनशैली में परिवर्तन लाने के लिए, योग आधारित, आध्यात्मिक व प्रेरणादायी कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. कारागारों में सजायाफ्ता पुराने कैदियों द्वारा नये कैदियों से मारपीट व राशि वसूली किये जाने की रोकथाम पर आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

131. जोधपुर जिले में स्थित उप जिला कारागृहों में नवीन निर्माण व मरम्मत कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़):

132. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के उप कारागार भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

133. केन्द्रीय कारागार बीकानेर में नफरी बढ़ाने एवं जेल की सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में उच्च कोटि की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. प्रदेश के सभी कारागारों में कैदियों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. कारागार विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में विचाराधीन युवा एवं महिला बंदियों को अलग से रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

138. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अधीन जिला कारागार जैसलमेर में बंदियों को सुचारु रूप से रखने हेतु जेल में सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के जिला कारागार में बंदियों के लिए रोजमर्रा उपयोग में आने वाली वस्तुओं का प्रशिक्षण कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

140. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के कारागार का सुविधाजनक बड़ा भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

141. राज्य के जेल प्रशासन में कार्यरत कर्मियों के संबंध में चर्चा के लिये।

142. जेलों में पर्याप्त स्टाफ लगाने, जेल में आवश्यक व्यवस्था में सुधार हेतु कारागर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

143. जेल प्रहरियों की वेतन विसंगति दूर करके वेतन व भत्तों में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

144. बालोतरा उप कारागार में क्षमता से अधिक अपराधी (कैदी) रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. प्रदेश के सभी कारागारों में बन्दियों के जीवनशैली में परिवर्तन कर, मुख्यधारा से जोड़ने की कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. प्रदेश की खुली कारागारों में बन्दियों को अपनी रूचि के अनुसार कार्य

दिये जाने एवं जीवनशैली में परिवर्तन तथा परिजनों को साथ रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. प्रदेश में जेल प्रहरियों एवं आर.ए.सी. के जवानों के वेतन में विसंगति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

148. बालोतरा उप कारागार में कैदियों से मिलने आने वाले परिजनों के लिए प्रतीक्षालय कक्ष बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

149. प्रदेश की जेलों में नियमित रूप से योगा अभ्यास व प्रत्येक रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम रखकर कैदियों का मानसिक तनाव कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. जेलों में बन्द कैदियों को कौशल विकास के कार्यक्रमों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. जेलों की सुरक्षा हेतु जेल प्रहरियों की नई भर्ती करने एवं उनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. जेलों में मूलभूत सुविधाओं में आवश्यक सुधार तथा शौचालय-स्नानगृह की साफ-सफाई की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

153. जेलों में कैदियों को संस्कारी बनाने के लिए जेलों में चारित्रिक शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

154. जेल प्रहरी एवं पुलिस कांस्टेबल के वेतनमान समान करने के निर्णय के उपरान्त भी इस लाभ से वंचित रहने से व्याप्त असंतोष के संबंध में चर्चा के लिये।

155. जेल विभाग द्वारा करोड़ों रुपये खर्च करके जैमर लगाने के उपरान्त भी उसका समुचित लाभ प्रदेश के कारागारों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. प्रदेश में जेल परिसर शहर की बस्तियों में स्थित है, उन्हें शहर से बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. प्रदेश की जेल सेवा को प्रभावी बनाने हेतु समयबद्ध पदोन्नति को सुचारु रूप से कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

158. प्रदेश की जेलों में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ एवं वाहनों की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

159. प्रदेश के कारागारों में खूंखार एवं आदतन अपराधियों को सामान्य अपराधियों से अलग रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. प्रदेश के कारागारों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों में वृद्धि करने, रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा यथासमय पदोन्नति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. प्रदेश के कारागारों में बन्द कैदियों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु प्रेरणादायक कक्षाओं के आयोजन के संबंध में चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र जालौर के जिला कारागार का शहर के बाहर बड़ा भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

163. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के शाहपुरा नगर में स्थित कारागृह में सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) में स्थित शाहपुरा कारागृह में कैदियों की नियमित स्वास्थ्य एवं भोजन की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के बनेड़ा उप खण्ड एवं फूलिया कलां उप खण्ड में भी पृथक से कारागृह खोलकर निर्माण कार्य शुरू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के शाहपुरा नगर के मध्य स्थित कारागृह जीर्ण-शीर्ण एवं जर्जर अवस्था में होने से उसे शहर से दूर स्थानांतरित कर नया निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. प्रदेश में सजायाफ्ता कैदियों एवं विचाराधीन कैदियों के लिए पृथक-पृथक कारागृहों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

168. केन्द्रीय कारागृह घाटगेट जयपुर को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. केन्द्रीय कारागार जयपुर की कैन्टीन व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

170. केन्द्रीय कारागृह जयपुर की सुरक्षा व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 16-पुलिस एवं मांग संख्या 17-कारागार पर माननीय सदस्यों के सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी)

अपहरण, दुष्कर्म व गैंगरेप की घटनाएं

क्र.सं.	जिला	दिनांक	विवरण
1	अलवर	24.10.2019	अलवर में थानागाजी गैंगरेप में सम्भागीय आयुक्त की रिपोर्ट- सीओ, एसएचओ ने बरती गंभीर लापरवाही, एसपी 24 घण्टे तक घटना स्थल पर नहीं पहुंचे।
2	झुंझुनूं	12.12.2019	स्कूल खुली तब से कार्यरत है आरोपी शिक्षक झुंझुनूं के सैनिक स्कूल में, 12 छात्रों के साथ यौन शोषण का मामला, आरोपियों को मिले सख्त सजा।
3	अजमेर	24.10.2019	अजमेर डेयरी अध्यक्ष पर दुष्कर्म का केस दर्ज, पीड़िता बोली-पैसे व धमकी से चुप करा रहे।
4	अजमेर	02.11.2019	अजमेर डेयरी में पहले भी चार महिलाकर्मी प्रताड़ना के कारण छोड़ चुका हैं नौकरी।
5	अलवर	10.10.2019	अलवर में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म, बारां में अश्लील वीडियो वायरल।
6	अलवर	29.09.2019	राजगढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप, बदहवास हालत में पुलिस चौकी पहुंची।
7	अलवर	31.10.2019	तिजारा में दुष्कर्म पीड़िता ने मांगी इच्छा मृत्यु, परिजन करेंगे आमरण अनशन।

क्र.सं.	जिला	दिनांक	विवरण
8	धौलपुर	12.06.2019	बसेड़ी-घर के बाहर सो रही 6 साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म।
9	जोधपुर	28.12.2019	निजी असपताल में नर्सिंग स्टाफ ने किया नाबालिग से दुष्कर्म।
10	जोधपुर	13.12.2019	जोधपुर बालिका गृह में बालिकाओं से अमानवीय हरकत। बालिका गृह में बच्चों के कपड़े उतरवाती थी अधीक्षक, तीन केयर टेकर भी गुनाह भी शामिल।
11	जयपुर	09.11.2019	भांकरोटा थाना क्षेत्र में सातवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर घटना पता चली।
12	जयपुर	15.12.2019	प्रताप नगर इलाके में अगवा कर 12 साल की मासूम से दुष्कर्म किया, 23 दिन बाद भीलवाड़ा से गिरफ्तार।
13	नागौर	25.12.2019	ग्राम सांवराड़ में छठी कक्षा की छात्रा की अपहरण कर नशे की गोलियां खिलाई, दुष्कर्म किया।
14	बारां	04.11.2019	पुलिस थाना क्षेत्र अन्ता में खान की झोंपडियां में नाबालिग से गैंगरेप व अपहरण का केस दर्ज

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा)

सभापति महोदय,

आज डिमाण्ड 16, 17 पुलिस एवं कारागार पर चर्चा है।

लोकप्रिय, गरीबों के मसीहा, किसानों, युवाओं एवं महिलाओं के हितैषी, दलित एवं वंचित वर्ग के शुभचिंतक और हर प्राणी मात्र के दिल की बात जानने वाले हमारे मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जो शानदार बजट पेश किया है, उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया हैं। समृद्ध और खुशहाल राजस्थान बनाने की दिशा में एक कदम है। प्रदेश में शांति और अमन चैन के लिए पुलिस विभाग का संसाधन युक्त, सतर्क एवं जवाबदेह होना जरूरी हो जाता है। इसीलिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2020-21 के बजट में पुलिस महकमे को मजबूत बनाने के लिए

गृह विभाग में 5 हजार कार्मिक भर्ती करने,

अपराधियों में भय एवं आमजन में सुरक्षा के लोगो को चरितार्थ करने के लिए

प्रदेश की पुलिस को मजबूत करने के लिए

पीसीआर की तर्ज पर मोबाइल पुलिस और जयपुर ग्रामीण, बीकानेर रेंज में एसओजी की नई फील्ड यूनिट बनायेगी। पुलिस बेड़े को संसाधनों से लैस किया गया है ताकि प्रदेशवासियों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

पीड़ित वर्ग को सुरक्षा प्रदान करना एवं अपराधियों को सजा दिलाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा में स्थित उप कारागृह का भवन आधुनिक सुविधा एवं सुरक्षा के इन्तजामात सहित नया भवन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि पुराना भवन बहुत ही छोटा है और पुराना होने के कारण स्टाफ और कैदियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरी मांग है कि जेरला या पचपदरा रोड पर सुरक्षित एवं उपयुक्त स्थान पर नया भवन बनाया जाए।

कैदियों को कारागृह अवधि में रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान कर रोजगार के अवसर प्रदान कर उनको देश की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से

अपराधी नहीं होता है, परिस्थितियों एवं हालातों का मारा भी होता है।

कैदियों को पौष्टिक व शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। इन्सानियत के नाते और संवैधानिक अधिकार दोनों के नाते उनको प्राप्त करने का हक है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा कस्बा और औद्योगिक नगरी होने के कारण यहां यातायात का भारी दबाव है उससे निपटने के लिए नफरी बढ़ाने की आवश्यकता है।

बालोतरा/पचपदरा मे बढ़ते औद्योगीकरण एवं आबादी की दृष्टि से बालोतरा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की नितान्त आवश्यकता है।

बालोतरा कस्बे में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता है।

प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम्स को देखते हुए पुलिसकर्मियों को ट्रेण्ड होना जरूरी है, अतः अत्याधुनिक संसाधनों एवं तकनीक उपलब्ध करवायी जाये ताकि उनका मुकाबला कर सकें।

सोशल मीडिया में जिस प्रकार घृणा से भरे कामेन्ट्स एवं गतिविधियां चल रही हैं उससे समाज में आपसी भाईचारा खतम हो रहा है और द्वेष फैल रहा है। इस प्रकार की विघटनकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस का सतर्क रखना नितान्त आवश्यक है।

श्री भजनलाल जाटव, राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा

नागरिक सुरक्षा विभाग - घोषणाएं

1. बजट वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपये नागरिक सुरक्षा की क्षमता संवर्धन हेतु उपलब्ध कराने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा की गई है, जिसके लिये मा. मुख्य मंत्री जी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
2. बजट वर्ष 2020-21 में मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा 100 अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है जिनमें से आवश्यकतानुसार नागरिक सुरक्षा कार्यालयों को अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे।

3. वर्ष 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर अग्निशमन, खोज व बचाव, संचार, प्राथमिक उपचार एवं बाढ़ बचाव इत्यादि प्रशिक्षण कोर्सों में 109 नागरिक सुरक्षा के अधिकारियों/कार्मिकों एवं स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करवाया जायेगा।

भरतपुर जिले के वैर उपखण्ड क्षेत्र में खनिज/अग्नि दुर्घटनाओं एवं सम्भावित आपदा प्रबन्धन के मध्यनजर नागरिक सुरक्षा उपकेन्द्र खोला जाएगा। इससे बयाना, भुसावर, रूपवास इत्यादि क्षेत्र में त्वरित गति से आपदा प्रबन्धन कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्त में, मैं अपने गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वयंसेवकों के लिये कहना चाहूंगा :-

"कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता,
जब तक तुम खुद से न हार जाओ
जिन्दगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार
कि परदा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें।"

जय हिन्द, जय भारत, जय राजस्थान।''

धन्यवाद